राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक :6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बारहवां दिवस [संख्या: 9

शुक्रवार,

11 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)
(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल।

करौली जिले के शहीदों के परिवारजन को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं

154. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा वर्तमान में शहीदों के परिवारजन के कल्याण के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं?

(2) गत दो वर्षों में करौली जिले के कितने शहीदों के परिवारजन को उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या लाभ उपलब्ध करवाया गया? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) वर्तमान में सरकार द्वारा शहीदों के परिवारजन के कल्याण हेतु निम्नांकित पैकेज/योजनाएं संचालित हैं:-

1- 01.04.1999 के पश्चात् शहीद सैनिकों के आश्रितों को कारगिल पैकेज के तहत देय सुविधा का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

2- 01.04.1999 से पूर्व के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सम्मान भत्ता।

3- युद्ध विधवा छात्रावास, जयपुर में 33 तथा झुन्झुनूं में 12 आवासीय फ्लैट शहीदों की वीरांगनाओं को कढ़ाई, सिलाई, पढ़ाई, कम्प्यूटर

(श्री कालीचरण सराफ)

ट्रेनिंग, आदि के प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अस्थायी तौर पर आबंटित किये गये हैं। कोटा में शहीदों की आश्रित 18 छात्राओं को कोचिंग/अध्ययन करने हेतु अस्थायी आवास उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, सीकर जिले में शहीदों के आश्रित छात्रों के अध्ययन हेतु अस्थायी आवास उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, जोधपुर में भी युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

(2) गत 2 वर्षों में करौली जिले के 01.04.1999 से पूर्व के 41 शहीदों की वीरांगनाओं को 1,500/- प्रति माह सम्मान भत्ता भुगतान किया जा रहा है। इसका विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है। विगत 2 वर्षों में करौली जिले में 1 सैनिक परमाल सिंह दिनांक 02.04.2015 को शहीद हुआ है। इनकी बैटल कैजुअल्टी रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र सम्बन्धित यूनिट से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही आश्रिता पत्नी श्रीमती सुमन देवी को 01.04.1999 के पश्चात् देय कारगिल पैकेज के तहत सुविधा दिलवाने की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए सरकारी स्कूलों में शहीदों के नाम से नामकरण नहीं हो रहा है। प्रदेश में करीब ऐसे 100 प्रकरण लम्बित हैं। शिक्षा विभाग इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। वन विभाग एवं पुलिस विभाग में एक्स-सर्विसमेन को शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी पड़ती है, जो जवान लड़के आते हैं, उनके मापदंड में कुछ परिवर्तन करना चाहिए।

इसके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनको सरकार की तरफ से आज तक कोई सहायता नहीं मिली है। जयसिंह पुत्र कल्याण सिंह कारगिल आपरेशन में शहीद हुए हैं; वे ब्रिगेडियर के पद पर थे। इसके अलावा, 4.12.2000 को कारगिल के आपरेशन में सरकारी स्कूल का नाम तो कर दिया गया था पर उसमें भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद वह नाम हटा दिया गया।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): कहां?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह है आपके शहीद ओम प्रकाश/हरदेव

(श्री घनश्याम)

मीणा, तहसील जहाजपुर। यह आप नोट करें। इसी तरह से इसको 25 बीघा भूमि एवं गैस एजेंसी-पेट्रोल पम्प आबंटन का जो आश्वासन दिया था, वह आज तक उसे नहीं दिया गया है। हजारों सैनिकों को सैनिक कोटे से जमीन आबंटित कर रखी है लेकिन आज तक उनको कब्जा नहीं दिलाया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यह सरकार शहीदों के प्रति बड़ी संवेदनशील है, इसलिए एक-दो मामलों के अलावा कोई भी केस इस प्रकार का पेंडिंग नहीं है जिनको जो नियमों के हिसाब से पेंशन या सम्मान भत्ता दिया जाए, या जमीन दी जाए, वह बाकी हो। सबको हमने इस प्रकार के दे दिये। फिर भी आपके पास यदि कोई सूचना इस प्रकार की है, तो वह आप मुझे दे दीजिएगा। उसको दिखवाकर, यदि गलत सूचना होगी, तो सम्बन्धित अधिकारी पर एक्शन करूंगा। नम्बर एक।

दूसरा आपने कहा कि सौ से ज्यादा इस प्रकार के शहीद हैं जिनके नाम से स्कूलों का नामकरण नहीं हुआ। सौ नहीं हैं, एक सौ इक्यावन इस प्रकार के शहीद हैं, जिनकी लिस्ट हमने शिक्षा विभाग को भेज दी है। आज सुबह ही मैंने शिक्षा मंत्रीजी, देवनानीजी से बात की है। इन्होंने कहा कि जल्दी ही इस प्रकार के जो स्कूल्स हैं, जो इनके नोर्म्स में हैं, उनके नाम से स्कूल्स हो जायेंगे।

दूसरा आपने जो एक्स-सर्विसमेन के लिए वन विभाग में और बाकी जगह सर्विसेज के बारे में कहा कि उनके लिए मापदंड बदले जाने चाहिये, इसके बारे में भी जहां-जहां भर्तियां निकलती हैं, उन सबको हमारे विभाग की तरफ से हमने यह रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि 25 साल का जवान और 40 साल के व्यक्ति में यदि अपन उनकी शारीरिक क्षमता का आकलन करेंगे, तो निश्चित रूप से 25 साल का जवान ज्यादा मजबूती से करेगा। तो इनको निश्चित रूप से शहीद जो हैं, जो अपने सैनिक रिटायर्ड हैं, उनको निश्चित रूप से उसमें रिलेक्सेशन मिलना चाहिए। हम इनके सम्पर्क में हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शहीदों के प्रति और सैनिकों के प्रति संवदेनशील है और हम निश्चित रूप से इस प्रकार का रिलेक्सेशन देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

(श्री घनश्याम)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि करौली जिले में ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं और प्रदेश के भी प्रकरण हैं। क्या करौली जिले में आप सैनिक स्कूल खोलने का विचार रखते हैं? दस हजार के लगभग संख्या है पूर्व सैनिकों की, शहीदों की बहुत सारी संख्या है। क्या आप करौली जिले में सैनिक स्कूल खोलने का विचार रखते हैं और सैनिक अस्पताल खोलने का विचार रखते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप यह पूरा लिखित में मुझे भिजवाइये, इसको एक्जामिन करवा लेंगे। यदि मापदंड पूरे करते हैं तो करौली जिले में निश्चित रूप से सैनिक स्कूल भी खोलेंगे और हास्पिटल भी खोलने का भी प्रयास करेंगे, पर मापदंड पूरे होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, शहीदों के परिजन के बारे में सदन में पहले भी खूब चर्चा हुई है, पूर्ववर्ती सरकार के समय में भी सदन में इस पर खूब चर्चा हुई और उस समय तत्कालीन सदन के नेता ने आश्वस्त भी किया था कि इन शहीदों के परिजन को इस प्रकार से घूमने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन प्रकरण लम्बे हुए, और पैकेज बढ़ाने की बात हुई। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस राज में जो पैकेज दिया जाता था, क्या उसमें सुधार किया है, या नहीं किया है? समान रूप से अगर सुधार किया है, तो कब से लागू किया गया है? माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में राजस्थान में बनी है, हर बजट में सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, शहीदों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, उनकी वीरांगनाओं को सुविधाएं मिलें, उनके माता-पिता को सुविधाएं मिलें, इसके लिए हर बार बजट में हमने घोषणाएं की हैं। मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के समान भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ राज्य सरकार में भी की गई सेवा के बदले में पारिवारिक पेंशन दी जायेगी, यह हमने घोषणा की थी वर्ष

(श्री कालीचरण सराफ)

2014-15 के बजट में और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। पिछली सरकार में यह नहीं मिलती थी।

दूसरा, सेना, वायु सेना और नौ सेना मेडल धारकों को एवं शौर्य चक्र धारकों को देय राशि में भी हमने वृद्धि की है। राजस्थान शौर्य पुरस्कार, नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान नियम, 1966 के तहत विगत सरकार द्वारा सेना, वायु सेना व नौ सेना मेडल धारकों को दो लाख रुपये और शौर्य चक्र धारकों को छह लाख रुपये दिये जाते थे। हमने सेना, वायु सेना और नौ सेना मेडल धारकों को नकद पुरस्कार की राशि दो लाख से बढ़ाकर सवा छह लाख रुपये और शौर्य चक्र धारकों को नकद पुरस्कार की राशि है, वह छह लाख की जगह आठ लाख पचास हजार रुपये कर दी है।

इसी प्रकार से कारगिल पैकेज के तहत भूमि के बदले नकद राशि में भी हमने वृद्धि की है। दिनांक 1.4.1999 के पश्चात् विभिन्न इमरजेंसी आपरेशन एवं देश हित में चलाये जा रहे आपरेशनों में शहीद के आश्रित एवं विकलांग सैनिकों को कारगिल पैकेज के तहत भूमि या मकान के एवज में पूर्व में यह राशि मात्र चार लाख रुपये दी जा रही थी, उसको बढ़ाकर हमने बीस लाख रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से कारगिल पैकेज के तहत माता-पिता के नाम पोस्ट आफिस में स्थायी जमा खाता राशि में भी हमने वृद्धि की है। पहले इनको डेढ़ लाख रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 3 लाख कर दिया है।

इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं युद्ध वीरांगनाओं को देय राशि में भी हमने वृद्धि की है। पहले 3 हजार रुपये प्रति माह उनको प्रदान किये जाते थे, उसको बढ़ाकर हमने 4 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है।

इसी प्रकार से युद्ध सेवा मेडल सीरिज को भी हमने सुविधाएं दी हैं। राज्य शौर्य पुरस्कार नकद पुरस्कार एवं भूमि अनुदान नियम, 1966 के तहत युद्ध सेवा मेडल सीरिज पदधारक को भी 25 बीघा सिंचित भूमि, भूमि न लेने की स्थिति में नियमानुसार नकद, तथा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल को 16 लाख रुपये, उत्तम सेवा मेडलधारक को 9.50 लाख रुपये, युद्ध सेवा मेडलधारक को 6.50 लाख रुपये की नकद राशि दिये जाने की घोषणा हमने 2016-17 के बजट में की है, अभी जो बजट पेश किया है।

सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण और विस्तार, बहरोड़ व भीलवाड़ा में नवीन सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण कराया गया है। कोटा में वार विडो

(श्री कालीचरण सराफ)

होस्टल; हनुमानगढ़, राजगढ़ (चूरू) तथा टोंक में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण; तथा सैनिक विश्राम गृह, उदयपुर के विस्तारीकरण का कार्य भी स्वीकृत किया गया है। इसकी घोषणा भी 2016-17 के बजट में की गयी है।

इसी प्रकार से 2015-16 के बजट में हमने घोषणा की थी कि सेवारत सैनिकों एवं उनके परिजन की स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए सैनिक कल्याण विभाग के अधीन सैनिक विश्राम गृह, बनीपार्क, जयपुर में एक काल सेंटर की स्थापना की जाएगी। काल सेंटर की स्थापना हमने कर दी है; 15 मई, 2015 को इसकी स्थापना हो गयी है। 9.30 बजे से 6.00 बजे तक वर्किंग डेज में यह खुला रहता है। काल सेंटर नम्बर है 18001806212 ।अभी तक 89 शिकायतें हमारे पास आयी हैं, उनमें से 73 शिकायतों का हमने निस्तारण कर दिया है। केवल 16 शिकायतें अभी तक पेंडिंग हैं।

इसी प्रकार से युद्ध वीरांगनाओं को सम्मान हेतु विशेष पहचान कार्ड राज्य की 1,161 वीरांगनाओं को... (व्यवधान) सुनिए। सुनिए। जो काम किये हैं वे बताना चाहता हूं। आप सुनना ही नहीं चाहते हों। उनका क्वेश्चन, वह बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब, खण्ड एक में...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): कांग्रेस राज में कुछ हुआ नहीं। अब कुछ किया है तो उस पर आप सुनिए तो सही। आपके राज में तो नहीं हुआ ना, गोविन्दजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): राज्य की 1,161 वीरांगनाओं को विशेष पहचान कार्ड जारी किये गये ताकि उन्हें विशेष सम्मान प्रदान करते हुए, उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा सके।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक को तो दिला दो आप।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): पिछली सरकार में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी।

इसी प्रकार से दो-तीन पाइंट और हैं। राज्य के समस्त पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के डाटा को कम्प्यूटरीकृत कराया गया है। पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। पिछली सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

(श्री कालीचरण सराफ)

इतना ही नहीं, युद्ध वीरांगनाओं के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा जी मरुधरा, जी-मीडिया कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से समस्त युद्ध वीरांगनाओं को नि:शुल्क बीमा पालिसी प्रदान की जा रही है। पालिसी वितरण समारोह 3 सितम्बर, 2015 को आयोजित किया गया। यह भी पहली बार हुआ है।

अब इसके अलावा कोई बात हो, तो और पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब। गोविन्द सिंह डोटासरा। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मैं जिस शेखावाटी से आता हूं, वहां पर बहुत ज्यादा सैनिक हैं; सीकर, चूरू, झुंझुनूं, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सैनिक हैं।

श्री अध्यक्ष: आप भी सेना में जाते तो ठीक रहता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सर। सर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी मंत्रीजी ने जवाब दिया कि सीकर में अस्थायी आवास सैनिकों की वीरांगनाओं के लिए, शहीदों की वीरांगनाओं के लिए ये कर रहे हैं। आपने सैनिक स्कूल झुंझुनूं में खोलने की भी घोषणा सुराज संकल्प यात्रा में की थी। पैरा-मिलिटरी फोर्स हैं, उनको भी शहीद के दर्जे की काफी समय से मांग है और आपने सुराज संकल्प यात्रा में उनको भी दर्जा देने की बात कही थी। मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि सीकर में शहीदों की वीरांगनाओं के लिए अस्थायी आवास की बात कर रहे हैं, वह भवन किस समय स्वीकृत हुआ? कितने पैसे लग गये? इन दो सालों में क्या प्रगति हुई? सैनिक स्कूल कब तक आप झुंझुनूं में खोल देंगे? आपकी सुराज संकल्प यात्रा की घोषणा है, उसके मुताबिक कब तक खोल देंगे? पैरा-मिलिटरी वालों को क्या शहीद का दर्जा देंगे, या नहीं देंगे? ये तीन बातें शहीदों के हित की हैं, आप बता दीजिए, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गोलमाल मत बताना।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। वे गोलमाल बताएंगे तो भी सुनना पड़ेगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सैनिक स्कूल खोलने का काम भारत सरकार का है, हम लोग केवल रिकमंड करते हैं। आप प्रस्ताव भिजवा दीजिए। निश्चित रूप से उसको देखकर...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने घोषणा कर रखी है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनिए। सुनिए। वह यदि रिकमंड करने के योग्य होगा तो निश्चित रूप से हम रिकमंड करेंगे, लेकिन सैनिक स्कूल खोलने का काम भारत सरकार करती है।

दूसरा आपने पूछा कि उसका कब निर्माण हुआ, उसकी क्या स्थिति है, तो यह आप लिखित में मुझे दे देना। इसका जवाब मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो साल से कुछ नहीं कर रहे हों। भवन बनकर तैयार पड़ा है सैनिकों की वीरांगनाओं के लिए सीकर में। उसमें दो साल से आप जो लाख-दो लाख, 5 लाख रुपये लगाने हैं, वे भी नहीं लगा रहे हों।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो साल से चुपचाप बैठे हों। सैनिकों के, शहीदों के, वीरांगनाओं के हितैषी बन रहे हों! सैनिक स्कूल आपके सुराज संकल्प घोषणा में है। हम किसकी रिकमंड करें? हमारी मानता कौन है? केन्द्र में आपकी सरकार है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): जो तीन साल में हमने काम किये हैं, उनका विस्तार से मैंने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, आप बैठिए। यह नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मंत्री हों, केन्द्र में आपकी सरकार है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): 5 साल आपका राज था, आपके राज में मांगा क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने सुराज संकल्प यात्रा में कहा है। शहीदों की वीरांगनाओं की घोर विरोधी है यह सरकार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। रामलाल। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, मैंने जो अभी...(व्यवधान) सुनिए एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, वह पूरक प्रश्न हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से आपरेशन विजय 1999 में स्थायी विकलांग को भी क्या इस पैकेज का लाभ दिया जा रहा है? छोटा-सा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गैलेरी की तरफ देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह गलत है। (व्यवधान) नो, नो...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं स्थायी विकलांग के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) इनका जवाब देने की जरूरत नहीं। रामलाल शर्मा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): एक मिनट विराजो। ऐसा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, इस तरह बीच-बीच में आप बोलते हों, तो। आगे भी अलाउ नहीं करूंगा मैं। आप बैठिए। यह तीसरा पूरक प्रश्न हो रहा है। मैं आगे भी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो प्रदेश के अन्दर शहीद होता है और शहीद होने के बाद में आपकी योजनाओं के अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। (व्यवधान) जो प्रदेश में शहीद होता है, आपकी सरकार की योजनाओं में जो सुविधाएं दी जाती हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, उसको सुनिए, पूरक प्रश्न हो रहा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जो सुविधाएं दी जाती हैं वे उसकी पत्नी को दी जाती हैं। कई प्रकरण ऐसे देखे गये हैं कि पत्नी या तो उस परिवार से अलग हो जाती है, या पत्नी पुनर्विवाह कर लेती है। ऐसी परिस्थिति में शहीद के माता-पिता को भी कोई विशेष सुविधाएं देने का विचार है, कोई योजना है, तो वह बताइये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): जैसा पहले बताया कि माता-पिता को अलग मिलता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं की सैनिक स्कूल का क्या हो रहा है, यह बताओ ना। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित करने की जरूरत नहीं। इनका एक शब्द अंकित नहीं हो। श्रवणजी का एक शब्द अंकित नहीं हो। मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, बैठ जाइये। एक शब्द अंकित नहीं हो। श्रवणजी का एक शब्द अंकित नहीं हो। इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो पूछा है, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप रामलालजी का जवाब दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): जवाब तो देने दो। हमारे विपक्ष के सचेतक महोदय ने जो पूछा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में ही खड़े हो जाते हैं। रामलालजी ने पूछा है, उसका जवाब दीजिए। उसके अलावा कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हमारे चौमूं से आने वाले माननीय विधायक ने पूछा, जो वीरांगनाएं, जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया, उसके बाद वे विधवा नहीं रहतीं। इसलिए उनके माता-पिता को जो सहायता दी जाती है, उसका मैंने उल्लेख कर दिया।

आपने सैनिक स्कूल के बारे में पूछा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं। नो, नो। मेरी बिना अनुमति के पूछा है।

अगला प्रश्न। श्री हीरालाल (निवाई)।

प्रश्न संख्या-155

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री संजीव कुमार। (व्यवधान)

मेरे से बिना इजाजत के पूछेंगे, नहीं आएगा जवाब। मैंने मना कर दिया। बैठिए आप। बैठिए। कृपया बैठिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे से बिना अनुमति के जो भी बोलेगा, एक भी शब्द रिकार्ड में नहीं आएगा और न उसका जवाब आएगा। बैठिए आप भी। (व्यवधान) नो। नो। नो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

प्रदेश में तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की योजना

156. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कनिष्ठ अभियंताओं तथा वर्कचार्ज

(श्री संजीव कुमार)
कर्मचारियों जैसे गेज रीडर, मेट, बेलदार, चौकीदार, ड्राइवर, तार बाबू, आदि की लम्बी अवधि से भर्ती नहीं होने के कारण उक्त कर्मचारियों की भारी कमी है?

(2) क्या सरकार प्रदेश में उक्त पदों पर शीघ्र नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): माननीय अध्यक्ष महोदय (1) जी हां।

(2) जी हां। कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। कार्य प्रभृत कर्मचारियों के पद डाइंग कैडर के होने से भर्ती हेतु रिक्त पद उपलब्ध नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, प्लीज। आप बैठिये। आप बैठिये। नो। बिना इजाजत के बोल रहे हैं, बैठिये आप भी। बैठिये। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अध्यक्ष: नो। नो। नो। (व्यवधान) इंटर करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर मोहन लाल गुप्ता। बैठिये। (व्यवधान) इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते आप। (व्यवधान) जो चाहे, खड़ा हो जाए। व्यवस्था से चलेगी।

श्री संजीव कुमार (भादरा): अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में नहरी क्षेत्र में नहरों के रखरखाव के लिए, नहरों के संचालन के लिए, रेग्यूलेशन, आदि की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए सिंचाई विभाग में तकनीकी कर्मचारियों, कनिष्ठ अभियंताओं, बेलदार, गेज रीडर, मेट, चौकीदार, तार बाबू, ड्राइवर, पटवारी, आदि के अनेक कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं, जिससे सुचारु रूप से इन व्यवस्थाओं को चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंत्री महोदय, आपने जवाब में बताया और आपने यह स्वीकार भी किया है कि प्रदेश में सिंचाई विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के इस तरह के पद काफी समय से खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इस विभाग में इन पदों की कमी के क्या कारण रहे तथा यह कमी कितने वर्षों से चल रही है? इन पदों की भर्ती पिछले कितने सालों से नहीं की गयी और यदि कई सालों से ये पद रिक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में विभाग का काम किस तरह से चलाया जा रहा है? बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही फरमा रहे हैं कि कर्मचारियों और विशेष तौर से जे.ईएन. की बड़ी भारी कमी है और लम्बे समय से है। 1988 से लेकर अभी तक इनकी भर्ती नहीं हुई। उस वजह से जितने पद हमारे पास में, जे.ईएन. के 1,327 थे, उसके अगेंस्ट में आज से डेढ़ साल पहले तो हमारे पास में सारे ही 240 जे.ईएन. थे।

अध्यक्ष महोदय, अब यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इतनी भारी जे.ईएन. की कमी की वजह से जो ऊपर का कैडर है, वह जब रिटायर होता है तो एक नालेज डाइंग होता है। मतलब, एस.ई. रिटायर हो गये, जे.ईएन. आज ज्वाइन कर रहा है, तो एक बड़ा भारी गैप रहता है, उसमें एक्सपीरियंस का आदान-प्रदान नहीं होता और हमें उसका भारी नुकसान होता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी वजह से 735 जे.ईएन. की भर्ती प्रक्रियाधीन है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम इस कार्यवाही को पूरा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने पद तकनीकी कर्मचारियों और वर्कचार्ज कर्मचारियों के स्वीकृत हैं और कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? अभी तक इतने लम्बे समय तक इनके प्रक्रियाधीन रहने के क्या कारण रहे? और आप कब तक भर्ती कर दोगे?

दूसरा, आपने बताया कि रिटायरमेंट के साथ ही ये जो वर्कचार्ज तकनीकी कर्मचारी हैं, आपने बताया कि रिटायरमेंट जैसे-जैसे होते हैं तो इनको डाइंग कैडर का घोषित कर रखा है, तो यह डाइंग कैडर को कब से घोषित कर रखा है? क्या सरकार इनकी भारी कमी को देखते हुए, ऐसे कर्मचारियों का जो डाइंग कैडर घोषित किया हुआ है, इस फैसले को वापस लेने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। बहुत लम्बा हो गया।

श्री संजीव कुमार (भादरा): यदि वापस लेने का विचार नहीं रखती, तो क्या नये सिरे से इनके पद स्वीकृत करके, इनकी भर्ती करने का कोई

(श्री संजीव कुमार)

विचार है, ताकि नहरी विभाग के इस तंत्र को सही तरीके से चलाया जा सके? माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि बेलदार है, गेज रीडर है, चौकीदार है, ड्राइवर है, ऐसे लोग नहरी तंत्र को चलाने के लिए बेहद आवश्यक हैं। कमी है और कमी की वजह से हमारा रेग्यूलेशन है, उसको कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। चूंकि आपने स्वयं ने ही बताया है कि इसको डाइंग कैडर घोषित किया हुआ है, तो हम इसको डाइंग कैडर से विशेष श्रेणी में लेने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारा काम सुचारु रूप से चल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 735 जे.ईएन., 203 पटवारी, 58 जूनियर ड्राफ्टमैन, 53 ट्रैसर, 18 प्रयोगशाला सहायक, 232 एल डी सी, 36 ड्राइवर की भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो। दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे आप? इनसे कह रहा हूं कि दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे?

श्री संजीव कुमार (भादरा): साहब, मैंने दूसरे में पूछा है और मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि अब इनकी जो भर्ती है....

श्री अध्यक्ष: अच्छा बैठिये, वह जवाब आ गया।

छोटू सिंहजी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को पूछना चाहता हूं कि जब नहर बनी थी तो स्टाफ पूरा था और नहर बनने के बाद में, प्रोपर्टी तैयार हो गयी, नहरें तैयार हो गयीं और स्टाफ ¼ रह गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर गेज रीडर और चौकीदार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी आज विभाग किसके भरोसे छोड़कर बैठा है, पहले तो यह बताओ।

दूसरा निवेदन है कि गेज रीडर नहीं होने से काश्तकार खुद खोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गेज रीडर की नई भर्ती करोगे या नहीं करोगे? यदि वहां चोरियां हो रही हैं तो क्या अंकुश लगाया जा रहा हैं? एक तरफ से विभाग खुद भी असमर्थ है, उनके पास न जे.ईएन. हैं, न चौकीदार है और न गेज रीडर है। तो क्या व्यवस्था इन सालों में आप कर रहे हों? इसके लिए जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्षः विराजिये।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ¼ कर्मचारी बताये, मैं तो 1,327 में से सिर्फ 240 ही बता रहा हूं, कि इतनी कमी है। इसकी वजह से सिस्टम है वह बहुत ही डीग्रेडेड स्टेज में चला गया। इसको हम रिवाइव कर रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। माननीय सदस्य की पीड़ा बिलकुल वाजिब है और जितना वे महसूस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको मैं और ज्यादा .... (व्यवधान) इसमें सभी शामिल हैं। अपन भी शामिल हैं, ये भी शामिल हैं। कोई कमी किसी ने नहीं रखी। सिंस 1988, उसमें तो सारे ही आ गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिसाब से तो ये जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, कम से कम 20 से 30 परसेंट है और एवरी यीअर इनकी नयी भर्ती होनी चाहिए, जिससे कि पूरा सिस्टम ड्रान-अप रहे। तो इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर दो। मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मेरा पिछले वाले में था। इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्षः आपका नाम इसमें आया था। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। आपका नाम इस कम्प्यूटर में था।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 15 हजार हेक्टेयर भूमि के अन्दर आपका एक भी गेज रीडर नहीं है, एक भी बेलदार नहीं है। मतलब, गेज जवाई बांध से खोलता है, ठीक करता है और फिर आगे नहर में 40-50 किलोमीटर जाता है। तो वह कब तो पहुंचेगा और कब गेज मेन्टेन होगा? यह जो दुविधा है, मतलब, एक जे.ईएन. के नीचे कितने गेज रीडर और कितने बेलदार चाहिए, यह एक विषय हो।

दूसरा, जब तक आप यह भर्ती नहीं कर पाओ, या जो भी विभागीय भर्ती नहीं कर पायें, तब तक कम से कम संविदा पर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या तो उनको लो। नहीं तो, आज हमारा स्किल डवलपमेंट का विषय चल रहा है, उसमें बेलदार, फिटरमैन, आदि तैयार करवाकर, स्किल डवलपमेंट के तहत भी उनको संविदा पर ले सकते हैं। ऐसा आप संविदा पर ले सकते हैं या नहीं? रिटायर्ड कर्मचारियों को तो कम से कम रखें, ताकि नहर पर खड़ा रहने वाला तो आपके पास मिलेगा; नहीं तो जे.ईएन. और ए.ईएन. आपकी कागजी कार्यवाही में रह जाता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह सारा ढर्रा बरसों से बिगड़ा हुआ है। तो, मंत्री महोदय, अब आपसे अपेक्षा है कि इस ढर्रे को सुधारने के लिए आपको नीचे से सुधारना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजो। विराजो। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव तो बहुत बढ़िया लगा कि कांट्रेक्ट बेसिस पर रखा जाए, लेकिन कांट्रेक्ट वाला आदमी ईमानदारी से पूरा निहाल नहीं करता है। कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं होती। तो यह एक स्टाप-गैप अरैंजमेंट है। आपने जो सुझाव दिया, इस पर हमने कुछ आदमी रख रखे हैं और आगे भी यह स्किल डवलपमेंट वाले के हिसाब से और प्रयास करेंगे, जब तक हमें रेगुलर आदमी नहीं मिलते।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग में जिला हनुमानगढ़ में कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं तथा कितने स्वीकृत हैं? ये पद कब तक भर दिये जायेंगे? साथ में, यह माना जाता है कि यह कर्मचारी रिटायर होने पर वह पद समाप्त हो जाता है, तो इनके भरने की कोई प्रक्रिया है, वह कब तक पूरी होगी? मंत्रीजी बतायें।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने पद रिक्त हैं, यह थोड़ा प्रश्न स्पेसिफिक है, और जो डाइंग कैडर के हैं, वह तो आपको मैंने जवाब दे दिया। आपने हनुमानगढ़ जिले के पद के बारे में पूछा है, वह मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली जिले में पालनहार योजना के लम्बित प्रकरण

157. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर एवं रोहट तहसील में पालनहार योजना का कौन-कौनसा प्रकरण, किन-किन दस्तावेजों की कमी से, कितने-कितने समय से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेकों प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा कार्यालय में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सम्बन्धित लिपिक के पास दस्तावेज जमा करा दिये गये परन्तु लिपिक द्वारा उन दस्तावेजों को लापरवाहीवश आवेदनों में संलग्न नहीं किये गये? यदि हां, तो ये प्रकरण कौन-कौनसे हैं? इनमें आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में कब-कब जमा कराये गये? क्या सरकार सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई कर उक्त प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) पाली जिले के पाली शहर एवं रोहट तहसील के पालनहार योजना के 137 लम्बित प्रकरणों की लम्बित रहने के कारणों सहित सूचना परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पालनहार योजना में लम्बित आवेदन पत्रों में दस्तावेजों की कमी पूर्ति हेतु आवेदनकर्ताओं से प्राप्त समस्त दस्तावेजों को आवेदन पत्रों के साथ संलग्न कर दिया गया है। दस्तावजों की कमी-पूर्ति से शेष रहे आवेदन पत्रों के लिए आवेदनकर्ता को दूरभाष पर, कार्यालय में आने पर व पत्रों द्वारा भी सूचित किया गया है। आवेदन पत्रों में कमी-त्रुटि की पूर्ति करवाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। आवेदन पत्रों में दस्तावेजों की पूर्ति होने पर उनका निस्तारण किया जा सकेगा।

(सूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या परम्परा बन गई कि कोई क्वेश्चन लगता है ना, तो फिर आनन-फानन में अधिकारी जो लम्बित काम हैं, उनको पूरा करने में लग जाते हैं?

माननीय मंत्री महोदय, आप यह बता दो मुझे, उसने आक्षेप की पूर्ति कब की? करने के बाद में आपके यहां से स्वीकृतियां जारी हुईं क्या? अगर स्वीकृतियां जारी हुईं तो उनके प्रकरणों को आक्षेपों की कमी बताते हुए लम्बित क्यों रखा गया? अगर उसने पूर्ति कर दी तो फिर वह लम्बित नहीं रहना चाहिए था। कई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें दुबारा, तिबारा आक्षेप की पूर्ति की गई। उसके बाद में उनकी स्वीकृतियां जारी हुईं। सबकी रिसीट हैं मेरे पास। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपके ये कर्मचारी हैं, वे ऐसी योजनाओं में भी लापरवाही बरतते हैं। यदि जांच के बाद आपको लगे कि वाकई में इसमें लापरवाही हुई है, या कर्मचारी ने उन दस्तावेजों को पत्रावलियों में संलग्न नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

किया है, तो आप उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे क्या? मैं जांच के बाद के लिए कह रहा हूं आपको, पहले के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जांच करवा दें, पेपर मैं दे दूंगा आपको।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य इन विषयों के ऊपर काफी संवेदनशील हैं और लगातार इन विषयों को परश्यू करते हैं। यह बात सही है कि प्रश्न के जवाब के भाग में मैंने एनेक्स्चर-ए और बी लगाये हैं, उन दोनों में उनके कारणों को इंगित किया गया है, जिन कारणों के कारण से उनकी पत्रावलियां, डाक्यूमेंट नहीं थे, उस कारण लम्बित रही हैं।

पिछले सदन में भी आपने यह विषय रखा था। मैंने इस बात को कहा था कि पालनहार के मामले काफी लम्बित हैं और उसके लिए हमने कहा था कि पूरी स्कीम को, पूरे सिस्टम को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद इनका जल्दी से निस्तारण हो, ऐसा सिस्टम डवलप करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले सितम्बर में इसको सामाजिक न्याय विभाग को दिया और उसके बाद आनलाइन सिस्टम इसमें इन्ट्रोड्यूस किया। सितम्बर से इस पूरी चीज को हमने आनलाइन करने की शुरुआत की है। इसके काफी प्रयास किये हैं। जिला स्तर पर सबके डाटाज, वगैरह, जो बी डी ओ के पास था, पंचायत में था, वह लेकर हमने जिलों में मंगवाया। जिले में अलग-अलग लेवल पर, यहां बुलाकर उनको प्रशिक्षित करने का काम किया कि कैसे आनलाइन काम करेंगे। यह करने के बाद पांच या छह बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर पर और डाइरेक्टर स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई, नीचे तक, उसकी मानिटरिंग करने के बाद।

यह बात सही है कि पहले यह कई शिकायतें इस बात की थीं कि बार-बार देने के बाद भी डाक्यूमेंट्स के लिए कहा जाता है कि डाक्यूमेंट्स नहीं मिले। मुझे लगता है कि आनलाइन सिस्टम के बाद इस सिस्टम को हमने काफी इम्प्रूव किया है और अभी आज जो सारे प्रांत की स्थिति है, काफी अच्छी प्रगति इसमें से निकलकर आ रही है।

आपने जो कहा है कि कुछ लोगों ने दस्तावेज दिये हैं और उसके बाद भी शो किया है, कहीं दस्तावेजों की कमी को बार-बार इंगित किया है। निश्चित रूप से आपके पास जो रिसीट्स हैं, आप वे भी मुझे दें। मैं इसकी गम्भीरता से जांच कराऊंगा और जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, इस संवेदनशील मुद्दे

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

के ऊपर भी अगर कोई लापरवाही कर रहा है, उनके खिलाफ गम्भीर कार्रवाई करने की बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-दो। हां, दूसरा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, इनके आने के बाद में वाकई में व्यवस्था काफी ठीक हुई है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): काफी अच्छी व्यवस्था हुई है।

मेरा प्रश्न है, यह विधवा पेंशन की राशि तो प्रति माह उसको मिल जाती है, पर पालनहार में कई बार छह महीने, आठ महीने, दस महीने बाद राशि जारी होती है। तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिसमें विधवा पेंशन की तरह पालनहार की राशि प्रति माह उसके खाते में जमा हो जाये?

श्री अध्यक्ष: बिराजिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस सिस्टम में, जब तक यह आफलाइन था, ये सारी प्रोब्लम्स थीं। हमने आनलाइन किया है। इसका वेरिफिकेशन सारा आएगा। वेरिफिकेशन भी होगा। जो दस्तावेज हमने कुछ तय कर रखे हैं, पात्रता सम्बन्धी जो नियम हैं, जिनकी पात्रता पूरी है, आनलाइन ही तुरन्त उसको किया जाये, इसको भी सुनिश्चित हम करेंगे।

जो आपने कहा है, निश्चित रूप से, क्योंकि यह हर महीने की व्यवस्था है, यह होना चाहिए, हर महीने पहुंचना चाहिए। उसको भी, इस सिस्टम में अगर, हम देखेंगे, कमी होंगी, वह दूर करेंगे और यह हर महीने पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

चन्द्रकांता मेघवाल। यह पाली शहर और रोहट तहसील से सम्बन्धित है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं प्रदेश की तो पूछ सकती हूं ना?

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, प्रदेश का नहीं। नहीं, नहीं। यह बिलकुल स्पेसिफिक है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): भरतपुर का भी तो है। माननीय अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष: I will not allow. I will not allow. आप बैठिये। I will not allow.

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं वहीं का पूछ लूंगी, साहब, वहीं का।

श्री अध्यक्ष: वहीं का तो आप नाम लेकर पूछ लेंगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पाली का ही पूछ लूंगी।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये। पाली का पूछिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि पाली जिले में भी, प्रदेश के सभी उपखण्डों में भी, जितने भी हमारे समाज कल्याण विभाग में कर्मचारी लगे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, हां। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। आडा-टेढ़ा मिलाकर, पाली नाम लेकर पूछ लेते हैं। मैंने कहा, पाली शहर और रोहट तहसील से सम्बन्धित है यह। नो, नो। (व्यवधान) अगला प्रश्न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों के अधिकारों की रक्षा करना...

श्री अध्यक्ष: आपका फर्ज नहीं है, यह मेरा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): लेकिन इन्होंने पाली का पूछ लिया।

श्री अध्यक्ष: रेग्यूलेटेड-वे से मुझे करना पड़ेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बिलकुल। आपने मुझे बैठा दिया। अतिक्रमण के सम्बन्ध में सवाल था, मुझे बैठा दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। आपको राय देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

अगला प्रश्न। डाक्टर किरोड़ी लाल।

प्रदेश में जमाखोरी रोकने हेतु सचिव स्तरीय समिति की बैठकें

158. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में महंगाई रोकने हेतु जमाखोरों के विरुद्ध निरन्तर कठोर कार्रवाई करने व आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए सचिव स्तरीय समूह का गठन किया गया है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कमेटी की 31 दिसम्बर, 2015 तक कितनी बैठकें आयोजित की गईं एवं उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये? बैठकवार विवरण की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश पर उठाये गये कदम एवं कंटिंजेंसी प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी हां। प्रदेश में महंगाई रोकने हेतु, जमाखोरों के विरुद्ध निरन्तर कठोर कार्रवाई करने व आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में सचिव स्तरीय अधिकारियों के समूह का गठन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ.17(3)खा.वि./न्याय/1974-II दिनांक 8.7.2014 के द्वारा किया गया है। आदेश दिनांक 8.7.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त कमेटी की 31 दिसम्बर, 2015 तक दो बैठकें आयोजित की गई हैं। प्रथम बैठक दिनांक 10.7.2014 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें प्याज एवं आलू को भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन की पालना में राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची-I के भाग-ड में जोड़ने की कार्यवाही एवं आलू, प्याज एवं दालों के भावों के मूल्यों का ग्राफ करने, आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

द्वितीय बैठक दिनांक 24.8.2015 को आयोजित की गई, जिसमें प्याज एवं दालों की बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया, जिसका कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश/रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आलू एवं प्याज के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची-I में आलू एवं प्याज को अधिसूचना दिनांक 12.8.2014 द्वारा जोड़ा गया। गठित समिति की सिफारिश के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 12.8.2014 की प्रति एवं कंटिंजेंसी प्लान/कमेटी की सिफारिश की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी कमेटी सरकार ने बनाई, महंगाई कैसे रूके, महंगाई पर नियंत्रण कैसे हो और जमाखोरी कैसे रूके, उसको लेकर कोई सुझाव राज्य सरकार की राज्य स्तरीय उस कमेटी ने नहीं दिया है। इसलिए महंगाई नियंत्रण सम्बन्धी एक कमेटी बनी थी, मोदी कमेटी की क्या-क्या सिफारिशें हैं, मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। क्या राज्य सरकार उस कमेटी की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कैसे, कब तक? नहीं तो, क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया है कि जो कमेटी बनी है वह एक सचिव स्तरीय कमेटी है जिसकी तीन बैठक हुई हैं...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं सचिव स्तर की नहीं पूछ रहा हूं, मंत्रीजी। मैं भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, आप पूछ लो, फीडबैक ले लो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राजस्थान में तो सचिव स्तरीय ही है।

मैं जानकारी दे रहा हूं, भारत सरकार की कमेटी की जो बात कर रहे हैं, इसमें समय-समय पर भारत सरकार के सचिवों द्वारा और हमारे प्रमुख

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सचिव द्वारा और शासन सचिव विभाग के द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि दालों की जमाख़ोरी/लामबंदी के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 19.10.2000 को विडियो कान्फ्रेंस की गई। फिर दालों की जमाख़ोरी और लामबंदी के संदर्भ में कैबिनेट सचिव, भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की दिनांक 03.11.2015 और 20.11.2015 को विडियो कान्फ्रेंस की गई। दालों की जमाखोरी व लामबंदी पर भारत सरकार द्वारा 22.1.2016 को विडियो कान्फ्रेंस की गई और दालों की कीमत के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 4.3.2016 को दिल्ली में मीटिंग आयोजित की गई और दालों में जमाख़ोरी के संदर्भ में 9.3.2016 को नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा मीटिंग आयोजित की गई।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, दूसरा क्वेश्चन कर लूंगा, पर इतना-सा पूछना चाहूंगा कि जो मोदी कमेटी है...

श्री अध्यक्ष: इसी में पूछ लीजिए ना आप पूरक प्रश्न को।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जवाब जो इनके पास है, वही देंगे। दिल्ली की सूचना आपके पास ज्यादा रहती है। तो इसका मैं क्या करूं, उनके पास नहीं है तो?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पिछले सत्र में सरकार माल एक्ट का अधिनियम लाई थी? यदि हां, तो क्या इस एक्ट में उन आवश्यक वस्तुओं को शामिल कर लिया है, जिनके भाव बेतहाशा बढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय से अलग हटकर के सवाल है, लेकिन मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। 6 फरवरी, 2014 को राजस्थान सरकार द्वारा इसी सदन में माल अधिनियम लाया गया था लेकिन माननीय हाई कोर्ट के स्थगन के कारण वह अभी प्रभावी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्री पूरण मल सैनी। बाकी रह गया हो तो इनको बता दो, ये पूछ लेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बाकी तो बहुत रह गया है। आप तो दाल और इनको कंट्रोल करवा दो। इतना तो कह दो मंत्रीजी को।

श्री अध्यक्ष: दाल मिल कहां रही है?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कबूतर के आंख मींच लेने से बिल्ली भाग नहीं जाएगी; बिल्ली इंतजार कर रही है। आपके ही द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार क्या आपने प्रदेश में जमाखोरों की सूची मंगवा ली? और अगर सूची मंगवा ली, तो आज दिनांक तक उनको चिह्नित करके उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही फरमायी? और अगर कार्यवाही की, तो उसके बावजूद भी ये भाव कैसे बढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आने वाले हमारे माननीय विधायक की जानकारी बिलकुल ही अधूरी है, और उदाहरण भी किस तरह से दिया। यह कौन कहता है? हमने स्टाक सीमा लागू की जुलाई, 2015 में और वह आज भी प्रभावी है। राजस्थान भर में 875 निरीक्षण हुए। जब्त की गई दालें 26110 क्विंटल और 43420 कुल दालें डिस्पोजल हुई, 66 परसेंट डिस्पोजल कर दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 1854.85 क्विंटल यानी 6.7 परसेंट मात्रा विभिन्न न्यायालयों में स्थगन आदेश के कारण निस्तारण की प्रक्रिया लम्बित है और 124 क्विंटल 4.75 प्रतिशत। दाल एफ.आई.आर. के कारण निस्तारण होना बकाया है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री फूलचंद भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मेरा जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खाद्य विभाग में कर्मचारियों एवं खाद्य निरीक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त हैं जिनके कारण समय-समय पर पूर्ण निरीक्षण नहीं होता है। लेकिन फिर भी मंत्रीजी जैसा अभी बता रहे थे, अभी जो पदों की आवश्यकता है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे पद सरकार द्वारा भर दिये जाएंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो आर.पी.एस.सी. की भर्ती हुई थी, इसमें 100 प्रवर्तन

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

निरीक्षकों की भर्ती हमने कर दी है और राज्य में 100 प्रवर्तन निरीक्षक लागू हो गये, और भी लम्बित जगह पड़ी हैं, उनको भी चयन प्रक्रिया में करके भरा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। मैं आपको अनुमति देता हूं। बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष: मैं दे रहा हूं ना। आप तो बोलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी कमेटियां बनाईं, माननीय मंत्री महोदय ने कहा, कुछ छापे भी मारे, दालें भी पकड़ी गईं, नेट रिजल्ट क्या आया? क्या दालों के भाव कम हो गये? माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अलाउ किया है कि अपने स्तर के ऊपर दालें इम्पोर्ट कर सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट भारत सरकार को भेज दें, क्या इनका दाल इम्पोर्ट करने का इरादा है? यह मैं इनसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 20 अक्टूबर से जब से हमने जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही की, वह कार्यवाही तो मैंने बता दी है। उसके बाद भाव में क्या रहा, 23 अक्टूबर, 2015 को 62 रुपये प्रति किलोग्राम दाल चना थी, आज 10 मार्च को 56.50 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी (-8) है; अरहर की दाल 164 रुपया प्रति किलोग्राम 23 अक्टूबर, 2015 को थी और आज 116 रुपये प्रति किलोग्राम है; छिलका मूंग 92 रुपये थी और आज 69 रुपये हैं; 129 रुपये उड़द छिलका थी जो कि आज 123 रुपये है और 78 रुपये मसूर दाल थी जो कि आज 60.50 रुपये प्रति किलोग्राम है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री हमीरसिंह भायल।

बाड़मेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतें

159. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीरसिंह भायल)

(2) बाड़मेर जिले में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ग्राम पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं हैं?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) बाड़मेर जिले में कुल 277 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में ऐसी 212 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ग्राम पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 2015 में हेक्टेयरवाइज सिवाना शाखा फसल का प्रीमियम, मोठ प्रीमियम कटौती 4946.93 हेक्टेयर, जबकि क्लेम का भुगतान 1365.425 हेक्टेयर; भादरू शाखा फसल का ग्वार प्रीमियम कटौती 5322.99 हेक्टेयर, जबकि क्लेम का भुगतान 3105.212 हेक्टेयर; सिणधरी शाखा, गांव का नाम घालानाडी, ग्वार प्रीमियम कटौती 1673, जबकि क्लेम का भुगतान 681 । सहकारी समिति द्वारा किसानों से जो प्रीमियम हेक्टेयरवाइज काटा गया है, उसका क्लेम इस तरीके से मिला है। पहला प्रश्न मेरा यह है कि किसानों के साथ में इतना प्रीमियम काटने के बाद में उनको क्लेम नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। फिर दूसरा कर लेना।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया कि प्रीमियम जो काटा जा रहा है, इसमें क्लेम कम मिल रहा है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना के तहत इसके मापदण्ड तय किये जाते हैं और प्रदेश में कृषि विभाग इसका नोडल विभाग है।

श्री अध्यक्ष: आपसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): ये इससे सम्बन्धित नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको परीक्षण के लिए सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जाएगा और इसके ऊपर उचित कार्यवाही के लिए भी, जो भी कार्यवाही विभाग कर सकता है, आपको सूचित भी कर दिया जाएगा।

इसके सम्बन्ध में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सहकारी विभाग के द्वारा जो बीमा की योजना है, वह है हमारी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय से, यह काफी लम्बे समय से चल रही है और उस समय यह प्रावधान था कि यदि किसी सदस्य ने, जिसने कि हमसे ऋण लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, सदस्य की, तो उसके परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा या आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था; वर्तमान सरकार ने, हमने, इसको बढ़ाकर के 50 हजार से 3 लाख रुपये कर दिया है। इसमें साढ़े 21 रुपये, जो जमा होने थे, किसान से सिर्फ साढ़े 21 रुपये लिये जा रहे हैं; आधे प्रदेश के जो हमारे बैंक हैं वे इसको जमा करा रहे हैं। यह सबसे बड़ी योजना है। करीब 22 लाख किसानों का इसमें बीमा किया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न करेंगे और?

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मेरा निवेदन इस प्रश्न के माध्यम से यह था कि सहकारी समितियों द्वारा काटा गया है और जितना हेक्टेयर का काटा गया है, उसका वन-थर्ड भी नहीं मिला है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी बैंक्स में यह प्रीमियम काटा जाता है, उसी के अन्दर, बैंक में उसी के खाते में उसका क्लेम आता है और अलग-अलग बैंकों में, जो भी ये मापदण्ड के अनुसार निर्धारित किया जाता है, वह क्लेम आता है। सहकारी बैंकों में भी जो प्रीमियम काटा जाता है, उन्हीं मापदंडों के अनुसार उनके पास भी वह राशि आती है। उस राशि का हम भी वितरण करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका नोडल विभाग कृषि विभाग है, इनसे परीक्षण करवाकर, जानकारी प्राप्त करके, माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि राजस्थान सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायतवार सहकारी समितियों

(श्री हमीरसिंह भायल)
का गठन करने की घोषणा थी, यह कब तक कर लेंगे? या इसके लिए क्या कार्यवाही चल रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्तमान सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाए और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सिवाना के अन्दर 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनका गठन काफी समय से लम्बित है, जिनका पंजीयन हो चुका है, लेकिन वह राशि इनके द्वारा जमा नहीं करायी गयी है। इसमें हिस्सा राशि है पांच लाख रुपये। उनको हिस्सा राशि जमा करानी पड़ेगी, एक लाख अमानत राशि जमा करानी पड़ेगी। जब भी इसके मापदंड पूर्ण कर लिये जाएंगे तो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय मंत्री महोदय, इन सहकारी समितियों के गठन की काफी फाइलें आपके पास पड़ी हैं। साल भर से नयी समितियों का गठन नहीं हो पा रहा है। 'पैक्स' और 'लैम्प्स' किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक की नींव होते हैं और इन सहकारी समितियों को खतम करने के लिए अपन वी.सी. चालू कर रहे हैं। अगर किसी भी किसान का डायरेक्ट खाता केन्द्रीय सहकारी बैंक में आप खोल रहे हो तो आने वाले दिनों में सहकारी समितियां खतम हो जाएंगी। जो व्यवस्थापक आज हड़ताल पर बैठे हैं पूरे राजस्थान में, उन व्यवस्थापकों का क्या होगा? उन व्यवस्थापकों का भविष्य क्या है? उन व्यवस्थापकों को क्या अपन केन्द्रीय सहकारी बैंक में डायरेक्ट नौकरी देगें? ये आज इतने बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि राजस्थान की मुख्य मंत्री बहुत संवेदनशील हैं, वे सबको रोजगार देना चाह रही हैं तो अपने जो व्यवस्थापक बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए अपन क्या करेंगे? उनके बारे में, मंत्री महोदय, आप बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी प्रश्न किया कि व्यवस्थापक हड़ताल पर हैं, व्यवस्थापक कोई भी हड़ताल पर नहीं हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय से...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): पूरे राजस्थान में हड़ताल पर हैं। (व्यवधान) सभी सहकारी समितियों पर ताला लग रहा है। आप कैसे कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। चन्द्रभान सिंहजी, बैठिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से आज ही इन व्यवस्थापकों की यूनियन के श्री आमेरियाजी मिलकर गये हैं, गुलदस्ता भेंट करके गये हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छे-अच्छे कदम उठा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, ... (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सरकार के दबाव में ...(व्यवधान) हो रहे हैं। 17,500 करोड़ का ऋण बांटना था, उसको बिना बताये तीन हजार करोड़ रुपये कम कर दिये। सरकार को पता नहीं। रजिस्ट्रार ने आर्डर जारी कर दिया। आपकी सहमति है क्या?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी ब्याजमुक्त ऋण है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे अधिक ब्याजमुक्त ऋण अपने किसानों के लिए दे रहा है और साथ के साथ उन किसानों का आधा प्रीमियम जमा करके बीमा कर रहा है। भारत में पहली बार हुआ है कि राजस्थान के 22 लाख किसानों का दुर्घटना बीमा किया गया है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान) आपकी सच्चाई सामने ले आऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में 277 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और उनमें व्यवस्थापक के पद कितने रिक्त हैं? एक-एक व्यवस्थापक के पास 3-4 सहकारी समितियों का चार्ज है। कैसे समय पर ऋण वितरित हो सकेगा? किस प्रकार से वह काम कर सकेगा? दूसरा, अस्थायी व्यवस्थापकों को स्थायी करने का विचार रखते हैं या नहीं? तीसरा, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति खोलने का विचार यदि आप रखते हों, तो कब तक खोल देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी मेरे उत्तर में बताया था कि हम हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलना चाहते हैं। आपके बाड़मेर जिले में करीब सोलह ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जो काफी लम्बे समय से, 2011 के पहले से लम्बित हैं और इसका कारण यह था, माननीय अध्यक्षजी, 2011 से पहले इसकी जो हिस्सा राशि थी वह 15 लाख रुपये थे और 2011 के अन्दर यह हिस्सा राशि पांच लाख रुपये कर दी गयी है; जब भी ये हिस्सा राशि और अमानत की राशि जमा करा देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति सरकार खोलेगी।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री तरुण राय कागा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): व्यवस्थापकों की बात है, व्यवस्थापकों के कितने पद रिक्त हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनका जवाब दीजिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, जैसा कि बाड़मेर में बताया गया है, 212 में सहकारी समितियां नहीं हैं; हालांकि मेरा यह प्रश्न था कि इस पुनर्गठन और परिसीमन के बाद में जो ग्राम पंचायतें नयी बनी हैं, उनका किन ग्राम पंचायतों से व्यवस्थापक है? और उन ग्राम पंचायतों में भी इनको शामिल किया गया है, कि इनमें भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएंगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीया अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बता दिया कि हर ग्राम पंचायत पर हमारे को खोलना है। जहां पर व्यवस्थापक हैं, तो पूरे प्रदेश में व्यवस्थापक लगातार आपकी सरकार से ही कम चले आ रहे हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बाड़मेर में कितने पद रिक्त हैं, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): और मैं एक चीज आपको बताऊं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्थापक है वह उस समिति का कर्मचारी है और इसके बारे में जल्दी से जल्दी विचार करके हमारा प्रयास रहेगा कि नयी भर्तियों के लिए जो भी है, इनको भरा जाएं

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कितने पद रिक्त हैं, मैंने यह पूछा था।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): पूरे प्रदेश स्तर पर करीब तीन हजार से अधिक व्यवस्थापक हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसके व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक हैं ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैंने बाड़मेर का स्पेशली पूछा है आपको। प्रश्न भी बाड़मेर का है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): यह उसके व्यवसाय पर निर्भर करता है। यह उसके मापदंड में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि अगर वह एक करोड़ का करता है तो उसके ऊपर एक सहायक लग सकता है, दो करोड़ का करेगा तो एक और उस पर लगाया जाएगा। व्यवस्थापक इस प्रकार से हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपने तो बात को ही घुमा दिया। व्यवस्थापकों के कितने पद खाली हैं, मैंने तो यह पूछा है और बाड़मेर जिले का ही मामला है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री पूरणमल सैनी। अगला सवाल।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सहकारिता मंत्रीजी से...

श्री अध्यक्ष: यह अगला सवाल है। आपका नम्बर है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से जानने के लिए भी दबा कर रखा था।

श्री अध्यक्ष: वह तीन से ज्यादा नहीं लेता हूं।

खेतड़ी में पर्यटन विकास हेतु कार्य योजना

160. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पर्यटन विकास हेतु अब तक कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत खेतड़ी जिले में वर्ष 1998-99 में राशि रुपये 30.00 लाख के विकास कार्य डी आर डी ए के

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा))

माध्यम से कराये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार-प्रसार सामग्री में खेतड़ी प्रारम्भ से ही सम्मिलित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग में वर्तमान में कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

विभाग द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्य करवाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न-1 ।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने खेतड़ी में पर्यटन के लिए जो जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खेतड़ी विरासतकालीन रजवाड़ों का स्थान रहा है। वहां गढ़ हैं और वह स्वामी विवेकानन्द की धरती है और बहुत अच्छा पर्यटक स्थल वहां बनाया जा सकता है। पूर्व सत्र में भी मैंने यह निवेदन किया था। महज इसलिए कि हम इस सदन में बी एस पी के माध्यम से आये हैं, इसीलिए बजट का प्रावधान नहीं बताया जाकर हमें नेग्लेक्ट किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर इन धार्मिक स्थलों के साथ-साथ पर्यटकों को बढ़ावा देना चाह रही है, तो मैं आपके माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि खेतड़ी भी बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। इसके लिए बजट का प्रावधान कब तक कर पायेंगे? खोल पायेंगे, कि नहीं खोल पायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, यह बात सही है, लेकिन जब इनके प्रस्ताव ही नहीं आयेंगे हमारे विभाग में, तो हम कैसे कार्य आगे बढ़ा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): पूरक प्रश्न-2 ।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जब सरकार की पालिसी में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है तो प्रपोजल, हम तो मांग कर ही रहे हैं। अब प्रपोजल जो भी इनकी एजेंसी है, उनके माध्यम से मंगाने का काम मेरा थोड़े ही होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रपोजल के लिए जो भी आपकी नोडल एजेंसी है, उसको आदेश करके प्रपोजल मंगवायें।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर के माध्यम से या मेरे विभाग के माध्यम से हम इनके प्रपोजल मंगवा लेंगे और दिखवा लेंगे उसको।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि खेतड़ी में भोपालगढ़ और बागौर दो किले हैं और जिन पर पहले भी विचार किया है कि उनको पर्यटक स्थल पर विकसित करें। दूसरा, स्वामी विवेकानंद को महाराजा अजीत सिंहजी ने अमरीका भेजा था। उन्होंने महल भी दे दिया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। आप व्यक्तिशः जानकारी कर लीजिए।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पेयजल संकट के सम्बन्ध में; पेयजल पर चर्चा होगी, तब जमकर बोल लेना।

2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से चंडीगढ़ की दवा फर्म स्काट आइडल कंपनी लिमिटेड द्वारा असत्य व जालसाजी दस्तावेज प्रस्तुत कर टेंडर प्राप्त करने के सम्बन्ध में;

3. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से बजट घोषणा संख्या 80 के अनुसार किसानों को फसली ऋण प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में;

4. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में हो रही अप्रिय घटनाओं के सम्बन्ध में;

5. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से उदयपुरवाटी में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के सामने महिलाओं द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्रीमती सोनादेवी, सदस्या की ओर से नगरपालिका रायसिंहनगर के अधिशासी अभियंता द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में;

7. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आलनपुर से बानसूर की सड़क का कार्य कराने व रोडवेज बस चलाने के सम्बन्ध में; एवं

8. श्री बी.एल. कुशवाह, सदस्य की ओर से चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना का क्रियान्वयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती सोनादेवी, श्रीमती शकुन्तला रावत एवं श्री बी.एल. कुशवाह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं :-

1. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य पर दी जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में;

2. श्री रमेश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील मण्डरायल के समीप राजघाट पर चम्बल नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में;

3. श्री धनसिंह रावत, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र की जमीन किस्म जंगल को रेवेन्यू रिकार्ड में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में;

4. श्री हीरालाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल-फलासियां की खस्ता हाल सड़कों को पुनः ग्रेवल-कारपेट-सीमेंटेड किये जाने के सम्बन्ध में;

5. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर पर पीने के पानी की परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री बंशीधर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पेयजल की समस्या का समाधान करवाने के सम्बन्ध में;

7. श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी की बाप तहसील में कब्जा-काश्त कर रहे किसानों को भूमि आबंटन/नियमन करने के सम्बन्ध में;

8. म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजन को हाउस टैक्स व प्रोपर्टी टैक्स से मुक्त किये जाने के नवीन आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में;

9. श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में;

10. श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से टोंक जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के सम्बन्ध में;

11. श्री शत्रुघ्न गौतम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में;

12. श्रीमती अनिता, सदस्या की ओर से जिला भरतपुर में हो रही गौ-तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 51 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री जोगाराम पटेल द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणी व आसपास के क्षेत्रों में फैक्टरियों से केमिकल-युक्त पानी लूणी नदी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

2. श्री संदीप शर्मा द्वारा कोटा शहर में सिटी बसें नहीं चलने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में;

3. श्री कैलाश चौधरी द्वारा बाड़मेर जिले की पेयजल योजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में; एवं

4. श्री खेमाराम द्वारा सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण व गन्दे

(श्री अध्यक्ष)

पानी के नाले को हटाने तथा तालाब का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में;

श्रीमती सोनादेवी। (व्यवधान) नहीं, नो डिस्टर्बेंस। सोनादेवी बोल रही हैं। नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। बैठिए आप। मैं अनुमति नहीं दूंगा। सोनादेवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रायसिंहनगर नगरपालिका में अधिशासी अभियंता द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया गौर फरमायें, नगरपालिका रायसिंहनगर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। अधिशासी अधिकारी ने आम जनता के साथ-साथ जन-प्रतिनिधियों को...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठना। वरिष्ठ विधायक कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी कि हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आपसे कुछ निवेदन भी नहीं कर सकते?

श्री अध्यक्ष: कर सकते हैं, मैंने इसीलिए तो आपको अलाउ कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने तो अलाउ कर दिया। जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: उनको भी अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): निवेदन तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने तो बोलना ही चालू कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपसे हम अपनी व्यथा नहीं कह सकते क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने बोलना ही चालू कर दिया। जैसा आपने तो हाथ खड़ा किया और मैंने अलाउ किया। मैं नहीं करता, तो आप नहीं बोलते। मैं जानता हूं, आप बहुत अनुशासित सदस्य हैं, लेकिन खड़े होते ही आप भी बोलना ही चालू कर देते, तो मैं आपको रोकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बोला नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं बोले, तभी तो मैंने अलाउ किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा तो सिर्फ इतना सबमिशन है कि हम आपसे निवेदन भी नहीं कर सकते?

श्री अध्यक्ष: आप सदैव बड़ा-बड़ा निवेदन कीजिए, मैं सारा सुनने के लिए बैठा हूं, जोरदार तरीके से कीजिए।

सोनादेवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): नगरीय विकास मंत्रीजी, पुन: गौर फरमायें, नगरपालिका रायसिंहनगर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आम जनता के साथ-साथ अधिशासी अधिकारी ने जन प्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ा।

ग्रेवल रोड नगरपालिका द्वारा बनायी जा रही है; पी डब्ल्यू डी की रोड नगरपालिका द्वारा बनाई जा रही है। ग्रेवल की सड़क तो नगरपालिका के पैसे से बना दी गई, वह आज जर्जर हालात में है। रायसिंहनगर बस स्टैण्ड के पास पिछले वर्ष मरम्मत की गई थी, अब दुबारा वहीं सी सी रोड बनाई जा रही है। यह करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है। आप चुप क्यों हैं?

रायसिंहनगर नगरपालिका क्षेत्र में औद्योगिक कार्य के लिए जो आरक्षित भूमि है, उस 12.5 बीघा भूमि को छोटे-छोटे वाणिज्यिक वर्ग में विवाह स्थल के रूप में बांट दिया गया। यह कैसा नियम है?

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि वार्ड नम्बर 1 व 2 में खडवंजा सड़क बनी हुई थी, उसको तोड़कर इंटर-लोकिंग सड़क बना दिया गया। खडवंजे की जो ईंटें लगी हुई थीं, वे 3 लाख ईंटें ऐसी थीं जिनको पुन: उपयोग में लिया जा रहा था, वह खुर्द-बुर्द कर दी गई।

अधिशासी अधिकारी एवं ठेकेदार यह कहते हैं कि हमारा तो ऊपर से राम-राम है। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यह ऊपर का राम-राम क्या है?

राजस्थान काटन जिन्स मिल, रायसिंहनगर के छोटे-छोटे भू-भाग, अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका नियमों के विरुद्ध औद्योगिक से वाणिज्यिक रूप में भू-परिवर्तन किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार उक्त भू-खण्डों की 8 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि भू-परिवर्तन से बनती है। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा सरकारी खजाने

(श्रीमती सोनादेवी)

से 8 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों करवाया जा रहा है? मंत्रीजी, गौर फरमायें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नाम बोलने में ही वह हो रहा है। वैसे ही कम बोलने का मौका देते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं देख रहा हूं, इधर-उधर नहीं हो जायें। आपकी जगह किसी और का नाम नहीं बोल दूं इसलिए मैंने ध्यान से बोला। बोलो। बोलो।

बानसूर में सड़क कार्य व रोडवेज बस का संचालन

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आलनपुर से बानसूर की तरफ जो सड़क जा रही है, वहां से इस सड़क का नारायणपुर तक का प्रपोजल है, पी पी पी मोडल पर दे दिया लेकिन आज दिन तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब कार्य प्रारम्भ होगा। पूरी सड़क टूटी पड़ी है। एक-एक फुट के गहरे गड्ढे हैं। इस पर 10-12 पंचायतें लगती हैं, माजरा अहीर, हरसोला, देवसन, भग्गूका, बासव, मोठुका, गुता, शाहपुर, लोइती, महणपुर, अनेक पंचायत व गांव बहुत सारे पड़ते हैं, रेवेन्यू विलेजेज भी आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी सड़क जो पी पी पी मोड पर दे दी, वह कब तक बनायेंगे? चाहे सामोता से नारायणपुर तक हो, गढी से आडीगैली तक हो।

इस रोड पर रोडवेज बस की भी कोई सुविधा नहीं है। कम से कम सुबह, दोपहर, शाम, तीन बसें तो यहां पर लगाई जायं, जो कि आलनपुर से बानसूर, नारायणपुर तक होकर वापस अलवर आ जायें।

अध्यक्ष महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पर थोड़ा गौर फरमायें। हमको इसलिए स्थगन लगाना पड़ता है बार-बार कि कोई इस पर क्रियाशीलता नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम लगाते हैं। ऐसा लगता है सरकार को देखकर के जो डेमोक्रेसी थी वो समाप्त होती जा रही है। ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है। जैसा हमें सुनने में आ रहा है। तो, अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी ऐसे कार्यों को कराएं। यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

एक बात मैं कह सकती हूं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बोला था, मेरा एक पाइंट आप उठाने दें कि महिला को वह भूमि नहीं मिली है। तो भूमि आबंटित करवाने के लिए मैं आपको कहना चाह रही थी। उससे मोटा मुआवजा मांगा जा रहा है। फारेस्ट विभाग में उसको जमीन दे दी थी, शहीद की पत्नी को। इसलिए मैं कहना चाह रही थी आपसे। वह सारी चीज भिजवा दी। तो इतना-सा आप हमें थोड़ी-सी...

श्री अध्यक्ष: यह तो आप व्यक्तिगत कह सकती हैं। मैंने कहा, व्यक्तिगत भी कह सकती हैं। हमारे मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं, आप व्यक्तिगत भी कह सकती हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दोनों पक्ष नहीं होंगे तो सदन का कोई औचित्य नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे कहें कि वह मोर बैठा है, लेकिन ये कहेंगे, कबूतर है। सारे मेज थपथपा देंगे, कबूतर है। सबको पता है, मोर है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बी.एल. कुशवाह।

चम्बल लिफ्ट सिंचाई योजना का क्रियान्वयन

श्री बी. एल. कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपका बेहद आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी हैं, उनको यह अवगत कराना चाहता हूं कि धौलपुर जिला पूरी तरीके से कृषि प्रधान जिला है, वहां की अस्सी परसेंट जनसंख्या कृषि के ऊपर आधारित है और कोई भी किसान बिना पानी के कृषि नहीं कर सकता है। वहां चंबल नदी बहती है। आप सभी को विदित होगा कि चंबल का पानी धौलपुर से निकलकर के....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक अपरिचित व्यक्ति सदन के अन्दर है। कैसे है? इनके खिलाफ कार्रवाई करें? इनको अरैस्ट करवाइए। कार्यवाही करवाइए इन पर। ऐसे कैसे सदन के अन्दर आ जाएंगे? सदन है यह।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, कैसे आएंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन है यह। अध्यक्ष महोदय, इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सदन के अन्दर बिना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुमति के, अनाधिकृत व्यक्ति कोई प्रवेश कर जाए, और यहां मार्शल और इतने सारा, बड़ा सुरक्षा तंत्र फेल हो जाए। मैं आसन से प्रार्थना करूंगा, इस पर कार्रवाई करवाएं आप।

श्री अध्यक्ष: मैंने मार्शल से कह दिया है। उसको पकड़ के लाएंगे।

श्री बी. एल. कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार बोल रहा हूं। शायद पहली बार बोलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बोलिए, पांच मिनट बोलिए। मैं तीन मिनट करता हूं, आपको पांच मिनट अलाउ करूंगा।

श्री बी. एल. कुशवाह (धौलपुर): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर में चंबल नदी बहती है। चंबल का पानी भरतपुर तक पहुंच गया और आगे ले जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन धौलपुर के लोगों को उसका पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। कई वर्षो से यह योजना चल रही है। चंबल लिफ्ट सिंचाई योजना, इसके लिए वहां के लोगों ने एक बड़े लेवल पर आंदोलन भी किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपना ही रिपोर्टर है।

श्री बी. एल. कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अपना ही रिपोर्टर है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्री को यह भी पता नहीं है कि स्टाफ का है, बाहर का है। बीच में खड़े हो गये। बताइए आप!

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप सब पता कर लेना ।

श्री बी. एल. कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चंबल नदी का पानी बाहर चला गया, लेकिन यहां के लोग आज भी तरस रहे हैं। इस चंबल लिफ्ट योजना के लिए कई बार वहां आंदोलन हुए हैं, हम लोग जेलों तक गये हैं और आज भी कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है और एक निश्चित समय तक, इतना कितना समय लगेगा कि इस योजना को पूरा किया जा

(श्री बी. एल. कुशवाह)

सके, जिससे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके? वहां किसान आंदोलन के लिए मजबूर ना हों और आत्महत्या के लिए मजबूर ना हों। अगर आप इनको ऐसी कोई व्यवस्था दे दें कि एक सीमित समय में यह योजना पूरी हो जाए तो मैं आपका बेहद आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धीरज गुर्जर क्या कह रहे थे आप? एक मिनट में कहिए अपनी बात।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सहकारिता का जो मामला है, उसमें सरकार पर आक्षेप नहीं है, रजिस्ट्रार जो है वे सरकार को भी लूट रहे हैं, अपने नियम के कारण, और जनता को भी लूट रहे हैं। इस पर आप मुझे दो मिनट का समय दे दें तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। ध्यान आकर्षित कर दिया। बैठिये आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 3500 करोड़ रुपये। मतलब, सरकार की बजट घोषणा थी 17,500 करोड़ रुपये की और रजिस्ट्रार ने अपने स्तर पर उसके अन्दर 3500 करोड़ रुपये की कटौती कर दी। सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया।

श्री अध्यक्ष: चलो। आप इसको देख लेना, सहकारिता मंत्रीजी। पहुंचा देंगे। कोई बात नहीं, वहां तक पहुंच जाएगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री रामलाल शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

किसानों को कृषि कार्य हेतु दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, किसानों को कृषि कार्य में दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने के संदर्भ में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में सदैव बरसात का औसत बहुत कम रहता है तथा प्रदेश की भौगौलिक स्थिति भी ऐसी बनी हुई है, जहां भू-गर्भ से पानी समाप्त होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश के किसानों के सामने कम पानी में अधिक पैदावार हो सके, ऐसी कृषि पद्धति को अपनाना पड़ेगा और ऐसी ही पद्धति हैं, जिनमें हैं बूंद-बूंद सिंचाई

(श्री रामलाल शर्मा)

पद्धति, फव्वारा पद्धति, सोलर, आदि। प्रदेश के किसानों को उपरोक्त पद्धतियों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था लेकिन वर्तमान समय में इस पद्धति पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि को बहुत कम कर दिया गया है, जिससे किसान द्वारा उनका क्रय करना मुश्किल हो चुका है।

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कृषि के इन उपकरणों पर अनुदान की राशि बढ़ाई जावे जिससे कम पानी में किसान अधिक पैदावार कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

मण्डरायल के समीप चम्बल नदी पर पुल का निर्माण

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। राज्य सरकार द्वारा भरतपुर सम्भाग के दौरे के समय आमजन की पुरजोर मांग को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील मण्डरायल के समीप राजघाट स्थान पर चम्बल नदी पर पुल बनाने की घोषणा की गयी थी। इस योजना की भूमि वन विभाग के अधीन है, इसलिए तत्समय कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी जिसके अभाव में कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया था। वह आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र अब प्राप्त हो चुका है, जिससे कि पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

चंबल नदी के दोनों ओर निवास करने वाले लोगों में वर्षों से व्यावसायिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं और इसके कारण मध्य प्रदेश में आना-जाना निरन्तर होता रहता है। चंबल नदी पर पुल नहीं होने से सड़क मार्ग से जाने पर आमजन को धौलपुर होते हुए या अन्य वैकल्पिक मार्गों से होते हुए लगभग 150 से 175 कि.मी. अधिक दूरी का चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ता है, जिससे आम जन के समय और पैसे का बहुत अधिक नुकसान होता है। मण्डराय, सपोटरा एवं करौली जिले के अन्य निकटवर्ती स्थानों के लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में वे बार-बार इतना लम्बा समय और यात्रा हेतु पैसा भी नहीं जुटा पाते हैं। इस क्षेत्र में नावें, पैन्टून पुल एवं अन्य साधन इतने उन्नत और सुरक्षित नहीं हैं, जिससे उनसे यात्रा करने पर हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। रात के समय ये सभी साधन बंद हो जाते हैं। अत्यन्त महत्वपूर्ण परिस्थिति में भी जल मार्ग से

(श्री रमेश)

यात्रा किसी भी प्रकार सम्भव नहीं होती है। पैन्टून पुल भी केवल गर्मी में ही काम आता है।

यदि चंबल नदी पर पुल बना दिया जाये तो कैला देवी, मदन मोहन जी एवं श्री महावीर जी आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होगी। वर्तमान में कैला देवी में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जबकि मार्ग बहुत लम्बा है। यदि पुल बन जाएगा तो दूरी कम होने से पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा एवं आय के साधन बढ़ेंगे। राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में सेण्ड स्टोन का खनन भी बहुत होता है। पुल बनने से इसके विपणन से भी राज्य की आय बढ़ेगी साथ ही दोनों राज्यों के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्धों में अधिक प्रगाढ़ता आएगी।

आपके द्वारा की गई घोषणा को काफी समय व्यतीत हो चुका है एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील है कि शीघ्रातिशीघ्र इस राज घाट पर चंबल नदी पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जावे, जिससे कि आमजन को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री धनसिंह रावत। (अनुपस्थित) श्री हीरालाल दरांगी।

झाड़ोल-फलासियां में सड़कों की दुर्दशा

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना। महोदयजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया के अन्तर्गत सड़कें अत्यंत जर्जर हालात में हैं। इन जर्जर सड़कों के कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और आवागमन बाधित हो रहा है। मुख्य रूप से उदयपुर से कोटड़ा वाया झाड़ोल-फलासिया, जिसकी दूरी 120 कि.मी. है, इस सड़क मार्ग की दशा अत्यन्त खराब है। जो दूरी सड़क मार्ग से ढाई-तीन घंटे में पूरी होनी चाहिए, उसमें साढ़े चार से पांच घंटे का समय लग जाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की अन्य भीतरी सड़कें जैसे- ओड़ा से बिरोठी, फलासिया से निचली सिगरी, फलासिया से कंथारिया और मादड़ी से खाटी कमदी, ये सड़कें तथा अन्य सड़कें अत्यन्त खराब हैं। इन सड़कों पर यातायात का भारी दबाव है।

(श्री हीरा लाल दरांगी)

पूर्व में स्वीकृत नेशनल हाइवे नम्बर 58E जो कि उदयपुर से झाड़ोल-फलासिया-सोमन होकर इधर गुजरात को जोड़ता है, का कार्य भी आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हाइवे है।

इन खस्ता हाल सड़कों के कारण गम्भीर श्रेणियों के रोगी व गर्भवती माताओं की एंबुलेंस तीव्र गति से अस्पताल से नहीं पहुंच पाती है जिससे रास्ते में रोगियों की मृत्यु हो जाती है तथा माताओं और बहनों के रास्ते में ही प्रसव हो जाता है।

विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे आदिवासी बहुल विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया की खस्ता हाल सड़कों पर पुन: ग्रेवल-कारपेट-सीमेंटेड किए जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करावें जिससे क्षेत्र की गरीब आदिवासी जनता को राहत मिल सके तथा आवागमन सुगम होने से आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र विकास के नये आयामों को छू सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर में नर्मदा नहर पर पेयजल परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीया अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर पर पीने के पानी के लिए तीन परियोजनाएं एफ.आर. प्रोजेक्ट, डी.आर प्रोजेक्ट व ई.आर प्रोजेक्ट का कार्य पिछले कई सालों से चल रहा है।

(12.22 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एफ.आर. प्रोजेक्ट का कार्य मंजूर हुए दस साल से भी ज्यादा समय हो गया है। परन्तु अभी तक प्रस्तावित गांवों में पानी नहीं पहुंचा है। जल संग्रह टैंक का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। सांचौर शहर की पानी सप्लाई के लिए पहाड़पुरा में पिछले तीन वर्ष से कार्य चल रहा है परन्तु उसका कार्य भी

(श्री सुखराम विश्नोई)

धीमी गति से चल रहा है। कार्य का स्तर भी घटिया है। जल संग्रह टैंक जो बनाया गया है वह पिछली बरसात में जगह-जगह से टूट गया है। टूटने का एक मात्र कारण घटिया निर्माण की जन-प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने पर जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री चार माह पूर्व मौके पर पधारीं, शिकायत को सही माना लेकिन आज दिन तक कोई जांच नहीं हुई। इसी तरह पालड़ी में चल रही परियोजना का कार्य भी धीमी गति का है।

इन तीनों परियोजनाओं में करोड़ों रुपया सरकार का लगा हुआ है परन्तु सरकार की सही मानिटरिंग नहीं होने से न तो समय पर कार्य पूरा हुआ और न ही गुणवत्ता सही है।

जालौर जिले में फ्लोराइड की भयंकर समस्या है। कई गांवों में फ्लोराइड की वजह से लोग खाटों में पड़े हैं, या कुबड़े हो गये हैं। परन्तु नर्मदा नहर परियोजना का पानी 2008 में आने के पश्चात् भी अभी तक इन तीनों परियोजनाओं का शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग नहरों का कच्चा पानी पी रहे हैं।

क्या सरकार घटिया स्तर पर किए गए कार्य की जांच, इन तीनों परियोजनाओं की, करना चाहती है? माननीय मंत्री महोदया वहां पधारी थीं, तब क्या इन परियोजनाओं की शिकायतों की जांच करवा ली गई है? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परिवर्तन यात्रा में यह कहा था कि हम पारदर्शी व ईमानदार सरकार देंगे व जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, परन्तु उक्त परियोजना पर घटिया कार्य हुआ है और काम में देरी की गयी है। देरी से किए जा रहे कार्य के प्रति क्या सरकार यह कार्य करने वाली कम्पनियों के खिलाफ पेनल्टी लगाना चाहती है, या लगाई है?

अत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन है कि इन तीनों परियोजनाओं पर नियंत्रण रखने व जल्दी पूरा करने के लिए कमेटी बनाई जाए तथा मापदण्ड-अनुसार गुणवत्ता के आधार पर कार्य नहीं होने पर, उसकी जांच करवाई जाकर के पुन: मौके पर सही कार्य करवाया जाए, ताकि जनता को इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर।

खण्डेला में पेयजल समस्या का समाधान

श्री बंशीधर (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल की भयंकर समस्या व्याप्त है। खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र में 48 घंटे से पेयजल सप्लाई की जा रही है। मेरे क्षेत्र की पेयजल की जो समस्याएं हैं, उनका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है:-

1. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में कोटड़ी लुहारवास नदी पर बांध अगर बना दिया जाता है तो खण्डेला शहर एवं आसपास के गांवों की पेयजल समस्या का समाधान किया जा सकता है।

2. खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र के लिए अजपुरा में 7 नलकूप स्वीकृत किये गये थे जिनमें से सिर्फ तीन ही लगे हुए हैं। बचे हुए चार नलकूप अभी तक क्यों नहीं लगे हैं और कब तक लग जाएंगे ? अगर वे चार नलकूप लग जाएं तो भी समस्या से कुछ राहत मिल सकती है।

3. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के जैतूसर, मालाकाली एवं पटवारियों के बास के लिए वर्तमान में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त क्षेत्र डार्क जोन है और बोरिंग सफल नहीं हो सकते। इसकी समस्या के समाधान हेतु एस्टीमेट बनाकर भी भेजा हुआ है लेकिन स्वीकृत नहीं होने से कार्य नहीं हो पा रहा है। चूंकि यह क्षेत्र डार्क जोन में आता है और पानी नहीं है, तो रींगस नदी के बोरिंग से पाइपलाइन के मार्फत पानी दिया जा सकता है।

4. इसके अतिरिक्त, विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की अधिकतर ग्राम पंचायतों में पेयजल में निर्धारित मानकों से अधिक फ्लोराइड की मात्रा है, जिससे लोगों में बीमारियां हो रही हैं। इसलिए हर गांव में आर.ओ. प्लांट लगाकर जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए।

5. इसके अलावा, कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना की झुन्झुनूं जिले के उदयपुरवाटी तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डी पी आर की सैद्धान्तिक सहमति बनी हुई है और विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कोई भी ग्राम ऐसा नहीं है जहां पर निर्धारित मानक से अधिक फ्लोराइड पेयजल में नहीं हो। इसलिए खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के गांवों को उक्त कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से पाइपलाइन डालकर पेयजल सप्लाई करने हेतु भी योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे आगामी वर्षा में इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जा सके।

(श्री बंशीधर)

अत: उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल से सम्बन्धित उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम जी।

बाप (फलौदी) तहसील में कब्जा काश्त किसानों को भूमि आबंटन/नियमन

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत तहसील बाप में कब्जा-काश्त कर रहे किसानों को भूमि आबंटन/नियमन करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी की बाप तहसील क्षेत्र के गांवों में किसान गत 30-35 वर्षों से पड़त भूमि पर काश्त कर रहे हैं तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर आवासीय ढाणी, टांके, पशुओं के बाड़े बनाये हुए हैं। उक्त भूमि पर राजस्व विभाग के द्वारा प्रति वर्ष राजस्व नियमों के तहत अन्तर्गत धारा 91 अतिक्रमण मानते हुए नोटिस देकर किसानों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। गत 30-35 वर्षों से तहसील क्षेत्र बाप में किसी प्रकार का भूमि आबंटन/नियमन नहीं होने के कारण किसानों को वर्षों से काश्त भूमि पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें हमेशा अपनी काश्त भूमि से बेदखली का खौफ रहता है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2008 के माह फरवरी में भूमि आबंटन/नियमन (उपनिवेशन) नियम 2004 के नियम 21(क) के अन्तर्गत किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे किन्तु राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त आवेदनों का निस्तारण नहीं किये जाने के फलस्वरूप समस्या का समाधान नहीं हो पाया।

इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि वर्षों से किसानों के द्वारा काबिज काश्त भूमि को भूमि आबंटन/नियमन (उपनिवेशन) नियम 2004 के नियम 21(क) के अन्तर्गत भूमि आबंटन/नियमन किया जाकर वर्षों से काबिज किसानों को काश्तकारी अधिकार दिये जाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: म. रणधीर सिंहजी भीण्डर।

पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजन को हाउस टैक्स व प्रोपर्टी टैक्स से मुक्ति

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)
नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक आदेश दिनांक 17 फरवरी, 1994 को जारी किया गया जिसके द्वारा केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि सभी पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को हाउस टैक्स व प्रोपर्टी टैक्स से मुक्त रखा जाए। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव ने भी अपने एक पत्र में, जो उन्होंने एक सांसद के पत्र के जवाब में लिखा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हाउस टैक्स व प्रोपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने भी इस दिशा में आदेश जारी कर दिये हैं। इन सब आदेशों के बावजूद कई सैनिकों व पूर्व सैनिकों का कहना है कि अब भी कई जगह नगर निगम व अन्य संस्थाएं उन्हें नोटिस जारी करती हैं व टैक्स जमा कराने हेतु पाबंद करने की कोशिश करती हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है व देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले इन नायकों का अपमान है।

मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि इस हेतु नवीन आदेश समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं को जारी किये जाएं जिससे इन सैनिकों व उनके परिवारों को बार-बार परेशान करने वाली संस्थाओं पर लगाम लग सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि डूंगरपुर जिला ट्राइबल जिला है व राजस्थान के अन्य जिलों की जलवायु, मिट्टी तथा वर्षा का औसत, आदि से भिन्न है। खेत छोटे-छोटे हैं, क्षेत्र में कृषि का वातावरण नहीं है।

जिले में प्रति वर्ष 500 बच्चे-बच्चियां कृषि संकाय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करते हैं, जिनके लिए उच्च अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब बच्चे बाहर जाकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है अथवा संकाय बदलकर अध्ययन करने पर मजबूर होते हैं। डूंगरपुर में कोई उद्योग, कारखाने नहीं हैं। अर्थात्, डूंगरपुर जिले की जनता पूर्णतया कृषि पर

(श्री देवेन्द्र कटारा)

आश्रित है। कृषि महाविद्यालय तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए वांछित सभी सुविधाएं एवं भूमि उपलब्ध हैं परन्तु वागड़ क्षेत्र की हमेशा अनदेखी की वजह से इस क्षेत्र में कृषि एवं कृषि सम्बन्धी कार्यों के प्रति वातावरण उत्पन्न नहीं हो पाया है। क्षेत्र का गरीब आदिवासी कृषि शिक्षा से महरूम है। इसलिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजीत सिंहजी।

टोंक जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी का ध्यान एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र टोंक के जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

वर्ष 1990-91 में टोंक जिला मुख्यालय पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की योजना को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उस समय के अनुमान के अनुरूप ही क्षेत्र में सीवरेज लाइनें बिछाई गयीं और सड़क निर्माण कार्य एवं पार्कों का विकास भी करवाया गया था। यह योजना सफल रही थी। आज इसमें लगभग दस हजार की आबादी निवास कर रही है, जो कि उस समय के अनुमानों से दसों गुणा अधिक है। यही कारण है कि उस समय की बिछाई गई सीवरेज लाइन अत्यन्त छोटी साबित हो रही है और अब प्राय: चोक हो जाती है। रही सही कसर साफ सफाई ने पूरी कर दी है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की सफाई एवं अन्य कार्य भी हाउसिंग बोर्ड के ही जिम्मे हैं। ऐसे में सीवरेज का पानी कहीं-कहीं सड़कों पर आ जाता है। रोड लाइट का अभाव, सीवरेज का जमा पानी, क्षतिग्रस्त सड़कें और उन पर गड्ढे दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय भी जयपुर में होने से आमजन की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है।

(श्री अजीत सिंह)

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र को नगर परिषद, टोंक को हस्तांतरित किया जावे तथा पर्याप्त बजट का प्रावधान कर सड़कों के निर्माण, सीवरेज, सार्वजनिक पार्कों के विकास हेतु बजट राशि स्वीकृत कर कार्य करवाये जावें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शत्रुघ्न गौतम।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अनीता।

भरतपुर में जारी गौ तस्करी

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि भरतपुर जिले में लगातार हो रही गौ-तस्करी के कारण स्थानीय गौ-पालकों और गौ-तस्करों के बीच हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसके कारण कई बार दोनों गुटों के बीच झड़प भी हुई और गौ-तस्करों की ओर से गौलीबारी भी की गई। इस तरह की समस्या गत 22 तारीख को भी देखने को मिली। 24 तारीख को ग्राम कैथवाड़ा में गायों की 45 खालें बरामद हुईं। इससे इस क्षेत्र में साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। लोगों में आक्रोश है। महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा इस क्षेत्र में प्राय: होता रहता है। अत: इस समस्या का अगर समय पर निदान नहीं हो पाया, तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

इस समस्या को लेकर श्री ब्रज कामद सुरभि वन एवं शोध संस्थान श्री जडखोर गौधाम महातीर्थ के संचालक ने कई बार भरतपुर प्रशासन से सम्पर्क किया, तो उन्होंने निम्न संसाधनों का अभाव बताया:-

1. पूर्व में भरतपुर जिले में तीन कम्पनियां आर.ए.सी. की रहती थीं, वर्तमान में दो आर.ए.सी. की कम्पनियां ही हैं। अत: एस.टी.एफ. की एक कम्पनी और रहे तो उचित रहेगा।
2. दो गाड़ी बोलेरो-पिकअप विशेष तौर पर गौरक्षा दल के लिए पुलिस को उपलब्ध होनी चाहिए।
3. भरतपुर जिले में ग्यारह गौरक्षा चौकियां प्रस्तावित हैं। उनको शीघ्र प्रारम्भ किया जावे।
4. गौ तस्करों की गाड़ी जब्त की जाए और जमानत नहीं दी जावे।
5. गांवों में पालतू गायों को स्वयं मेव समुदाय के लोग गौकशी कर

(श्रीमती अनीता)

देते हैं। अत: गांवों की गायों का पूरा रिकार्ड पटवारी को रखने के निर्देश होने चाहिये।

6. मेवात क्षेत्र के सभी थानों पर एक अतिरिक्त पुलिस बल की मांग कई वर्षों से की जा रही है। उसकी पूर्ति की जावे।
7. गौ-तस्करी मुख्यत: दौसा जिले एवं उसके पश्चिम के जिलों से हो रही है। उस पर कड़ी कार्ययोजना बने।
8. मेलों के नाम पर बंजारे/मेव समुदाय के लोग फर्जी कागज तैयार कर गायों को इकट्ठा कर गौ-तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य के नजदीकी क्षेत्रों में ले जाते हैं। उन पर प्रशासन की अनुमति से जाने एवं कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था करवाई जावे।

अत: आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त संसाधन जल्दी से जल्दी गौ-सेवा हेतु भरतपुर प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्चियां। श्री जोगाराम पटेल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लूणी व निकटवर्ती फैक्टरियों का केमिकल युक्त पानी लूणी नदी में डाला जाना

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इससे महत्वपूर्ण विषय इस धरती पर, चाहे कोई मनुष्य हो, जीव-जन्तु हो, पशु-पक्षी हो, या वनस्पति हो, उसके लिए हो नहीं सकता। यह सब मानते हैं कि किसी देश और प्रदेश के विकास के लिये उद्योग उतने ही जरूरी हैं, जितनी खेती भी जरूरी है। आज अन्नदाता धरती पुत्र, उसके आस-पास रहने वाले पशु और पक्षी, शुद्ध पानी में रहने वाले जीव-जन्तु और वनस्पतियां खतरे में हैं। अनेक बार यह विषय इस विधान सभा के पटल पर आया, एन.जी.टी. के सामने आया, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पी.आई.एल. के रूप में आया। मैंने स्वयं ने और अन्य माननीय सदस्यों ने, अन्य जन-प्रतिनिधियों ने माननीय मंत्री महोदय से लिखित में और मौखिक रूप से निवेदन किया कि बहुत ही खतरनाक विषय है, चाहे वह पाली का प्रदूषित पानी हो, या जोधपुर का प्रदूषित पानी हो; चाहे वह जोजरी नदी में जा रहा हो, या लूणी नदी में जा रहा हो, या सूकड़ी नदी में जा रहा हो।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था, जब ये नदियां हमारी जीवनदायिनी थीं। न केवल हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती थीं, बल्कि धरतीपुत्रों, अन्नदाताओं को पानी उपलब्ध कराती थीं। जिससे किसान अन्न उत्पन्न करता था; पशु-पक्षी पानी पीते थे, जानवर पानी पीते थे और इसमें वनस्पतियां रहती थीं। लेकिन आज जो स्थिति हुई है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी अगर आपके अधिकार क्षेत्र में हो और अगर आप विधान सभा की एक कमेटी बना करके इन तीन नदियों का निरीक्षण करवा दें, या नेहड़ा बांध का निरीक्षण करवा दें, तो पता लगेगा कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। किसान के साथ और धरती के साथ क्या होगा। भूमिगत जो जल है, अगर वह पानी, भूमिगत जल आप बोतल में ले लें, तो पीला और काला पानी आपको नजर आयेगा। अगर उस धरती के ऊपर आप जाएं तो आपको लगेगा कि यह काली नदी कहां से आ गयी है। एक किलोमीटर से पहले पता लग जाएगा कि कहीं न कहीं यह गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, प्रदूषित पानी आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्षेत्र है, पाली का औद्योगिक क्षेत्र हो, उसके अन्दर ही पास में आया है पुनायता गांव, उसका औद्योगिक क्षेत्र हो, जोधपुर के आस-पास का औद्योगिक क्षेत्र हो, बीठूजा और बालोतरा का औद्योगिक क्षेत्र हो, हम सब यह चाहते हैं कि हमारे उद्योग पनपें, लेकिन धरती की कीमत पर, किसान पुत्र की कीमत पर, वनस्पति और जीव-जन्तुओं की कीमत पर पनपें, यह कतई हमारा निवेदन नहीं है।

इस विधान सभा में कट-मोशन के द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्न लगाकर, अनेक बार ध्यानाकर्षित किया गया; माननीय मंत्री महोदय को लिखित में दिया गया। मंत्री महोदय ने यह लिखकर भेजा कि आपके द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, उस मैं कार्यवाही करवा रहा हूं। लेकिन आज दिन तक इस सम्बन्ध में किसी तरह की लेश मात्र की भी कार्यवाही नहीं हुई है। लोगों ने प्रदर्शन किया, किसानों ने धरना दिया, लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए, मुकदमे दर्ज हुए और सैम्पल भरे गये। 09/01/2016 को इस प्रदूषित पानी और फैक्ट्रियों द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है उसका सैम्पल भरा गया। 16/01/2016 की रिपोर्ट आई है, सारे के सारे सैम्पल फेल हुए हैं। उनके पास कोई अनुमति किसी तरह की नहीं है। रिकार्डेड है कि सारे सैम्पल फेल हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धरती के अन्दर सीधा कुआं खोदते हैं, पाताल तोड़, और यह जो प्रदूषित पानी है, जो कि नदी में बहुत ज्यादा बह रहा है, तो वह

(श्री जोगाराम पटेल)

सीधे पाताल के अन्दर डालते हैं। धरती के अन्दर का, भूगर्भ का जो पानी है, वह पूरा का पूरा खतरनाक हो रहा है। अनेक ट्यूबवेल खुदे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अनेक ट्यूबवेल खुदे हैं, जिनकी कोई भूजल विभाग से परमिशन नहीं है। हमारे यहां का डार्क जोन है और क्रिटिकल डार्क जोन घोषित होने के बावजूद भी अनेक ट्यूबवेल खोदे गये हैं, खोदे जा रहे हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। बिना परमिशन के ट्यूबवेल खोदना कितना नियमों के विरुद्ध है, यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

इसलिए सबसे पहला मेरा जो निवेदन है, आज इस प्रदूषित और दूषित पानी से न केवल धरती, न केवल अन्नदाता और धरतीपुत्र, न केवल पशु और पक्षी का अस्तित्व खतरे में हो रहा है, इस नेहड़ा बांध के अन्दर, जो शुद्ध पेयजल के लिए बांध बनाया गया, उसमें क्योंकि अत्यधिक पानी जा रहा है और वह पानी इतना खतरनाक हो गया है, उसके अन्दर डाला, उसके अन्दर सारे जीव-जन्तु खतम हो गये; मछलियां थीं, वे खतम हो गयीं; जो वनस्पति, पानी के अन्दर की वनस्पति होती है, वह हमेशा-हमेशा के लिए खतम हो गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, यह मरु गंगा, चाहे लूणी है, या जीवनदायिनी बांडी है, या सबको सुकून देने वाली जोजरी और सूकड़ी हैं, इनका अस्तित्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विभिन्न समाचार पत्रों ने, कोई समाचार पत्र ऐसा नहीं, जिसने प्रमुखता से इस खबर को नहीं छापा हो, पाली से आया प्रदूषित पानी, अभी मार्च में मेला चल रहा था, लूणकेश्वर महादेव पशु मेले के नाम से पशु मेला लगता है, हमेशा, बहुत बड़ा। वह मेरे गांव में लगा हुआ था। लूणी से, पाली से 50 किलोमीटर दूर है। वहां इतना पानी आया कि सारे फोटो समाचार-पत्रों ने प्रकाशित किये। वह पूरा का पूरा मेला बहने लग गया। मेले में आये सब जितने भी, जो मेलार्थी थे, दुकानदार थे, उनका सामान नष्ट हो गया। सारा प्रशासन मौके पर गया, प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन इतना अधिक पानी था कि उसको रोक भी नहीं पाये।

मेरा निवेदन यह भी है कि इस प्रदूषित पानी से जो खेती योग्य जमीन थी, लूणी नदी, जोजरी नदी, सूकड़ी नदी और बांडी नदी के दोनों किनारों पर, वह चाहे पाली विधान सभा क्षेत्र का हो, चाहे लूणी विधान सभा

(श्री जोगाराम पटेल)

क्षेत्र हो, चाहे सिवाना विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे पचपदरा विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे गुढामालानी का थोड़ा-सा क्षेत्र आता है, वह विधान सभा क्षेत्र हो, दोनों तरफ की लाखों बीघा जमीन कम्प्लीटली खराब हो चुकी है। वहां पर आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर उसकी थोड़ी-सी मिट्टी आप मुंह में डाल लें तो आपकी जीभ खराब हो जाती है; अगर थोड़ा-सा पानी आप चख लें तो वह पानी पीने के योग्य नहीं है, आपका शरीर खराब हो जाएगा। वहां पर कोई पशु-पक्षी भी नहीं ठहरता। एकदम बंजर की तरह पड़ा है। पूर्ण रूप से बंजर।

मेरा पुनः निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों और कायदों में अगर ऐसा सम्भव हो, ऐसा विषय कभी भी विधान सभा के पटल में, जो सार्वजनिक हित का है, वह उस व्यक्ति के हित का है, अन्नदाता के हित का है, धरती के हित का है, पशु-पक्षी के हित का है, औषधि के हित का है, इसकी जांच अवश्य कराएं क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पी.आई.एल. में आर्डर दिया, उसका कोई असर इन पर नहीं हो रहा है; प्रदूषण मंडल ने यह बार-बार लिखा है कि हमारी बिना अनुमति के ये चलाए जा रहे हैं; उसका कोई असर नहीं हो रहा है; मंत्री महोदय को लिखित में दिया जा रहा है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। रात और दिन पानी जो है, इसमें बहाया जा रहा है और खेती, मैं खुद खेती करता था और पानी जब हम ऐसे खोद कर पानी पीते थे, तो आज वहां पर एक किलोमीटर नजदीक तक नहीं जा सकते। ऐसी हालत हो गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला मजिस्ट्रेट, पाली ने लिखित में आर्डर पास किया कि ये जितनी भी अवैध फैक्टरियां चल रही हैं, इनके कनेक्शन काटे जाएं, इनके ऊपर निगरानी रखी जाए, पर उसके बावजूद भी, नियंत्रण मंडल के आर्डर के बाद, मजिस्ट्रेट के आर्डर के बावजूद भी, जो नालियां बनी हुई हैं वे ओवर-फ्लो चल रही हैं। चाहे वह पुनायता का क्षेत्र हो, चाहे वह पाली का औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे सालावास का, जोधपुर का औद्योगिक क्षेत्र हो, ओवर-फ्लो चलने से वहां चलना भी मुश्किल हो गया है। माननीय मंत्री महोदय, आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि निगरानी दल गठित करने के उपरांत भी, चाहे वह मिलीभगत है, चाहे और कोई कारण है, वे निगरानी दल कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और आज की तारीख में अभी भी, कभी भी, किसी भी वक्त, रात में, दिन में, आप उसकी जांच करवा सकते हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

अगर कहीं दिल में दर्द है, किसान के प्रति, जीव-जंतु और पक्षी के प्रति, नदी और नाले के प्रति, तो, माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, कानून के अनुसार, और अगर कानून के अनुसार नहीं किया तो हम लोग तो बरबाद हो जाएंगे, खतम हो जाएगा, खेती खतम हो जाएगी, जीव-जंतु खतम हो जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा।

यह समस्या कोई एक दिन की नहीं है, मैं किसी को दोषी नहीं कर सकता कि एक दिन की समस्या है लेकिन समस्या दिनों-दिन बढ़ रही है और अब असहनीय हो गयी है। आप कभी पधारें, हमको साथ लेकर जाएं, आप हमसे कभी पता भी करें। बांडी नदी में लगातार जो प्रदूषित पानी बह रहा है, उसको क्रास करना भी हाथ में नहीं है। पीने का पानी खतम हो गया है। आज कितनी भी सरकार, पेयजल विभाग, व्यवस्था कर लें लेकिन जो हमारा पेयजल उपलब्ध था, कम से कम 500-700 गांवों में वह पूर्ण रूप से खतम हो गया है और इसीलिए पेयजल विभाग पर दिन-दूना भार बढ़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस पुनायता की हौदियों से जो प्रदूषित पानी हो रहा है, वह धरती पीली हो गयी है। आप कभी भी पाली में जाकर देख सकते हैं। मैं नाम लेकर बता रहा हूं, जगह बता रहा हूं, आप जाकर देख लें, वह धरती आज की तारीख में आपको पीली मिलेगी। अगर कभी आप नेशनल हाईवे से निकलें तो आपको एक किलोमीटर पहले पता लग जाएगा कि पाली आ रहा है। वह हाथ ऐसे करना पड़ता है। सब लोग ऐसे करके निकलते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, अभी महीने-डेढ़ महीने पहले किसानों ने बहुत बड़ा धरना दिया और दिन भर धरने के बाद में जिला प्रशासन ने और प्रदूषण मंडल ने यह आश्वासन दिया, मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया और यह माना कि यह सब गलत हो रहा है। और आश्वासन के बाद कुछ भी नहीं हुआ। वे किसान कितने दिन वहां पर बैठे रहते?

ऐसी स्थिति में अब किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी नालेज में लाना चाहता हूं और कभी न कभी इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि आपके कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी। यह इतना प्रदूषित पानी, यह चाहे लूणी नदी हो, चाहे जोजरी नदी हो, इनमें बह रहा है।

अभी एन.जी.टी. ने आर्डर पास किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो

(श्री जोगाराम पटेल)

बालोतरा-बिठूजा की जो फैक्टरियां थीं, वे बंद हो गयीं, तो लाखों की संख्या में वहां के मजदूर बेरोजगार हुए। मैं सरकार के ध्यान में लाया। माननीय मंत्रीजी ने अपना प्रयास किया, कानून के अनुसार, लेकिन वहां की सैकड़ों फैक्टरियां अवैध रूप से लूणी विधान सभा क्षेत्र में जोजरी नदी के किनारे-किनारे अनेक जगह पर आकर स्थापित हो गयीं। न उनके पास परमिशन है, न बिजली की परमिशन है। खेती की जमीन के अन्दर अवैध फैक्टरियां चल रही हैं। अनेक बार ध्यान में लाया गया। दिखावटी तौर पर दो-चार फैक्टरी सीज कर देते हैं और पुनः रात को कहते हैं कि शुरू कर दो; ठीक है; अच्छा, ऐसा ही चलेगा। यह एक नहीं, आप आज जांच कर लें, अभी किसी निश्चित दल के द्वारा, कलक्टर के द्वारा जांच करवा लें, आपको हजारों की संख्या में वे फैक्टरियां वहां पर मिल जाएंगी। अवैध चल रही हैं सब और खेती की जमीन खराब हो रही है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-जल बोर्ड की बिना अनुमति के, हमने नामजद बताये कि इतने ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, जिनमें भू-जल बोर्ड की कोई अनुमति नहीं है क्योंकि यह डार्क जोन है, क्रिटिकल डार्क जोन है। लेकिन उसकी बिजली काटने का काम, उस ट्यूबवेल को बंद करवाने का काम, अवैध रूप से जो पानी धरती में डाल रहा है, उसको रोकने का काम, लेश मात्र भी नहीं किया जा रहा है, सरकार की ओर से।

इसीलिए मैं अंत में निवेदन इतना अवश्य करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मैंने आपसे दो मिनट का किसान के हित में समय ले लिया हो लेकिन यह विषय ऐसा ही था और विषय की वजह से, न केवल लाखों बीघा जमीन खराब हो रही है, भू-जल पूरा का पूरा, अंडरग्राउंड वाटर है जो पीने का, वह कम्प्लीटली खराब हो रहा है। हमारे लिए जीवन और मरण का विषय हो गया है। मेरा इतना निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, जो अवैध फैक्टरियां हैं उनको बंद किया जाए।

आपने सालावास में 50 एम.एल.डी. का एक फिल्टर प्लांट लगाया है, प्रदूषण रोकने के लिए, जोजरी नदी पर, लेकिन उसमें सिर्फ 20 एम.एल.डी. पानी ही साफ हो रहा है। फिल्टर प्लांट 50 एम.एल.डी. का 2008 में लगाया है, 19 अप्रैल, 2008 को उसका उद्‌घाटन किया था माननीया वसुन्धराजी ने, लेकिन उसमें आज दिन तक सिर्फ 20 एम.एल.डी. पानी ही साफ हो रहा है। डिगाड़ी में आपने 50 एम.एल.डी. का लगाया, उसमें सिर्फ 10 एम.एल.डी. हो

(श्री जोगाराम पटेल)

रहा है। एक आपका पिछले सात साल से 50 एम.एल.डी. का अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका आज तक तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। आपका खुद का लिखा हुआ है, यह कटमोशन में, कि हम इसमें कार्यवाही कर रहे हैं। यह 4 साल से आपका ऐसा ही कटमोशन का जवाब है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। चार साल से कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इन सबको ध्यान में रखते हुए, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि किसान के हित के लिए, किसान के जीवन को सुधारने के लिए, खेती के लिए, पशु-पक्षी के लिए, वनस्पति के लिए, कृपया आप जो अवैध फैक्टरियां हैं, जो वैध हैं वे तो चलें, हमारा उद्योग बढ़े, लेकिन जो अवैध फैक्टरियां चल रही हैं, जिनके कारण न केवल धरती खराब हो गयी है, धरती का पानी खराब हो गया है, लोगों का रहना दूभर हो गया है, पशु-पक्षी कुबड़े पैदा होते हैं, हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे कुबड़े पैदा हो रहे हैं, इन सबकी ओर आप ध्यान दें। मेरा पुनः हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कृपया इसे सीरियसली लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्य के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गयी है, यह वास्तव में बहुत ही गम्भीर है। सम्माननीय सदस्य, मेरे पांच जो साथी माननीय सदस्य हैं मदद करने वाले, वे उनमें हैं।

इनके क्षेत्र में, जोधपुर, पूरे जिले में 424 लघु उद्योग श्रेणी के हैं जो जल प्रदूषण फैलाते हैं। उनमें 284 ऐसे उद्योग हैं, जिनको बंद पाइपलाइन के द्वारा सी.ई.टी.पी. से जोड़ा गया है और बाकी का कार्य प्रगति पर है। ये जो लघु उद्योग हैं, इनकी खुद की वित्तीय स्थिति और तकनीकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये अपने स्तर पर सी.ई.टी.पी. लगा सकें। उसके लिए यह संयुक्त सी.ई.टी.पी. लगाने का प्रोग्राम किया गया था, उसमें 284 जोड़ दिये गये हैं और बाकी का कार्य प्रगति पर है।

सम्माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे जब भी कहेंगे, विधान सभा सत्र के बाद में उनके साथ में या और जो भी माननीय सदस्य उस क्षेत्र के हैं, जो इस दुविधा से, इस संकट से ग्रस्त हैं, मैं उनके साथ में अपने समस्त अधिकारियों को लेकर जाऊंगा और जो भी कार्यवाही, जो गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं कार्यवाही करवाऊंगा और जैसा भी क्या होना

(श्री राज कुमार रिणवां)

चाहिए, हम लोग पूरी चेष्टा कर रहे हैं, अभी दो संयंत्र और लग रहे हैं, 50 एम.एल.डी. का और 20 एम.एल.डी. का और लग रहा है।

जो लोग नियमों में नहीं आ रहे हैं, उनके 153 प्लांट्स को आलरैडी हमने बंद कर दिया है। पाली से जो प्रदूषित जल आ रहा था और जो प्रदूषित था, उसमें भी हमने 60 फैक्टरियों के बिजली कनेक्शन काट दिये हैं। अब लोग कानून का उल्लंघन भी करते हैं तो हम जाकर खुद व्यक्तिगत उसको देखेंगे और उस पर कार्यवाही करवाएंगे।

हमारा एक ही उद्देश्य है कि रोजगार बढ़े, स्टेट के लिए रेवेन्यू भी बढ़े, उद्योग-धन्धे भी बढ़ें, पर हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोई भी उद्योग-धन्धा अगर हम लगाते हैं, उसमें अगर किसी के स्वास्थ्य को नुकसान होता है और उसके अलावा, जल-प्रदूषण से, हालांकि यह जोजरी नदी में जो अपशिष्ट का उपचारित जल है, वहां जाता है और उससे लूणी नदी में जाता है, जो बरसाती नदी है। उसके बाद में आगे एक बांध बनाया गया है, बरसात का जल ज्यादा आने से चले जाता है, कुछ किसान उसको रोककर, आगे खेती करने के काम में लिया जाता है। एक जगह गांव में यह जल काफी मात्रा में इकट्ठा भी हो जाता है। तो उससे काफी समस्या आ रही है।

मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत तो नहीं जा पाया हूं अभी तक वहां, पर मैंने इनसे दो-तीन बार मीटिंग की है और उस विषय में हमने अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं। उसके हिसाब से अगर कुछ कम निर्देशों की पालना हुई है, तो मैं इनके साथ जाकर जो उन निर्देशों की पालना नहीं हो रही है, उन पर मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा और कहीं भी किसी किसान के अहित का काम नहीं होगा। आज जितना जरूरी उद्योग है, उतनी जरूरी हमारी खेती भी है। उसी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। धरती माता हमें देती है।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे कभी भी, विधान सभा के बाद में प्रोग्राम बनाकर हम लोग जाएंगे और उस पर कार्यवाही करवाएंगे।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और प्रार्थना करूंगा इसी बारे में। पांच तारीख को पाली में बरसात होने की वजह से मेरे एरिये में रामपुरा से लगाकर, दुनाड़ा से लगाकर, मजल, डीडस, सामुजा, पातों का वाड़ा, गौधों का वाड़ा, पानी यह नहड़ावाड़ा, पाली वाला

(श्री हमीरसिंह भायल)

इतना आ गया। वहां इस बार नदी में थोड़ा पानी आया था, उसी वजह से लोगों ने खेती की थी। अब जो मोटरें लगीं, उसमें पीला, काला और नीला पानी निकल रहा है। हालत खराब हो गयी है, हुकम, और लोग वहां रह नहीं सकते। यह मेरा निवेदन और मेरी प्रार्थना है।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): इनको भी साथ ले लेंगे और इनके क्षेत्र में भी जो समस्याएं हैं, उनका भी समाधान कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे, मंत्री महोदय, आसन आपसे यह निवेदन करता है कि अगर यह इतना ही गम्भीर विषय है, और गम्भीर विषय इसलिए भी है कि यह लूणी नदी, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की अभी डी.पी.आर. बन रही है, इंटर लिंकिग रिवर्स में वेस्टर्न राजस्थान की लाइफ-लाइन होगी। वहां अगर प्रदूषण है और आप यह मानते हैं कि आपको साइट पर जाकर देखना है, तो आसन आपसे निवेदन करता है, यह आपके स्तर पर है, और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को भी यह बात कह रहा हूं कि आप एक सदन की कमेटी बनाकर अवलोकन करवा लीजिये और इसकी रिपोर्ट पेश कर दीजिये।

श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर में नगरीय बसों का संचालन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कोटा शहर के लोगों से जुड़े जन हित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में सिटी बसों के संचालन के लिए पूर्ववर्ती सरकार के समय लगभग 10 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से 34 बसों का क्रय किया गया था। लगभग तीन वर्षों से ये लो-फ्लोर सिटी बसें खराब पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा इन सिटी बसों के संचालन के लिए कोटा बस सर्विस लिमिटेड कम्पनी का गठन कर बड़ी मुश्किल से 2015 दशहरे मेले के अवसर पर इन बसों का संचालन किया गया और इन पांच बसों को प्रारम्भ करवाया गया, लेकिन 29 बसें अभी भी जस-की-तस रोडवेज डिपो में कबाड़े के ढेर में खड़ी हुई हैं, जिन पर धूल जमी हुई हैं, सीटें फटी हुई हैं और बड़ी बुरी स्थिति में वह करोड़ों रुपये की लो-फ्लोर बसें बेकार वहां पर खड़ी हुई हैं। तीन साल से अधिक समय से बेकार खड़ी होने के कारण बिलकुल कबाड़े के रूप में वे तब्दील हो चुकी हैं। इन बसों के संचालन के लिए नगर निगम द्वारा टेण्डर लगाये गये, लेकिन टेण्डर प्रक्रिया में किसी भी फर्म/कम्पनी ने संचालन में रुचि नहीं ली। सभी

(श्री संदीप शर्मा)

सिटी बसों के नहीं चल पाने के कारण शहरवासियों को भी उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर वर्ष लाखों रुपये इन अकारण खड़ी बसों में बीमा और रखरखाव पर खर्च हो रहे हैं। सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है और न इन बसों के द्वारा कोई आमदनी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मुद्दा है। राज्य सरकार का करोड़ों रुपया इन बसों की खरीद पर खर्च हो गया और अभी भी लगातार हर महीने उनकी मेन्टीनेंस पर और उनके बीमे पर भी खर्चा करना पड़ रहा है। सिटी बसें अभी भी वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। यह बसें अब बिलकुल बेकार हो गयी हैं, जिन पर यदि शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो उनके टायर और अन्य चीजें बिलकुल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी।

कोटा शहर के सभी रूटों पर बसों के संचालन की आवश्यकता है। चुनिन्दा रूटों पर सिर्फ पांच बसों का संचालन अभी वर्तमान में किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कोटा शहर का तेजी से विस्तार हुआ है, शहर में नई कालोनियां बसी हैं। कोटा शहर के आर के पुरम्, श्रीनाथ पुरम्, सुभाष नगर, दीनदयाल नगर में अभी तक कोई बस या कोई भी परिवहन सेवा अभी वर्तमान में नहीं है। इस कारण कालोनियों में रहने वाले लोगों को अपने ही खुद के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपने साधनों से ही आते-जाते हैं। यदि कोटा नगर क्षेत्र में इन 29 बसों का शीघ्र संचालन किया जाए तो शहरवासियों को रियायती दर पर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही, निजी बस की जो दादागीरी है, मनमानी है, उससे भी लोगों को निजात मिलेगी।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है, पहले भी बजट सत्र में मैंने माननीय मंत्रीजी को और राज्य सरकार को अवगत कराया था और उन्हीं निर्देश पर कोटा बस सर्विस लिमिटेड कम्पनी का गठन भी हुआ था, लेकिन उसकी टेण्डर प्रक्रिया, पता नहीं, क्यों सक्सेस नहीं हो पायी। आज भी जो स्थिति है, वह बड़ी खराब है और रोजाना वहां के न्यूजपेपर्स में प्रमुखता से यह खबर छपती है कि सरकार इन बसों के संचालन के लिए असफल हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें कार्यवाही करते हुए इन शेष खड़ी 29 बसों को भी संचालित कराएं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सन् 2012-13 में कोटा शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 34 बसें खरीदी गयीं और राजस्थान

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रोडवेज के साथ में एक एम.ओ.यू. हुआ। इस एम.ओ.यू. के आधार पर राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को इन बसों को चलाना था, उनको कंडक्टर्स और ड्राइवर्स उपलब्ध कराने थे, लेकिन बाद में आर.एस.आर.टी.सी. ने यह कहा कि उनके पास कंडक्टर और ड्राइवर नहीं हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की इनकी समस्या है। वह एम ओ यू से बैक-आउट कर गयी।

अब ऐसी स्थिति के अन्दर जब एम ओ यू से राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बैक-आउट कर गयी, तो उनको चलाने के लिए कम्पनी बनाने की व्यवस्था करने की जरूरत थी और इसीलिये मैंने गये साल इसी सदन में आश्वस्त किया था कि आर.एस.आर.टी.सी. के इस एम ओ यू से बैक-आउट होने के बाद कोटा के अन्दर सिटी बसेज सर्विसेज को अलाउ करने के लिए हम एक कम्पनी का गठन करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी का गठन हमने अप्रैल, 2015 में कर दिया था। अप्रैल, 2015 में गठन करने के बाद, जयपुर के अन्दर, जोधपुर के अन्दर, कोटा के अन्दर, नेट कोस्ट फार्मूले के ऊपर हमने निविदाएं आमन्त्रित कीं। कोटा में भी निविदा आमन्त्रित की। कोटा में जब निविदा आमन्त्रित की, उसमें केवल एकल निविदा आयी और वह भी टेक्निकल रूप से सक्षम कम्पनी की नहीं आयी। इसीलिए इस निविदा के आधार पर बसें नहीं चलाई जा सकीं। इसीलिये अब हमने नेट कोस्ट फार्मूले को ग्रोस कोस्ट फार्मूले में तब्दील कर दिया है और ग्रोस कोस्ट फार्मूले पर तब्दील करके, इस महीने में निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी हैं, निविदाएं इस महीने में आ जाएंगी और इस बीच के अन्दर हमने इन 34 बसों में से 5 बसें चलाना शुरू कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस महीने ग्रोस कोस्ट फार्मूले पर हमने जो निविदा की है, उस निविदा में काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। इन निविदाओं के आने के बाद जल्दी से जल्दी कोटा शहर के अन्दर 34 की 34 बसों को सर्विस में हम ला देंगे। लेकिन आपका यह कहना कि वे 29 बसें खटारा हो गयी हैं, आपने यह भी कहा कि मेन्टीनेंस की कोस्ट लगातार हो रही है, मैं समझता हूं कि 29 बसें जो खड़ी हैं, उन पर मेन्टीनेंस कोस्ट तो कोई आई नहीं है। यह बात सही है कि बैटरी खतम हो गयी है, टायरों पर कोई प्रभाव पड़ा होगा। इस ग्रोस कोस्ट फार्मूले के तहत जो निविदाएं हमने आमन्त्रित की हैं और जो इस महीने आ जाएंगी, उनके आने के बाद निश्चित

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रूप से हम एक-दो महीने में कोटा के अन्दर 34 की 34 बसों को शुरू करने का काम चालू कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे सरकार को कोई आमदनी नहीं हो रही है। यह सही है कि जितनी भी सिटी बस सर्विसेज हैं, वह प्रोफिटेबल जाब नहीं है, चाहे जयपुर में ले लें, चाहे जोधपुर में ले लें और कोटा के अन्दर जब भी हम शुरू करेंगे, पांचों बसें अभी भी नुकसान में चल रही हैं, ये 34 बसें जिस दिन लगाएंगे वे भी नुकसान में जाएंगी। हम जानते हैं कि यह वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा सर्विस देने का एक प्रोजेक्ट है। हमने यह भी व्यवस्था की है कि जब 34 बसें चलेंगी, उन 34 बसों से होने वाले घाटे की पूर्ति हम आर.टी.आई.डी.एफ. फंड से करेंगे। उस आर.टी.आई.डी.एफ. फंड से घाटे की पूर्ति करने की व्यवस्था भी हमने कर ली है।

(13.00 बजे)

एक-दो महीने के अन्दर 34 की 34 बसें, जो 2012-13 में खरीदी गयी थीं, हमारे राज में नहीं खरीदी गयीं, उन बसों का संचालन निश्चित रूप से कोटा के अन्दर हम जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यही माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, एक कोटा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन या बस ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का गठन तो कई वर्ष पहले भी हुआ था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोटा बस सर्विस लिमिटेड का गठन 2.2.2015 को हुआ और इसका पंजीकरण अप्रैल, 2015 में हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे इतना-सा निवेदन कर रहा हूं कि कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का गठन बहुत पहले हो गया था। उसके लेखे भी हमारे सदन में नहीं आये हैं। तो एक बार यह हो सकता है, जानकारी इसलिए नहीं हो कि this has been lying dormant for quite some time. I think, it is Kota, if I am not wrong.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): I don't have any idea about the Company you are talking about. But I can say one thing that, last time when the question was raised here in the House, at that

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

point of time, we could not start the services there in Kota sheer because we did not have a company to run this. But still when you are saying that there was an Annual report….(Interruptions)

श्री उपाध्यक्ष: Yes, there is something. Probably it may not be in your domain, it could be in the domain of some other Department.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): I will check it out, but I am very sure that if there is in existence an earlier company, there was no point of having another company.

श्री उपाध्यक्ष: Sir, I am equally sure, that my memory will not defeat me to that extent.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): Sir, I will check it up.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि इस पर मेरा निवेदन है कि आधे घंटे की चर्चा करा ली जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कौनसा प्रश्न?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इसी प्रश्न पर।

श्री उपाध्यक्ष: कौनसा वाला?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह जो इन्होंने जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: किस बारे में?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पर्ची है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, पर्ची है। मैं समझ रहा हूं, पर्ची है, लेकिन आप आज कोटा में शुरू करेंगे, कल जोधपुर करेंगे, फिर बीकानेर करेंगे, उनके घाटे बढ़ते जायेंगे और अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ हैं; सरकार की नीति निजीकरण की तरफ है। आप रूट घोषित करिये, बसों का जो रूट चलाना चाहते हैं उनको चलाइये लेकिन हर घाटे का काम ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीया सदस्य, आपका सुझाव क्या है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हर घाटे का काम सरकार गले में ले ले और सरकार की आर्थिक स्थितियां बहुत अधिक मजबूत न हों, यह चिन्तन का और बहस का मुद्दा तो है ही, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपका कहना सत्य है, साहब। पहले भी यह कोटा मोटर कम्पनी ...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय रिएक्ट कर रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह पर्ची है इस पर, मैं समझता हूं, डिबेट नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने उठाया है, आप सब जानते हैं कि यह पूरा का पूरा दुनिया भर के अन्दर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहे मेट्रो के रूप में हो, चाहे बी.आर.टी.एस. के रूप में हो, चाहे सिटी बसेज के रूप में हो, पूरी दुनिया भर के अन्दर यह घाटे का सौदा है। दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है और दुनिया की कोई ऐसी मेट्रो नहीं है जो फायदे में चल रही है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हम वेलफेयर गवर्नमेंट हैं और वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है कि जहां कोई नहीं जा रहा हो और जहां जरूरत हो, जो वायबल नहीं है, वहां भी हमारी जरूरत है। अब मैं इतना ही कह सकता हूं, जहां जनता की सुविधा के लिए, वायबिलिटी नहीं होने के बावजूद; कोई प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर उसमें नहीं आयेगा। यदि प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर नहीं आयेगा, प्राइवेट या निजी सेक्टर का प्लेयर उसमें नहीं आयेगा, घाटा खा कर कोई नहीं आयेगा, उस जगह पर जहां घाटा लगाने कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन जनता की सुविधा की जरूरत होगी, वहां राजस्थान की सरकार पहुंचेगी, घाटे का सौदा होगा तो भी पहुंचेगी और जनता को सुविधाएं देंगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बाड़मेर जिले की पेयजल योजनाएं का शीघ्र क्रियान्वयन

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं बाड़मेर जिले की बहुत महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। बाड़मेर जिला पूरा रेगिस्तान का जिला है जिसमें हमारे वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और समस्या आज से नहीं है, वहां पर सदियों-सदियों से समस्या है। हमारे पूर्वजों ने और हमने वे दिन भी देखे हैं, जब अकाल पड़ता है, या अकाल पड़ा, ऐसे कई बार मौके आये, तो हमारे लोगों ने वहां पर खेजड़ी के, जिसको सोड़ा कहते हैं, वह तोड़ कर और उनको खा कर अपना पेट भरा, या पानी के लिए उनको 100-100

(श्री कैलाश चौधरी)

किलोमीटर अपना गांव छोड़ कर दूर जाना पड़ा। ऐसे जिले के अन्दर हम रहते हैं और वहां आज भी पानी की वैसी की वैसी समस्या है।

पानी के बारे में मैं बताऊं, तो हमारी पूर्व में भी सरकार आयी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने पानी के ऊपर कभी चिंता नहीं की। बाड़मेर जिले के लिए पानी का बहुत बड़ा महत्व है। हर समय कहते भी हैं कि अगर काले पानी की सज़ा देनी हो तो किसी को भेज दें, बाड़मेर जिले की ओर भेजें ।

तो ऐसे स्थान पर जो हमारी पूर्व की सरकार थी, 2008 के अन्दर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उस बात की ओर ध्यान दिया कि वास्तव में बाड़मेर जिले की पानी की समस्या है। तो उन्होंने एक योजना बनायी, बाड़मेर जिले को मीठा पानी पीने के लिए, न कि सिंचाई के लिए। पानी पीने के लिए कैसे व्यवस्था करें, तो उन्होंने व्यवस्था की और उन्होंने तीन परियोजनाओं को प्रारम्भ किया। तीन परियोजनाएं, जिनमें पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना परियोजना, एक बाड़मेर लिफ्ट परियोजना और तीसरी उम्मेद सागर-धावा परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं प्रारम्भ की गयीं, जिनके अन्दर पानी की व्यवस्था के लिए बजट का प्रावधान करके बजट दिया गया और उस योजना को प्रारम्भ किया गया। उसके बाद में दुर्भाग्य से सरकार बदल गयी और सरकार बदलने के बाद में उस परियोजना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पांच साल...(व्यवधान) आपको जवाब मिलेगा। आप सुनते जाओ। सुनने का माद्दा रखो। आपने अगर पांच साल तक काम किया होता। उसके बाद में हमारी सरकार ने पैसा दिया और काम शुरू किया। पांच साल तक ...

श्री उपाध्यक्ष: आपसे किस का तात्पर्य है आपका?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मैं मीठे पानी के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपने काम किया होता, उस किससे तात्पर्य है उसका?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): कांग्रेस। उपाध्यक्षजी, अगर कांग्रेस की सरकार ने उस समय काम कर दिया होता तो पानी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता, लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को प्रारम्भ किया। उसके बाद में अब इस सरकार के आने के बाद में हमारा काम प्रारम्भ हुआ है।

(श्री कैलाश चौधरी)

काम प्रारम्भ हुआ है तो अब कई जगह पर कुछ योजना, जैसे पोकरण-फलसूंड स्कीम है, उसके अन्दर एक तो एल एण्ड टी काम कर रही है, दूसरी गैमन इंडिया काम कर रही है और तीसरी एस.टी.एम.एल.। जो तीन कम्पनियां वहां पर काम कर रही हैं, इन तीनों में एल एण्ड टी का काम तो निश्चित रूप से, मैं सोचता हूं, ठीक चल रहा है, उन्होंने 80 परसेंट काम कर दिया है, लेकिन दूसरी जो कम्पनियां हैं उनका मात्र 25 परसेंट काम हुआ है, जिसकी वजह से वहां के लागों को, हमें लगता है कि अभी उसमें समय लग सकता है। हमारी मंत्री महोदया जी ने भी वहां पर निरन्तर, हमारे से भी सम्पर्क किया, अधिकारियों से भी, चार-पांच बार वहां पर आयीं और उनसे बात भी की, लेकिन उसके बावजूद भी यह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है।

पोकरण-फलसूंड का जो एक बीलिया है, जिसके अन्दर पोकरण-फलसूंड की योजना है, उसके अन्दर बीलिया से संतरा भाखरी का जो काम है, उसका 47 किलोमीटर काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां से पोकरण से पानी आता है तो उसके बीच में 47 किलोमीटर का काम बिलकुल अवरुद्ध है, जबकि आगे काम हो चुका है। जब तक 47 किलोमीटर का काम पूरा नहीं होगा, तब तक यह काम आगे गति नहीं पकड़ पायेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि उस काम को तुरन्त करवाएं। वहां पर अभी उस कम्पनी के द्वारा सिर्फ दो जे.सी.बी. काम कर रही हैं। तो उसकी जगह अगर दस या पन्द्रह जे.सी.बी. लगाकर उसको गति देकर काम चलायेंगे तो मैं सोचता हूं, यह कार्य और आगे जल्दी से बढ़ सकता है।

दूसरा, जो बालोतरा के लिए और सिवाना, दोनों, और बायतू और बाड़मेर के तीनों विधान सभा क्षेत्र हैं, इन तीनों विधान सभा क्षेत्रों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो काम चल रहा है, वह बहुत धीमी गति से चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी सामने वे कह रहे थे कि काम क्या हुआ, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछूंगा कि आपने क्या करवाया? वास्तव में समय रहते अगर आपने कभी सोचा भी होता, अगर उन्होंने चिंता की होती, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।

मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अन्दर आज भी हमें फ्लोराइडयुक्त पानी पीना पड़ रहा है। वहां पर जो पानी पीते हैं, ऐसे कई गांव हैं, वहां का पानी पीते हैं तो आदमी कूबड़ा हो जाता है, या उसके घुटनों के

(श्री कैलाश चौधरी)

अन्दर या उम्र के बाद में, जब जन्म लेता है उसके 35 या 40 साल के बाद में ही उसके घुटने या हड्डियों के अन्दर दर्द होना प्रारम्भ हो जाता है। तो यह वास्तव में हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से हमारी मुख्य मंत्रीजी इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन इस काम को और गति मिलेगी तो निश्चित रूप से इसका काम होगा।

मैं मंत्री महोदया जी से यह निवेदन करूंगा कि पोकरण-फलसूंड की जो योजना है, आप बिलकुल बहुत बढ़िया मानिटरिंग कर रही हैं लेकिन जो इनका समय था, वह मार्च, 2015 तक इस कार्य को पूर्ण करने का था, लेकिन मार्च, 2015 के बाद में एक साल ऊपर हो गया, उसके बावजूद भी यह काम पूरा नहीं हो रहा है। तो इसकी मानिटरिंग करके और मैं मंत्री महोदया जी से निवेदन करूंगा कि इस काम की क्या गति है, कैसे इसको जल्दी से पूर्ण कर सकें, यह निवेदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा यहां जो पर्ची के माध्यम से बात कही गयी है, यह उनकी एक चिंता है; जो बाड़मेर में चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं, वृहत् परियोजनाएं जो हमारी चल रही हैं, उनके संदर्भ में है कि उनका कार्य समय पर पूरा नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि 2008 में स्वीकृत हुए काम अभी तक भी चल रहे हैं। क्योंकि पिछली सरकार के जो 5 वर्ष निकले, उनके अन्दर जरा भी ध्यान दिया गया होता तो शायद वे योजनाएं कम्प्लीट हो गई होतीं। लेकिन वर्तमान सरकार इसके बारे में गम्भीर है, हम लोग चिंता कर रहे हैं, बराबर से रिव्यू मीटिंग्स हमारी चल रही हैं इस संदर्भ में कांट्रेक्टर्स के साथ में। फील्ड्स के अन्दर हमारी खुद की विजिट चल रही हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस काम को हम जल्दी से जल्दी करवायें।

उपाध्यक्ष महोदय, 7 परियोजनाएं बाड़मेर जिले में चल रही हैं, जिनमें बाड़मेर लिफ्ट परियोजना है फेज-2, पार्ट-ए, जिसमें बायतू, जो कि आपका विधान सभा क्षेत्र है, उसके 128 गांव, टोटल 205 गांव हैं जिनमें से बायतू के 128 हैं और रेस्ट बाड़मेर तहसील के हैं। इसी तरीके से बाड़मेर लिफ्ट परियोजना, पार्ट-बी, उसमें भी 67 गांव उसके हैं। उम्मेद सागर, धवा, समदड़ी, उसके 180 गांव हैं। शिवरामसर पैकेज है, उसमें 205 गांव हैं। नर्मदा गुढ़ामालानी पैकेज में 177 और पोकरण-फलसूंड, जिसके बारे में आपने कहा,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उसके 583 गांव हैं। यह पैकेज चार और चार-ए और बी दोनों मिलाकर के हैं। कुल मिलाकर जो इतने सारे काम बाड़मेर और जैसलमेर दोनों ही जिलों में वृहत पेयजल योजनाओं के चल रहे हैं, जिसमें नर्मदा सोर्स है, जिसके अन्दर कायलाना डैम सोर्स है, आई जी एन पी सोर्स है, इन सारे कामों के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इसमें हम लोग बहुत ही जल्दी क्लोज मानिटरिंग करके इन कामों को पूरा करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खेमाराम।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): वहां बिलकुल ही काम बंद पड़ा हुआ है। एक साल हो गया, सैंक्शन नहीं कर पाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खेमाराम।

सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना व तालाब का सौन्दर्यीकरण

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सुजानगढ़ नगर परिषद की कुछ समस्याओं के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। सुजानगढ़ शहर के बीचों-बीच एक नाथो तालाब है, जो पुराने समय में शिव सरोवर के नाम से जाना जाता था। वह नाथो तालाब लगभग 100 साल पुराना है। उसके आसपास के मोहल्लों के नालों का मिलान उसके पास कर दिया गया, जिसके कारण से उस सरोवर में शहर का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर के आ जाता है, जिसके कारण से उसमें भयंकर बदबू आ रही है।

उसके पास में जाजोदिया सीनियर सेकण्डरी स्कूल भी है, विवेकानंद छात्रावास भी है, सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय भी है, पशु चिकित्सालय भी है, गौ-शाला भी है, ट्रौमा सेंटर भी है, फतेहपुरिया सरोवर भी है, गाड़ोदिया पार्क भी है आदर्श विद्या मंदिर स्कूल भी है। उसके पास शीतला माता का मंदिर भी है जहां साल में 2-4 मेले भी लगते हैं। लाखों लोग वहां आते हैं। सार्वजनिक मेलों में वहां इतने सारे लोग आते हैं। लेकिन नगर पालिका ने पूर्व में बगैर तकनीकी स्वीकृति लिए, बगैर जानकारी किए हुए, वहां ऐसे-ऐसे नाले बना दिये गये, जो कि सारे शहर की गंदी नालियों का पानी वहां आता है, और बहुत विकट समस्या पैदा हो गई है। उन नालों की सफाई नहीं

(श्री खेमाराम)

होने के कारण से अधिकांश गंदा पानी सरोवर में आ जाता है। उस कारण से वहां भयंकर समस्या पैदा हो गई है।

सरोवर के आसपास उसके कैचमेंट एरिये में काफी लोगों ने अवैध निर्माण भी कर लिये हैं, कब्जे भी कर लिये हैं। उसके पास जो शीतला माता का मंदिर है, उस मंदिर के पास से जो उसकी सीढ़ियां लगी हुई हैं, वहां भी उन्होंने रास्ता निकालकर के कब्जा कर लिया है। मैं यह चाहूंगा कि उसको भी रोका जाये।

इसके साथ-साथ, सुजानगढ़ में शहर के अन्दर बिना स्वीकृति के अवैध रूप से, नियम विरुद्ध निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। उसके कारण से वहां हरेक के हौसले बुलंद हो गये हैं। सरकार के माध्यम से उन पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.07.2009 में 43 पत्रावलियों पर वसूली की कार्यवाही नहीं होने के कारण से नगर परिषद को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। उसके कारण से बहुमंजिले भवन का निर्माण और कामर्शियल काम्पलेक्स बन गये। वहां कोई भी एनओसी लेने की आवश्यकता ही नहीं समझता। वह ना तो जमीन का भू-रूपांतरण कराते हैं और ना ही वहां किसी तरह की सुविधाओं के लिए व्यवस्था रखते हैं।

हमारे वहां कुल मिलाकर 76 प्रकरण ऐसे हैं जो वहां अवैध निर्माण हो गये हैं। नगरपालिका के द्वारा बार-बार कमेटी बनाने के बावजूद भी उनको किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं मिली। नगरपालिका के द्वारा, जो भी आवेदन करते हैं, उनका सही ढंग से प्रोसेस नहीं होने के कारण से लोगों में यह हो गया कि नगरपालिका परमिशन देगी नहीं, इसलिए वे अवैध रूप से निर्माण कर लेते हैं। वे इस प्रकार से निर्माण करके उन दुकानों को लोगों को बेच देते हैं। बिल्डर उनको बनाकर के और बेचकर के चले जाते हैं। बाद में जो लोग वहां दुकान, वगैरह करते हैं, उनके सामने यह समस्या पैदा हो जाती है।

मैं इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन भवनों में ना तो कोई सेटबैक छोड़ते हैं और ना ही वहां कोई सुविधाएं हैं; ना ही वहां कोई पार्किंग है, ना ही वहां कोई जल संग्रह की कोई व्यवस्था है। वहां 15 फीट और 25 फीट के जो रास्ते हैं, उन पर 6-6 मंजिल बिल्डिंग बाजार के बीच में बन जाती हैं। जब भी वहां मोटर साइकिल या गाड़ी लेकर कोई ग्राहक आता है तो

(श्री खेमाराम)

वहां इतना जाम लग जाता है कि पूरे मार्केट का रास्ता जाम हो जाता है। इस कारण से वहां बहुत भयंकर समस्या पैदा हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी आप विस्तृत रूप से जांच करवाकर के इस ढंग से जो पुराने बने हुए हैं, उन पर कार्यवाही करावें।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि अवैध निर्माण को और ज्यादा गति देने के लिए वहां की नगर परिषद ने दिनांक 07.10.2015 को एक प्रस्ताव पारित किया। उसके प्रस्ताव संख्या 3 में सरकार के द्वारा जो विधि परामर्शी नियुक्त किया हुआ है, उसके अलावा भी उन्होंने स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एक और विधि परामर्शी ले लिया है। उसने अपने आफिस के सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है कि नगरपालिका के सम्बन्ध में जो भी समस्या है, उसके बारे में यहां आकर के समस्या का समाधान करायें। नगरपालिका ने उसको अधिकृत कर रखा है कि वे भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। उनके द्वारा इस तरह के कार्यों को और ज्यादा गति देने के लिए अनाधिकृत रूप से उन्होंने नगरपालिका में प्रस्ताव पास करके ऐसे विधि सलाहकार को नियुक्त किया है। मैं चाहूंगा, जब नगरपालिका में राज्य सरकार के द्वारा पहले से ही विधि सलाहकार है, तो और सलाहकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन नगरपालिका ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है। मैंने इसके सम्बन्ध में डी एल बी डायरेक्टर को भी लिखित में दिया है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप, सुरेश कुमार शर्मा को स्वामित्व का प्रमाण-पत्र देने के लिए जो अधिकृत किया गया है, उसको निरस्त करावें।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में मैंने प्रथम सत्र में 1304 का एक अतारांकित प्रश्न किया है, उसका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है, क्योंकि वे जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक कमेटी बनाकर के, ऐसे जो कार्य हुए हैं, उनके सम्बन्ध में वहां भेजें। ताकि यह अवैध निर्माण कार्य रोका जा सके। वहां मेन बाजार में बीचों-बीच सीढ़ियां डाल दी हैं। वहां रोड के ऊपर से सीढ़ियां जा रही हैं। ऐसे काम्पलेक्स बन रहे हैं।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि 4.07.2009 की जो 43

(श्री खेमाराम)

पत्रावलियां हैं, इसके साथ 76 प्रकरण ऐसे भी हैं जो वहां अभी विचाराधीन हैं। उन पर भी आप गौर फरमाकर के कार्यवाही करावें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, वह अतारांकित प्रश्न का क्रमांक क्या है?

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): 1304, प्रथम सत्र।

श्री उपाध्यक्ष: इसको नोट किया जाये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ के अन्दर जिस नाथो तालाब की बात की गयी, वह तकरीबन 100 साल पहले बना था और जनता के सहयोग से बना था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शहर के पास में कोई तालाब, जिसका 100 साल पहले निर्माण हुआ हो, उसके बाद शहर इतना बड़ा बढ़ गया हो कि उसमें 1 लाख से ज्यादा की आबादी हो गई हो। जैसा कि पूरे प्रदेश के अन्दर ड्रेनेज का कोई प्लान नहीं होने से, सीवरेज का कोई प्लान नहीं होने से, ज्यों-ज्यों शहरों का एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन के साथ सारे गंदे नाले उस तालाब में जाते हैं, उस नदी में चले जाते हैं। इसी प्रकार से यहां पर नाथो तालाब में मोटे तौर पर दो नाले बने हुए हैं। एक तो नाला नया बास से आ रहा है और दूसरा नाला फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से आ रहा है। फतेहपुरिया गेस्ट हाउस के तालाब का जिस रास्ते से पानी आ रहा है, उसमें गंदगी जमा है, उसकी सफाई नहीं हुई है। उसका टेंडर हो गया है, जल्दी ही कार्यादेश दे दिया जायेगा, जिसके माध्यम से इस फतेहपुरिया गेस्ट हाउस के नाले की सफाई भी कर दी जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अमृत योजना में सुजानगढ़ का नाम आया है। अमृत योजना हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, दिल्ली की। उसके तहत इस नाथो तालाब को, जो नाथो तालाब सौ साल पुराना है, इसके सौन्दर्यीकरण करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का, पूरी डी पी आर बनाने का आदेश हमने दिया है। हम इस डी पी आर के माध्यम से इस नाथो तालाब के अन्दर इसका सौन्दर्यीकरण भी करेंगे, इसका विकास भी करेंगे और इस प्रकार से नाथो तालाब आपके सुजानगढ़ की सबसे अच्छी जगहों में से एक में हम परिवर्तित कर देंगे। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है, माननीय सदस्य ने कहा कि वहां इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का दौर चल रहा है, और आपने यह भी कहा कि जहां पर भू उपयोग परिवर्तन की परमिशन मिल गई है लेकिन परमिशन के बावजूद पैसा जमा नहीं कराया गया है, पैसा जमा कराये बिना वहां अवैध निर्माण कर दिये गये हैं। आप मेरी जानकारी में आज लाये हैं। मैं आपके माध्यम से सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जयपुर से हैडक्वार्टर के लेवल पर एक चीफ इंजीनियर, एक एस टी पी और एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को भेजकर इन इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस की, जो आपको जानकारी है, आप यह जानकारी मुझे दे दें, उन जानकारियों के आधार पर एक टीम को भेजकर काम्प्रिहेंसिव इन्क्वायरी कर लेंगे और उस इन्क्वायरी में अगर वह कंस्ट्रक्शन इल्लीगल निकले, उनमें अनियमितता पाई गईख तो निश्चित रूप से दोषी अधिकारी के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-182 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-183 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)वित्त/कर/09 पार्ट-113 दिनांक 31.12.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-184 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-185 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-186 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान कारागार विभाग को जेलों की कर्मशालाओं में विनिर्मित या उत्पादित माल के विक्रय पर संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-187 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-188 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-189 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-190 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(74)वित्त/कर/2014-79 दिनांक 14.8.2015 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-191 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-02 दिनांक 25.5.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में दिनांक 16.2.2016 से संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-192 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-197 दिनांक 9.3.2015 में दिनांक 1.1.2016 से संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-193 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में दिनांक 9.3.2015 से संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-194 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)वित्त/कर/2003-137 दिनांक 8.2.2016 में दिनांक 8.2.2016 से संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-195 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-II-170 दिनांक 8.2.2016 में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-196 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-II-172 दिनांक 8.2.2016 में संशोधन किया गया है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-197 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(33)वित्त/कर/87-पार्ट-II-173 दिनांक 8.2.2016 में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-198 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-207 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-199 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-208 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-200 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-116 दिनांक 21.1.2016 में संशोधन किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-201 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-21 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-202 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-24 दिनांक 8.7.2009 में संशोधन किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-203 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

41 के अन्तर्गत आकस्मिक व्यवहारियों द्वारा भुगतान की रीति निर्धारित की गई है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-204 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-205 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 26.7.2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-206 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-8 दिनांक 23.4.2015 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-207 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-208 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-209 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-212 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-210 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा प्रवेश कर के लिये स्वेच्छिक एमनेस्टी योजना, 2016 लागू की गई है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-211 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-212 दिनांक 8.3..2016 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत होटलों के वर्ग हेतु कर की दर निर्धारित की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-213 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-214 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत बिना कब्जा वाले बंधक एवं अतिरिक्त भार के दस्तावेजों पर अधिकतम 10 लाख रुपये के अध्यधीन स्टाम्प ड्यूटी की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-215 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-216 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा बाड़मेर जिले के पचपदरा एवं जसौल क्षेत्रों में दस्तावेजों के पंजीयन पर रोक के कारण पंजीयन से वंचित रहे पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-217 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति के विभाजन के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को घटाकर 1.5 प्रतिशत किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-218 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पारिवारिक समझौते के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को घटाकर 1.5 प्रतिशत किया गया है;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-219 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(34)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 18.8.2010 को विखण्डित किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-220 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत ई डब्लू एस तथा एल आई जी श्रेणी के व्यक्तियों के पक्ष में आबंटित आवासीय इकाईयों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

40. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/कर/2016-221 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा दिनांक 9.3.2015 से पूर्व निष्पादित बैंक गारंटी एवं बैंक गारंटी के नवीनीकरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

41. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/कर/2016-222 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन एवं समान प्रकृति के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

42. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/कर/2016-223 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.4(15)वित्त/कर/2014-51 दिनांक 14.7.2014 को विखण्डित किया गया है;

43. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/कर/2016-224 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 9.3.2015 एवं उसके पश्चात् निष्पादित बैंक गारंटी के नवीनीकरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

44. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/कर/2016-225 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अनुसूची के अनुच्छेद 5-डी तथा अनुच्छेद 6 में विनिर्दिष्ट ऋण दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

45. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/कर/2016-226 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अनुसूची के अनुच्छेद 35-ख में विनिर्दिष्ट कम्पनियों एवं भागीदारी फर्मों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

46. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/कर/2016-227 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये छात्रों द्वारा या उनकी ओर से 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिये निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

47. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-228 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टार्ट-अप पालिसी के तहत सहायता प्राप्त करने वाले द्वारा स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिये 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

48. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-229 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु बैंकों/वितीय कम्पनियों के साथ निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

49. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-230 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा-(1) के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा निष्पादित रिवर्स मोरगेज के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

50. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-231 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9-क के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 35 एवं 36 के तहत अधिनिर्णीत मुद्रांक प्रकरणों में दस्तावेजों के निष्पादन की दिनांक से कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय की दिनांक तक ब्याज में छूट प्रदान की गई है;

51. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-232 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-152 दिनांक 9.3.11 में संशोधन किया गया है;

52. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-233 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-3-ख के अन्तर्गत गाय एवं गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कतिपय दस्तावेजों पर सरचार्ज लगाया गया है;

53. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-234 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

54. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-235 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

55. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-236 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-225 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

56. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-237 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-231 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;

57. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-238 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-58 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिये कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरें निर्धारित की गई हैं;

58. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-239 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

59. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-240 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

60. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-241 दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

61. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-242 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 5(डी), 6, 30(बी)(II) तथा 37(बी) में विनिर्दिष्ट ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

62. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/9जी दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(262)परि/कर/मु/07/9एफ-167 दिनांक 9.3.2007 में दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है;

63. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/25सी दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/25 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है;

64. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/1यू दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/13आर दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

65. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27ए दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 दिनांक 9.3.2015 में, इसके द्वारा दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है;

66. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/24डी दिनांक 8.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/09/24सी दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित करते हुए यानों के लिये कर की दर निर्धारित की गई है;

67. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27बी दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत विशेष पथ कर में छूट प्रदान की गई है;

68. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27सी दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत ग्रीन सेस में छूट प्रदान की गई है;

69. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3एम दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3एच दिनांक 1.3.2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

70. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/22डी दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/22सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

71. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/11एन दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/11 के दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में, दिनांक 1.4.2016 से संशोधन किया गया है;

72. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27डी दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एकबारीय कर, ग्रीन सेस, सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है;

73. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु/95/27ई दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.6 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

74. आदेश संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-243 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2014 में संशोधन किया गया है;

75. आदेश संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-244 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा आदेश संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010पार्ट-I-115 दिनांक 8.10.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

76. आदेश संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-245 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा आदेश संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010पार्ट-I-116 दिनांक 8.10.2014 में संशोधन किया गया है;

77. आदेश संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-246 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा आदेश संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-I-117 दिनांक 8.10.2014 को अतिष्ठित कर स्कीम के प्रयोजनों हेतु दिनांक 8.10.2014 से कतिपय क्षेत्रों को अति पिछड़े क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है; एवं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

78. आदेश संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-247 दिनांक 8.3.2016, जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2010 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री अर्जुनलाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान वित्त निगम के लेखे) (वर्ष 2014-15)

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भागीरथ चौधरी।

याचिका

किशनगढ़ (अजमेर) उप खण्ड मुख्यालय पर प्रकाम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर प्रकाम्य लिखित अधिनियम (एन आई ए) के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

(अनुपस्थित)।

संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कल नौ याचिकाओं में से छह अनुपस्थित थे। आज तीन में से दो अनुपस्थित हैं। मैं सेक्रेटरी-जनरल को यह आदेश देता हूं कि पहले कल आप इनके अटेंडेंस रजिस्टर को देखिये। अगर इनमें से कल कोई माननीय सदस्य उपस्थित थे और यहां नहीं आये, तो फिर उस पर कार्यवाही होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना करता हूं और आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो लोग, जिन्हें याचिका के उपस्थापन करने के लिए यहां उपस्थित होना था, नहीं हुए, उनको हम प्रताड़ित भी करेंगे और भविष्य में ऐसा नहीं करें, उसके लिए सावचेत भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आसन आपके इस वक्तव्य से और आपके इस निवेदन से आश्वस्त है। इसलिए अब उदारतापूर्वक हम इस पर विचार करेंगे। (व्यवधान) आसन पांवों पर है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्यों को आसन यह अवगत कराना चाहता है कि आइन्दा इस प्रकार की किसी भी स्थिति पर कठोर...(व्यवधान) आसन आपके समय से नहीं बंधा हुआ है।

आय व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 । श्री अभिषेक मटोरिया।

आय व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य विधान सभा में बजट 2016-17 हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धरा राजेजी ने मंगलवार को प्रस्तुत किया और इस बजट प्रस्तुति के साथ ही विगत दो साल से हमारी उपलब्धियां और पांच साल के कांग्रेस शासन में जो बेलगाम अर्थव्यवस्था और आर्थिक असंतुलन बना था, उसको विराम देने का काम किया। यह बात इस बजट में आंकड़ों के माध्यम से तथा कांग्रेस शासन

(श्री अभिषेक मटोरिया)

और हमारे दो साल के शासनकाल में तुलनात्मक विवरण के माध्यम से मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

निश्चित रूप से सब-जन-विकास और सब-जन-उत्थान के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए इस आर्थिक संतुलन की रूपरेखा जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने तैयार की, उसका प्रारूप हमारे सामने है और इसी के परिणामस्वरूप प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, जो पूर्व में नीतियां बनाई गईं थीं और उनमें जो कमियां और खामियां थीं, हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्री महोदया ने वित्त मंत्री के रूप में उनको दूर करने के साथ-साथ अधिकाधिक निवेश, इन्वेस्टमेंट राजस्थान की धरा पर हो, बाहर के निवेशक यहां पर निवेश करें, जिससे रोजगार सृजन हो, युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरे, महंगाई की मार कम हो, इसके लिए नवम्बर, 2015 में 'रिसर्जेंट राजस्थान' नाम का एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें स्वदेशी ही नहीं, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप जो सुधारात्मक कदम उठाये गये, 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश इन सभी कम्पनियों ने 295 एम ओ यू साइन करके किया है, जो कि आज तक के इतिहास में, दो साल के किसी भी सरकार के कार्यकाल में अब तक की सर्वाधिक राशि है 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये। यह निवेश केवल उन तीन दिनों तक ही सीमित नहीं रहा, 'रिसर्जेंट राजस्थान' होने के तीन महीने बाद भी 11 हजार 531 करोड़ रुपये की राशि 11 नये एम ओ यू द्वारा साइन की गई। यह इस बात का प्रमाण है कि 'रिसर्जेंट राजस्थान' होने के उपरान्त पूरे देश में राजस्थान की इन्वेस्टमेंट हब के रूप में छवि सुधरी।

छवि सुधरने के साथ-साथ इस बजट में जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई, उससे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा, तो प्रदेश के युवा साथियों को होगा। इस 'रिसर्जेंट राजस्थान' को मुख्य मंत्री महोदया ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र से जोड़ते हुए, भामाशाह योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास, अन्नपूर्णा अन्न भंडार जैसी अनूठी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करके एक सफलतापूर्वक आयोजन वहां पर किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में राजस्थान की साख बढ़ी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इसी कड़ी में, हम सब जानते हैं, किस प्रकार न्याय के लिए एक गरीब व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति को बड़े-बड़े वकीलों के यहां चक्कर लगाकर अक्सर न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को भांपा और राजस्व लोक अदालतों में जितने भी प्रकरण हैं, उन सब के त्वरित निस्तारण के लिए 'न्याय-आपके-द्वार' कार्यक्रम चालू करके 21 लाख 51 हजार प्रकरणों का न केवल निस्तारण किया, भविष्य में भी यह रेखा अंकित कर दिया कि इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से तरमीम के झगड़े, भूमि के झगड़े, रास्ते के झगड़े, अंकन का विवाद, इन सबको आपसी भाईचारे से सुलझा कर जो भारी भरकम राशि राजस्व मामलों में आम आदमी, गरीब व्यक्ति खर्च करता है, उसको बार-बार अदालतों और वकीलों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल कानून ही नहीं बनाया, 248 गैर-जरूरी कानून जो रोजमर्रा के जीवन में बाधा उत्पन्न करते थे और 17 ऐसे नये संशोधन जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इन 248 गैर-जरूरी कानूनों को हमारी सरकार ने समाप्त करके, जो सुशासन का संकल्प हमने लिया था, उस पर निश्चित रूप से मोहर लगायी है। क्योंकि कानून बनाना एक अलग बात है और कानून की खामियों को दूर करना और गैर-वाजिब कानून को हटाना, अपने आप में सरकार का साहस निश्चित रूप से प्रकट करता है। 8 मार्च को मुख्य मंत्री महोदया ने जब बजट प्रस्तुत किया तो संयोगवश उस दिन न केवल उनका जन्म दिवस था, महिला दिवस के रूप में, वर्ल्ड वूमेन्स डे भी हम 8 मार्च को मनाते हैं, इसलिए सबसे पहले मुख्य मंत्री महोदया ने महिलाओं के उत्थान, कल्याण और विकास की जो योजनाएं बनायीं, उनसे निश्चित रूप से राजस्थान की महिलाओं का उत्थान, कल्याण और विकास होगा। सर्वप्रथम 'शुभलक्ष्मी' के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना की प्रोत्साहन राशि में भारी इजाफा हुआ है। उसके साथ-साथ जून, 2016, लगभग 3-4 माह बाद जन्म लेने वाली लड़कियों की पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए 2,500 से लेकर 11 हजार रुपये तक की भारी-भरकम राशि मुख्यमंत्री महोदया ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से घोषणा की है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन के लिए उनके मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि। बालिकाओं की आवाजाही के लिए परिवहन व्यवस्था के लिए 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाउचर जारी किये जाएंगे। विधवा

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पुनर्विवाह की राशि 15 हजार रुपये की थी, उसको दुगना करके 30 हजार रुपये कर दिया। स्टार्टअप पालिसी के तहत 10 करोड़ 85 लाख की, राशि जारी की जिससे युवाओं को और महिला उद्यमियों को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। बालिका संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों को पुरस्कृत राशि पूर्व में 15 हजार रुपये दी जाती थी, वह बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गयी। सामूहिक विवाह अनुदान राशि बढ़ायी जाएगी तथा विशेष रूप से दूरदराज की महिलाओं के लिए काल-सेंटर स्थापित किये जाएंगे, जिनसे उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कामकाजी महिलाओं का ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में अलग से कार्ययोजना बनाने के साथ-साथ, क्रेच के लिए सरकारी भवनों का उपयोग, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और निश्चित रूप से क्रेच के लिए जब सरकारी भवनों का उपयोग होगा तो कामकाजी महिलाओं को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, इन सभी घोषणाओं के परिणामस्वरूप, विगत दो वर्षों में मुख्य मंत्री महोदया ने महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनायीं, उसी का परिणाम है कि रोजगार में राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी 35.1 प्रतिशत है, जो देश में औसतन 25.5 प्रतिशत से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब, राजस्थान में महिलाएं कामकाजी महिला होने के साथ-साथ, रोजगार में जो दो साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कार्य किये, यह उसी का परिणाम है कि देश के एवरेज से आपका 10 प्रतिशत ज्यादा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन वित्तीय सुधारों से निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा वह आंकड़ों के माध्यम से मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। बजट में क्रम संख्या 1 पर जब भी हम रेवेन्यू रिसीट्स का जिक्र करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों राजस्व खाते से आते हैं, 2015-16 का अनुमान और 2016-17 में हम तुलनात्मक विवरण करेंगे तो 1,11,361 करोड़ के मुकाबले 1,23,250 करोड़ यानी, 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खाते में, यानी, 25 प्रतिशत की वृद्धि। इसी प्रकार से राजस्व आय और व्यय करने में राजस्थान सरकार की कितनी रुचि है और उसकी मानिटरिंग क्या है, वह इस बात से पता चलता है कि आपकी राजस्व आय 2015-16 के बजट अनुमान के अनुसार 100800 रुपये थी, जो अब 2016 में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

123052.52, यानी, 19 प्रतिशत की वृद्धि। इसके साथ-साथ पूंजीगत व्यय में 20,770 करोड़ के एवज में 2016-17 के बजट अनुमान के अनुसार 23,420.78 करोड़ यानी, 13 प्रतिशत की वृद्धि। कुल प्राप्तियां, समेकित निधि में से हम उसका आकलन करें तो 1,37,870 करोड़ की एवज में 1,71,340 यानी, 24 प्रतिशत की वृद्धि केवल 2 साल में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत हुई है।

इसके बाद अक्सर विपक्ष के लोगों द्वारा, मेरे कांग्रेसी मित्रों द्वारा, यह बात कही जाती है कि केन्द्रीय अनुदान में, सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में राजस्थान का हिस्सा कम हुआ है; राजस्थान सरकार का भारत सरकार से तालमेल ठीक नहीं है। इन आरोपों को मैं इस बात से खारिज करता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जो सहायता 2015-16 के बजट अनुमान में 19,844 करोड़ की मिली थी, वह 2015-16 में 21,332 करोड़ और 2016-17 में 24,388 करोड़ यानी 23 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान बढ़ा है। कहां से कम हुई है राशि? कहां सी एस एस में कटौती हुई? इन आंकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार पर भरोसा जताकर इन सी एस एस के माध्यम से अधिकाधिक धन राशि राज्य के विकास को समर्पित की है।

सामाजिक सेवाओं पर हमारा कुल व्यय, राजस्व और पूंजीगत, रेवेन्यू को मिलाकर 54031.17 करोड़, इसके मुकाबले 2015-16 में यह राशि बढ़कर 53,108 करोड़ हुई और इस बजट में 5,9111.35 करोड़, यानी, 9 प्रतिशत की वृद्धि सामाजिक सेवाओं पर। उसके बाद 12 नम्बर सीरियल पर, आर्थिक सेवाओं पर, जो कुल व्यय राजस्व और पूंजीगत को मिलाकर बनता है, वह 2015-16 के बजट अनुमान के अनुसार 45,613.95 करोड़, जो बढ़कर 2015-16 में 50,246 करोड़ हुआ; इस बजट में, बजट 2016-17 के अनुमान के अनुसार, 56,646, यानी, 23.7 प्रतिशत की वृद्धि कुल इस बजट में हुई। कहां से हम यह बात कह सकते हैं कि इस बजट में आंकड़ों का मायाजाल दिखाया गया है, या इस बजट में जो राशि है वह घटायी गयी, या आंकड़ों के मायाजाल में जो फिगर पेश किये गये वे सत्य नहीं हैं? यह कदापि सही नहीं है। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, वे आर्थिक समीक्षा और इस बजट प्रस्तुतीकरण के साथ पूर्ण रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रत्येक सेवा में, प्रत्येक कार्यक्षेत्र में, इस बार राज्य सरकार ने भारी-भरकम वृद्धि की है जिसका परिणाम अगले साल नहीं, आगामी तीन साल तक निश्चित रूप से विकास के रूप में हमें देखने को मिलेगा।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सामान्य सेवाओं पर जो हमारा कुल व्यय है वह दो वर्ष पूर्व 3,1900.47 करोड़ था, सरकार बनने के उपरान्त अगले वर्ष यह 32 हजार करोड़ हो गया और इस बार 40,715 करोड़; यानी फिर से 26 प्रतिशत की वृद्धि सामान्य सेवाओं पर हमारी सरकार में हुई है।

कुल मिलाकर पूर्ण रूप से हम विकास मद को जोड़ें, जो राजस्व और पूंजीगत दोनों को मिलाकर बनता है, दो साल पूर्व यह 99,645.13 करोड़ था, यह बढ़कर 1,03,054.87 करोड़ हुआ और इस बजट 2016 में यह 1,15,756.98, 16 प्रतिशत की वृद्धि केवल 2 वर्ष की सरकार में, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में हमारी सरकार ने की है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा आर्थिक संतुलन ठीक है, अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने बहुत लम्बे अर्से के बाद किसानों को, खेत-खलिहान को और ग्रामीण विकास को एक बजट समर्पित किया है, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी कृषि, पशुपालन, डेयरी और ग्रामीण विकास में अपनी रुचि किस प्रकार से दिखायी और अपनी रुचि का विवरण इन आंकड़ों के माध्यम से आम जनता को, झोंपड़ी में रहने वाले गरीब को, और सरकार की ओर टकटकी लगाये जो उपेक्षा उसकी कांग्रेस सरकार में हुई, वह किस प्रकार इस बजट में पूरी की गयी, वह मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। ग्रामीण विकास के लिए वचनबद्धता आपकी इस बात से प्रमाणित होती है कि 2012-13 में जब कांग्रेस का शासनकाल था तो कृषि कार्यों में जो राशि खर्च की वह 1,533.15 करोड़ थी, आपने इसे घटाकर 1,520 करोड़ की। यह कृषि कार्य की बात कर रहा हूं। उसके बाद सरकार बनने के तुरन्त बाद यह राशि बढ़कर 1,833 हुई। उसके बाद 2,248, इस बजट में कृषि कार्य के लिए राजस्थान सरकार ने 3,282.03 करोड़ खर्च किये। यानी, 2015-16 के संशोधित अनुमान की तुलना में वृद्धि 46 प्रतिशत और कांग्रेस सरकार के 2012-13 के व्यय की तुलना में वृद्धि 114 प्रतिशत! इतनी भारी-भरकम वृद्धि कृषि कार्यों में हुई है।

पशुपालन में भी यही हाल है...

श्री उपाध्यक्ष: यह वृद्धि कृषि में हुई?

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): कृषि कार्य में।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी, यह वृद्धि?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लगातार कृषि उत्पादन तीन साल में गिरा है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): वह इन्द्र देव की मेहरबानी है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे प्रभु और घनश्याम में कोई बात हो, तो बाकियों को समझ में आना स्वाभाविक नहीं है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में जो कृषि उत्पादन में गिरावट आयी है उसके भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं, परन्तु राज्य सरकार ने कृषि कार्य में कितना खर्च किया, मैं वह आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

पशुपालन में 2012-13 कांग्रेस के शासनकाल में 451 करोड़ की राशि रखी गयी थी, उन्होंने थोड़ी-बहुत वृद्धि करते हुए 577.10 करोड़ रखी, परन्तु हमारी सरकार बनते ही 2015-16 के बजट अनुमान के अनुसार 638.16 और इस बजट में 721 ; यानी, 13 प्रतिशत की वृद्धि और 2012-13 की तुलना में केवल दो साल में 60 प्रतिशत की वृद्धि पशुपालन विकास कार्य में हुई है।

कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ एग्रीकल्चर रिसर्च पर राजस्थान सरकार, हमारी सरकार की विशेष पहल रही है। आपने का मेरा तात्पर्य कांग्रेस सरकार से है। आपने 2012-13 में 130.22 करोड़ रुपये की राशि खर्च की, जो कि 2014 में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट और रिसर्च में हमने इसको बढ़ाकर 162.68 करोड़ किया। उसके बाद 2015-16 में यह राशि बढ़कर 180 करोड़ हुई और इस बजट में 227.61 करोड़। यानी, 2015-16 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह वृद्धि 26 प्रतिशत है और 2012-13 के व्यय की तुलना में यह वृद्धि 75 प्रतिशत है। क्या यह बात इस बात का प्रमाण नहीं है कि कृषि और पशुपालन में निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की, हमारी सरकार की पहल और प्राथमिकता है?

इसी प्रकार से रबी 2015 में जब ओलावृष्टि हुई तो किसानों को, आपदा राहत मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, 2,431 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी थी। विपक्ष द्वारा अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आपने कोई राशि नहीं दी। 2015 की रबी की ओलावृष्टि में 2,471 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी।

इसी प्रकार से 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक टन डी ए पी व 50 हजार मैट्रिक टन जिप्सम का भण्डारण अतिरिक्त इस वर्ष होगा।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

किसानों को सस्ती बिजली के लिए विद्युत वितरण निगमों को 7,205 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार देगी, जो आज तक के इतिहास में सर्वाधिक है।

उत्पाद की आनलाइन बिक्री बढ़ाने के लिए, किसानों को आधुनिक सेवाओं से जोड़ने के लिए, मण्डी में ई-पोर्टल की स्थापना होगी तथा बीज निगम से किसानों का सीधे धन जमा हो, जिससे बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त होगी।

कृषि व पशुपालन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, 600 पशु उप केन्द्र इन्होंने पूर्व में दिये थे और इस बार इसको बढ़ाकर एक हजार नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र पूरे राजस्थान में स्थापित होंगे। पशु चिकित्सा में पी.जी. व पीएच.डी. पर छात्रवृत्ति में वृद्धि की जायेगी।

वर्ष 2017 में 40 हजार नये कृषि कनेक्शन आप देने का विचार रखते हैं, जिससे निश्चित रूप से किसानों को बल मिलेगा।

बूंद-बूंद एवं फव्वारा, डिग्गी कृषि कनेक्शनों के लिए जो कनेक्शन की तिथि पांच साल तक की, उसको आप सामान्य में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी पहल है। पांच साल के बाद जब वह कृषि कनेक्शन जनरल कैटेगिरी में आ जाएगा तो निश्चित रूप से उस किसान को आने वाले समय में उस सब्सिडी का और उस फव्वारे का, ड्रिप इरिगेशन पद्धति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

गांव और ढाणियों में सौर ऊर्जा के लिए किसानों के लिए 24.97 करोड़ का विशेष प्रावधान रखा गया है।

साथ ही साथ, नये औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के लिए पर्यावरण नियंत्रण मण्डल से जो एन ओ सी की बाध्यता थी उसको भी समाप्त किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का आर्थिक संतुलन, उसकी अर्थव्यवस्था उसकी जी एस डी पी और एन एस डी पी से तुलनात्मक विवरण के आधार पर पता की जा सकती है। अगर मैं राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल का और हमारे शासनकाल का विवरण प्रस्तुत करूं, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर जो इनकी सरकार के समय और हमारी सरकार के समय था, वर्ष 2014-15 में 6 लाख 12 हजार 194 करोड़ था उसकी तुलना में यह अगले वर्ष 2015-16 में, अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 6 लाख 74 हजार 137 करोड़ अनुमानित किया गया है, जोकि गत वर्ष की तुलना में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

10.12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर 2014-15 के 5 लाख 54 हजार 783 के अनुमान की तुलना में 2015-16 में यह अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 6 लाख 10 हजार 691 करोड़ अनुमानित किया गया है। यह भी गत वर्ष की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार से अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों में 2011-12 को बेस इंडेक्स मानते हुए 5 लाख 12 हजार 95 करोड़ के अनुमानों की तुलना में 2015-16 के अनुमानों के अनुसार 5 लाख 44 हजार करोड़ रुपये अनुमानित किया गया। यह भी गत वर्ष की तुलना में 6.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर 2012 की कीमतों के अनुसार 2014-15 को अगर हम मानें, तो 6 लाख 61 हजार 845 करोड़ के अनुमानों की तुलना में 2015-16 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 4 लाख 90 हजार 311 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि केवल दिसम्बर तक का आंकड़ा है, और यह 6.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

अब अगर बात करूं मैं पर-कैपिटा इन्कम की, प्रति व्यक्ति आय की, प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमान अनुसार वर्ष 2014-15 में यह राशि 76 हजार 881 रुपये थी जो कि 2015 की तुलना में 83 हजार 423 अनुमानित की गई और पिछले वर्ष की तुलना में यह 8.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब, आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। आपकी अर्थव्यवस्था, आपका लिविंग इंडेक्स, आपका जो आर्थिक संतुलन है, वह बिगड़ा नहीं, सुधरा है। इसके विपरीत 2014-15 में स्थिर कीमतों पर जब इन्होंने हमें सत्ता सौंपी थी तो यह 64 हजार रुपये थी, जो कि सरकार बनने के उपरांत अच्छे आर्थिक सम्बल के परिणामस्वरूप 2015-16 में 65 हजार 970 रुपये अनुमानित की गई, जो कि सत्ता हस्तांतरित होने के तुरन्त बाद 4.6 प्रतिशत की वृद्धि इसमें देखी गयी। यह भी इस बात का परिचायक है कि जिस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने हमें विरासत में दिया था, उसको राजस्थान सरकार ने, मुख्य मंत्री महोदया ने एक कुशल वित्त मंत्री के रूप में सुधारने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गहलोत सरकार की जो नाकामियां अभी हाल ही की ए.जी. रिपोर्ट 2014 में आयी हैं, आडिटर जनरल रिपोर्ट, 2014 के कुछ आंकड़े मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। ए.जी. ने यह बड़े स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है कि दुर्विनियोजन और हानियां और जालसाजी के जो 932 करोड़ रुपये की 49 करोड़ 55 लाख रुपये की वसूली थी, वह आपके शासनकाल में एक

(श्री अभिषेक मटोरिया)

रुपये की भी नहीं हुई। उसके बाद विशेष केन्द्रीय सहायता के, उस समय कांग्रेस का शासनकाल केन्द्र में भी हुआ करता था और यहां भी हुआ करता था, 9.36 करोड़ रुपये का उपयोग, जो केन्द्र सरकार ने जनजातीय छात्रों को रोजगार के अवसर देने के लिए दिया था, उससे पूर्ण रूप से आपने इनको वंचित रखा। यह ए.जी. की रिपोर्ट है।

उसके बाद, माननीया जलदाय मंत्रीजी हमारे बीच में से चली गयीं, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एफ टी एफ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमारे बीच में से नहीं निकलीं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सदन के बीच में ही बैठे हैं और सदन में से ही हमारे बीच से चली गयीं।

फील्ड टैस्टिंग किट के माध्यम से 7 लाख 24 हजार 231 जल स्रोतों का एक वर्ष में एक बार सभी जल स्रोतों का परीक्षण किये जाने की घोषणा गहलोत सरकार ने की थी। आडिट ने इसमें भारी भरकम आब्जेक्शन लगाने के साथ ही, यहां पर अंकित किया है कि वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2014 तक औसतन केवल 6.3 प्रतिशत जल स्रोतों का परीक्षण किया गया। कहां आपको ये शत-प्रतिशत लक्ष्य तीन साल में हासिल करने थे और कहां उसके विपरीत आपने केवल 6 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किये हैं।

इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की 50 जलापूर्ति योजनाओं में 2,410 किलोमीटर की पाइपलाइन 30 वर्षों से अधिक पुरानी थी, कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हम इनको बदलेंगे, इनकी जगह नवीन पाइपलाइन बिछायेंगे, परन्तु आडिट यह कह रहा है कि इसकी एवज में 2011 से लेकर 2014 तक केवल 2.6 प्रतिशत पाइपलाइन, 2,400 किलोमीटर की एवज में, बदली गई। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से पूर्ववर्ती सरकार की कोई रुचि नहीं थी?

आडिट के इन आब्जेक्शन के बाद, मैं निश्चित रूप से मानता हूं, यह बात प्रमाणित कर रही है कि बार-बार इन आंकड़ों की तरफ कांग्रेस सरकार ने केवल मायाजाल प्रस्तुत किया और धरातल पर जब बात काम करने की आयी, तो फालो-अप और मानिटरिंग के नाम पर कोई कार्य नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवा होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस बजट 2016-17 में 29 नई आई टी आई के लिए 58 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की है तथा नये आई टी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

आई भवनों के निर्माण के लिए 155 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखकर देश के युवाओं को एक तोहफा दिया है। साथ ही कम्प्यूटर से जुड़े सामान, इन्हीं में उपयोग आने वाले इलेक्ट्रोनिक सामान, मेमोरी कार्ड, हैल्थ और फिटनेस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं, उन पर छूट देने का बहुत बड़ा काम किया है। इससे निश्चित रूप से युवाओं में रक्त संचार होने के साथ, युवा जोश से ओतप्रोत होकर राजस्थान में और अधिक रोजगार के लिए संघर्ष कर पायेंगे।

सम्पर्क पोर्टल नाम से राजस्थान सरकार ने एक वेबसाइट का निर्माण किया। जो व्यक्ति तहसील कार्यालय, उप खण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय या सेक्रेटेरिएट में आने में कई बार सक्षम नहीं हो पाते, समयाभाव में, तो राजस्थान सरकार ने उनसे यह गुजारिश की कि आप अपनी शिकायत सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सम्पर्क पोर्टल के शुरू होने के बाद जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुईं, उनमें से 88 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण 31 दिसम्बर तक हो चुका है, जो यह दर्शाता है कि निश्चित रूप से राजस्थान सरकार शिकायतों के प्रति, उनके निस्तारण के प्रति वचनबद्ध है।

जिस भी माननीय सदस्य को अपनी बात कहनी हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए, क्योंकि यह राजनीति से नहीं, राज हित से प्रेरित बजट है और आगामी तीन वर्षों का राजस्थान सरकार का संकल्प पत्र है। हम इसको पूरा करके निश्चित रूप से दिखायेंगे।

अब मैं बात करना चाहूंगा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की। 28 करोड़ रुपये पुलिस लाइन एवं थानों की मरम्मत एवं रखरखाव; 31 करोड़ रुपये की राशि प्रशासनिक भवनों और निर्माणाधीन भवनों पर खर्च होगी, जो आपके द्वारा बीच में छोड़ दिये गये थे; 3 करोड़ 80 लाख रुपये में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय का विस्तारीकरण होगा; 2.8 करोड़ रुपये की राशि प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में नये होम गार्ड भवनों के निर्माण के लिए दी गई है; 44 करोड़ रुपये की राशि अजमेर और बीकानेर में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए दी गई है तथा 65.55 करोड़ रुपये से चयनित कारागृहों में एम्बुलेंस, एक्स-रे मशीन, सोनोग्राफी मशीन जैसे मेडिकल उपकरण खरीदे जायेंगे, जिससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पुनः मजबूत होगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत वितरण कम्पनियों का भार जो कांग्रेस के शासनकाल में सत्ता सौंपने पर इनको 16,880 करोड़ रुपये के रूप में, सत्ता

(श्री अभिषेक मटोरिया)

छोड़ने तक 76,000 करोड़ रुपये के रूप में इन्होंने हमें दिया, मुख्य मंत्री महोदया ने इस घाटे को कम करने के लिए 3,500 करोड़ रुपये की कमी का लक्ष्य रखा है। ''उदय'' योजना के माध्यम से 2016-17 के इस बजट में 20,000 करोड़ रुपये के ऋण को टेक-ओवर किया है। आपका 80,000 करोड़ का ऋण टेक-ओवर एक बार में नहीं होगा। आपने 20,000 करोड़ रुपये की पहल की है। यह बहुत बड़ी राशि है। आज तक कभी भी किसी भी टेक-ओवर में राजस्थान सरकार में यह पहल नहीं की गई।

आगामी वर्ष में 220 केवी के छह, 132 केवी के 16 ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।

जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों में मार्च, 2018 तक जितने भी लम्बित कृषि कनेक्शन हैं, सभी को पूरा किया जायेगा। गांव एवं ढाणियों में विद्युतीकरण के लिए 24 करोड़ रुपये की अलग से राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत आठ लाख ग्रामीण आवासों और ढाणियों के विद्युतीकरण की योजना और उसकी डी पी आर बनाकर कार्ययोजना प्रारम्भ कर दी गई है।

पायलट बेसिस पर चिह्नित क्षेत्रों में जिन-जिन किसानों के पम्पसेट पुराने थे, उनको न केवल नवीन पम्पसेट दिये जायेंगे, बल्कि एनर्जी एफिशियंट पम्पसेट दिये जायेंगे, जिससे बिजली के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उनका बिजली का बिल भी घटना प्रारम्भ हो।

प्रथम दो वर्षों में विद्युत उत्पादन की क्षमता में 4,283 मेगावाट की वृद्धि करने के साथ-साथ 1,273 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का हमने लक्ष्य रखा है।

खेलों के लिए एक ऐतिहासिक कदम इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सबको उपहार के रूप में दिया है। एस एम एस स्टेडियम में खिलाड़ियों को ठहरने के लिए 500 कमरों के निर्माण के लिए राशि जारी की गई। राज्य एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले विभागों के व्यक्तियों को सीधे नियुक्ति देने का प्रावधान पहली बार राजस्थान सरकार में किया गया। निर्माणाधीन खेल स्टेडियम, जो कांग्रेस के शासनकाल में बीच में छोड़ दिये गये थे, वे सारे 17 स्टेडियम 19 करोड़ रुपयों की लागत से पूरे किये

(श्री अभिषेक मटोरिया)

जायेंगे। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में 2,000 खेल मैदानों के विकास के लिए मुख्य मंत्री खेल मैदान विकास योजना के लिए 155 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है।

इसी प्रकार से साढ़े पांच लाख कर्मचारी जो राजस्थान में कार्यरत हैं, उनको सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों की भांपते हुए मुख्य मंत्री महोदया ने यह पहले से ही इस बजट में घोषणा कर दी कि मैं पे-रिवाइज के लिए कमेटी की घोषणा करती हूं ताकि सातवें वेतन आयोग में जो भी कठिनाइयां, जो भी विसंगितयां हों, राजस्थान में उनसे बचा जा सके और एरियर की सम्भावना से बचा जा सके।

कर्मचारी जगत में एक लाख लोगों की जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, उसको पुश-अप किया गया है।

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को सरकार द्वारा निश्चित रूप से मजबूत करने के साथ-साथ, भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृति इस बजट में देखने को मिली।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधा के साथ-साथ और अधिक मजबूत करने हेतु समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो राशि पहले दो लाख रुपये के रूप में दी जाती थी, अब वह बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

यह इस बात का प्रमाण है कि केवल एक साल में, 2015 में, राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए जो नवाचार प्रारम्भ किये गये, उसके परिणामस्वरूप जो मैं पुरस्कार पढ़ने जा रहा हूं, ये राजस्थान सरकार को भिन्न-भिन्न प्रदेशों और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मिले। एसोचैम (Associated Chamber of Commerce & Industries) द्वारा "द बैस्ट स्टेट इन स्किल डवलपमेंट", पूरे देश में स्किल डवलपमेंट की दृष्टि से अवार्ड 2014 -15 के लिए गौरवशाली स्वर्ण ट्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया।

उसके बाद केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो को देश में बैस्ट अरबन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट, कांग्रेसी मित्र बार-बार इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि आपने मेट्रो की परियोजना और रिफाइनरी को पूरा नहीं किया; उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, अगर यह योजना पूरी नहीं होती हमारी सरकार के बनने के दो साल बाद, तो कभी भी यह बैस्ट अरबन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलता, यह अवार्ड नहीं मिलता।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

आपको मैं बताना चाहूंगा, जहां तक रिफाइनरी की बात आप करते हैं, 1.70 लाख बैरल प्रतिदिन खनिज तेल के उत्पादन से राजस्थान देश के भूमिय क्षेत्र में अग्रणी तेल उत्पादक राज्य हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने रिफाइनरी बनाने के लिए आनन-फानन में जगह कहीं पर दी, घोषणा कहीं पर की और लैंड एक्विजिशन कहीं और हुआ। हमारी सरकार इसको जल्दबाजी में नहीं, केवल बाड़मेर क्षेत्र को ही नहीं, पूरे राजस्थान को ही यह रिफाइनरी समर्पित करना चाहती है। इसलिए इसकी जगह का चयन और पूर्ण रूप से तेल का दोहन किस प्रकार से अधिकाधिक राजस्थान के हिस्से के अनुरूप हो, इसलिए इस तेल वृद्धि में और रिफाइनरी के मामले में हमने जल्दबाजी नहीं की।

इसके बाद राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बनने के बाद, ''एक्सीलेंट सर्टिफिकेट इन द फील्ड आफ रिन्यूएबल एनर्जी'' प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार से आपको प्राप्त हुआ।

राजस्थान को भामाशाह योजना के लिए ''नेशनल गोल्डन अवार्ड फोर ई-गवर्नेंस 2015-16'' से सम्मानित किया गया।

राजस्थान प्रदेश को चिकित्सा विभाग की दृष्टि से आशा सोफ्ट और अन्य योजनाओं के लिए ''नेशनल सिल्वर अवार्ड फोर ई-गवर्नेंस'', चिकित्सा सेवाओं में 8,538 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान के लिए आपको यह अवार्ड दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। मेरा मानना है कि एक संतोषप्रद संरचना के द्वारा राज्य की समृद्धशाली एवं प्रचुर निर्धारित जो भी लक्ष्य हैं, वे निश्चित रूप से तभी हासिल किये जा सकते हैं, जब विकास की तीव्र गति और अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहे। इसी दृष्टि से सड़कों की जो कुल लम्बाई एक समय में 13,533 किलोमीटर थी, वह हमारी सरकार बनने के उपरांत 2015 तक 2,08,848 किलोमीटर तक पहुंच गई।

राज्य के रेलवे के क्षेत्र में रेलमार्ग की लम्बाई 2014 के अंत तक 5,870 किलोमीटर तक पहुंची, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे अधिकतम है।

डाक एवं संचार के क्षेत्र में 2014-15 के अंत तक राज्य के डाक घरों की कुल संख्या 10,000 से ऊपर हो गई, जो कि कांग्रेस शासनकाल में 7,000 से भी नीचे थी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इसी प्रकार से बार-बार नरेगा योजना के लिए कांग्रेस के मित्र यह कहते हैं कि नरेगा योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद करना चाहती है। यह बिलकुल सत्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मनरेगा के तहत 2014-15 में सरकार बनने के बाद 1,685.36 लाख मानव दिवस हमने सृजित करने का काम किया और इसकी एवज में 2,109 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और इस बजट में 2015-16 की तुलना में 1,04,030 मानव दिवस सृजित करने के साथ-साथ 1,621 करोड़ रुपये की राशि अब तक नरेगा के तहत हम खर्च कर चुके हैं, जिससे राजस्थान चौथे स्थान पर है।

इसके बाद ग्रामीण आवास और इन्दिरा आवास योजना में चाहे नाम इन्दिरा आवास योजना का हो, चाहे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का हो, या गांधी परिवार के अन्य किसी व्यक्ति का हो, हमारा कार्य योजना के नाम पर नहीं, योजना के काम पर फोकस रहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि 2014-15 में 97,145 आवास निर्माण का हमें जो लक्ष्य मिला था, उसकी तुलना में 1,09,982 आवासों का निर्माण राजस्थान सरकार ने कराया, जो कि लक्ष्य का 113.21 प्रतिशत था और अगले वित्तीय वर्ष में 2015 तक 55,000 आवास, लक्ष्य के मुकाबले 64.84 प्रतिशत अब तक अधिक आलरैडी हो चुके हैं।

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अल्प आय वर्ग के आवास हमें निर्माण करने थे। उसमें 20,703 का जो हमें टार्गेट दिया गया था, उसकी एवज में 10,536 का टार्गेट, 196 प्रतिशत और 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक 11,499 आवासों का निर्माण अब तक कराया जा चुका है, जबकि लक्ष्य 8,870 था; कुल मिलाकर 129 प्रतिशत की वृद्धि है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत इस बजट में 1,400 बस्तियों की तुलना में अब तक हमारी सरकार ने, बार-बार एक माननीय सदस्य कह रहे थे, वे हमारे बीच में नहीं हैं सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कि आपकी सरकार डी पी आर बनाती है और फिर पुन: रिपोर्ट बनती है लेकिन धरातल पर काम नहीं होते; मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेयजल कार्यक्रम के तहत 1,400 बस्तियों की तुलना में 1,882 बस्तियों को हमने अभी तक इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है, जो कि कुल लक्ष्य का 134 प्रतिशत है। इसी प्रकार से इस वित्तीय वर्ष में 738 कच्ची बस्तियों को सम्मिलित किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के, 1,400 के हिसाब से 52 प्रतिशत अधिक है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

ग्रामीण सड़कें जो पी एम जी एस वाई के तहत बननी थीं, इसमें 2014-15 में हमारी सरकार बनने के बाद 1,550 किलोमीटर सड़क निर्माण की तुलना में 3,223 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है और कुल लक्ष्य का 208 प्रतिशत है यह। इसके बाद इस वित्तीय वर्ष में 2,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का जो लक्ष्य हमें मिला था, उसकी तुलना में हमारी सरकार ने 2,120 किलोमीटर, यानी 106 प्रतिशत की वृद्धि। जितने-जितने टार्गेट केन्द्र सरकार द्वारा हमें दिये गये थे, जो टार्गेट आपने अधूरे छोड़े, उन सबके मुकाबले एक भी ऐसा कार्य, एक भी ऐसी केन्द्र की योजना नहीं है, जिसमें हम पीछे चल रहे हैं।

गांवों के विद्युतीकरण में 2014-15 में 315 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना था, उसकी एवज में 348 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं अब तक। उसके बाद अगले बजट में 26 गांव जो शेष रहे गये थे, उसकी एवज में 98 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। यह भी लक्ष्य का 372 प्रतिशत अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले, आपदा एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा, कांग्रेस के लोगों ने बताया कि किस प्रकार अनदेखी की गई; ओलावृष्टि से, फसल बीमा के नाम से, किसानों को आपने बताया कि हम गुमराह कर रहे हैं। यह कदापि सत्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि में प्रारम्भिक शेष 288 करोड़ रुपये का था। इसकी एवज में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1,103 करोड़ रुपये की राशि हमें दो किश्तों में प्राप्त हुई। प्राप्त राशि में 75 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा था और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा था। ओलावृष्टि मेमोरेण्डम के अन्तर्गत भारत सरकार से 1,378 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कि प्रारम्भिक शेष सहित राज्य आपदा मोचन निधि में कुल मिलाकर 2,770 करोड़ रुपये की राशि अब तक उपलब्ध हो चुकी है, फसल रबी 2015 यानी संवत् 2071 के आंकड़ों के अनुसार। तब ये फिगर्स 50 प्रतिशत के हिसाब से हुआ करते थे। प्रधान मंत्री महोदय ने एक नवीन पहल करते हुए इस 50 प्रतिशत खराबे की बाध्यता को घटाकर अब 33 प्रतिशत तक कर दिया है, जिसके बाद फरवरी से अप्रैल, जो

(14.00 बजे)

ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ, उनको हमने अब तक 2 हजार 470 करोड़ रुपये की राशि देने के साथ-साथ 29.24 लाख काश्तकारों के खातों में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

यह पूर्ण रूप से सीधी गई है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि जो किसान धरती माता का सीना चीर कर, जेठ की दोपहरी में, सर्दी में दिन में, रात में ठंडे पानी में खड़ा रहकर, अन्न पैदा करने का काम करता है, उस किसान के प्रति हमारी जवाबदेही है। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने धन को, अपने अन्न को खुले आसमान के नीचे रखकर सोता है, शायद ऐसा कोई व्यापार नहीं है इस दुनिया में, जो व्यक्ति अपने अन्न को बाहर छोड़कर या कोई अपने सामान को बाहर छोड़कर ताला लगाकर अन्दर चला जाए। उस किसान को हमने निश्चित रूप से इस सहायता के माध्यम से अधिकाधिक राशि देने का काम किया है।

चूंकि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, इसलिए पर्यटन मेरा आखिरी मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 3 जून, 2015 को पर्यटन इकाई नीति हमारी सरकार द्वारा अधिसूचित की गई और इस नीति के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों की परिभाषा के विस्तार हेतु हमने बजट होटल, हेरिटेज होटल, रिसोर्ट, गोल्फ कोर्स, एडवेंचर स्पोर्टस आदि को सम्मिलित करने के साथ-साथ, आर आई पी एस-2014 के तहत जो हमें 85.65 करोड़ की राशि का प्रावधान मिला, उसमें से 61 करोड़ की राशि दिसम्बर, 2000 तक हम खर्च कर चुके हैं। इसी का परिणाम है कि बैंगलूरू में दिनांक 16-18 फरवरी, 2015 तक आयोजित ट्रैवल एण्ड टूरिज्म फेयर में राजस्थान को बेस्ट डेकोरेशन स्टाल का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद पुन: कोलकता में जुलाई-अगस्त, 2015 में आयोजित ट्रैवल एण्ड टूरिज्म फेयर में बेस्ट डेकोरेटेड स्टाल का आपको दुबारा पुरस्कार दिया गया। ऐसे ही पुरस्कार अहमदाबाद में 11 से 13 सितम्बर 2015, सूरत में दिनांक 18 से 20 सितम्बर, 2015, मुम्बई में 24 से 26 सितम्बर 2015, इन सभी ट्रैवल एण्ड टूरिज्म फेयर 2015 में आपके स्टेट को बार-बार सम्मानित किया गया है, जो यह बात प्रदर्शित करता है कि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान ने इस बजट और पिछले दोनों बजटों में भारी भरकम राशि देने के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से देश के मानचित्र पर आया है। पुणे में 27 से 29 नवम्बर, 2015 तक आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट-2015 में बेस्ट डेकोरेटेड स्टैण्ड इन द एन्टायर नेशन एवं कल्चरल डेस्टिनेशन का पुरस्कार राजस्थान का मिला है। ऐसे पुरस्कार, मेरी समझ में, शायद कांग्रेस के राज में कम ही मिले हों; कोई मिले हों, तो मेरे साथी बताने की कृपा करें।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इसके साथ-साथ केवल 2015 में दस ऐसी नीतियां बनाने का हमने काम किया जो कि आज हर दृष्टि से राजस्थान के लोगों के लिए लाभदायक है। राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना-2014; राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015; राजस्थान खनिज नीति खनिज माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए 2015, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एम एस एम ई) नीति-2015; मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना-2015; भूमि आबंटन की विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान भूमि आबंटन नीति-2015; युवाओं और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान स्टार्ट अप नीति-2015; राजस्थान ई-गवर्नेंस आई टी एस नीति-2015; राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन संवर्द्धन नीति-2015 और सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2015; माननीया उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी नीतियां केवल एक वर्ष में बनाकर हमारे ये प्रयास रहे हैं कि इस बजट में आगामी तीन वर्षों तक के लक्ष्य तय करके राजस्थान के विकास को, जो एक समय में पटरी से डोल गया था, पुनः पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र विशेष में ज्यादा कुछ न कहते हुए यही मांग करना चाहूंगा कि नोहर-पल्लू सड़क की बड़े लम्बे से मेरे यहां मांग रही है और 11 गांव हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, उनको सिंचाई मंत्री जोड़ने का काम करें। आप सिंचाई में 4 हजार 203 करोड़ की राशि द्वारा इंदिरा गांधी नहर की लाइनिंग, जो कांग्रेस शासनकाल में अधूरी छोड़ दी गई थी, उसको पूरा करने का काम करें। आप इन 11 गांवों को भी जोड़ने का काम करें।

मुख्य मंत्रीजी ने सभी वितीय कठिनाइयों के बावजूद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन पूंजीगत कार्य से सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण योजनाओं को न केवल बढ़ावा दिया है; यह बजट सरकार का ही नहीं, मेरा मानना है कि यह पूरी सात करोड़ से अधिक जनता को, उनकी आशाओं को, आकांक्षाओं को, भावनाओं के अनुरूप उनका प्रतिबिम्ब बनकर साबित होगा। आगामी तीन वर्ष में राजस्थान सरकार एफ आर बी एम एक्ट की जो तीन प्रतिशत की बाध्यता है, उसको लागू करने के साथ-साथ पुनः हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और मजबूत होने के साथ-साथ, मैं हमारी मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में जब समूचे

(श्री अभिषेक मटोरिया)

विश्व की अर्थव्यवस्था डोल रही है, आपने एक शानदार बजट प्रस्तुत करके राजस्थान में निवेश का माहौल बनाया और पुन: इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाये।

आपने समय दिया और हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय ने मेरा नाम प्रथम पंक्ति में दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल जी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने 2016-17 का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। तीन घंटे लगातार यहां बजट भाषण देकर राजस्थान की जनता, आम आदमी, गरीब, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्गों से बातचीत कर और यह बजट पेश किया है।

सता पक्ष का काम है कि अपने बजट के बारे में राजस्थान की जनता को जो मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से दिया है, उसको जनता तक पहुंचाना और विपक्ष की भूमिका है कि उसका चाहे कितना भी अच्छा बजट पेश हो, उसका विरोध करना, यह अपना धर्म है। भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में जो अर्थव्यवस्था आपके समय में छिन्न-भिन्न हो गई थी, उसको ठीक करने का काम किया है।

हर बार कोई भी बात उठे, तो कांग्रेस के भाई कहते हैं कि यह हमारी सरकार की योजना थी और यह योजना हमारे कार्यकाल में चालू हुई। आपका जब जहाज डूब रहा था, आपको पता था कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए जब अख़बार में हम पढ़ते थे...(व्यवधान) अभी बता देंगे, जिला प्रमुख कौन-कौन हैं, कैसे हैं, क्या-क्या हैं। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? ये योजनाएं हमारे कार्यकाल में चालू हुईं। अख़बार के माध्यम से रोज उठते ही जब अख़बार खोलते थे और पढ़ते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। राजस्थान के अन्दर पचास साल आपने राज किया और उस पचास साल के राज के बाद यह आप कहो कि हमने ऐसा पहली बार कर दिया, तो बाकी उनचास साल में क्या किया था आपने? आपने सिर्फ कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, मजदूर के साथ और इन सब बातों को लेकर हमेशा वोट लिया। अभी पौने तीन साल हमारे राज के बाकी हैं और आपके यहां अभी से ही मुख्य मंत्री का झगड़ा हो गया कि जिस तरह से राज आपका कल ही आने वाला हो। आप लोगों ने अच्छे काम किये होते पांच साल में, तो 21 सीटें नहीं मिलती आपको

(श्री धर्मपाल चौधरी)

और पूरे भारतवर्ष में 44 सीटें नहीं मिलती आपको। यह सारा काम कि आपने पूरे राजस्थान के अन्दर जो आपकी सरकार चली, उस सरकार में जो काम नहीं हुए। जब-जब आपका राज रहा तब-तब आपने झगड़ा कराकर लोगों के बीच में भाईचारे को खतम करने का काम किया है और वोट लेने का काम किया है। वोट मिल जाए चाहे जनता मरे, या जिये।

अब हम कहते हैं कि हमने यह काम किया, तो ये कहते हैं, नहीं, यह तो हमारे टाइम का था। दो चीज़ें आपने बहुत कही हैं; जहां सुनो वहीं कि साहब, हमने मेट्रो चला दी, रिफाइनरी के लिए आप रोज कहते हैं। (व्यवधान) सुन लो थोड़ा बहुत। सुनने की भी क्षमता रखो। आप कहते हैं रिफाइनरी, उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने बता दिया कि रिफाइनरी पहले कहां लगनी थी, फिर कहां लगने की बात चली। मेट्रो में आज क्या हो रहा है, आज मेट्रो के कारण सारे शहर की, जो इतना सुन्दर यह शहर था और उसमें इतने से किलोमीटर की मेट्रो चले; अगर यह लम्बी दूरी की मेट्रो होती तो फिर भी फायदा होता। लेकिन आज भी बैठे-बैठे कहते हैं कि हमने मेट्रो के बारे में कहा, हमने रिफाइनरी के बारे में कहा, इस सरकार ने, जो है, रिफाइनरी को नहीं बनाया। इस तरह की बातें करते हैं।

अब हमने 'रिसर्जेंट राजस्थान' के अन्दर निवेश के लिए एक वातावरण बनाकर 3 लाख 21 हजार करोड़ के एम ओ यू पर दस्तख्त किये। इस राजस्थान में विकास की गंगा बहे और लोग आयें और एक ऐसा वातावरण बनायें। अब आप तो एडवांस में ही कहने लग गये कि ये जो आपने तीन लाख पन्द्रह हजार के एम ओ यू दस्तख्त कराये हैं, ये कोई आने वाले नहीं हैं। तो ये तीन लाख पन्द्रह हजार करोड़ रुपये आने के बाद में इस राजस्थान का विकास होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गिलोट, नीमराणा, शाहजहांपुर में डी एम आई सी के माध्यम से वहां पर विकास के लिए जो नये आयाम उस क्षेत्र में आने वाले हैं, उससे वहां का विकास होगा, निवेश बढ़ेगा। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहल करते हुए हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं को चलाया। इसके अन्दर भामाशाह योजना, भामाशाह बेरोजगार योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य राजस्थान, राजस्थान मुख्य मंत्री जन आवास योजना, अन्नपूर्णा भण्डार जैसी अनूठी योजनाओं को हमने लागू किया। राजस्थान की जनता से वोट लेकर हमने जो वादे किये थे कि हमारी सरकार आने के बाद हम राजस्थान में विकास के कामों को आगे बढ़ायेंगे, इस काम को हमने किया।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण में जो बात कही, उसमें राजस्थान प्रदेश की सात करोड़ जनसंख्या के हर वर्ग ने इस बजट को सराहा है, इस बजट की प्रशंसा की है।

आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए गत वर्ष ग्रामीण गौरव पथ योजना प्रारम्भ की गयी। इसके प्रथम चरण में, आप कहते हो कि राजस्थान में कोई काम ही नहीं हुआ, इन दो सालों में राजस्थान सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया, गौरव पथ में एक किलोमीटर सड़क पचास लाख की लागत से गांव में बने, उसके लिए 1,955 किलोमीटर सड़कों के लिए हमने मंजूर करके उन सड़कों को बनाया और मिसिंग लिंक के रूप में दस किलोमीटर सड़क हर विधान सभा क्षेत्र में बने उसके लिए तीन करोड़ रुपये दिये। जो सड़कें जर्जर हालात में थीं, टूटी हुई थी, उन सड़कों को दुबारा बनाने के लिए तीन-तीन करोड़ रुपये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में खर्च किये। इस तरह से सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान की सरकार ने एक बेहतरीन काम किया, क्योंकि आज के जमाने में ग्रामीण सड़कें बहुत जरूरी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में आपकी तरफ से किसी माननीय विधायक ने कहा कि यह योजना तो पहले से ही थी। देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना और जितने हाइवेज बने, जितने नेशनल हाइवे थे, उनकी सड़कों को फोर लेन करना, सिक्स लेन करना, ये सब काम, और ढाई सौ की आबादी तक के गांव के रोड जो हैं, सड़क से जुडे, जिससे गांव के लोगों को भी अच्छी सड़क चलने के लिए मिलीं। इसलिए इस सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम किया। अब फिर इस बजट में गौरव पथ की सड़कें और मिसिंग लिंक के रूप में सड़कें बनाने का बजट में प्रावधान रखा।

सरकार ने पेयजल के अन्दर 2016-17 में पेयजल योजनाओं के लिए 2,950 करोड़ का प्रावधान किया है। यह भी एक सराहनीय काम है कि गांव के लोगों को भी पानी पीने का मिले। धीरे-धीरे जिस तरह से गांव के अन्दर फ्लोराइड का पानी बढ़ता जा रहा है उसमें आर ओ के माध्यम से कि आर ओ लगायें और गांव के लोगों को भी इस खारे पानी से और फ्लोराइड पानी से निजात मिले और गांव के लोगों को भी शुद्ध पानी मिले, इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है और जितनी भी योजनाएं हैं जहां से भी गांव में

(श्री धर्मपाल चौधरी)

पानी पहुंच सके, चार हजार नये हैंडपंप के रूप में गांव और ढ़ाणियों में जहां पानी की आवश्यकता है उनको मंजूर किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह विद्युत विभाग में जो काम आपने बाकी छोड़ दिया था, आपने चलते-चलते 33 केवी, 220 केवी सब स्टेशन की घोषणा कर दी; विद्युत तंत्र में आपने जो तार बदलने थे गांवों में, जो बहुत पुराने समय से नीचे लटके हुए थे, पुराने तार थे, आये दिन घटनाएं होती थीं। हमारी सरकार ने उसको ठीक करने का काम किया और इस बार सरकार ने 220 केवी के 6 स्टेशन, 132 केवी के 16 स्टेशन और 33 केवी के 200 सब-स्टेशनों की मंजूरी दी है। इसी तरह गांव और ढाणी में जो बिजली के कनेक्शन पहले हमारी सरकार देती थी, आपकी सरकार ने उनको बंद किया, सरकार उनको भी दुबारा, ताकि गांव में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधा मिले और उसके बाद में सौर ऊर्जा के माध्यम से जिन गांवों और ढाणियों में हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको बिजली देने का काम किया। यह हमारी सरकार की सोच है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल योजना के बारे में आपको बताया है। अब ओलावृष्टि की बहुत बात हुई। बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि ओलावृष्टि का पैसा हमारा बकाया है। उन्होंने पूरे अलवर जिले के बारे में कहा कि अलवर जिले में सभी विधायकों को मैं पूछना चाहती हूं कि आपके क्षेत्र में कितना ओलावृष्टि का पैसा बकाया है। जहां-जहां जिस-जिस गांव में ओले पड़े, उसका सर्वे हुआ और सर्वे में जो भी गांव आये, उन सब गांवों को, किसानों को पैसा दिया। आपके क्षेत्र में कहीं रह गया हो तो मुझे पता नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह आज इन्हीं के वहां से उस अख़बार के मंतव्य को पढ़कर के फोन आ रहे थे कि मैडम, हमारे विधायक ने जो बोला है अगर आपको चाहिए तो हमारे विधायक को कहना कि हम कल आपके पास लिस्ट भिजवा दें, हमारा बचा हुआ मुआवजा दिलवा दें। इनके वहीं से फोन आया। अख़बार के मंतव्य को पढ़ करके, और आज ये चैलेंज कर रहे हैं। बचे हुए गांवों को देंगें क्या ये? बची हुई लिस्ट को देंगे क्या ये, जो बचे गये? यहां पर कह रहे हैं कि सौ परसेंट दिया, कल कह रहे थे कि मोदी जी ने घर पहुंचाया और आज कह ही रहे हैं कि

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

दिया। आपके सरपंचों से पूछ लो आप। क्यों सदन में ऐसा कह रहे हैं आप? आधे गांव बच गये हैं। आपके भी रह गये हैं। पूरी पंचायत का कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): 33 परसेंट से कम वालों का फोन आया था। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप बोल लो पूरा। (व्यवधान) ऐसा है, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते मैं कोई आपसे कंपीटिशन तो करना चाहता नहीं हूं, कौन-सा सरपंच आया, कौन सरपंच आपके पास आया। साढ़े आठ करोड़ रुपये मेरे यहां पर ओलावृष्टि के बकाया हैं, लोगों की शिकायत भी आई। तो उनका दुबारा सर्वे करवाकर हर किसान को, जिसका नुकसान हुआ, उसको मुआवजा ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अब आप दोगे क्या बचे हुए को?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अब आप जबरदस्ती की बात बीच में करो, तो उसका मेरे पास इलाज है क्या? अख़बार में क्या छप गया और कौन सा सरपंच आपको टेलीफोन करता है ...(व्यवधान) तो सरकार ने जो मुआवजा राशि थी, आपने यह तो धन्यवाद नहीं दिया देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को। आपको पता है कि आपके राज में जब ओले पड़े थे सामदा में, आनन्दपुर में, जो आपके क्षेत्र में पड़ता है, सामदा मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, मुण्डावर के उन गांवों में जहां ओलावृष्टि हुई थी और हमने उन लोगों को वादा करके उठाया था। आपने कितना उन लोगों को मुआवजा दिया? कितने समय बाद दिया? आज हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार में पचास परसेंट की जगह तैंतीस परसेंट अगर खराबा हुआ है तो हम उसको देंगें और मुआवजे के रूप में...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार, सरकार की चर्चा कर रहे हैं, आपके ही सामदा के सामने चूडला है और ततारपुर के उधर के ही गांव रह रहे हैं। विधायक महोदय, आप उनको भी दे देना।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है कि चूडला....

श्री उपाध्यक्ष: अब कोई ढाणी और गांव भी रह गया हो तो उसका भी नाम बोल दो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): जो इन्होंने कहा था उसका जवाब दे रहा हूं कि आज कंपीटिशन इनसे नहीं है, कंपीटिशन इस बात का है कि असत्य बात अगर इस विधान सभा में कोई भी अख़बार के माध्यम से कह दे, अगर उस बात को हम यहां नहीं कह पायेंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता हमको कैसे माफ करेगी? यह कहते हैं कि आज एक सरपंच का टेलीफोन आया, किस सरपंच का टेलीफोन आया? मेरे साथ अगर ये विधायक जी चलें, हम प्रशासन को लेकर चलें, अगर पैसा भी मुआवजे का बाकी हो, तो ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, कल इनको लिस्ट दे दी जायेगी, अगर ये दिलवा दें तो। हम भी यही चाहते हैं कि सदन में आप असत्य नहीं बोले।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक भी किसान बगैर मुआवजे के नहीं रहा। सबको मुआवजा मिला है। इन्होंने खुद ने तो आज तक किसान की परवाह की नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): किसान की परवाह की है और किसान परिवार से ही हैं। आप ज्यादा जानते हैं क्या मेरे बारे में? किसान नहीं हैं। किसान की परिभाषा जानते हैं आप? असली में किसान क्या होता है, असली में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप जानते हैं क्या?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? अभी भी खेती करता हूं मैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हम क्या उड़ान उड़ाते हैं? हम भी किसान परिवार से ही हैं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): नसीराबाद विधान सभा में आज भी पीसांगन पंचायत समिति में मुआवजा नहीं मिला। आप सरकार से पूछ लें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। एक भी किसान नहीं बचा, जिसको मुआवजा नहीं मिला हो।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): नसीराबाद विधान सभा की पूरी पंचायत समिति में....

श्री उपाध्यक्ष: दोनों तरफ के सचेतकों को सचेत करना चाहता हूं, अगर इसी प्रकार का वातावरण रहा तो एक भी व्यक्ति को बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी। यह स्थगित हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य ने इनका नाम लेकर पुकार लिया, इसलिए बोल गये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): मैंने नाम लेकर मेरे क्षेत्र की बात की। मैंने बानसूर के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ मेरे क्षेत्र के लिए कहा कि मुण्डावर में कोई भी पैसा बाकी नहीं है, सरकार ने दुगना पैसा किसान को मुआवजे के रूप में दिया। जिस तरह से पहले पटवारी और तहसील में चक्कर काटने पड़ते थे, हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने जो वहां से मुआवजा दिया, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी, पहली बार पैसा सीधा किसान के खाते में पहुंचा है। हमने अपने हाथ के द्वारा उनको चैक दिये हैं। पहले कैश मुआवजा मिलता था और उसमें किसान का पैसा काट कर देते थे। ऐसा पहली बार किया।

चाहे डी ए पी हो, चाहे यूरिया हो, इस सरकार ने 39 करोड़ रुपये खाद के लिए रखकर कि हम पहले ही यूरिया और डी ए पी खरीद कर रखेंगे जिससे किसान को दिक्कत नहीं हो। कृषि विभाग में इस तरह का काम हमारी सरकार ने किया।

शिक्षा विभाग में जितने प्रमोशन, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं थे, हैडमास्टर स्कूलों में नहीं थे। इनकी सरकार ने जाते-जाते स्कूल खोले, जाते-जाते हास्पिटल खोले। जहां पर सब-सेंटर था और सब-सेंटर को सीधा सी एच सी बना दिया। बीच में पी एच सी बनती है, फिर सी एच सी बनती है। जाते-जाते, इनको पता था, इनको ज्ञान था कि आपका राज तो बनना नहीं, अगला तकलीफ पायेगा, या बन भी गया तो असत्य के रास्ते से अपना काम निकाल लेंगे। इन्होंने शिक्षा विभाग में इतने प्रमोशन देकर और पहले ही साल में, वैसे सरकारें आखिरी साल में स्कूल खोलती हैं, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले बजट भाषण में ही प्रत्येक पंचायत में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इसके लिए पांच हजार स्कूल एक साथ खोले, एक ही कलम से। भर्ती के कोर्ट में जितने भी केस थे, उनको वापस लेकर टीचर्स की कमी को पूरा किया जाय। उनका काम भी शिक्षा विभाग में जो किया है, वह भी अपने आप में अद्‌भुत कार्य है।

आज कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य बीमा योजना, मुफ्त दवाई, ये सब काम हमने ही चालू किये। जब दिगम्बर सिंह जी हैल्थ मिनिस्टर थे, यह योजना तभी से चालू हो गई थी और उस योजना में आगे बढाने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद आज जो मुफ्त दवा और बीमा के माध्यम

(श्री धर्मपाल चौधरी)

से, कि आज कोई भी एक्सिडेंट हो जाये उसमें 30 हजार रुपये मिलें और अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो 3 लाख रुपये मिलें, राजस्थान की जनता का भला करने का काम हमारी सरकार ने किया।

आज जिस तरह का वातावरण इस प्रदेश में हो रहा है, इस प्रदेश में तभी तरक्की हो सकती है, हम सब मिलकर अगर साथ चलेंगे और इस देश और प्रदेश का वातावरण अच्छा होगा, तभी इस देश की और प्रदेश की तरक्की हो सकती है। ऐसे प्रधान मंत्री इस हिन्दुस्तान की सरकार में बैठे हैं, केन्द्र की सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने अनेक योजनाएं किसान के लिए चलाई हैं। इस बजट में भी किसान का पूरा ध्यान रखा गया है। ये हमेशा घड़ियाली आंसू के रूप में कि हमने किसान का भला किया, मजदूर का भला किया, लेकिन कहने मात्र से अगर होता तो 44 और 21 सीटें नहीं आतीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के बाद मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर ए डी जे कोर्ट खोलने की मांग बहुत लम्बे समय से की हुई थी। क्योंकि ए डी जे-सेकण्ड किशनगढ़बास में बैठते हैं और जब वे किशनगढ़ बास में बैठते हैं, वहां 90 परसेंट केस मुण्डावर क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र के वासियों को किशनगढ़बास तक बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं माननीय विधि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हाई कोर्ट में अपना पत्र लिखें और हमारे यहां के 900 केस होने के बाद भी किशनगढ़ जाना पडता है। हमारे यहां अगर कोर्ट खुलता है तो सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, सारी बिल्डिंग तैयार है। वही ए डी जे-सेकण्ड अगर किशनगढ़ की बजाय मुण्डावर में बैठ जायें तो उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। अगर निर्माण में, और कोई कमी रही, तो विधायक कोष के माध्यम से उसको कराने का काम हम कर देंगे।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, हमारे यहां गरीबदास जी महाराज हैं, बहुत बड़ा स्थान है, बहुत लोगों की आस्था है, उन्होंने कालेज की बिल्डिंग बना दी और उस कालेज की बिल्डिंग के नीचे उनके पास जमीन है। वे उस कालेज की बिल्डिंग को और जमीन को सरकार के नाम देना चाहते हैं। ऐसे में सरकार का जमीन और बिल्डिंग पर कोई पैसा लगेगा नहीं, और एक धार्मिक स्थान है। वहां पर अगर हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए महिला कालेज हो जाये, तो उससे पूरे क्षेत्र को नीमराना, बहरोड़, बानसूर का आसपास का क्षेत्र हो, सभी को फायदा होगा। क्योंकि बानसूर के बार्डर पर सामदा है।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

इसके बाद मैं एक ही बात कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) हम घोषणाओं की बात नहीं कर रहे। हमने तो मंत्रीजी को एक निवेदन किया है। घोषणाएं तो मंत्रीजी करेंगे, या मुख्य मंत्रीजी करेंगी। आप क्यों चिंतित हो रहे हो? आपको तो करनी नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): उपाध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो दो मिनट बोल दूं?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बाद में बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो अपने पहले वक्तव्य में ही बहुत कुछ बोल गये। अब क्या बाकी रह गया? वैसे एक किसी कोर्ट की तो बानसूर में भी आवश्यकता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हां, आवश्यकता है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: क्योंकि अभी अभिभावक संघ का कार्यक्रम हुआ था, उनका एक प्रतिवेदन आया था, उनको बहरोड़ जाना पड़ता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): वह तो साहब, बार्डर पर है, काम चल जायेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुण्डावर सब-डिविजनल हैडक्वार्टर है, वहां पर बायोलोजी का सब्जेक्ट नहीं है। दो सब्जेक्ट तो खुले हुए हैं। बायोलोजी पूरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। इसका खोलने का काम करेंगे।

मैं जो बजट पेश किया गया है, बजट को पेश करने के लिए मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कौशल रोजगार, डिजिटल राजस्थान, सुशासन, कर्मचारी कल्याण, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह जो बजट पेश किया है, इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और यह बजट जो राजस्थान की जनता को पेश किया है, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में राजस्थान के इतिहास में माननीया मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य को गति दी गई, नवीन योजनाएं बनाकर के और उन पर अमल करते हुए। मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान गांव-गांव में जाकर, ढाणी-ढाणी में घूमकर, प्रदेश की जो स्थिति देखी

(श्री हीरालाल नागर)

थी कि पिछले पांच साल के शासन में जिस तरह से कांग्रेस राज में प्रदेश की हालत की गई, टूटी हुई सड़कें, बिखरा हुआ बिजली का तंत्र, किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति और यह सब देखकर, जब मुख्य मंत्रीजी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गईं, उन्होंने जिस तरह से सुराज संकल्प यात्रा में जो विश्वास दिलाया जनता को और जनता ने भी उन पर अटूट विश्वास किया। उसी की नतीजा रहा कि आज तक के पूरे इतिहास में इस राजस्थान की विधान सभा में हमारी मुख्य मंत्रीजी पर राजस्थान की जनता ने सबसे ज्यादा विश्वास किया और विपक्ष को एक छोटे से अल्प मत में आने का अवसर दिया।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो सुशासन का वादा किया और जो समृद्धि एवं विकास के आधार पर राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया, निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में हमारे बिजली के तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा, हमारी कृषि भी पटरी पर आएगी और सड़क, चिकित्सा और उद्योग के माध्यम से राजस्थान में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से रोजगार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न माध्यमों से करीब छह लाख रोजगार हमारी सरकार ने दो साल में उपलब्ध कराने का एक ऐतिहासिक काम किया है। इस बजट के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण हुआ है, आम जनता के लिए यह राजस्थान के नवनिर्माण का बजट साबित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान के विकास के लिए आर्थिक और आधारभूत ढांचे का विकास बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमारा जो टूटा हुआ सड़क तंत्र है, जो हमें जिस तरह की विरासत में मिला है, जब पिछले पांच साल के शासन में, 2003 से 2008 तक हमारा राज रहा और उस समय हमारा सड़क तंत्र, जब हम पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में हाड़ौती से जाते थे वहां की सड़कें टूटी-फूटी नजर आती थीं और हमारा सड़क तंत्र सुदृढ़ था; लेकिन पिछले पांच साल हमारी सड़कों की हालत जर्जर हो गई और जितने भी चाहे वे स्टेट हाइवे हों, चाहे वे ग्रामीण रोड़ हों, उनका कोई रिनोवेशन नहीं किया गया। उनकी जो गारंटी होती थी, खतम होने के बाद भी उन पर किसी तरह का कोई काम करने का इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। हालत यह हुई कि इस सड़क तंत्र में देश के कई राज्यों से हम पिछड़ गये।

आज हम जब इस बजट के माध्यम से देखते हैं तो माननीया मुख्य

(श्री हीरालाल नागर)

मंत्रीजी ने गांवों की यात्रा के दौरान खस्ता हाल गलियारों की परेशानी को देखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हमारे गांव में जिस तरह से कीचड़ की स्थिति रहती है, जिस तरह की दुर्दशा रहती है, ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण हो और हमारे गांव भी शहरों की तर्ज पर एक बेहतर गांव बन सकें, वहां भी नालियों के साथ अच्छे गौरव पथ हों। इस ओर निश्चित रूप से हमने सराहनीय कदम बढ़ाते हुए प्रथम चरण में 1,984 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1,027 करोड़ की लागत से 1,955 किलोमीटर लम्बे एक-एक ग्रामीण गौरव पथ का कार्य 2016 तक पूर्ण करने का एक ऐतिहासिक काम किया है। आज गांव में गौरव पथ के माध्यम से आम जन को राहत, यों कीचड़ और गंदगी से मुक्ति मिली है। साथ ही 608 करोड़ की लागत से 2,182 किलोमीटर की लम्बाई और 1,009 मिसिंग लिंक सड़क के माध्यम से आगामी वर्षों में भी यह पूरा किया जाएगा। तो निश्चित रूप से द्वितीय चरण में दो हजार गांवों के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक सड़कों के माध्यम से इस आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का काम इस बजट के माध्यम से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 250 से 350 की आबादी की 1,468 बसावटों को 1,618 करोड़ 64 लाख की लागत से 4,303 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को जोड़ने का कार्य किया जाना जो प्रस्तावित है, उससे आम जनता को सुगम रास्ते मिलेंगे। वर्तमान में कराए जा रहे 702 किलोमीटर लम्बाई की नान-पैचेबल मुख्य सड़कों का, अन्य जिला और ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण करके, नवीनीकरण का कार्य तथा 99 पुलियाओं का निर्माण करके और 605 करोड़ की लागत से आगामी वर्षों में पूर्ण किया जा सकेगा। साथ ही, 2016-17 में 2,500 किलोमीटर लम्बाई से भी अधिक की अन्य नान-पैचेबल सड़कों का नवीनीकरण का कार्य भी 600 करोड़ की लागत से कराने का जो प्रावधान किया है, निश्चित रूप से यह भी एक सराहनीय काम है। जिस तरह की हमारी सड़कों की जो दुर्दशा है, उस पर आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि यह राजस्थान निश्चित रूप से एक सुदृढ़ राजस्थान की ओर अग्रसित है।

इसी के साथ-साथ जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थलों, चाहे वह गोवर्धन जी की चौरासी कोस की परिक्रमा हो, या हमारे रामदेवरा हो, वहां पर भी 100 करोड़ की लागत से ब्रज चौरासी में परिक्रमा को सुदृढ़ करने का काम

(श्री हीरालाल नागर)

और रामदेवरा में 14 करोड़ की लागत से प्रावधान किया है। हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों पर। हमारे यहां आने वाले यात्रियों को सुगम यात्रा के साथ-साथ, वहां के जो पद यात्री हैं उनको लाभ मिल सके, इस ओर हमारी सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। निश्चित रूप से मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

राजस्थान में केन्द्र सरकार के माध्यम से जिस तरह से हमारी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इन राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी और आने वाले समय में एक-दूसरे प्रदेश से जोड़ने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित होंगे, उनसे निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ने का काम करेगा।

इसके साथ ही, हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, जहां पर भी राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हो जाती थी और पुराने शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग जहां से गुजरते थे, उन सड़कों को छोड़ दिया जाता था, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए तीन सौ करोड़ का प्रावधान रखा है । निश्चित रूप से उस प्रावधान के माध्यम से उन शहरों में जो नेशनल हाइवे बनने के बाद उन सड़कों की दुर्दशा रहती थी, यह तीन सौ करोड़ के माध्यम से उन कस्बों की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से हमारे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसके लिए भी मैं सराहना करता हूं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का आगामी वर्ष में 5,690 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो हमारे 2015-16 के संशोधित अनुमान से 21.90 प्रतिशत अधिक है, जो मुख्य मंत्रीजी का स्वागत योग्य कदम है; जन हित में सराहनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास हेतु जो बजट पेश किया है, यह हमारी ग्रामीण सड़क तंत्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से बनाया गया है और प्रदेश की जनता ने सराहना भी की है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जो मेरा सांगोद विधान सभा क्षेत्र है, उसमें डोटी से चारचौमा महादेव जी का एक बड़ा मंदिर है, पुरातत्व का स्थान है और ये सीमल्या दीगोद को जोड़ते हुए है। इसकी दुर्दशा ऐसी है कि यह पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में वहां से सार्वजनिक निर्माण मंत्री के होते हुए भी उस पर कहीं पर एक पैचिंग भी नहीं किया गया। पूरी सड़क उधड़ी हुई है। मैं सरकार से,

(श्री हीरालाल नागर)

मंत्रीजी से और मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उस सड़क का भी आने वाले समय में सुदृढ़ीकरण करके, सी आर एफ के माध्यम से, या नान-पैचेबल सड़क के माध्यम से उसको शामिल किया जाए, तो इस विधान सभा क्षेत्र के लिए एक मुख्य मार्ग है जिसकी दुर्दशा सुधारी जा सकेगी।

इसी के साथ, मेरे बालाजी की थाक, अड़ूसा की भी स्थिति इसी तरह की है कि नान-पैचेबल सड़क में वह आ चुका है। उसको भी बजट की आवश्यकता है। मैं इस माध्यम से मेरी मांग यहां रखता हूं, क्षेत्र के लोगों के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस बजट के बाद सड़कों की स्थिति सुधरेगी; आने वाले समय में राजस्थान में निश्चित करवट लेगा।

पेयजल की हमारी स्थिति है, देश में राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से दस प्रतिशत भू-भाग हमारे पास है और मात्र 1.06 प्रतिशत पानी हमारे पास उपलब्ध है। इन भीषण परिस्थितियों के मद्देनजर भी गांवों में पेयजल की बहुत कमी है और फ्लोराइड होने के कारण हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है; जो पानी उपलब्ध है, वह भी फ्लोराइड-युक्त है; डार्क जोन है। उसके कारण से आज पेयजल और खेती के लिए राजस्थान में पानी की कमी है। उसमें सुधार की आवश्यकता के लिए हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किये हैं। सरकार ने प्रथम दो वर्षों में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया है, जबकि कांग्रेस के शासन की तुलना की जाए तो उनके समय दो वर्ष में मात्र 3,785 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। इस आकलन से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेने के साथ-साथ, कांग्रेस से हमें विरासत में जो परियोजना मिली थी उनको भी हमने पूरा किया है। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी मुख्य मंत्रीजी के समय जो योजनाएं पिछले कार्यकाल में जारी रही थीं, उन पर कांग्रेस शासन आते ही कैंची चला दी गई थी। उन परियोजनाओं को बजट देने में कंजूसी बरती गई। हमारी मुख्य मंत्री ने एक सराहनीय काम किया है कि हम भेदभाव से कोई काम नहीं करते हैं।

आने वाले समय में प्रदेश में लगभग 1 लाख 20 हजार से भी अधिक गांव और ढाणियों में से 68 हजार 99 ढाणियों में पूर्ण रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। मुख्य मंत्रीजी महोदया ने 2016-17 में 2 हजार अन्य हैबिटेशन और 18 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का

(श्री हीरालाल नागर)

प्रावधान किया है। साथ ही मुख्य मंत्री महोदय ने दो वर्षों में 24 वृहत् पेयजल सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए भी इस बजट में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कार्य किया है। 2016-17 में वृहत् परियोजनाओं के लिए भी 2 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे 17 लम्बित परियोजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध कराते हुए पूर्ण कराने की घोषणा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने 2 हजार 950 करोड़ का प्रावधान, प्रदेश की योजनाओं को शामिल करने की घोषणा की है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पेयजल की भीषण स्थिति है। एक तरफ फ्लोराइड-युक्त पानी है और दूसरी तरफ डार्क जोन है। ट्यूबवेल एक-एक हजार तक के ड्राई हो चुके हैं। कालीसिंध, परवन और चम्बल जैसी तीन-तीन नदियां उजाड़ जैसी नदियां वहां से बहकर जाती हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन कांग्रेस ने इतने लम्बे समय राज में रहने के बाद भी कभी यह प्रयास नहीं किया। एक भी योजना उस विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की ऐसी नहीं है जिससे इस ओर कदम उठाया गया हो। अभी हाल ही में हमारी सरकार बनने के बाद उन एनिकटों का सर्वे करवाया गया है और वहां पर पर्याप्त जल उपलब्ध है। इसमें एक ब्रह्म एनिकट से 46 गांवों को, नालोदी एनिकट से 63 गांवों को और हरिपुरा माझी एनिकट से 176 गांवों को पेयजल से जोड़ा जा सकता है। इन योजनाओं पर सर्वे के लिए हमारी सरकार ने बजट दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और पी एच ई डी मंत्रीजी के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन पेयजल योजनाओं को शामिल करके, हाड़ौती को पेयजल संकट से उबारने का काम, इस विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ पीपल्दा क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ है, इससे लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन योजनाओं के माध्यम से हम आज जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह सोलर पम्प के माध्यम से हो, चाहे आर.ओ. के माध्यम से कर रहे हों, लेकिन वृहत् परियोजनाओं के माध्यम से लागू करेंगे तो दीर्घकालीन लाभ इस विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा के क्षेत्र में.....

श्री उपाध्यक्ष: आप कनक्लूड करें।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण विद्युत कम्पनियों पर लगभग 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्जा हो गया। डिस्काम्स भारी संकट में है। उस संकट से उबारने के लिए बजट में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बात का ध्यान रखते हुए लगभग 40 हजार रुपये का बजट, 90 हजार करोड़ का था, 90 हजार में से 40 हजार करोड़ का घाटा सरकार ने वहन करने का, उसका ब्याज वहन करने का जो निर्णय लिया, निश्चित रूप से यह राजस्थान की जनता के लिए सराहनीय कदम है।

किसानों के लिए 40 हजार नवीन कनेक्शन देने की घोषणा की है। आने वाले समय में किसानों को इस बिजली के माध्यम से, हमारी कृषि को बढ़ाने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत दो वर्ष में 765 केवी के 2 तथा 400 केवी का एक और 220 केवी के 17 और 132 केवी के 33 और 33 केवी के 646 जी एस एस स्थापित किये गये थे। इससे कई क्षेत्रों में निर्बाध एवं बिना किसी रुकावट के बिजली मिली है। आगामी वर्षों में भी 220 केवी के 6, 132 केवी के 16, 33 केवी के 200 जी एस एस स्थापित करने की घोषणा की है। किसानों को बिना रिकार्ड बिजली देने का प्रयास किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से आग्रह है, इसके अलावा भी आज ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के खेतों में बिजली के तार निकल रहे हैं, उसके सुदृढ़ीकरण का काम हमारी सरकार ने हाथ में लिया है परन्तु इस काम में और प्रगति की अभी आवश्यकता है। कई बार तो ऐसे हादसे होते हैं कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है, उन झूलते तारों के माध्यम से जब हवा चलती है, स्पार्किंग होती है। किसान की खड़ी हुई गेहूं की फसल स्पार्किंग से जल जाती है। जलने के बाद विद्युत निगम में इस तरह के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं होने से किसान खड़ी फसल के जलने के बाद बरबाद होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि इसमें बीमे की प्रक्रिया के माध्यम से, या फिर विद्युत निगम इसको मुआवजे के माध्यम से, जिन किसानों की फसल जलकर नष्ट होती है, उनको मुआवजे का प्रावधान करें, ताकि किसान को बचाया जा सके। ऐसे कई हादसे हमारे हाड़ौती क्षेत्र में अधिकतर होते हैं। जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है और स्पार्किंग होती है तो खड़ी फसल जलकर नष्ट हो जाती है। इसमें राहत प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी करें तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

इसी के साथ, सिंचाई के क्षेत्र में भी आज राजस्थान में....

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानीय सदस्य, आसन कुछ कह रहा है, वह आपको सुनाई दे रहा है?

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): बस थोड़ा, माननीय, किसानों की समस्या का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई के क्षेत्र में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह की बड़ी घोषणा करके, हाड़ौती क्षेत्र की परवन नदी पर अकावद डैम है उसके माध्यम से एक बड़ी परियोजना, 4,824 करोड़ रुपये की घोषणा की है। उसके माध्यम से चाहे वह बारां जिला हो, झालावाड़ जिला हो, या कोटा जिले का हमारा विधान सभा क्षेत्र हो, सभी किसानों में इतना उत्साह है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने 2003 से 2008 के कार्यकाल के दौरान उस परियोजना का एक सपना देखा था, हमारी मुख्य मंत्रीजी जब लोक सभा में प्रतिनिधित्व झालावाड से करती थी उस समय भी उनके मन में एक सपना था कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के लोगों को, परवन का पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है, उसकी डी पी आर तैयार करवाने के लिए जब भी उनको मौका मिला, मुख्य मंत्री बनते ही उन्होंने निर्देश दिये और उन निर्देश के बाद वह डी पी आर बनी। परन्तु कांग्रेस के शासन में, डी.पी.आर. को पिछले शासन के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया। क्योंकि अगर स्वीकृत करते तो उसका श्रेय हमारी मुख्य मंत्रीजी को जाता। इस कारण से जहां वह 2,000 करोड़ की परियोजना थी, आज वह 4,824 करोड़ की परियोजना हो चुकी है। इसके बाद स्वीकृत तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह की घोषणाएं पिछले कांग्रेस शासन ने जाते-जाते कीं, उसमें भी इस परियोजना का शिलान्यास करने का काम इनके उपाध्यक्ष राहुलजी ने वहां आकर के एकावद में कर दिया। लेकिन उसका कोई बजट प्रावधान नहीं। स्वीकृतियों में कई तरह की अड़चनें थीं। हमारी मुख्य मंत्री ने पुन: शासन में आने के बाद उन सब अड़चनों को दूर किया और 4,824 करोड़ की योजना को घोषित करके 700 करोड़ का बजट इसी बजट प्रावधान के माध्यम से जो किया है, मैं हाड़ौती के कोटा, झालावाड़ और बारां जिले के किसानों के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपने जो काम किया है, आज वहां किसानों के घरों में इतनी खुशी है कि वह समा नहीं रही हैं। वहां की मीडिया के माध्यम से किसान इसको प्रकट आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह निश्चित रूप से हाड़ौती के लिए एक बड़ी परियोजना है, जिसकी आज मुख्य मंत्रीजी ने बजट के माध्यम से यहां इस सदन में घोषणा की थी।

(श्री हीरालाल नागर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो इस बजट में...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कितने विभाग बाकी हैं?

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): चिकित्सा है, कृषि है। माननीय, थोड़ा आप आदेश दें। उद्योग भी है। रिसर्जेंट जैसा बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप एक काम करें, दो मिनट में इसको सम-अप कर दें। दो मिनट में कर दें। आप तकरीबन 20 मिनट से ऊपर बोल चुके हैं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): ठीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे और आगे बोलने का मौका दिया।

चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह का हमारी सरकार ने ने स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से जो प्रयास किया है, और प्राइवेट हास्पिटल्स में भी जो हमारा आम गरीब मरीज था, वह भी सपने देखता था। जिस तरह की बीमारियां हमारे आज की तारीख में प्रचलित हैं, चाहे हार्ट-अटैक हो, चाहे अन्य गम्भीर बीमारियां हों, जब भी वह प्राइवेट हास्पिटल में जाता था, सरकारी हास्पिटल में सुविधा नहीं है, उस मरीज को वहां जाने के बाद चाहे एक लाख रुपये का खर्चा हो, दो लाख रुपये का खर्चा हो, चाहे उसको घर के जेवर बेचने पड़ें, लेकिन तुरन्त वह राशि एकत्रित करके, जब अपना आपरेशन कराता था, उसके बाद वह ठीक तो हो जाता था, लेकिन वह जीवन भर के लिए कर्जदार हो जाता था। आज हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से, जिस तरह से प्राइवेट हास्पिटल्स को इस भामाशाह कार्ड से जोड़ते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, निश्चित रूप से आज जितने आपरेशन सफलतापूर्वक उसके हों, करके जो लाभ मिल रहा है, निश्चित रूप से आज हमारी आम जनता में एक भरोसा जगा है कि आज जनता की जिस तरह की, गरीब व्यक्ति की सुध लेने वाली योजना लागू की है।

इसी के साथ-साथ लेबर कार्ड के लिए जिस तरह से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किये हैं, चाहे नरेगा के कर्मी हों, चाहे निर्माण के श्रमिक हों, लेबर कार्ड के माध्यम से, जो एक बड़ी योजना है, उनको इतने लाभ मिले हैं कि निश्चित रूप से वे बी.पी.एल. के लाभ से भी ज्यादा हैं और उनका लाभ निश्चित रूप से आज गांव-गांव में लेबर कार्ड के माध्यम से हमारे लोगों को मिल रहा है।

इसी के साथ-साथ, कृषि के क्षेत्र में भी आज हम कहें, तो हमारे

(श्री हीरालाल नागर)

प्रतिपक्ष में बैठे हुए सदस्य बार-बार आरोप लगाते हैं कि ओलावृष्टि हुई, मुआवजा नहीं मिला, लेकिन ओलावृष्टि के बाद पहली बार, तिगुना मुआवजा, ओलावृष्टि होने के बाद प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। जहां 50 प्रतिशत था, उसको 33 प्रतिशत लाया गया। 33 प्रतिशत के साथ, जहां एक हेक्टेयर पर मुआवजा मिलता था, वह दो हेक्टेयर किया गया। प्रावधानों को चेंज करके पिछली डेट से लागू करके तिगुना मुआवजा देने का काम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है। यह ऐतिहासिक कदम है। इसके बारे में लोगों में, किसानों में, जो निश्चित रूप से सराहनीय काम है, आज यह किन्हीं दो-चार लोगों को कोई त्रुटिवश मुआवजा नहीं मिला, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य, उसी रट की लगाते रहते हैं। इनको पचता नहीं है कि इतना बड़ा मुआवजा, जो 60 साल में भी नहीं मिला, वह हमने करिश्मा करके दिखा दिया। तो निश्चित रूप से आज किसानों में सरकार के प्रति जो एक भावना है, और उसके साथ-साथ जिस तरह से पहले हमारे किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिलती थी, फसल बीमा में भी एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, उसमें प्रावधान किया गया है। नई फसल बीमा की जो नीति लागू की है, उसका भी लाभ आने वाले समय में हमारे प्रदेश के किसानों को मिलेगा।

मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट 2016-17 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट महिला, किसान, युवा, व्यापारी एवं राजस्थान की 7 करोड़ जनता के चरणों में समर्पित बजट है। मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा एवं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहूंगा कि 8 मार्च, उनके जन्म दिन के दिन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश की 36 की 36 कौमों को इस बजट में कुछ न कुछ फायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। आज पूरे राजस्थान में हर वर्ग में, हर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुख्य मंत्रीजी को बधाइयां मिल रही हैं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद, इस देश में मजबूत विकास की गति भारत के पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की सोच थी। उनका एक विजन था कि हिन्दुस्तान विश्व में कैसे आगे बढ़े। पहला उनका विजन यह था कि ऐसा सड़क तंत्र बिछाया जाये कि इस देश का विकास हो। आज भी गांव की चौपाल पर किसी को पूछा जाए कि सड़क कौन लाया, तो गांव के बुजुर्ग, युवा, बहुत ऊंची आवाज में और गर्व के साथ कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयीजी इस गांव में सड़क लेकर आये। साथ में कुछ पश्चाताप भी करते हैं कि यदि अटल बिहारी वाजपेयीजी को एक मौका और मिलता तो इस हिन्दुस्तान में और राजस्थान के किसानों के खेत तक नदियां जोड़कर खेत और खलिहान तक वे पानी पहुंचाते, आज यहां का किसान खुशहाल होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबको बहुत शांति से सुनता हूं। बार-बार प्रतिपक्ष के लोग किसान की बात उठाते हैं, मजदूर की बात उठाते हैं, लेकिन उनको गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि 50 साल तक वोट बैंक की राजनीति पर चल गये हो, अब राजस्थान की जनता बहुत जागरूक हो गई है। राजस्थान में भी दिखाया है और हिन्दुस्तान में भी दिखाया है। इसलिए मैं प्रतिपक्ष की थोड़ी पुरानी याददाश्त ताजा करना चाहूंगा।

इसी तरह राजस्थान में भी सबसे पहले यदि कोई मजबूत विकास की नींव रखी है तो स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने, जब 1977 में वे पहली बार मुख्य मंत्री बने। आज भी गांव का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति भैरोंसिंहजी शेखावत को याद करता है कि उन्होंने पंचायत हैडक्वार्टर तक पक्की सड़क ले जाने का निर्णय किया था, बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें वितरित की थीं। बारानी जमीन का लगान माफ किया था; अंत्योदय योजना लागू की थी और काम-के-बदले-अनाज योजना लागू की थी। आज प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने अनाज से भण्डार भर रखे थे, पर जब मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने शपथ ली, तो उन भण्डारों से अनाज को ट्रकों में भर-भर कर राजस्थान के कोने-कोने में, गांव-गांव में पहुंचाया और काम-के-बदले-अनाज योजना चालू की।

मैं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2003 में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा, 27 अप्रैल, 2003 को मेरे विधान सभा क्षेत्र चारभुजानाथ के दरबार से परिवर्तन यात्रा प्रारम्भ हुई थी। उस समय यह जो प्रतिपक्ष में विराजमान माननीय

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

(15.00 बजे)

सदस्य हैं, इनके नेता यहां 156 माननीय सदस्यों के साथ राज्य में सरकार चला रहे थे। जब परिवर्तन यात्रा निकली थी, डोटासरा साहब, तो यहां राजस्थान के सदन में आपको 156 का जो अभिमान था, राजस्थान की जनता देख रही थी, आपके मन में यह था कि हम 56 उड़ेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता होशियार है, पीछे का एक उड़ा दिया, आप 56 पर आ गये। राजस्थान में छह महीने तक यह सुराज परिवर्तन रथ को देखते रहे। इन्होंने देखा कि वसुन्धराजी दिल्ली से आई हैं। ऐसी गर्मी में गांव-गांव में घूमेंगी नहीं, महीने दो-महीने गर्मी में घूम कर दिल्ली चली जाएंगी, लेकिन वसुन्धराजी भी संकल्प लेकर आई थीं कि आपका यह 153 का गुमान तोड़कर रहूंगी और यह आपके सामने है, आपको यह महसूस हो रहा है कि आपका उस समय ही ग्राफ गिरना प्रारम्भ हो गया।

यहां पर कई बड़ी-बड़ी बातें हुईं। हम बता रहे हैं कि भैरोंसिंहजी ने ये काम किये, अटलजी ने यह काम किये। अच्छा होता, आप प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, इस राजस्थान में 50 साल में आपके कई सदन के नेता रहे हैं, कोई ऐसे महत्वपूर्ण एक-दो नारे बता दें, जो आज दिन तक चल रहे हों? हां, एक नारा मुझे जरूर याद है, आपके सदन के नेता जब गहलोत साहब थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ'। अच्छा नारा था। सुनो आप, आगे क्या हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं कि नारा अच्छा नहीं था। गहलोत साहब अच्छे हैं, सज्जन हैं, उन्होंने भी विकास किया होगा। मैं कोई आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं किसी माननीय सदस्य की आलोचना करने के लिए भी खड़ा नहीं हुआ हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): Good.

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): मैं आपके बीच में थोड़ी आपकी याददाश्त और दिलाना चाहता हूं। आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको अभी तक पता ही नहीं, 50 साल बाद भी अब ये ऐसे ही चल रहे हैं। 'पानी बचाओ', इस नारे का छह महीने बाद यह हश्र हुआ, आदरणीय तिवाड़ी साहब, गांवों में लोग कहने लगे कि ... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): तिवाड़ीजी से पूछ रहे हो?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): इनकी सरकार आती है तो ये इन्द्र देव का यज्ञ करते हैं कि राजस्थान में अकाल हो और हम अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दें, और गांव में बैठा हुआ जो हमारा वोट देने वाला ठेकेदार है, वह अकाल में आनंद ले। यहां पर कई बार प्रतिपक्ष के नेता जब खड़े होते हैं, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे कुछ भी हो, तो वे जोर से बोलते हैं कि हमने अकाल राहत कार्य चलाए, अकाल राहत कार्य चलाए। इनको आज भी अकाल राहत में विश्वास है। आपको पता नहीं, अब सदन की नेता ऐसी आ गयी हैं जिनका बहुत बड़ा विजन है। अब तो लोगों को अकाल से बाहर निकलने दो; आप गांवों में विकास होने दो।

'बिजली बचाओ' का नारा था, 'बिजली बचाओ' के नारे पर किसानों को चार घंटे बिजली दी, थ्री-फेज बिजली दस से बारह घंटे दी। होशियार थे गहलोत साहब, उन्होंने बिजली की कटौती करके बिजली बचाई।

और तीसरा नारा था- 'सबको पढ़ाओ'। आठवीं का बोर्ड समाप्त कर, जनता को कह दिया कि चिंता मत करो, कोई मत पढ़ो, कोई स्कूल में अध्यापक की जरूरत नहीं है, चाहे स्कूलों में ताले लगने दो, तुम्हारे बालक-बालिकाएं फेल नहीं होंगे। सबको पढ़ा दिया राजस्थान में। इनकी ऐसी दुर्गति हुई और इनकी गलतफहमी, जब 2003 में चुनाव हुआ और हम 120 आये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह दुर्गति करने में आप शरीर का जोर मत लगा देना, वरना बचेगा भी कुछ नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): क्या हुआ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कहा न कि कांग्रेस की दुर्गति की। इस शरीर का ध्यान रखना, इसका जोर मत लगा देना। नहीं तो हमारा क्या होगा? बताओ

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): नहीं, नहीं, आप चिंता मत करो, डोटासरा साहब। आप थोड़ा शांति से सुनो। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आलोचना भी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपके लिए, थोड़ा हित में बोल रहा हूं कि आप भी कभी हाईकमान में जाओ तो कुछ वहां पर कार-सेवा कर आओ, तो कोई बीच में होगा तो वह हट जाएगा।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ये इसी में लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भी मुख्य सचेतक के रहते बोल नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीया उपाध्यक्ष महोदय, 2003 में जब वसुन्धराजी राजे ने मुख्य मंत्री की शपथ ली, राजस्थान विकास की ओर आगे बढ़ा। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 2003 से 2008 तक का कार्यकाल इस राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, कि वास्तव में राजस्थान में विकास हुआ है।

यह ही नहीं, 2008 में वह छोटी-मोटी गलती हमारी थी। आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। मैं यही आपकी गलतफहमी निकालने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। 2008 में कोई आपकी उपलब्धियों से नहीं आये हो, वह हमने कुछ गलती कर दी, वह विकास में नहीं, हमारे कुछ आपस, परिवार का मामला था। फिर भी आपको याद है कि आप 95 आये थे और हमारे 78 से 80 माननीया सदस्य आए थे। माननीया सदस्यगण, यदि आप 10 कम होते तो आप 85 पर होते और हम 90 पर होते और उस समय भी वसुन्धराजी फिर शपथ ले लेतीं तो आज जो राजस्थान के हालात आपने पैदा किये न, वह जनता को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। जनता का भी दुर्भाग्य था, हमारी पार्टी का भी दुर्भाग्य था कि आपको बिना मेहनत किए फ्री में राज मिल गया।

जब आपका राज चल रहा था, 4 साल तक, माननीया उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया और आप भी उसके गवाह हैं चारभुजा के। फिर 4 अप्रैल, 2013 को सुराज संकल्प यात्रा चारभुजा दरबार से प्रारंभ हुई थी। यहां पर विराजमान सभी माननीया सदस्य उसके गवाह हैं। पांच लाख लोग जब चारभुजा में पहंचे तब गहलोत साहब ने टी.वी. पर देख कर कहा कि वास्तव में हम क्या फिर जा रहे हैं? उस 4 अप्रैल के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार के आदेश निकलवाओ, रथ राजसमंद जिले से बाहर नहीं निकला था और पेंशन के लिए कैम्प लगाने के आदेश हो गये, उपखंड अधिकारी को निर्देश मिल गये कि सब जगह पर कैम्प लगाओ, चाहे उम्र 45 हो या 50 हो, सरपंच से सर्टिफिकेट ले लो और पेंशन बाटना शुरू कर दो।

आपने पेंशन बांटी, कम्बल बांटे, साड़ियां बांटीं, बल्ब बांटे, रोकड़ पैसा बांटे और उस छह महीने में, जब तक वह रथ चलता रहा, राज धर्म तोड़कर इस जनता के खजाने से 40 हजार करोड़ रुपया आपने बरबाद कर दिया। जब यह सुराज संकल्प रथ चल रहा था, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप यहां पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

विराजमान हैं, जब यह रथ मेवाड़ से बाहर निकला था तो फिर मैं जनता को धन्यवाद देने गया था। मैंने देखा कि कैम्प लग रहे थे, जनता धड़ाके से फार्म भर रही थी, पैसा उठा रही थी। मैंने कहा कि क्या करोगे? उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो, हम मेवाड़ के लोग हैं, यह राजस्थान की जनता स्वाभिमानी है। यह पैसा यदि हम नहीं लेंगे तो जो कांग्रेस के गांवों में ठेकेदार बैठे हुए हैं, यह पैसा वे खा जाएंगे। इसलिए सरकार के खजाने का रुपया हम लेंगे और इस सरकार को ऐसा सबक देंगे कि ये जिंदगी में कभी वापस राजस्थान में सरकार में नहीं आएंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): तालियां तो बजाओ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): और हालत आपके सामने है। हालात आपके सामने हैं। मीणा साहब, सुनो आप, हम 163 और आप 21 पर आये हैं। आपके कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता उस समय दिल्ली में मंत्री हुआ करते थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने यहां मुझे कहा था कि सुरेन्द्र सिंहजी, अब सरकार की तैयारी करो, हमारे सदस्य टैम्पू में बैठकर आएंगे। यह तो अच्छा रहा कि यहां कोई मेटाडोर आ गयी आपके। उन्होंने तो मेरे को उदयपुर में कहा था कि हमारी सदस्यों की संख्या एक टैम्पू पर बैठकर आएगी, टैम्पू पर। यह गलती से आप 21 आ गये हों।

इसीलिए आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप गम्भीरता से मंथन करें और मंथन करने के बाद गम्भीर विचार करें। अच्छी बात है, आप सदन में अपनी बात रखते हैं; हम सब सदस्यों के अधिकार हैं, हम अपनी-अपनी बात रखते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी विभागों का पैसा बढ़ाया है। मैं हर विभाग के आंकड़े नहीं देना चाहूंगा, वरना फिर आप वापस आसन से पुकारेंगे कितने विभाग बाकी रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि आसन को यह तकलीफ उठानी पड़े। मैं आपके चेहरे को देखकर ही बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने एक नारा दिया था, सुराज संकल्प यात्रा में गाना चलता था 'आओ साथ चले'। आप लोग उस समय हंसते थे। 'सबका-साथ-सबका-विकास' और 'जय-जय-राजस्थान'; हुआ कि नहीं हुआ 'जय जय राजस्थान'? क्या और बाकी है? 21 से और नीचे जाना है तो 18 पर आ जाओगे।

इसी तरह सरकार ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

योजना, मुख्य मंत्री राजश्री योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी हैं जो सीधी जनता से जुड़ी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब 27 जनवरी को यह मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ हो रही थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी 49 गांव इसके पहले चरण में आये हैं, मैंने सब गांवों में दौरा किया। जो अभी चुनाव जीतकर धन्यवाद देने गया था न, उससे ज्यादा स्वागत हुआ। जनता ने कहा कि यह सरकार का कार्यक्रम नहीं है, हम तन-मन-धन से इसमें लगेंगे और यह जनता का कार्यक्रम है। यह पहली योजना ऐसी है, हमेशा सरकार चलाती आयी हैं, लेकिन जिस योजना से यदि जनता जुड़ जाए तो उस योजना को सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

'न्याय-आपके-द्वार' अभियान चलाया, 21 लाख मुकदमों का निस्तारण हुआ। माननीया संसदीय कार्य मंत्रीजी, उसके लिए तो मुख्य मंत्रीजी और पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसमें तह तक जाने की जरूरत है कि 40 साल तक इस राजस्थान के गांवों में परिवारों को किसने लड़ाया। भला हो मुख्य मंत्रीजी का, उन्होंने अभियान चलाकर परिवारों के विवाद समाप्त कराये, परिवारों को एकजुट किया। 25-25 साल से भाई आपस में बोलते नहीं थे, वे इस अभियान के बाद एक जगह बैठे हैं। पीड़ा आपको उनकी है। आपको चिन्ता यह है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को और वर्तमान में गृह मंत्रीजी, जो उस समय पंचायती राज मंत्री थे, जब पंचायतों के चुनाव का एलान हो रहा था, तब एक अधिसूचना आयी थी कि पंचायत चुनाव में शिक्षा लागू की जाएगी। क्या आप लोगों ने उस समय हल्ला मचाया। विधान सभा में पिट गये। लोक सभा में पिट गये। उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था, मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, उनको मैंने पूछा कि आप गांवों में जाते नहीं हों। हम रोजाना किसी के शोक होता है तो वहां बैठने जाते हैं, विवाह समारोह में जाते हैं; महीने में बीस दिन गांवों में घूमते हैं। फिर भी आप वोट कैसे लाते हो? उन्होंने कहा, आप सौ वोटर्स के पास जाते हो और हम कांग्रेस वाले सौ वोटर्स के पास नहीं, सौ वोटों को, जो एक ठेकेदार होता है गांव में, हम उससे वोट लेते हैं और चुनाव में जीतकर आ जाते हैं। आपको पीड़ा यह है। मैं आदरणीय कटारिया साहब, उस समय पंचायती राज मंत्री थे,

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

मुख्य मंत्रीजी और कटारिया साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अधिसूचना जारी कर 70 प्रतिशत उन ठेकेदारों को पंचायती राज में घुसने से रोक दिया और आज 65 प्रतिशत युवा इन पंचायती राज संस्थाओं में आगे आकर मुख्य मंत्रीजी के विजन को पूरा करने में लगे हुए हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इस बजट में उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र का पूरा ख्याल रखा। आप भी यदि मेवाड़ का ध्यान रखते, तो आपके यहां आज दो सदस्य ही नहीं होते। वह तो अच्छा हुआ, मालवीय साहब कैबिनेट मंत्री थे, वे खुद को बचाने में लग गये। मेवाड़ में क्या दौड़ें। वे भी मित्र हैं मेरे। (व्यवधान) उन मित्र का नाम अलग है। वह अलग मिलना आप मेरे से। मैं बता दूंगा। बजट में तो सब कुछ है, आपने पढ़ा है। और आंकड़े आपको अभी पढ़ने हों, तो अभी मेरे मित्र अभिषेक जी ने सब बता दिये। वे आंकड़े आप निकलवाकर देख लें। सब यदि आंकड़ों में उलझ जाएंगे तो फिर आपकी याददाश्त कौन करायेगा?

मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान में देवस्थान के 12 मंदिरों को लिया है। इनमें से चार मंदिर मेवाड़ क्षेत्र के हैं और दो मंदिर मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं। वही चारभुजा जी का मंदिर, जहां से दोनों यात्राएं प्रारम्भ हुईं और आपका सफाया हुआ, और उसी के पास में भगवान रूपनारायण जी का मंदिर है, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर और मातृकुण्डिया को इसमें जोड़ा गया है। मेवाड़ को पहली बार, वसुन्धरा जी के आने के बाद, पहले वाला कार्यकाल हो, चाहे यह कार्यकाल हो, चाहे भैरोंसिंह जी का कार्यकाल हो, हमेशा मेवाड़ को तवज्जोह दी गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी के विजन का एक उदाहरण देकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। आपका क्या विजन है, क्या आपकी नीति है, क्या सोच है। मैं जब पहली बार इस विधान सभा का 1993 में सदस्य बना था, और जब चुनाव जीतकर आया था और क्षेत्र में घूमने गया था, केलवाड़ा के अन्दर 20 पंचायतों में एक भी सड़क नहीं थी। मैंने लोगों को कहा, आपकी सड़क बनवाऊंगा। लोगों ने कहा, सड़क नहीं बनानी, साहब। पहले वाले सब नेता कहते थे कि सड़क बनाओगे, तो आबकारी और पुलिस की गाड़ी आ जाएगी। इस क्षेत्र के महू और गुड़ का क्या करोगे? आप तो उनकी शराब निकालो और आराम से पिओ। रास्ता है नहीं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सुना है, टेण्डर हुए हैं न।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): आप सुनते रहो, वह तो। लेकिन वह तो भैरोंसिंहजी की मेहरबानी थी, पांच साल में सड़कों का जाल बिछाया था और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि चिन्ता मत करो आबकारी की और पुलिस की गाड़ी से, आप विकास से जुड़ो। एक तरफ वसुन्धरा जी की सोच है कि छोटे-छोटे गांवों में गौरवपथ बनाकर उन गांवों का गौरव बढ़ाऊं। यह सोच बता रहा हूं मैं आपको, आपके नेताओं की क्या सोच थी और हमारी नेता की यह सोच है कि गांव में भी 50-50 लाख की सी.सी. रोड बनाकर पंचायतों में गौरव पथ बनाये हैं। इससे गांव का गौरव बढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वह आज नहीं कि मैं इसी बजट में मांग रहा हूं। कुछ प्रमुख हैं, वे धीरे-धीरे कुछ इस बजट में मिलेंगी, कुछ इस बजट में मिला है, कुछ पहले भी मिला है, कुछ अगले बजट में मिलेगा, कुछ पांचवें बजट में मिलेगा, लेकिन हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी क्षेत्र की समस्याएं हैं, सरकार उनका निस्तारण करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस केलवाड़ा की मैं चर्चा कर रहा था, उस केलवाड़ा में उपखण्ड होते हुए, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप बिराजमान हैं, सरकार-आपके-द्वार, आप उस पंचायत समिति के प्रभारी भी थे, विशेष तौर से आपसे निवेदन करूंगा और मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि केलवाड़ा में कॉलेज खोलने की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह पंचायत समिति, जिनके उच्च शिक्षा मंत्रीजी प्रभारी थे न, वह तो निहाल हो गयी?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): वह सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिये मुझे।

दूसरा, चार भुजा के पास बेड़च का नाका, जब आपकी सरकारें थीं न, उनकी दोनों का भूमि पूजन करवाया, वे पत्थर रो रहे हैं, जोर-जोर से पुकार रहे हैं, वे कहां गये पी.एच.ई.डी. मंत्री दोनों, वह एन.ओ.सी. नहीं मिली थी, अब उसकी एन.ओ.सी. मिल चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस बेड़च के नाके की भी स्वीकृति प्रदान करें।

पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आमेट गोमती रोड, सरदारगढ़ से देवगढ़ रोड और आमेट से केलवा सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाए, चौड़ाईकरण किया जाए।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुन: मुख्य मंत्रीजी जी को मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से एवं समस्त राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि आपने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, आपका भी बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, हमारे दल का कोई ज्यादा समय नहीं है लेकिन आपकी उदारता ...

श्री उपाध्यक्ष: ज्यादा समय नहीं, समय ही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, बिलकुल नहीं है। बिलकुल नहीं है। आप उदारमना हैं और +++ तो सब को देते ही रहते थे, इसलिए यह आसन हमें समय दे रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जिन नामों का आपने उच्चारण किया न, उनसे ज्यादा आप वाकिफ नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोई +++ नहीं होता, कोई +++ नहीं होता। आसन सर्वोपरी होता है।

श्री उपाध्यक्ष: अपलिखित करा देते हैं इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन्होंने +++ कह कर आपको सम्बोधित किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपलिखित करिये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां।

श्री उपाध्यक्ष: और इसकी जगह यह कीजिए कि आसन सर्वोपरी है और आसन से यह आग्रह कर रहे हैं कि इनको समय दिया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप पर निर्भर करता है, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आसन को आप निवेदन करें कि इनको समय दें या नहीं दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, बता दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हूं कि आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि कोई +++ नहीं होता है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): और कोई +++ नहीं है, बजाओ ताली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। यह पुरानी आदत है सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बजट 2016-17 पर चर्चा, वाद-विवाद चल रहा है। निश्चित रूप से आज जो सरकार की स्थिति है, सरकार ओ.डी. में आ गयी है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक 85 सौ करोड़ रुपये रिजर्व बैंक में सरकार को रखने होते हैं और अगर ऐसी स्थिति हो तो 800 करोड़ रुपये तक का ऋण, ओवरड्राफ्ट सरकार ले सकती है, लेकिन सरकार के पास में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा रिजर्व बैंक में नहीं हैं। अगर सातवां वेतन आयोग आ

(15.23 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

गया तो 10 हजार करोड़ का और भार पड़ेगा, अगर प्रोबेशन वालों को नियमित कर दिया तो उनकी पे में ढाई गुणा बढ़ोतरी हो जायेगी, और जो स्थिति है, 2013-14 में थी, ऋण पेटे भार 87 हजार करोड़ रुपये का था, वह माननीय सभापति महोदय, दो लाख करोड़ रुपये का होने जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार की जो स्थिति है वह बड़ी विचित्र है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार ने 2015-16 के बजट में घोषणाएं की थीं, वे 150 से अधिक घोषणाएं ऐसी हैं, दोनों बजट जो पहले पेश हो चुके हैं, वे आज की तारीख में धरातल पर भी नहीं आयी हैं। बडी-बड़ी योजनाओं में, माननीय सत्ता पक्ष के विधायक दो बजटों में यह बार-बार बोलते थे, 20 हजार किलोमीटर सड़कें बन रही हैं; फिर दूसरे बजट में बोला, 10 हजार किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, राजस्थान तो हिन्दुस्तान में नहीं, विश्व में सड़कों में अग्रणी हो जायेगा; सभापति महोदय, अब की बार एक भी माननीया सदस्य ने 20 हजार और 10 हजार का नाम नहीं लिया और वह इसलिए नहीं लिया कि आपने 20 हजार का कहा उसको तो यह कहकर पलट गये कि पांच साल के लिए बोला है। पिछले बजट में 10 हजार का किया और एक किलोमीटर सड़क आज की तारीख में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पी.पी.पी. मोड पर आप बना नहीं पाये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और वह इसलिए कह सकता हूं कि हमारे मंत्रीजी का यह जवाब है, अतारांकित प्रश्न संख्या 1532 है, 9.9.2015 का है, इसमें मैंने पूछा था, 31 अगस्त, 2015 तक पी.पी.पी. मोड पर एन.एच.ए.आई., एम.डी.आर., स्टेट हाइवे, इनमें से कितने पी.पी.पी. मोड पर बने? मंत्रीजी का जवाब था कि एक हजार करोड़ के लिए मलेशिया की कम्पनी से एम.ओ.यू. कर रहे हैं। आज की तारीख तक एक भी प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हुआ है। जब प्रोजेक्ट ही स्वीकृत नहीं हुआ, तो उनकी सड़क बनने का कोई सवाल ही नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी घोषणाएं, 7 मेडिकल कालेज शुरू कर देंगे, ले आयेंगे, नहीं लाये; सार्वजनिक कम्पनियों का विनिवेश करा देंगे, नहीं कर पाये; मंदिरों का जीर्णोद्धार कर देंगे, नहीं कर पाये; महंगाई कम कर देंगे, नहीं कर पाये; डीजल पर वैट कम कर देंगे, नहीं कर पाये, और आबकारी नीति ला कर के जिस शराब को छुड़वाने के लिए, प्रदेश को मुक्त करने के लिए, हमारे विधायक छाबड़ा जी ने प्राण त्याग दिये, उस आबकारी नीति में, अभी जो जारी की है, उसमें दस परसेंट की बढ़ोतरी और की है। पानी के पैसों में बढ़ोतरी की है; बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी की है। यह सरकार केवल मात्र दिखावे का बजट ला रही है। इनके पास में न विकास के लिए पैसा है और न इनकी मंशा है।

इनकी मंशा का मैं निवेदन करूं; हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने आज सदन में एक जवाब दिया था, झुन्झुनूं में मैंने सैनिक स्कूल का कहा था, तो इन्होंने कहा, आप सिफारिश कर दीजिए, हम केन्द्र को भेज देंगे। हमारे केन्द्र में हमारा कोई नहीं है। सदन का यह अपमान किया इन्होंने आज। (व्यवधान) मैं निवेदन करूं, आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये, मंत्रीजी, प्लीज। प्लीज, मंत्रीजी, मेरे को पूरी बात कहने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) कर दी है और चालू हो गया स्कूल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरी पूरी बात कहने दीजिए।

और मंत्रीजी को ध्यान में नहीं कि 2015-16 के बजट में क्रम संख्या 106 के ऊपर, वर्ष 2015-16 में झुन्झुनूं जिले में सैनिक स्कूल के भवन निर्माण व अन्य संसाधन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की बात इन्होंने कही थी, और सुबह जब जवाब दिया तो क्या जवाब दिया? आप भी सुन रहे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

थे, संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी थे। यह बगीचा नहीं है कि टहलने आ गये। मंत्रीजी को तैयारी करके आनी चाहिए। जो मंत्री इस बजट को नहीं पढ़ा बारह महीने तक, पूरा 31 मार्च होने जा रहा है, उन मंत्रीजी से ये बधाइयां ले रहे थे। माननीय सदस्य, सुरेन्द्र सिंह जी राठौड़ कह रहे थे, मुख्य मंत्रीजी को बधाइयां मिल रही हैं। ऐसे मंत्रियों की परफोर्मेंस से किसी को बधाई नहीं मिलने वाली, आप हमसे भी कम आने वाले हो।

आपकी बजट की स्थिति और बता दूं मैं। क्रम संख्या 17 पर आपने कहा कि हम दस हजार किलोमीटर में ये-ये सड़कें बनायेंगे, एक किलोमीटर नहीं बनी। आपने क्रम संख्या 19 नम्बर पर कहा, माननीय सभापति महोदय, बजट 2015-16 का बता रहा हूं, यह कहा था कि आउटपुट एंड परफोर्मेंस बेस्ड रोड़ कांट्रेक्ट, ओ.पी.बी.आर.सी., जिसके लिए कहा था, पहले बजट में कहा, हम करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, फिर दूसरे बजट में कहा 2015-16 में कि दो जिलों में करने जा रहे हैं, आगे इसको चरणबद्ध रूप से करेंगे, तीसरे बजट में, न पहले बजट में चालू किया, न दूसरे की घोषणा पूरी की और वह ठंडे बस्ते में चला गया, आज इन्होंने कोई बात नहीं की है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिन्दु संख्या 22 में इन्होंने कहा था कि चार हजार किलोमीटर अधिक लम्बाई की नान-पैचेबल सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण करेंगे। अब इनके इस बजट में क्या जवाब है, महामहिम राज्यपाल से भी कहलवाया, बजट में भी लिखा है कि 2,702 किलोमीटर सड़कें हमने नवीनीकृत कर दीं। आपने घोषणा कितने की की थी, चार हजार की, और बनायी कितनी, 2,702 । यह इनकी जो बजट घोषणा है, उसका हाल है।

सड़क परिवहन में इन्होंने कहा था कि हम राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल ऑथोरिटी का गठन करेंगे, 300 करोड़ रुपये उनको उपलब्ध करायेंगे, एक रुपया दिया क्या? आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी, जब नम्बर आये तो जवाब दे देना। एक रुपया नहीं दिया।

श्री सभापतिः रुपये के लेन-देन का काम मैं नहीं करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जो कर रहे हैं न, वह कर दीजिए। वह ही हमारे लिए पर्याप्त है।

श्री सभापतिः बोलिये आप। बोलिये। बोलिये। मेरे कहने का मतलब, रुपयों के बारे में आसन से नहीं पूछें। इतना ही कहना था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने कहा था, राजस्थान रोडवेज में रिफोर्म्स लिंक्ड असिस्टेंस कार्यक्रम जो चालू करना था उसके लिए 120 करोड़ की घोषणा की थी, वह रिफार्म का जो लिंक है, लिंक्ड रिफोर्म, वह इनका एक हो नहीं पाया। इनके नियम ही नहीं बन पाये। ऐसे नियम बना दिये जिसकी वजह से 120 करोड़ रुपये इन्होंने नहीं लगाये। दुबारा जो नया बजट आया है, उसमें वही 300 करोड़ और 120 करोड़ की बात कर ली। जब पिछले बजट का एक रुपया आपने इसमें से खर्च नहीं किया, तो दुबारा आपको नहीं करना चाहिए था।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 27 नम्बर बिन्दु के ऊपर इन्होंने कहा था कि 1500 नये मार्ग खोलेंगे और 6 हजार अतिरिक्त वाहन और 26 हजार बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यह काम इन्होंने किया नहीं। उलटा, सड़कों में 2 साल पहले कोई टोल नहीं बढ़ता है, इन्होंने 24 बूथों पर 10 परसेंट 12 महीने के अन्दर-अन्दर टोल बढ़ा दिया।

हमारे जो सड़क मंत्री थे, इन्होंने काफी घोषणाएं की थीं। पी पी पी मोड की तो मैंने स्थिति बता दी। फतेहपुर में 8 करोड़ की घोषणा करके आये थे, मेरे लक्ष्मणगढ़ में भी 5 करोड़ की सड़कें शहर में बनाने की घोषणा करके आए थे, वह एक किलोमीटर इन्होंने किया नहीं।

सभापति महोदय, पेयजल के अन्दर इन्होंने 37 नम्बर बिन्दु के ऊपर कहा था कि हम 2 हजार आर.ओ. लगायेंगे, यह 2015-16 का बजट है, इसमें से 1 हजार की केवल प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। लगा 1 भी नहीं है, और 1 की तो की ही नहीं। जो 2014-15 का बजट था, उसमें 1 हजार आर.ओ. लगाने की बात थी, उसमें से केवल 881 आर.ओ. लगे हैं। 2015 के बजट की भी पालना पूरी नहीं हुई। 2015-16 के बजट में से तो एक इंच भी काम इन्होंने किया नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1 हजार सोलर बेस्ड टयूबवेल लगाने की बात इन्होंने की थी 2015-16 में 38 नम्बर बिन्दु पर, आज की तारीख तक पूरे राजस्थान में 1 भी सोलर बेस्ड टयूबवेल नहीं लगा है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

इन्होंने बिन्दु संख्या 43 के ऊपर यह कहा था कि हम 400 केवी के 2 ग्रिड, 220 के 6, 132 के 16 और 33 केवी के 200 लगा देंगे, ये नहीं बनाये। दुबारा, अब की बार का जो बजट है, उसमें 40 नम्बर बिन्दु के ऊपर वह सेम का सेम पैरा, नकल में भी, राठौड़ साहब, अक्ल की आवश्यकता होती

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है, अक्ल नहीं लगाई। अक्ल लगायेंगे भी कैसे? आज स्थिति देखिये, पहले जब बजट पर चर्चा होती थी तो हम आपसे सुनते थे कि सारे अधिकारी डिपार्टमेंट, वाइज वहां बैठते थे, आजकल 1-2 बाबू आ जाते हैं, लिखें तो लिखें और नहीं लिखें तो नहीं लिखें। हमने हमारी गरिमा को खुद ने कम करने का काम किया है।

दीनदयाल उपाध्याय में बिजली की बात की थी बिन्दु संख्या 46 के ऊपर, इस दीनदयाल उपाध्याय में अभी तक टेंडर भी नहीं हुए। पूरा साल इनका निकल गया। यह स्थिति इनकी बिजली के अन्दर बन रही है।

पंचायती राज में इनकी जो स्थिति है, वह चौदहवें वित्त आयोग में बजट था इनके पास में, इस वर्ष 1,471.95 करोड़ रुपये और इनका व्यय है 94.27 करोड़ रुपये। राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जो अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक पैसा आया था, वह 1,167.14 करोड़ रुपये था और इन्होंने खर्च किया है 77.47 करोड़ रुपये। पंचायती राज संस्थाओं में निर्बंध राशि जो 338.77 करोड़ आई थी, उसका तो हाल ही बेहाल कर दिया, पंचायतों के अधिकार सरकार ने छीन लिये और एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाकर के पंचायतों का अन्टाइड फंड का जो पैसा था, वह इस वर्ष 349.11 करोड़ रुपये कलक्टरों को स्थानांतरित कर दिये। अन्टाइड फंड का पंचायतों में एक रुपया पहुंच नहीं रहा है। शेष जो था 6.98, यह जो अन्टाइड फंड का, वह वाटरशेड में दे दिया। यह स्थिति है।

सभापति महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में कह रहे हैं कि पर्यटन को हमने पहले 2003-08 में भी बहुत जोरदार बनाया था, इनकी स्थिति यह है कि 2015-16 में 85.65 करोड़ रुपये आये थे और उसमें से 26.93 करोड़ रुपये खर्च हुए।

अमृत योजना का बहुत प्रचार-प्रसार किया गया, केन्द्र से 29 शहरों के लिए पैसे आये, 919 करोड़ रुपये आये, लेकिन एक रुपया खर्च नहीं हुआ। एक रुपया आज तक अमृत योजना के अन्तर्गत खर्च नहीं हुआ।

उच्च शिक्षा में ऋण, बिना ब्याज योजना जो चालू की थी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, आज की तारीख में 1 भी व्यक्ति को इन्होंने लाभान्वित नहीं किया है।

एम एल ए, एम पी लैड की जो स्थिति है, वह भी बहुत विचित्र है, जो पैसा था वह खर्च नहीं हो पा रहा है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक जो रोजगार के नाम पर ये आये थे और इस बार के बजट में हम उम्मीद कर रहे थे कि रोजगार को कोई दिशा दिखाने का काम करेंगे; लेकिन तीसरा बजट है, दो ही बजट और आयेंगे, इसमें स्थिति यह है कि राजकीय महाविद्यालयों में 10,544 में से 3,955 पद खाली हैं। पुलिस के अन्दर थानों में, चौकियों में 1,09,490 में से 16,618 पद खाली हैं। इंस्पेक्टर, एस आई, ए एस आई, हैड कांस्टेबल में 1,03,909 में से 15,439 खाली हैं। कारागार, जिसमें अपराधियों को रखा जाता है, उसमें 3,800 में से 2,225, यानी 58 परसेंट पद खाली हैं। अपराधी नहीं भागेंगे, तो क्या होगा वहां?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इसमें 2,76,616 में से 1,11,873 पद खाली हैं। माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा दोनों को मिला दिया जाये तो 1,69,777 पद खाली हैं दोनों विभागों में, विभिन्न कैडर के, थर्ड-ग्रेड, सेकण्ड-ग्रेड और व्याख्याता हैं। 14 हजार पद तो इन्होंने समाप्त ही कर दिये, जो बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। प्रारम्भिक शिक्षा में जो 1,69,777 कुल पद हैं, उनमें से 51,043 पद खाली पड़े हैं।

स्वायत शासन विभाग में 58 परसेंट पद खाली हैं। पशुपालन में, जो कृषकों के हितों की बात करना चाह रहे हैं, 20,727 में से 8,581, यानी 41.40 प्रतिशत पद खाली हैं। पशु चिकित्सा में 45 प्रतिशत पद खाली हैं। पटवारियों के 4,580, जो 40 परसेंट के लगभग होते हैं, पद खाली हैं। आबकारी में, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़झाला होता है, उसमें 4,899 पदों के अगेंस्ट में 1,774 पद खाली हैं। सहकारिता, जो किसान की भलाई के लिए काम करता है, उस सहकारिता में 2,030 के मुकाबले 1,033, यानी 50 परसेंट पद खाली हैं। 1,500 आर ए एस के पद खाली हैं। सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, 42,585 पद खाली हैं। यह स्थिति इनकी बन रही है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री की जो योजना थी रोजगार की, उसमें हम बड़े राज्यों में 9वें स्थान पर हैं। हम उसमें कोई स्थान नहीं बना पाये। पेयजल योजनाओं में हम कोई ज्यादा खर्चा कर नहीं पाये।

श्री सभापति: इनका सार-संक्षेप बताओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जनता जल योजनाओं में कोई सुधार ये कर नहीं पाये।

एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, अवैध खनन रोकने के लिए इन्होंने बड़ी-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बड़ी बातें की थीं, वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए इनको बजट मिला था 228.00, इन्होंने खर्चा किया 69.24 । यह स्थिति है। 2015-16 में 228 लाख रुपये इनको मिला और उसमें से 108 लाख रुपये इन्होंने खर्च किये।

रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन के लिए इन्होंने 300 लाख का बजट रखा था 2014-15 में, उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं किया। 2015-16 में 1 हजार लाख रुपये था, एक रुपये का खर्चा इन्होंने नहीं किया।

जो राजस्थान लोक परिवहन सेवा थी, वह चलाने की बात की थी, वह आज तक एक डिपो में यह चला नहीं पाये।

स्कूलों की छतें टपक रही हैं।

श्री सभापति: थोड़ा सार-संक्षेप कर लें। आज काफी माननीय सदस्य बोलेंगे और यह जो विभिन्न दलों के लोग हैं, वे भी नहीं बोले हैं अभी तक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, वह ठीक बात है। मैं भी समझ रहा हूं मेरी स्थिति को, लेकिन थोड़ा सरकार के खिलाफ होता है तो वाजिब ही है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ये कब से हैं, आप यह भी बता दो। यह पद जितने आपने बताये हैं, ये कब से खाली हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने वादा किया था कि इनको भर देंगे। यह गहलोत सरकार तो बेरोजगारों को काम नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, नौकरियां नहीं दे रही है। आपने 2 साल में किया क्या? यह पूछ रहा हूं मैं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): कितने सालों से खाली हैं, यह तो बताओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक पद भरा क्या?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): कितने सालों से खाली हैं, यह तो बताओ आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी ने यहां रिप्लाई में कहा था, महामहिम के, कि 6 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी दे दी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं कह रहा हूं कि ये कब से खाली हैं, शुरू से बताइये।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य। आप इस पर इतना विवाद मत करिये। 'ऊपर से भरे और नीचे झरे, बिको बैद कांई करे'। इसलिए पद खाली होते रहते हैं, भरते रहते हैं। चलिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बजट को इम्प्लीमेंट कैसे कर पायेंगे? जो सरकार योजना लाती है, वह ब्यूरोक्रेट्स लागू करते हैं। इनके अधिकारियों की भरतपुर में परीक्षा हुई और उस परीक्षा में 31 अफसरों में से 12 पास हुए और वह भी थर्ड डिविजन में। यह स्थिति सरकार के अधिकारियों की और योजनाओं के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुबारा परीक्षा हुई, फिर भी फेल हो गये।

रीको, रीको में सस्ती खरीदो, महंगी बेचो; जमीन को सस्ती लो और महंगी बेचो, का खर्च चल रहा है। जो विद्युत विभाग है उसमें जो छीजत है, 40 परसेंट से ऊपर अगर कहीं है तो पूरा फीडर ही उसका बंद कर दिया जायेगा। किसान को बिजली लेने का अधिकार नहीं है। घर में बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनका जो बजट है उसका एक छोटा-सा नमूना और बताऊंगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भामाशाह बीमा योजना में जयपुर के 14 हास्पिटल हैं जिनको नोटिस दिया, इन्होंने भामाशाह बीमा योजना में काम करने से मना कर दिया।

16 कलक्टरों की परफोर्मेंस जीरो आई। गांवों में इनके कहने के बाद में दौरे किये नहीं।

2016-17 का जो बजट पेश किया है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, स्कूलों में अगर आपको बिजली लगानी होगी, काम करना होगा, तो 40 परसेंट आपको सहयोग देना पड़ेगा।

ट्रैक्टरों की ट्रोली जो किसान काम में लेता है, उसको वाणिज्यिक मानते हुए 1 परसेंट उसकी कीमत की ड्यूटी लगा दी।

एक जो सबसे बड़ी दिक्कत की है, वह, माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में सरकार ने यह कहा था कि डी एल सी की मीटिंग अगर नहीं होगी तो 10 परसेंट बढ़ जाएगी और अब की में यह कहा है...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, ट्रैक्टरों के मामले में आप मिथ्या जानकारी नहीं दें। 2012 में आपने लगाया था 9 परसेंट टैक्स, उसको कम किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक निवेदन करूं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, समाप्त कर रहा हूं। बीच में बार-बार, तो फिर क्या है न, कि दिक्कत हो जाती है।

श्री सभापति: आप छेड़ने लायक हैं, इसलिए छेड़ते हैं आपको। हर किसी को थोड़े ही छेड़ते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहे, जो सरकार मीडिया की आवाज दबाना चाहे, जो मीडिया से द्वेषता रखे, जन-प्रतिनिधियों से द्वेषता रखे और अनर्गल आपराधिक श्रेणी के जो बयान देना चालू कर दे, माननीय सभापति महोदय, उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज छोटे-मोटे कई अख़बार, जिसमें एक बड़ा अख़बार 'राजस्थान पत्रिका' भी है, उनको एड नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ क्यों छापते हैं, हम लोगों को बोलने के लिए अवसर कम मिलता है, कि आप सरकार के खिलाफ बोलते क्यों हैं? इनकी मंशा ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जो किसानों के मसीहा बन रहे हैं, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, उसमें जो 15 योजनाएं हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल, राष्ट्रीय कृषि व तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इनमें सब में कहीं 10 परसेंट खर्चा है, कहीं 15 परसेंट खर्चा है, कहीं 20 परसेंट। यह स्थिति सरकार की है।

माननीय सभापति महोदय, सीकर के मामले में अब मैं निवेदन करूं, सीकर के मामले में...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर जिले में...

श्री सभापति: नहीं, नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर जिले में न इन्होंने मेडिकल कालेज दिया बजट में; वहां के अखबारों में छपा है कि वहां के पांच विधायकों के जीरो नम्बर आये हैं; न कुम्भाराम लिफ्ट योजना का ये पानी ले पाये; न इन्होंने, नवलगढ़ रोड पुलिया की बात हुई थी वह चौड़ा करने के लिए पैसे नहीं ले पाये; न सीवरेज के पैसे ले पाये; जो मिनी सचिवालय बनना था

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उसके लिए ये पैसे नहीं ले पाये। एक पैसा ये सीकर के लिए नहीं ले पाये। केवल लक्ष्मणगढ़ में जो सीवरेज हमारे समय में शुरू हुई थी, जिसका वर्क आर्डर हो गया था, उसको रोककर, दो साल बाद में, इस तीसरे बजट में, लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज, लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज, लेकिन यह सीवरेज देने का काम, माननीय सभापति महोदय, ये कर नहीं रहे हैं। आप सीकर के हैं, इसलिए सीकर के हितों की बात कीजिये।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल मात्र इनको तो, यहां आ-जा जाते हैं...

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नन्दलालजी, मंत्री, जनजाति मंत्रीजी ने क्या जवाब दिया! जवाब नहीं दे पाये।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजपालजी जवाब दे रहे थे, बेरोजगारों के सवाल का जवाब नहीं दे पाये। कालीचरणजी की क्या स्थिति है। इन मंत्रियों को चेताओ, माननीय सभापति महोदय, आप अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, कि सदन में तैयारी के साथ में आयें, बजट को पढ़कर आयें; जो मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी से बजट पढायें, उसको इम्प्लीमेंट करायें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है तो, माननीय सदस्य सुरेन्द्र सिंहजी कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी को बधाइयां मिल रही हैं, इन मंत्रियों के और बजट के कारण से तो मिल नहीं रही हैं। ये इसलिए मिल रही हैं कि आपने जो वादे किये थे, वह एक भी पूरा नहीं किया है। ढाई साल आपके गये, ढाई साल जाने वाले हैं। कांग्रेस का राज दुबारा आने वाला है, गरीब को छत मिलने वाली है, गरीब को अनाज मिलने वाला है। गरीब को पीने का पानी मिलने वाला है। इसलिए वे बधाई नहीं दे रहे हैं, मुस्करा रहे हैं...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमको इतना ठगा, हमको इतना ठगा।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, एक सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह जो बजट है, वह बिलकुल सारहीन है, थोथी घोषणाओं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

का पुलिंदा है और इसमें कहीं भी वह विजन नहीं दर्शाता है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कीमतों में कोई कमी आएगी, गांव ढाणी में बैठे लोगों को पीने का पानी मिलेगा, जिन सड़कों के ये बहुत बड़े-बड़े वादे करते थे, ...

श्री सभापतिः अब आप बैठ जायें। बहुत समय हो गया आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वे सड़कें मिलेंगी। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कोई सार नहीं है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। जनता के साथ में इस बजट के माध्यम से सरकार ने धोखा करने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः आप विराजिये।

आप देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो क्रम बताया है, वह मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप वहां सब, इधर के जो दल हैं, निर्दलीयों को भी मौका नहीं मिला है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग बोलने वाले हैं। तो पहले मैं हमीर सिंहजी भायल को पुकारूंगा उसके बाद माननीय सभी सदस्यों को, एक इधर से और एक उधर से, ताकि इस लिस्ट को अपन पूरी करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): चार इधर से और एक उधर से।

श्री सभापतिः आप विराजें। चार इधर से और एक उधर से, इतने नाम ही नहीं हैं अपने आपपास। सबको मौका मिल जाये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सत्ता पक्ष से कोई बोलना ही नहीं चाहता।

श्री सभापतिः हमीर सिंहजी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट 2016-17 पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

बजट 2016-17 के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास का एक मजबूत आधार, विजन 2020 की ओर बढ़ता हुआ कदम, राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक विकास की ओर चलते हुए कारवें, राजस्थान के बजट 2016-17 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, विशेषकर किसानों के लिए कृषि विकास की कई घोषणाएं की गई हैं। सबका-साथ-सबका-

(श्री हमीरसिंह भायल)

विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाये हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 'रिसर्जेंट राजस्थान' के तहत उद्योगपतियों से एम ओ यू करके युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने का काम किया। प्रदेश में निवेश की वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय, सुशासन एवं रोजगार हेतु हमारी सरकार ने मजबूत स्तम्भ खड़े करने का प्रयास किया है। सामाजिक सुरक्षा में हमारी सरकार ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास तथा अन्नपूर्णा भंडार जैसी सफल योजनाओं को लागू किया। न्याय-आपके-द्वार योजना में हजारों प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से हर व्यक्ति की शिकायत सुनना एवं उसका निराकरण करना, आम जन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बनाई गई योजनाओं से तथा उनके क्रियाशील होने के कारण राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। कौशल विकास तथा ऊर्जा संरक्षण, सहकारिता के क्षेत्र में उच्चतर कार्य करने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश को सम्मान मिला है।

राजस्थान विकास की ओर अग्रसर हो सके, इस हेतु टीम वर्क की भावना से पूरी सरकार कार्य कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हाल ही में शुरू की गई जल स्वावलंबन योजना, जिसका आगाज मुख्य मंत्री साहिबा द्वारा जन सहभागिता से किया गया।

श्री सभापतिः माननीय सचेतक महोदय, एक मिनट विराजें। सदन में एक नियम है मैं आपको ध्यान दिला दूं, जिस वक्ता ने अपना भाषण समाप्त किया है, उसको कम से कम दूसरी तरफ के एक वक्ता का भाषण समाप्त होने के बाद में उठकर जाना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं पानी पीने के लिए जा रहा था।

श्री सभापतिः अगर आप प्यासे हैं तो जा सकते हैं पर नियम मैंने बताया है। यह अपने संसदीय मान-मर्यादाओं का नियम मैंने आपको बताया है। चलिये। हमीर सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मंत्री के लिए क्या नियम हैं, वह भी बता दो। मंत्री भी सदन के लिए जवाबदेह हैं, उनके लिए क्या नियम हैं?

श्री सभापति: मंत्री भी सदस्य हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब इनके पानी पीने का समय आ गया है, इसलिए जा रहे हैं।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): इस योजना में पूरे राजस्थान में एक उदाहरण बना गांव, भूरीवाड़ा गांव, जहां के हर परिवार ने उक्त योजना में अपनी हिस्सेदारी निभायी और यह अभियान जन क्रांतिकारी बनता जा रहा है।

सरकार के सामने वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई चुनौतियां हैं। गत सरकार के कुप्रबंधन के कारण एक मात्र ऊर्जा विभाग पर 80 हजार करोड़ रुपयों का विशाल ऋण हमें विरासत में मिला था। मैं यहां यशस्वी मुख्य मंत्री साहिबा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर चुनौती को स्वीकार करके राज्य का वित्तीय प्रबंधन इतना सुचारु चलाया जा रहा है कि हर विभाग, हर क्षेत्र में कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के दूरगामी परिणामों का अध्ययन करके राज्य के विकास हेतु ठोस योजनाएं बनायी गयी हैं जिनका आने वाले समय में राज्य को लाभ मिलेगा।

यह बजट प्रदेश की जनता का है जिसमें 7 करोड़ लोगों का विश्वास है। इसी विश्वास को लेकर राजस्थान राज्य को अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करने हेतु हमारी सरकार.....

श्री सभापति: थोड़ा-थोड़ा ऊपर भी देखो हमीर सिंहजी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): जी हुकुम।

वर्ष 2016-17 का बजट विजन 2020 को प्राप्त करने हेतु मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट बनाने से पहले आमजन से सुझाव मांगे गये। सम्भाग पर बैठकें आयोजित कर जनता एवं जन-प्रतिनिधियों से राय लेकर बजट में सभी सुझावों का समावेश किया गया। आमजन की भावनाओं को समझते हुए, बिजली, पेयजल, कृषि, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार में विशेष ध्यान दिया गया।

मैं कहना चाहूंगा -

"मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है।

पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।" (व्यवधान)

श्री सभापति: आप वरिष्ठ मंत्री हैं, माननीया कालीचरणजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये ऐसे आते हैं सदन में, जैसे बगीचे में घूमने आये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप ऐसे बोलते हैं जैसे कोई स्प्रिंग लगा हुआ है।

श्री सभापति: इनका असर आप पर नहीं हो, जोगारामजी। इनका असर आप पर नहीं हो जाय।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने गांव और ढाणी को बजट देकर अंतिम छोर तक बैठे लोगों को लाभ कैसे मिल सके, इस ओर काम किया था, या फिर वर्तमान समय में हमारी मुख्य मंत्रीजी साहिबा कर रही हैं।

श्री सभापति: आम तौर पर पढ़ते नहीं हैं, हमीर सिंहजी। मैंने इसलिए कहा है। (व्यवधान) सुखरामजी, विराजें। यह पढ़ते नहीं हैं। आप देख लें, कोई तथ्य हों तो, फिर थोड़ा ऊपर देख लें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): विपक्ष हमेशा यह सोचता रहा है कि हमारे द्वारा शुरू की गयी योजनाओं को यह सरकार बंद कर रही है। आज तक कोई योजना, जो 2003 से 2008 तक हमारी पेयजल योजनाएं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की बीसलपुर योजना से लगाकर बाड़मेर कैनाल, पोकरण-फलसूंड योजना, उम्मेद सागर योजना, नर्मदा योजना जो चालू की थीं, उनमें 2008 से 2012 तक आपने एक इंच भी पाइप नहीं लगाया और जब हमारा राज आया है, राज आने के बाद वापस उन योजनाओं को चालू करके गांवों में मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं।

आज आप कह रहे हो, माननीय सदस्य फरमा रहे थे, कोई बजट नहीं दिया है। चौहटन से लेकर गुढ़ामालानी में 400 करोड़ रुपये का पेयजल का बजट दिया है और आप फरमा रहे हैं, बजट नहीं दिया है। (व्यवधान) बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, आपने तो घोषणा केवल कागजों में ही की थी, एक धेला भी नहीं दिया और अभी क्रियान्विति होकर काम हो रहा है।

सड़क की योजना, गौरव पथ योजना, मील का पत्थर साबित हुई है। हर गांव में कीचड़ होता था, महिलाओं को चलने के लिए दुविधा होती थी। उसमें सड़कों का चहुंमुखी विकास हुआ है, चाहे गौरव पथ हों, चाहे नान-पैचेबल हों, चाहे मिसिंग लिंक हों।

इस बारे में मेरा निवेदन रहेगा, मेरी मांग रहेगी कि इसी वितीय वर्ष में सिवाना मुख्यालय पर कार्यरत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का समावेश अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में परिवर्तन कर सिवाना की जनता को राहत दिलाएं। सबसे बड़ी सड़क समदड़ी कल्याणपुर

(श्री हमीरसिंह भायल)

से 51 किलोमीटर की है, उस सड़क को, सांचौर से लगाकर, सायला से लगाकर जोधपुर को जोड़ती है, उस सड़क को 7 मीटर चौड़ाई की बनाने की कृपा करावें।

प्रदेश का भूभाग विशाल है। इसमें हर गांव, ढाणी व मगरा तक पीने का पानी पहुंचाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्य में भूमिगत जल स्तर की कमी के साथ गुणवत्तायुक्त जल मिलना बड़ा मुश्किल काम है। हर वर्ष पेयजल पर लगभग 9 हजार करोड़ से भी अधिक खर्च हो जाता है, जबकि पेयजल से आय मात्र एक-तिहाई ही है। अब तक सरकार ने लगभग 68 हजार ढाणियों एवं गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है। वर्ष 2016-17 में 2 हजार अन्य हैबिटेशंस में 18 लाख की आबादी को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की योजना है।

मेरे क्षेत्र में पेयजल की तीन योजनाएं हैं, उम्मेद सागर, समदड़ी-खण्डप, पोकरण-फलसूंड-बायतू-बालोतरा-सिवाना। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 101 गांव हैं जिनका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी गांवों तक पाइपलाइनें एवं एस एल आर लगभग बन गई हैं। मुख्य लाइन का कार्य कुछ भाग में अभी शेष है। उस काम में प्रगति की आवश्यकता है। तीसरी योजना नर्मदा में है जिसमें 13 गांव हैं। इस योजना को गति देना बहुत जरूरी है। वर्तमान बजट में इस योजना हेतु प्रावधान किया गया है।

मुख्य मंत्री साहिबा व माननीय मंत्री महोदया का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में पेयजल की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी में आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान करके जनता को राहत प्रदान की गयी है।

प्रदेश में 40 करोड़ रुपयों का प्रावधान करके 4 हजार नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं। मेरे क्षेत्र का सिंदरी...(व्यवधान)

श्री सभापति: थोड़ा संक्षिप्त कर दें। पर्ची आ गयी वैसे भी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): हैण्डपम्पों की आवश्यकता सभी ढाणियों में है। सभी मगरे लाभान्वित हो सकेंगे। जनता जल योजना में 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान करके प्रदेश में पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों को राहत प्रदान की गयी है।

मेरा यह निवेदन रहेगा कि विधान सभा क्षेत्र का भूभाग बड़ा होने के साथ ही, पचपदरा विधान सभा क्षेत्र का भी क्षेत्रफल काफी बड़ा है। दोनों विधान सभा क्षेत्रों का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सिवाना मुख्यालय है। वहां नया

(श्री हमीरसिंह भायल)

पद स्वीकृत कराकर, इसको विभाग स्तर पर स्वीकृत कराकर, जनता को राहत प्रदान करावें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): दो मिनट बोलूंगा।

ऊर्जा विभाग में राजस्थान की जनता को, किसानों को साढ़े छह से सात घण्टे तक लाइट मिली है। घरेलू लाइट में भी 20 से 22 घण्टा तक लाइट मिली है। अभी इस बजट में जो नये 33 केवी और 132 केवी की घोषणा की है, उसमें मेरे क्षेत्र के लिए निवेदन करूंगा कि 33 केवी के सब-स्टेशन की विशेष आवश्यकता के स्थान जिनमें अंबोकावाड़ा, रामपुरा, जेटंतरी, आदि में निर्माण कराने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में पर्यटन के प्रति आकर्षण पैदा करने हेतु पूरे प्रदेश में पर्यटन स्थलों का सुधार किया गया है व इस बजट में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान किस प्रकार से विकसित हो सके इस बजट 2016-17 में विशेष ध्यान रखा गया है। आगामी वर्ष में 62 करोड़ रुपयों का प्रावधान करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बाड़मेर जिले में पर्यटन की भरपूर सम्भावनाएं हैं। जैसलमेर जिले में पर्यटकों का आना-जाना रहता है। इसी तर्ज पर बाड़मेर में पर्यटन विभाग के माध्यम से सम्भावनाएं तलाशी जा सकती हैं। कई दर्शनीय स्थल बाड़मेर में हैं। देवस्थान के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। रामदेवरा पैनोरमा बनाया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न स्थलों पर विकास कार्य प्रस्तावित करके 35 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। मेरा निवेदन रहेगा कि सिवाना क्षेत्र में मिनी माउंट, हल्देश्वर महादेव मंदिर को भी इस विभाग में सम्मिलित करके पर्यटन के लिहाज से एक आकर्षक स्थल बनाया जाये जो जमीनी तल से 9 किलोमीटर ऊंचाई पर पहाड़ियों पर स्थित है।

श्री सभापति: समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): एक मिनट में मैं पूरा करूंगा।

श्री सभापति: विराज जाएं अब।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): अब एक मिनट।

श्री सभापति: हम थोड़ा क्रम चेंज कर रहे हैं, सचेतकजी ने कहा इसलिए।

(16.00 बजे)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मेरा एक निवेदन रहेगा, हुकुम। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बजट 2016 के बिन्दु संख्या 322 के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पारिवारिक सम्पत्ति, रिलीज डीड, सेटलमेंट तथा पार्टिशन डीड पर अलग-अलग स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। चूंकि सरकार का मानना है कि ऐसे सभी दस्तावेज परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं, तो नये प्रावधान के तहत उक्त सभी दस्तावेजों पर एक समान 1.50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगायी जाना प्रस्तावित है। इसमें सबसे अधिक भार किसान वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि नियमानुसार फोतकी का नामान्तकरण होने पर परिवार के सभी भाई-बहनों के नाम दर्ज किये जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त हुआ, माननीया सदस्य। आपका मैटर आ गया, धन्यवाद आपको।

सचेतकजी के कारण से मैं थोड़ा क्रम चेंज कर रहा हूं। श्रीमती दियाकुमारीजी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती अलका सिंह। वे बाद में आ जाएंगी।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सभापति महोदय, बजट पर बोलने का आपने समय दिया उसके लिए आभारी हूं।

सभापति महोदय, किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति और प्रबन्धन कैसा है इसका आकलन करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं और ये इंडिकेटर्स विभिन्न वित्त आयोगों की रिपोर्ट्स, एफ आर बी एम एक्ट और जो आर बी आई की गाइडलाइंस और दिशा-निर्देश होते हैं उनके हिसाब से मालूम किये जाते हैं। राजस्थान की वित्तीय और आर्थिक स्थिति जांचने के लिए... आप ऐसे सीधा देखेंगे तो मुझे घबराहट होगी, इसलिए...। प्लीज।

फिस्कल डेफिसिट आफ जी एस डी पी....

श्री सभापति: मैं इधर नहीं देखूं?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मैं आपकी तरफ देख रही हूं लेकिन आप थोड़ी-सी, प्लीज, कृपा रखें।

रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल....

श्री सभापति: टोकूंगा नहीं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): प्लान एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब मिलकर उस राज्य की सोशल और इकोनोमिक स्थिति के

(श्रीमती अलका सिंह)

बारे में बताते हैं। सेक्टर-वाइज ग्रोथ के बारे में अगर बतायें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन है, हैल्थ है, उसमें उस राज्य के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा किस हिसाब से खर्च किया जाता है, उससे उस राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगता है।

सभापति महोदय, इनकी सरकार और हमारी सरकार के बारे में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो मैं यह बताना चाहूंगी कि विजन का फर्क है। इनके समय में मुख्य मंत्री नम्बर वन थे। एक पाक्षिक में बहुत बड़ा एड आया था कि सी.एम. नम्बर वन और बाकी भी काफी चीजों में इन्होंने बताया था कि ये फर्स्ट थे। इनके मुख्य सचेतक महोदय कल कह रहे थे कि हम तो फर्स्ट-फर्स्ट बताकर 21 रह गये हैं। तो हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने खुद सी.एम. नम्बर वन कहलाने की बजाय जनता नम्बर वन किया और जनता को दाता की पोजिशन दी है। यह सिम्बोलिक है। जब मुख्य मंत्री महोदया का जवाब आया था, तब पत्रकारों ने काफी पूछा था कि इस दाता का मतलब है, क्या आप जल स्वावलम्बन में पैसा मांग रहे हैं? निश्चित रूप से, नहीं। दाता एक सिम्बोलिक है कि हम वह इज्जत हमारी जनता को, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के मतदाता को देते हैं कि हम जो वादे और हमारी घोषणाएं हमने सुराज संकल्प यात्रा के समय की थीं कि हम राजस्थान को सुराज देंगे, सुराज का मतलब सुशासन ही हुआ, और सुशासन के लिए हमारी सरकार ने बहुत से कदम से उठाये हैं।

पहले मैं तुलनात्मक थोड़े आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूंगी। कैपिटल रिसीट्स, जब इनकी सरकार के तीन वर्ष हुए थे 2011-12 में, तब 2.0 परसेंट था और हमारी सरकार के तीन साल समाप्त होने पर यह 3.88 परसेंट हो गया है। प्लान एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, जो कि किसी राज्य के विकास के बारे में बताता है, 2011-12 में जब इनकी सरकार के तीन साल पूर्ण हुए थे, तो 4.4 परसेंट था और अब हमारी सरकार के तीन साल पूर्ण होने पर 8.38 परसेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकी सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर 2.8 परसेंट था और हमारी सरकार के समय यह 4.34 परसेंट है। हर साल रेवेन्यू रिसीट्स में, अगर इकोनोमी में ग्रोथ होगी तो रेवेन्यू रिसीट्स में भी ग्रोथ होनी चाहिए, हर साल। 2011-12 में जब इनकी सरकार के तीन वर्ष पूर्ण हुए तो 13.7 परसेंट था और हमारी सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर वह 16.29 परसेंट था। सोशल सर्विसेज में भी बजट हमारी सरकार का बढ़ा है।

(श्रीमती अलका सिंह)

2008-09 में जब इनकी सरकार आयी थी तो 42.6 परसेंट पर हमने छोड़ा था और अब तीन साल पूर्ण होने पर 49.7 परसेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट 2007-08 में हम लोग छोड़ गये थे सरप्लस 1,652 करोड़ और इनकी सरकार के लचर वित्तीय प्रबन्धन के कारण वह माइनस पर आ गया, माइनस 1,239.21 परसेंट। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो तीन साल में इनकी सरकार का 68.43 परसेंट और हमारी सरकार के तीन साल पूर्ण होने पर 76.35 परसेंट।

मतलब, हर जगह पर हमारी सरकार ने जनता के लिए, विकास के लिए काम किये हैं और हमारी सरकार की मंशा साफ है, नीयत साफ है। जो माहौल इन्होंने, आर्थिक रूप से लचर माहौल जो हमारी मुख्य मंत्रीजी को, हमारी सरकार को दिया था, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि

'वो कामयाबी ही क्या, जो माकूल माहौल में मिले।

कामयाबी तो वो है जो माहौल को माकूल बना दे।।'

तो आज हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान को आर्थिक रूप से माकूल माहौल में ला दिया है और जो योजनाएं बनी हैं, वे जन कल्याणकारी और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने वाली है।

सभापति महोदय, निवेश की बात करें तो हमारी सरकार निवेश पर जोर दे रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि निवेश होगा तो रोजगार होगा, निवेश होगा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा, निवेश होगा तो हमारा युवा स्किल्ड होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। 3.21 लाख करोड़ के 295 एम ओ यूज हुए हैं और तीन महीने बाद फिर 51 एम ओ यूज और हुए हैं। काफी एम ओ यूज जो करने वाले लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उन्होंने जमीनों का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसको और स्ट्रांग बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, थोड़ी-सी झलकी बताना चाहूंगी कि इनके समय में भी 'रिसर्जेंट राजस्थान' टाइप एक एन आर आई सम्मेलन हुआ था और उसमें स्थिति यह थी कि इनके तीन मंत्री उस सम्मेलन में पहुंचे थे। कोई सीरियसनेस नहीं थी। जो भी एन आर आइज आये थे, वे सब बोल रहे थे कि आपके पास कोई कांक्रीट प्लान हो, कोई योजनाएं हों तो वह बतायें, लेकिन वे कुछ नहीं बता पाये। उस समय की पर्यटन सचिव, क्योंकि हमारे यहां पर्यटन रेवेन्यू लाने वाला बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, वे सी.डी. भूल गई थीं। क्योंकि सरकार में गम्भीरता नहीं थी, तो बाबुओं में भी गम्भीरता नहीं हो सकती। उस

(श्रीमती अलका सिंह)

समय हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी, जो तब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, वे सारा निवेश ले गये। सभापति महोदय, एक काम जरूर इन्होंने किया था, इन्होंने एक करोड़ का विज्ञापन क्रेयान्स को दे दिया, बिना टेंडर के, उनको पर्सनली फायदा पहुंचाने के लिए। इनके जो, उस समय हमारे भी मुख्य मंत्री थे, उनके मुख्य मंत्री की एक मुस्कुराते हुए एक फोटो जरूर जगह-जगह लग गई थी। वे मुस्कुराते ही रह गये और सारा निवेश गुजरात चला गया।

पी डब्ल्यू डी के क्षेत्र में अभी हमारी सरकार ने बजट 21.90 परसेंट बढ़ाया है। यह मैं थोड़ा-सा इसलिए बताना चाहूंगी कि आज राजस्थान में केन्द्रीय बजट से 4 नेशनल हाइवेज मिले हैं और संख्या की दृष्टि से और लम्बाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा नेशनल हाइवेज राजस्थान में हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदया और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी धौली गुमटी में एक आर.ओ.बी. इसी बजट में स्वीकृत किया गया है। एक कुण्डल से गुढा कटला रोड, जो कि 20 किलोमीटर लम्बी सड़क है, वह इतनी अच्छी अभी बनाई गई है कि हमारे यहां पर जो महानगरों की सड़क हैं, वे भी उसके सामने माइनस ही रहेंगी। उस क्षेत्र में दो कैबिनेट मंत्री पहले रह चुके हैं, 15 साल पुरानी मांग थी, जो आज हमारी सरकार ने उसको पूरा किया है।

पेयजल की जहां तक बात करें, दो सालों में पिछली सरकार ने 3,785 करोड़ खर्च किये थे और हमारी सरकार ने दो साल में 8,500 करोड़ खर्च किये हैं। दौसा पेयजल की दृष्टि से डार्क जोन में है, तो अभी त्वरित समाधान के लिए मुख्य मंत्री महोदया ने बजट घोषणा में 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी।

सभापति महोदय, पर्यटन हमारा यू.एस.पी. है। पर्यटन से रेवेन्यू आता है, युवाओं को रोजगार मिलता है और हमारी जो धरोहर हैं, किले हों, बावड़ियां हों, महल हों, उनका संरक्षण करना हमारी ड्यूटी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में अराउंड 200 करोड़ रुपये इस मद में खर्च करने का प्लान रखा है। इससे म्यूजियम बनाये जायेंगे, प्रचार-प्रसार होगा, संरक्षण होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आभानेरी नाम की एक जगह है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड मैप पर है और डेली वहां पर हजार से दो हजार पर्यटक आते हैं। पिछले बजट में 48 लाख उसमें दिया गया था, जिससे कि उसका काफी विस्तार हुआ था और मैं उम्मीद करती हूं कि इस बजट से भी आभानेरी को जरूर ही कुछ न कुछ मिलेगा।

(श्रीमती अलका सिंह)

गुर्जर समाज की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को आभार देना चाहूंगी, सारे समाज की तरफ से, कि कांग्रेस के समय में 10 साल तक कुछ नहीं दिया गया, इधर-उधर घुमाया गया और अब हमारी सरकार ने एस बी सी में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया है।

इसके अतिरिक्त, अभी आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने की घोषणा की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन उसमें थोड़े छात्रावास और खोले जायें तो जो बच्चे हैं, उनको फायदा होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में 14.47 परसेंट बजट बढ़ाया है। क्योंकि हमारी 65 परसेंट युवा शक्ति है और उस युवा शक्ति का शिक्षित होना हमारे भविष्य के भारत के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार अभूतपूर्व काम हुआ है, प्रमोशन्स हुए हैं, जो शायद 20-25 वर्षों से नहीं हुए थे; समानीकरण हुआ है, एकीकरण हुआ है और व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। क्योंकि हमारा मानना है कि मूल्य-विहीन और कौशल-विहीन शिक्षा विकास को आगे नहीं बढ़ा सकती, विकास में सहायक नहीं होती है। इसके लिए 380 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा देने की घोषणा हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने की है। दो वर्षों में आई टी आई के सुदृढ़ीकरण के लिए पहली बार 25,000 सीटों की बढ़ोतरी की गई है और हर जिले में आई टी आई कालेजेज में कृषि और बागवानी के लिए और रोजगार बच्चों को मिले, इसके लिए होर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के कोर्सेज आरम्भ किये जायेंगे ताकि किसान के बेटे खेत में नई टेक्नोलोजी अपनाकर काम कर सकें, जैविक खेती को बढ़ावा मिले और एनिमल हस्बेंड्री का वे काम कर सकें।

नरेगा की बात करें, सभापति महोदय, नरेगा के बारे में ये कहते हैं कि हम गरीबी दूर करने के लिए यह नरेगा योजना लाये हैं, लेकिन नरेगा का मतलब कांग्रेस के समय में था, "गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो और पैसा उठाओ"। हमारी सरकार ने, हमारी केन्द्र की सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया और इस नरेगा को कृषि और पशुपालन से जोड़ा। अब नरेगा में पक्के काम भी हो रहे हैं और इस तरह से बजट भी इस नरेगा का बढ़ा है। 2015-16 में 3,400 करोड़ रुपये इसका बजट है। अभी केन्द्र का जो बजट आया, उसके अन्दर 35,800 करोड़ रुपये का बजट आया है और निश्चित रूप से केन्द्र का हिस्सा भी इसके अन्दर हमको मिलेगा।

(श्रीमती अलका सिंह)

हमने एक नई चीज नरेगा में और की है कि अगर 100 दिन का रोजगार कोई व्यक्ति इसके अन्दर कर लेगा तो उसको कौशल विकास से जोड़ा जाएगा ताकि वह परमानेंट अपना काम कर सके।

ग्रामीण विकास के अलावा हमारी सरकार ने शहरों के विकास के लिए भी इस बजट में काफी योजनाएं रखी हैं। शहरों के जल वितरण, सीवरेज, ड्रेनेज और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 4,200 करोड़ रुपये की योजना इस बजट में है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बांदीकुई नगर को भी इसके अन्दर सम्मिलित किया है।

अब जल स्वावलम्बन की बात करना चाहूंगी। सभापति महोदय, जल स्वावलम्बन हमारी मुख्य मंत्री महोदया का बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि पानी राजस्थान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं राजस्थान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हूं। तो जब यह योजना आई, मुख्य मंत्री जी के बारे में बात आई, तो मैं ए बी पी न्यूज को कोट करना चाहूंगी, उसके पत्रकार का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगी, कि आपकी मुख्य मंत्री झोली फैला रही हैं? मैंने कहा, मुझे गर्व है हमारी मुख्य मंत्री महोदया पर कि जिस बैकग्राउंड से वे आई हैं, वे राजस्थान की आम आदमी की पीड़ा के लिए, राजस्थान की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, अगर झोली फैला रही हैं, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि यह योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, जनता की सहभागिता के बिना अच्छी तरह से संचालित नहीं हो सकतीं। इसलिए इस योजना को अभियान का नाम दिया है। जन सहभागिता अगर रहेगी तो निश्चित रूप से पानी की जो हमारे यहां परेशानी है, वह जरूर दूर होगी।

भामाशाह प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा भी इस बजट में है। वह यह है कि सभी विभागों की विभिन्न लाभ योजनाएं हैं, लाभ हस्तान्तरण की...

श्री सभापति: अब मुझे देखना पड़ेगा आपकी तरफ। अब मुझे आपकी तरफ देखना पड़ेगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): नहीं, आप देखिये। अब कोई दिक्कत नहीं है।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का जो विजन 2020 है और वह

(श्रीमती अलका सिंह)

जनभावना के अनुरूप है और जनता को लाभ पहुंचाने वाला है। तो उसके बारे में कहना चाहूंगी कि-

उड़ने वालों के लिए आसमान कम नहीं पड़ता,
चलने वालों के लिए जमीन कम नहीं पड़ती।
सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए,
हौसले वालों के लिए दुआएं कम नहीं पड़तीं।।

तो आज राजस्थान की जनता इस बजट के लिए माननीय...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): एक मिनट और लूंगी बस।

श्री सभापति: हां, हां, लीजिये। लीजिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): कांग्रेस के समय का जो बजट है, उसकी थोड़ी-सी झलकियां देना चाहूंगी। 2009-10 में इनका बजट आया था, उसमें कहा गया, चिकित्सा में 15 आयुर्वेद अस्पताल, पांच होम्योपेथी, 10 यूनानी अस्पताल खोले जायेंगे; 2010-11 का बजट आया, फिर 15 आयुर्वेद अस्पताल, पांच होम्योपेथी अस्पताल और 10 यूनानी अस्पताल खोले जायेंगे, और खुला एक भी नहीं। अभी इनके सचेतक महोदय हमारे बजट के बारे में बोल रहे थे, शिक्षा के बारे में कहा गया, 2009-10 और 2011-12 में, शारीरिक शिक्षकों के 1,000 पद भरे जायेंगे, एक भी नहीं भरा गया।

अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिए ये बहुत काम करते हैं, लिप-सर्विस देते हैं और ये चाहते हैं कि वे पिछड़े ही रहें। पिछली बार जब केन्द्र में इनकी सरकार थी, तब अल्पसंख्यकों के संस्थानों के ढांचागत विकास और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए तब की केन्द्र सरकार ने छह हजार 350 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिये थे। यह राशि सामाजिक न्याय विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के मार्फत आनी थी, लेकिन दोनों ही विभागों ने समीक्षा दल ही गठित नहीं किये और दो साल में एक भी पैसा नहीं आया।

सभापति महोदय, इनका फाइनेंशल मैनेजमेंट गड़बड़ था, इनकी प्लानिंग नहीं थी, गम्भीरता नहीं थी, मानिटरिंग नहीं थी। इसलिए ये फेल होकर 21 पर आ गये।

एक छोटी-सी बात और कहना चाहूंगी, चाणक्य से रिलेटेड है, एक छोटा-सा प्रसंग बताना चाहूंगी। देशभक्ति की बहुत बात ये लोग करते हैं।

(श्रीमती अलका सिंह)

चन्द्रगुप्त पर सेल्यूकस ने आक्रमण कर दिया था। सेल्यूक्स यूनान के राजा सिकन्दर के महामंत्री थे और बाद में वे राजा बन गये थे। चन्द्रगुप्त ने उनको हरा दिया तो सेल्यूकस ने संधि के तहत, क्योंकि चन्द्रगुप्त ने उनको चेतावनी दी थी कि उनका जो बाकी राज्य है, उस पर भी आक्रमण करेंगे, तो सेल्यूकस ने संधि के तौर पर अपनी पुत्री हेलेना... बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूं, चिकित्सा मंत्रीजी, थोड़ा-सा ध्यान दें। सेल्यूकस ने...

श्री सभापति: हेलेना। हेलेना।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना के विवाह का प्रस्ताव चन्द्रगुप्त के सामने रखा। चन्द्रगुप्त कोई भी काम अपने गुरु की परमिशन के बिना नहीं करते थे। उन्होंने चाणक्य से पूछा कि क्या मैं हेलेना से विवाह कर सकता हूं? चाणक्य ने एक शर्त पर परमिशन दी, ठीक है, आप हेलेना से विवाह जरूर कर लें लेकिन हेलेना से उत्पन्न पुत्र इस राज्य का राजा नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति आस्था विभाजित हो गई।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: विराजिये। श्रीमती दियाकुमारीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आखिरी डायलाग किसने लिखा था? सभापति महोदय, चन्द्रगुप्त सीरियल था, उसके अन्दर नाथूसिंहजी ने एक रोल किया था और आखिरी डायलाग वहां से लिखा हुआ था।

श्री सभापति: श्रीमती दियाकुमारीजी।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

साथ ही मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को भी ''सर्वजन विकास, सर्वजन उत्थान'' के मूलमंत्र का ध्यान रखते हुए प्रदेश के sustainable, progressive & visionary बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूं। इस बजट में मुख्य तौर पर समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के विकास को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों तथा इन्वेस्टमेंट पर काफी जोर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में हुआ 'रिसर्जेंट राजस्थान' है जिसमें 295 एम ओ यू

(राजकुमारी दियाकुमारी)

साइन हुए हैं। इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने बदले की नहीं, बदलाव की बात करते हुए, योजनाएं प्रदेश को दी हैं, उनमें सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।

सड़कों के लिए 22 प्रतिशत अधिक प्रावधान रखने से सड़कों का सुनियोजित विस्तार होगा। इसी प्रकार शिक्षा के लिए 14 प्रतिशत अधिक बजट रखा गया है, जिससे शिक्षा के स्तर में निश्चित रूप से सुधार होगा। ट्यूरिज्म, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, उस क्षेत्र में भी पहली बार 79 परसेंट की वृद्धि की गई है और मैं सोचती हूं, इससे ट्यूरिज्म को बहुत लाभ मिलेगा। जो हमारे ट्यूरिस्ट स्थल हैं, उनमें भी काफी डवलपमेंट की सम्भावनाएं आएंगी।

एक चीज और मैं कहना चाहूंगी इसमें। जो हमारे जिले हैं, वहां भी बहुत अच्छे ट्यूरिस्ट स्पाट्स हैं और इस ट्यूरिज्म के लिए, ट्यूरिस्ट के लिए बहुत कुछ करने को होता है। उसमें भी अगर कोई कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी अगर बना दी जाये और उन स्थलों को डवलप और अच्छा कर दिया जाये, तो यह भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा मैं सोचती हूं। क्योंकि ट्यूरिज्म हमारे लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री साबित हो सकती है।

मैं राज्य में ''बेटी बचाओ'' अभियान की स्टेट ब्रांड एम्बेसेडर होने के नाते मुख्य मंत्रीजी को राजश्री योजना के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसके तहत बालिका के जन्म से लेकर 12वीं क्लास तक प्रोत्साहन के लिए राशि राज्य सरकार ने 50,000 रुपये तक कर दी है। इससे सही अर्थों में बेटी-बचाओ का सपना साकार हो सकेगा। मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि यह योजना पूरे देश में अपने आप में सबसे अनूठी योजना साबित होगी। हमारे राज्य में जो बालिकाओं का ड्राप-आउट रेट है, वह देश में सबसे ज्यादा है लेकिन इसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि यह सीन जरूर-जरूर बदलेगा और हमारी बालिकाएं आगे पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक होंगी।

साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठी से बारहवीं क्लास तक की बालिकाओं को सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग के लिए मुख्यमंत्री सबल बालिका योजना और जो गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना लागू की गई हैं, इनसे बालिकाओं में आत्मनिर्भरता आएगी। इसके साथ ही सरकार ने सामूहिक विवाह की सब्सिडी को बढ़ाया है, यह भी बहुत अच्छा कदम है। महिलाओं के लिए लागू की गई इन सभी योजनाओं के लिए मैं मुख्य मंत्री साहिबा को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

(राजकुमारी दियाकुमारी)

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने युवाओं के लिए लाइवलीहुड एंड फुल एम्प्लायमेंट स्कीम के तहत स्किल डवलपमेंट व एम्प्लायमेंट के कई अवसर प्रदान किये। यह भी बहुत अच्छा कदम है। स्किल डवलपमेंट में जो कारगर एन जी ओज, हैण्डीक्राफ्ट्स हैं, उसको भी आगे ले जाने के लिए 2 करोड़ की राशि इस बार दी गई है। यह भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे इस तरह की स्किल्स हैं, जैसे कारपेंट्री हो गया या कोई हैण्डीक्राफ्ट्स का ट्रेड हो गया, उनको भी आगे इससे बढ़ावा मिलेगा।

बजट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर घोषित किया गया है तथा नवम्बर, 2016 तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का जो फैसला लिया गया है, वह स्वागत-योग्य है। इससे क्षेत्र के किसानों को बढ़ावा मिलेगा और वे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ-साथ माडर्न टेक्निक्स का भी उपयोग कर सकेंगे।

साथ ही सरकार ने किसानों के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना चालू करने का जो निर्णय लिया है उससे भी पशुपालकों और किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा।

वर्ष 2015-16 में देवनारायण योजना के तहत मकसूदनपुरा में आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया गया और सवाई माधोपुर में पर्यटन व होटल व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए स्टेट इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए जो मुख्य साहिबा ने घोषणा की है, इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आवासीय विद्यालय होने से बालिका शिक्षा तो बढ़ेगी ही साथ ही, क्षेत्र में होटल प्रबंधन के जरिये रोजगार के भी नये अवसर सामने आएंगे।

यहां मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मलारना डूंगर में उपखण्ड मुख्यालय होते हुए भी क्षेत्र शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मलारना-डूंगर में नया महाविद्यालय खोलने की दिशा में विचार करें।

इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल योजनाओं का मापदण्ड पापुलिज्म की जगह जन कल्याण रखा है। इसी सम्बन्ध में मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगी कि प्रदेश की जनता को पेयजल की आपूर्ति कराना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उसी के तहत मैं सवाई माधोपुर शहर की गम्भीर पेयजल समस्या के बारे में बताना चाहूंगी। चम्बल-मंडरायल, गंगापुर सवाई माधोपुर परियोजना, जो कि पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल

(राजकुमारी दियाकुमारी)

दी थी उसको भी जल्द से जल्द पूरा कराने की ओर ध्यान दें। इसके लिए अगर कोई राज्य स्तर पर कमेटी बन जाए, जिसकी मानिटरिंग अगर यहां से हो जाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो कम्पनी है वह आज की तारीख में कार्य बिलकुल नहीं कर रही है।

सवाई माधोपुर की पानी की समस्या के समाधान के लिए मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि एक नई योजना के रूप में बनास नदी से लिंक कनेक्शन देकर, तीन ओपन-वेल बनाकर, सवाई माधोपुर शहर को पानी दिया जाना था। यह योजना 18.21 करोड़ की प्रस्तावित है। इसकी स्वीकृति होने पर पूरे सवाई माधोपुर शहर को पानी उपलब्ध हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे स्वीकृत करने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र में पानी की समस्या से राहत मिल सके।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया है तथा इस अभियान के साथ जन सहयोग जिस उत्साह से जुड़ा है, उसकी जितनी प्रशंसा करें, उतना कम होगा। राजस्थान की जियोग्राफिकल कंडिशन को अगर हम देखें, तो हमारे यहां पूरे देश का 10 प्रतिशत भू-भाग है और केवल एक परसेंट पानी है। इसको देखते हुए जल स्वावलंबन अभियान हमारे प्रदेश की जरूरत थी, जिस पर पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया परन्तु हमारी मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के जल स्तर में हो रही गिरावट के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए इस अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो कार्य हो रहे हैं, उनसे किसानों को लाभ पहुंचेगा तथा वाटर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, जो आज राज्य की जरूरत है, उसको भी पूरा करेगा।

मुख्य मंत्रीजी ने वन क्षेत्रों के आसपास जो 157 करोड़ 61 लाख की लागत से विशेष परियोजना बनाने की घोषणा की है, जिसमें सवाई माधोपुर भी शामिल है, उसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्या।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): बस, एक मिनट और।

श्री सभापतिः हां, बोलिए, बोलिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में ई-पंचायत व्यवस्था, मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना के लिए 125 करोड़, 2 हजार खेल विद्यालयों में खेल मैदान के लिए 150 करोड़,

(राजकुमारी दियाकुमारी)

श्मशान/कब्रिस्तान के विकास के लिए 100 करोड़ एवं विलेज फायर-फाइटिंग सर्विसेज को चालू करना सार्थक पहल हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो खेल प्रतिभा खोज योजना चालू की है, इससे युवाओं को खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, राजस्थान में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और खेलों के माध्यम से रोजगार भी बढ़ेगा।

सवाई माधोपुर राजकीय महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान सब्जेक्ट खोलने के लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और वहीं मैं यह अनुरोध करना चाहूंगी कि सवाई माधोपुर में महिला पी जी महाविद्यालय नहीं होने के कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा में काफी परेशानियां होती हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सवाई माधोपुर महिला महाविद्यालय में सोशियोलोजी में पी जी सब्जेक्ट सैंक्शन करने की कृपा करें ताकि बालिकाएं अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर सकें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): बस, एक मिनट और। मुझे कभी-कभी मौका मिलता है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: नहीं, आप मौका लीजिए न। आपको कौन रोकता है?

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): इसी के साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सवाई माधोपुर में शहीद रिपुदमनसिंह पी जी कालेज, जिसमें छात्रों की संख्या एवं उनके भविष्य को ध्यान रखते हुए केमिस्ट्री और हिन्दी में पी जी सब्जेक्ट को भी सैंक्शन कर दें, तो यह बहुत अच्छा रहेगा।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, हमारे क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले के सभी किसानों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, सवाई माधोपुर की मांग पर जो पिछली सरकार ने 9 परसेंट कामर्शियल टैक्स ट्रैक्टर-ट्रोली पर किया था, उसको 1 परसेंट कर दिया है और उसको वन-टाइम फ्री कर दिया है। तो उसके लिए भी हमारे सभी क्षेत्रवासियों की ओर से माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सवाई माधोपुर औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा है। यहां अगर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और अगर मुख्य मंत्रीजी साहिबा यहां इस क्षेत्र के लिए एक पालिसी बनाकर, यहां पर इन्वेस्टर्स को हम लोग और किसी भी तरह से कुछ

(राजकुमारी दियाकुमारी)

छूट देकर, या किसी भी तरह से वहां और लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अगर थोड़ा प्रोत्साहन मिले तो मैं सोचती हूं कि यहां क्योंकि बहुत अन-एम्प्लायमेंट है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो इससे भी अगर कुछ इंडस्ट्री वहां सेट-अप हो सकें, तो उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री साहिबा से निवेदन करना चाहूंगी।

अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक लोंग टर्म ओवर-आल डवलपमेंट और विजनरी व आम जनता को फायदा पहुंचाने वाले जन-कल्याणकारी बजट के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मानिक चन्दजी सुराणा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, बहस का आज तीसरा दिन है बजट पर और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बजट का विश्लेषण किया गया है।

श्री सभापति: आप उभय पक्ष में हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे भी पता नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं किस पक्ष का हूं।

मैं बजट से अधिक, मुख्य मंत्रीजी की बजट बनाने की प्रक्रिया और उसके लिए कम से कम दो माह का समय लगाने का अथक परिश्रम करना, पार्टी और पार्टी से बाहर के लोगों से और समाज के सभी तबकों से संवाद स्थापित कर, बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, सभापति महोदय, मैं उस प्रक्रिया की बहुत दाद देता हूं। यह प्रक्रिया जब वे पहली बार मुख्य मंत्री बनीं तब भी थीं, पर इस बजट में पिछले दो बजटों की अपेक्षा उस प्रक्रिया का अधिक उपयोग किया गया। मैं उसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

इस बजट में, सभापति महोदय, बजट प्रोपर पर मैं कुछ अर्ज करूं, इस साल पांच हजार करोड़ से कुछ अधिक का घाटा बजट में साफ-साफ अंकित किया गया है। हमारी राजस्व प्राप्तियां 2015-16 में जो 1,06,790 करोड़ बतायी गयी हैं, उसके मुकाबले हमारा राजस्व व्यय 1,12,000 करोड़ है। सभापतिजी, मैं उससे आगे के अंकों को नहीं बोल रहा हूं। 5,231 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट है; पूंजीगत खाते में 5,251 करोड़ का सरप्लस है। सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: जहां-जहां 'अध्यक्ष' शब्द आये, वहां 'सभापति' लिख दें अपने-आप ही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इस साल घाटा है और घाटा मामूली दिखाया गया है। राजस्व अधिक है, 198 करोड़ का अधिक है। सभापति जी, मूल बात यह है कि राज्य की आमदनी जो 1,11,000 करोड़ होनी थी 2015-16 में, जब यह बजट प्रस्तावित किया गया था, उसके मुकाबले 1,06,000 करोड़ ही हुई और हमारा राजस्व खर्च बढ़ा।

बजट को समझने के लिए, सभापति महोदय, हमें मध्यम कालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण सर्कुलेट किया गया है। राजस्थान की विधान सभा के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति को कृपया देखें। 2014-15 में, सभापति महोदय, वेतन, पेंशन, ब्याज सहायतार्थ अनुदान और अन्य मिलाकर 67,098 करोड़ का खर्च हुआ और ब्याज संदाय और सहायतार्थ अनुदान 10,462 करोड़। हमारी 77-80 हजार करोड़ की आमदनी तो फिक्सड है कि कहां खर्च होगी। यदि 2015-16 के आंकड़ों पर जाएंगे तो करीब-करीब हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर 90 हजार करोड़ से ऊपर है। हमारी आमदनी 1,11,000...

श्री सभापति: 85 प्रतिशत।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मतलब, 85 परसेंट तो उसका कमिटेड खर्च है। निश्चित रूप से ये वेतन, पेंशन कम नहीं हो सकते। ये इतने ही रहेंगे। कुछ बढ़ोतरी, सेवंथ पे कमीशन आ रहा है, सेवंथ पे कमीशन आने के बाद यह 1 लाख करोड़ से ऊपर को टच करेगा। हमारी आमदनी 1 लाख 23 हजार करोड़ है। जो हमारी आमदनी है और जो प्लान एक्सपेंडिचर है, जो हमारा आयोजना एक्सपेंडिचर है, उसी के भरोसे जो कुछ भी होना है वो होगा।

सभापतिजी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल और 2015-16 और 2016-17 में हमारा पूंजीगत खर्च जो 2015-16 में 26,527 करोड़ प्रस्तावित था, वह बढ़कर 73,649 करोड़ हुआ। एक ही साल में करीब 42,965 करोड़ का हमारा पूंजीगत खर्च बढ़ा है, जिसके लिए एक्सप्लेनेशन यह है कि 60 हजार करोड़ रुपये जो विद्युत कंपनियों के हैं, वे उदय योजना के तहत हमारे माथे आ पड़े, हमको लेने पड़े, 75 परसेंट हमको लेना पड़ा और इस कारण से चालीस हजार तो हमने 2015-16 में भुगते और बीस हजार करोड़ हम इस साल भुगतेंगे। निश्चित रूप से कोई विकल्प तो है नहीं। कंपनियों का घाटा निश्चित रूप से घाटा है ही।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सभापति जी, 2014-15 का भाषण मुझे मुख्य मंत्रीजी का याद है जिसमें उन्होंने विद्युत कंपनियों के लिए यह फरमाया था, मैं कोट कर रहा हूं, "राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंधन में व्यापक रूप से सुधार बहुत आवश्यक है। हम भारत सरकार के सहयोग से विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण का भी व्यापक पुनर्गठन करेंगें और विद्युत वितरण कंपनियों को अपने अगले तीन वर्षों से लघु अवधि ऋण की सीमा से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास करेंगे।" मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा कि विद्युत कंपनियों का आडिट कराया जाएगा।

सभापति जी, ये विद्युत कंपनियों के कारण जो घाटा 2008-09 में 13 हजार करोड़ था, वह जब 2013-14 में कांग्रेस ने सरकार छोड़ी...

श्री सभापति: माननीय वरिष्ठ सदस्य, बातचीत नहीं करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ... वह 77 हजार करोड़ हो गया और वह जो पैकेज है, विद्युत कंपनियों का फाइनेंशिल रिस्ट्रक्चरिंग का जो ढांचा बनाया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस ढांचे में कौनसी बात सही उतरी? कांग्रेस के हमारे साथी कम से कम यह जो उनके समय में साठ हजार करोड़ का, 13 हजार से 77 हजार करोड़ खर्चा हुआ, 64 हजार करोड़ ज्यादा, मैं चाहूंगा कि कभी, चाहे पूर्व मुख्य मंत्री या कोई पूर्व विद्युत मंत्री इनका पक्ष रखें। सभापति जी, जो रिकार्ड मेरे पास है, जो प्लान बनाया गया, 2012-13 में इन्होंने कहा कि हमको 11,152 करोड़ का घाटा होगा और घाटा हुआ 12,351 करोड़, यानी, एक हजार करोड़ अधिक। 2013-14 में 9,913 आंका गया स्ट्रक्चरिंग प्लान में, हुआ 15,645, यानी 6 हजार करोड़ रुपये का घाटा एक साल में अधिक हुआ; 2014-15 में 6,911 करोड़ आंका गया और हुआ 15,000। हमारे टाइम का ही है यह, क्योंकि 2013-14 में हम आ गये, दिसम्बर में। 2015-16 में घाटा मामूली दिखाया गया 2,391 करोड़ और 2016-17 में टर्न आउट दिखाया गया।

मैं यह पूछने का अधिकारी हूं, सभापतिजी, कि माननीया मुख्य मंत्रीजी जी ने जो वार्निंग 2014-15 के बजट में दी थी, इस सरकार ने, इसके विद्युत मंत्रीजी ने उसमें क्या किया? यह जून, 2014 का भाषण है माननीया मुख्य मंत्रीजी का। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सिर्फ घाटे के आंकड़े हैं।

सभापति जी, कौनसी चीज में हम पीछे हैं भारत में? विद्युत कम्पनियों के लोसेज में राजस्थान का रिकार्ड स्थान है, पैंतीस परसेंट का घाटा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है। विद्युत कम्पनियों के विद्युत उत्पादन में, सभापतिजी, हम साढ़े-आठ रुपये से भी ऊपर बिजली बना रहे हैं, 8.87, और गुजरात में यह बिजली 4.98 में बन रही है। गुजरात सरकार 4.98 में बिजली बनाती है और 4.63 में अपने उपभोक्ता को देती है और 33 पैसे का नुकसान है। हम तो गुजरात के बहुत गीत गाते हैं, नरेन्द्र मोदी जी के गीत गाते हैं। गुजरात जाकर क्या अध्ययन कराया गया कि हमारी उत्पादकता क्यों अधिक है?

सभापति महोदय, इन सवालों का जवाब, कोस्ट आफ प्रोडक्शन हमारी सबसे महंगी; छीजत हमारी सबसे महंगी; फाइनेंशल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो कांग्रेस सरकार ने बनाया, वह बिलकुल फेल। ऐसे लगता है जैसे प्लान नहीं है, कोई ऐसे ही आंकड़े दिये गये हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इन विद्युत कम्पनियों के घाटे का, जबसे विद्युत कम्पनियां बनी हैं, 2001-02 के करीब, तब से लगाकर आज तक इनके घाटे के लिए राज्य सरकार हाई पावर कमेटी बनाये, सी ए जी का सहयोग ले और इस पर सफेद पत्र प्रकाशित करे ताकि राजस्थान की जनता को मालूम हो कि जो 64 हजार और अब 80 हजार हो गया, उस घाटे का मूल कारण क्या है। सभापति जी, यदि हम घाटे के मूल कारणों में नहीं गये, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस सरकार में जो घाटा हो रहा था, और हमने व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया तो यह न मानें कि हमारा राज आ गया है तो हमारा यह घाटा अपने आप खतम हो जायेगा, या सिर्फ हमारी भावना के कारण खतम हो जायेगा...

श्री सभापति: वर्ल्ड बैंक ने अब स्वीकार कर लिया कि हमने जो यह बिजली का माडल विकासशील देशों को दिया था, यह हमारी गलती थी। उन्होंने 2003 के बाद, इतने वर्ष बाद स्वीकार किया है और हम उसके चंगुल में पहले ही आ गये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं तो आपकी बात के समर्थन में ही कह रहा हूं कि व्हाइट पेपर प्रकाशित हो। आखिर देश की 6.85 करोड़ जनता को जानकारी हो कि 80 हजार करोड़ का घाटा कैसे हुआ और हमारी सरकार पर 60 हजार करोड़ का जो पूंजीगत भार पड़ा है, ऋण का भार पड़ा है, उसके क्या कारण रहे।

सभापतिजी, मैं पूर्व विद्युत मंत्रीजी और वर्तमान विद्युत मंत्रीजी से भी कहूंगा कि राजस्थान में अगर विद्युत की चोरियां बंद करनी हैं तो मेरा तो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सुझाव है कि विद्युत मंत्री को अलग रखिए। विद्युत मंत्री के सहयोग में आपने तो पांच-पांच पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना रखे हैं। एक सेक्रेटरी इनको दीजिए जो सिर्फ विद्युत चोरी को प्लग करने का काम करे और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में घूम कर, आपके पास तो 160 विधायक हैं, आप और हम अपने-अपने क्षेत्रों में, विद्युत चोरी कहां हो रही है, हवा में तो नहीं हो रही है, आखिर तो कोई किसान ही कर रहा है, कोई उपभोक्ता ही कर रहा है, कोई इंडस्ट्री वाला कर रहा है। बिजली की रेटों को देखते हुए अपनी बचत करने के लिए वह चोरी कर रहा है, सभापतिजी, मैं व्हाइट पेपर की मांग करता हूं।

माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी कह रहे थे कि सिटी ट्रांसपोर्ट में तो घाटा होता ही है। मुझे याद आ गया शांति धारीवालजी का भाषण, जब वे नगरीय विकास मंत्री थे और जब यह मेट्रो की डी पी आर बनी थी, वे भी यही कह रहे थे, मेट्रो में तो घाटा होगा ही होगा। सभापतिजी, हो सकता है माननीय सदस्यों ने मेट्रो की डी पी आर न पढ़ी हो, पर उस डी पी आर में हम जिस रूट पर जयपुर मेट्रो रेल चला रहे हैं, मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से आगे तो अभी बन रहा है, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़; इस डी पी आर में कहा कि 2 लाख यात्री रोज यात्रा करेंगे और सीतापुरा, पहले उसका नाम दुर्गापुरा था अब वह लाइन बढ़ा दी गई, दुर्गापुरा से अंबा बाडी 4 लाख यात्री यात्रा करेंगे। सभापति जी, मुझे इन आंकड़ों को चुनौती देने का अवसर उच्च न्यायालय में मिला और जो रिट याचिका तैयार हुई और मेरे द्वारा जो आर्ग्यू हुई, उसमें हमने लिखा कि 31 हजार से ऊपर आंकड़ा नहीं आने वाला है।

सभापतिजी, अभी जयपुर मेट्रो रेल का इसी वर्ष का प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को और मुझे वितरित किया गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। उप सचेतकजी समय बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, चाय पीने के लिए नहीं बढ़ाया, सुनने के लिए बढ़ाया है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, यह जयपुर मेट्रो का 1.4.15 से 31.12.15 तक का प्रतिवेदन मेरे हाथ में है। इसमें, सदन गौर करे, जून 2015 में, जब मेट्रो 2 जून को चली थी तो 1 लाख 43 हजार, आगे की फीगर बोलने की आवश्यकता नहीं है, 1 लाख 43 हजार; जुलाई, 2015 में 99 हजार; अगस्त, 2015 में 90 हजार; सितम्बर, 2015 में 78 हजार; अक्टूबर, 2015 में 75 हजार; नवम्बर, 2015 में 71 हजार; और दिसम्बर, 2015 में 68 हजार।

(16.46 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, 68 हजार का मतलब यह है, इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के आंकड़े आ गये और, उपाध्यक्षजी, 21-22 हजार यात्रियों के ट्रेवल करने का आंकड़ा सामने आ गया।

मैं अर्ज करना चाहता हूं, पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने राहुल गांधी के दवाब में, क्योंकि राहुल गांधी और अशोक गहलोत तो समझते ही थे कि उम्र भर हमारा ही तो राज रहना है, जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए इस मैट्रो का श्रीगणेश करवाया। डी पी आर में ओरिजनल अमाउंट 1,250 करोड़ है और जब तक यह मेट्रो बनी, 3,400 करोड़ रुपये इस पर व्यय हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके तो ध्यान में ही है कि 3,400 करोड़ व्यय होने के अलावा, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके कहा कि 4,000 से अधिक मूल्य की जमीन, जो राज की थी, वह जमीन उस मैट्रो रेल को हस्तांतरित की गई।

मेट्रो-फेज-सेकण्ड का यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, जिसकी ओरिजनल कोस्ट साढ़े नौ हजार है, और पहले के अनुसार भी देखें तो 6.8 हो गया, करीब पौने तीन गुणा हो गया, पौने तीन से थोड़ा-सा कम हुआ, 2.2 थर्ड, वह जाकर बैठेगा 20 हजार करोड़ से ऊपर। क्या हमारे राज्य की स्थिति है कि हम 20 हजार करोड़ रुपये..., अभी तो 21 हजार आ रहे हैं, उसमें

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ज्यादा से ज्यादा आयेंगे 40 हजार। इन 40 हजार की यात्रा की सुख-सुविधा के लिए, यह राज्य जो ऋण के भार से दब रहा है, क्या उसका कोई औचित्य है?

मैं निवेदन करना चाहूंगा और मांग करता हूं कि आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 2015-16 के 40 हजार करोड़, 2016-17 के 20 हजार करोड़ रुपये का विद्युत कंपनियों का जो भार हम पर आया है, उसको देखते हुए मेट्रो रेल-फेज टू को राज्य सरकार कैबिनेट रिज्योलूशन पास करके स्क्रेप करे, उसको निरस्त करे। दिखाने के लिए एक मेट्रो हमारे पास है, जो 9.2 चल रही है और एक-डेढ़ किलो मीटर और बढ़ जायेगी, बड़ी चौपड़ तक। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य को अपने धन का अपव्यय करने का पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। माननीय मुख्य मंत्री तय कर लें, फिर देर क्या है? मैं अर्ज करूंगा कि इस सदन में कड़ी से कड़ी आलोचना माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है, हमने तो उसके पहले ही की थी, पर माननीया मुख्य मंत्रीजी अपने पहले बजट भाषण में की है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी की है। जो सारी तिकड़ी है, वह इसके खिलाफ ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सांगानेर से आने वाले माननीया सदस्य ने अपने मुख से कोई बात कही है, वह सदन की सम्पत्ति हो गई। तो सदन यह जानने के लिए अधिकृत है और जानना चाहता है कि 'तिकड़ी' के साथ आपका आशय क्या था ? किसको कह रहे हैं आप 'तिकड़ी'?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बता देता हूं, तीन लोगों ने कोई बात बोली तो तिकड़ी, चार बोले तो चौकड़ी। इसलिए असंसदीय नहीं, और तीन बोलनी हो तो मुझे बता दो। मैंने माननीय राव साहब का भाषण खूब सुना है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): राजपाल सिंहजी का भी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजपाल सिंहजी का भी, मानिकजी साहब का भी और मुख्य मंत्रीजी ने पहले बजट भाषण में कहा। फिर भी आगे डेढ़ किलोमीटर जयपुर में और बना ही रहे हैं ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप इसके पक्ष में हो ना कि मेट्रो बंद हो जानी चाहिए जयपुर में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो पक्ष में हूं कि मेट्रो चलनी चाहिए और मेट्रो का दूसरा फेज भी बनना चाहिए। इसके पक्ष में हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर तिकड़ी कैसे हुई? फिर तो बिगड़ी तो हुई। उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो बिगड़ी हुई। यह तिकड़ी नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसको चाहे बिगाड़ो, चाहे सुधारो, लेकिन यह बननी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, यह मामला गणित ज्ञान का है। कइयों के कभी गणित सही बैठ जाते हैं, कइयों के कभी गणित सही नहीं बैठते।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्षजी, मैं तो सांगानेर से आने आने वाले माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि इस मेट्रो का भार जब बढ़ जाएगा, डी.पी.आर. में लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय 192 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सन् 2044 तक नुकसान होना है। ये डी.पी.आर. जो दिल्ली मेट्रो रेल बनाई, उसमें लिखा है, 192 करोड़ प्रति वर्ष।

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं, आदरणीय सदस्य, it is 40 crores every month and it is a deficit of Rs. 30 crores every month and multiplied by 12 months, it is 360 crores.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 580 करोड़ वह तो अभी है और वह दूसरी चल गई तो आंकड़ा 192 पर आना तय है।

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष जी, यदि हमें राजस्थान के किसान की आमदनी को दुगना करना है, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने अपने बजट के माध्यम से काल दी है और न सिर्फ काल दी है, बल्कि उन्होंने अपने बजट में, कुछ आंकड़े पेश करता हूं, उपाध्यक्षजी, जो भारत सरकार के बजट के हैं; कृषि व कृषक वैलफेयर 35,984, रूरल सेक्टर के लिए 87,765, ग्राम पंचायत व नगरपालिकाओं के लिए 2.27 लाख करोड़ पूरे देश के लिए। शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए 1.51 लाख करोड़, आधारभूत ढांचा विकास 2.21 लाख करोड़, रोड और रेलवे के लिए 2.18 लाख करोड़। इसमें रोड पर 57 लाख 900 करोड़ खर्च हुए हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं इस बजट को उस भारत सरकार के बजट के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं। मैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए यदि भारत सरकार कृतसंकल्प है तो इस सरकार को भी कृतसंकल्प होना ही चाहिए। उपाध्यक्ष जी, राजस्थान की हमारी स्थिति क्या है एग्रीकल्चर की? हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति, उपाध्यक्षजी, जो आपने आर्थिक समीक्षा का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वितरण किया, इस आर्थिक समीक्षा में जो आंकड़े दिये हैं, मैं उन्हीं में से बोल रहा हूं। आप चैकअप करें, बाद में करें पहले करें, कोई दिक्कत नहीं है।

राजस्थान की दो बात समझनी पड़ेगी, उपाध्यक्ष जी, हमारे कृषकों की जो जोतें हैं उनकी संख्या क्या है? हमारी जोतों की संख्या 2010-11 में 68.88 लाख और 2005-06 में 61.86 लाख थी। मैंने 2005-06 का कहा है और 2010-11 का कहा है। जो सर्वे हुआ है, वह खरीफ-रबी मिलाकर हुआ है। 2005-06 के मुकाबले 2010-11 में 7.2 लाख जोतों में वृद्धि हुई है। आखिर विरासत में तो रोज बंटवारे होते हैं, रोज आपस में परिवार टूटते हैं। तो यह वृद्धि हुई है। राजस्थान की कुल भूमि जिसमें खेती होती है, वह 211 लाख हेक्टेयर है।

अब, उपाध्यक्षजी, इस 211 लाख हैक्टेयर में पिछले दो वर्षों में हमारी स्थिति क्या रही? हमारी स्थिति जो रही, वह यह है कि हम पिछले दो वर्ष पूरे देश में कृषि के लिए खराब रहे। हम मानसून पर निर्भर हैं। हमारे लिए और भी खराब है। फिर भी स्थिति को तो देखना होगा। 2013-14 में उत्पादन जो अनाज का 182.49 लाख टन था, वह 2014-15 में घटकर 176.70 लाख टन और 2015-16 में उससे नीचे आ गया 159.43 लाख टन। दालों में कम हो गया। मेरे सारे आंकड़े आर्थिक समीक्षा के हैं।

उपाध्यक्ष जी, हमने केलकुलेट किया। अनाज को हमने मोटे तौर पर गेहूं के एम.एस.पी. के भाव से केलकुलेट कर लिया, 16 हजार रुपये टन। चाहे चावल का भाव ऊपर है। तिलहन का भाव 41 हजार जो एम.एस.पी. है, 41 सौ प्रति क्विंटल, उससे केलकुलेट किया और दालों का भाव 80 हजार रुपये टन से केलकुलेट किया, यानी आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल। हमारा घाटा जो हुआ उत्पादन में, उपाध्यक्षजी, हमारा घाटा कुल मिलाकर अनाज में 160 करोड़ का 2014-15 में और 2015-16 में 3,680 करोड़ का। दालों में 4 हजार करोड़ का 2014-15 में और 2015-16 में 4,160 करोड़ का। तिलहन को 2,870 करोड़ का 2014-15 में और 7,462 करोड़ 2015-16 में। 2014-15 का जोड़ आ रहा है, उपाध्यक्ष जी 7,030 करोड़ और 2015-16 का जोड़ आ रहा है 15,302 करोड़। 22 हजार करोड़ का घाटा हमको उत्पादन के क्षेत्र में दो साल में हो गया है।

किसान के पास नान-फॉर्मिंग इन्कम क्या है? खेत में घाटा हो गया, what is the non-farming income? मैं समझता हूं कि नरेगा से बड़ी नान फार्मिंग इन्कम का राजस्थान में और प्रदेश में कोई और सोर्स नहीं है। नरेगा में हम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कहां खड़े हैं, उपाध्यक्षजी, हम नरेगा में जो लेटेस्ट राज्यपालजी का अभिभाषण है उसके अनुसार, राज्यपाल के अभिभाषण का पैरा नं. 83 पेज नं. 41 – "इस वर्ष अब तक 38 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। कुल 17 करोड़ 68 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया"। माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी नहीं हैं पर बहुत कैबिनेट मंत्री और सीनियर मंत्री बैठे हैं, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब विराजे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अर्ज करता हूं कि ये 38 लाख परिवारों को जो रोजगार है 17 करोड़ 68 लाख का, यदि सौ दिन का रोजगार होता तो इसका आंकड़ा होता 38 करोड़ मानव दिवस। आप उन 38 लाख लोगों को सिर्फ 45 दिन का रोजगार दे रहे हैं और यह आप माननीया वसुंधराजी की सरकार में कर रहे हैं, जिनका 2008 -09 का नरेगा का बजट 6175.87 करोड़ था।

श्री उपाध्यक्ष: मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि आप अब इसको कन्क्लूड कर लें। आधा घंटा हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जी। उसमें उन्होंने जो मानव दिवस सृजित किये, वे 63 लाख 59 हजार। उपाध्यक्ष जी, अभी तो 63 लाख 59 हजार के मुकाबले हम 38 लाख आये हैं।

(17.00 बजे)

नरेगा किसी की कृपा नहीं है, उपाध्यक्षजी। नरेगा सेन्ट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है और हर ग्रामीण को यह अधिकार है कि जो अकौशल श्रम करना चाहता है, वह 100 दिन का रोजगार प्राप्त करे। मैं पूरी सरकार से निवेदन करूंगा, आप 60 हजार करोड़ रुपये यदि विद्युत कम्पनियों के लिए कहीं से ला सकते हैं, आप नरेगा के मजदूर के लिए, उस ग्रामीण के लिए, जो गांव में बैठा है, नान-फार्म इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, आप 100 दिन का रोजगार दें; Beg, borrow or steal पर यह 100 दिन का रोजगार आप निश्चित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा, जल प्रबंधन और जल स्वावलम्बन पर बड़ा जोर है। माननीया मुख्य मंत्रीजी का जल स्वावलम्बन अभियान है, उन्होंने उसको जो नया आयाम दिया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, पर मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि आप एक-एक जल ग्रहण ढांचे में 30 हजार लीटर पानी इकट्ठा कर रहे हैं, मात्र 30 हजार लीटर का। उसकी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कोस्ट, ग्रामीण विकास मंत्रीजी को पत्र भी दिया है, मुख्य मंत्रीजी को पत्र दिया है कि आप भी कांग्रेस के पैटर्न पर जल ग्रहण समितियों और अब जल ग्रहण समिति का अध्यक्ष सरपंच है, तो एक सरपंच और 5-7 लोगों की कमेटी के माध्यम से सारे गाँवों में ढांचों का निर्माण कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, जब तक खेत के मालिक को, खातेदार को, या खातेदार ने किसी को लीज पर दिया है, उसको आप कांफिडेंस में नहीं लेते और उसको केन्द्र में नहीं रखते निर्माण के, यह 50 परसेंट, 60 परसेंट का घोटाला अभी हो रहा है, उसके हाथ में आप काम देंगे 30 हजार की जगह 50 हजार लीटर का बनेगा। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, समय का तकाजा है कि मैं उसको डिटेल में नहीं कह सकता, जितना रुपया आप उस पर दे रहे हैं, जो आपका नोर्म है वह 80-90 हजार से ऊपर नहीं आता है, 60 हजार रूपया किस की जेब में जा रहा है? आप क्यों भेज रहे हैं? कांग्रेस ने सेंटर आफ थिंग्स में खेत मालिक को नहीं रखा, हमारी मजबूरी है क्या कि हम भी नहीं रखेंगे? क्योंकि इन्होंने नहीं रखा, इसलिए हम भी नहीं रखेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि यदि जल ग्रहण ढांचों को बनाना है, उसके मार्फत बारानी कृषि भूमि में 3-4 बीघा सिंचाई की क्षमता पैदा करनी है तो आप इस सारे प्रोग्राम में केन्द्र में किसान को रखिए, खेत मालिक को रखिए, तभी इसका जो भी धन है उसका पूरा उपयोग होगा।

उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बात हो रही है 14 प्रतिशत आरक्षण की। मैं मेरी तरफ से कुछ न कहकर हाई कोर्ट का जो फैसला है, उसमें आपकी सरकार ने और आपके एडवोकेट जनरल ने क्या कहा है, मैं सिर्फ सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं क्योंकि 14 परसेंट के लिए दो-दो बार बिल पास हुए हैं, एक्ट बने हैं। माननीय अरुण चतुर्वेदीजी साहब विराजे हैं। अब सुनिए आप इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासेज के बारे में कानून क्या है और स्थिति क्या है- "In response thereto, the Advocate General submits that as regards reservation to Economically Backward Classes is concerned, neither any notification has been issued nor classification of classes has been made and it has never been acted upon since inception of the Act, 2008 and in the absence of any further decision being taken, as regards Economically Backward Classes is concerned, he has instructions to inform that nothing is pending with the Government at present for acting upon providing reservation to Economically Backward Classes and in absence of any Notification being issued, no reservation to Economically Backward Classes is supposed to be provided and submits that primarily it is only with regard to the reservation granted to Special Backward Classes which is the subject matter under challenge.

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): डेट कौनसी है, 2010 ?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, अभी की है। अजय रस्तौगी, जे के रांका, पी आई एल में आपको डेट बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: These are the matters which are sub judice?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): It has been decided. Economically Backward Classes के लिए तो मैटर खतम ही हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: Is this thing lying pending before the Court of Law?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जी । सरकार ने कह किया ना, एडवोकेट जनरल साहब ने कह किया कि कोई चीज पेंडिग नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला न्यायिक परिवीक्षा में है, क्योंकि जो स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन हुआ था....

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यही तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डा. गुरवेन्द्र सिंह और जी. लाल ......

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यही तो कहा है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मैंने पढ़ा, आपने सुना, यही कहा है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो नोटिफिकेशन नहीं होगा.....

श्री उपाध्यक्ष: अगर यह मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, चाहे उच्च न्यायालय में Then, I will not allow that to be discussed.

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी सब जुडिशियस नहीं है; जितनी मेरी नालेज है, अभी तक सब-जुडिस नहीं है लेकिन आपने जो कहा, यह बात सही है कि इस पर अभी तक नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं हुआ।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नोटिफिकेशन इश्यू क्यों नहीं हुआ, 2010 में अरुण मिश्राजी और...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नोटिफिकेशन इश्यू क्यों नहीं हुआ, यह आपका मैटर है, मेरा नहीं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो उपाध्यक्ष महोदय ने पूछा उसको मैं क्लीयर कर रहा हूं। 2010 में एक जजमेंट, जस्टिस अरुण मिश्रा और डबल बेंच का एक जजमेंट आया, जिस पर उन्होंने कहा। आप इसमें, the Government will revisit the reservation policy and after getting the quantifying data, they will issue the notification and that notification will come in effect two months, period.

श्री उपाध्यक्ष: Basically the Government is quite sincere about the Bill.

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): डेफिनेटली, हमने उसमें नोटिफिकेशन के लिए, उन्होंने कहा कि आपने कमीशन 2010.....

श्री उपाध्यक्ष: चलो, its more or less clear now. Sir, anything further?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जजमेंट जो मैं पढ़ रहा हूं, इसकी कापी मैं माननीय सामाजिक न्याय मंत्रीजी को दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे कुछ दो-चार बातें...

श्री उपाध्यक्ष: Anything else? Sir, we are already running late. There is no more time left now. You can bring up this issue again or any other issues that are left during Appropriation or Finance. You have already taken 40 minutes.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: Okay.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बीकानेर को तकनीकी विश्वविद्यालय देने और खाद्य पदार्थों की लेबोरेटरी देने के लिए विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्षजी, यह तकनीकी विश्वविद्यालय गत वर्ष ही तो बंद हुआ था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता पर माननीय, एक बार तकनीकी विश्वविद्यालय बंद हुआ, पत्रकारिता विश्वविद्यालय बंद हुआ, अम्बेडकर विश्वविद्यालय बंद हुआ और हमसे ही वापस शुरुआत हो गई कि तकनीकी विश्वविद्यालय खुल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आने वाले समय में, साल-छह महीने में पत्रकारिता विश्वविद्यालय को, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को नये फार्म में, नये एक्ट के द्वारा स्थापित करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी। एक मिनट। आदरणीय मुख्य सचेतक महोदय, माननीय सदस्य नन्दकिशोरजी महरिया, क्योंकि अध्यक्षजी ने पहले अलाउ, पांच मिनट के लिए आप बोलना चाहते हैं। अगर आप लोग कहो तो उनको बुलवाकर, फिर आपके...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी आज्ञा सर्वोपरि है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आदेश सर्वोपरि है आसन का।

श्री उपाध्यक्ष: नन्दकिशोरजी।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय। आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा पेश किए गए आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 पर चल रहे सामान्य वाद-विवाद पर बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण दिनांक 8 मार्च, 2016 को सदन में पढ़ा व टेबल किया। उसके बाद लगातार तीन दिन से वाद-विवाद जारी है। माननीया मुख्य मंत्रीजी के भाषण में व महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, दोनों में ही आम जन की आशाओं के अनुरूप बनाई गई योजनाओं व सरकार की आगामी सोच के बारे में, कार्य योजनाओं के बारे में, बताया गया है। चूंकि यह बजट का मामला है, तो इसमें टारगेट्स एंड एचीवमेंट्स के आंकड़े दिये गये है। दोनों ही, चाहे वह महामहिम महोदय का अभिभाषण हो, चाहे मुख्य मंत्रीजी जी का बजट भाषण हो, सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है लेकिन दोनों दस्तावेजों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। इतनी अधिक आंकड़ों की त्रुटियां हैं कि हम अब इसके बारे में आगे किस रूप में चर्चा करें वह आप ही ज्यादा ठीक बताएंगे।

महोदय, आंकड़े इतने भ्रमित करने वाले हैं, जो सदन की कल्पना से भी परे हैं। इसमें बहुत गम्भीर किस्म की त्रुटियां पाई गई हैं। ऐसा शायद राजस्थान के इतिहास में, अब तक के जो भी 65-66 बजट पेश हुए हैं, उनमें कभी नहीं हुआ। माननीया मुख्य मंत्रीजी जी ने दो-ढाई महीने लगातार मेहनत करके डिस्ट्रिक हैड-क्वार्टर्स पर जाकर जो तैयारियां कीं, हम लोगों की आशाएं पूरी करने की, उन तैयारियों पर नौकरशाही ने इन आंकड़ों के जाल में फंसाकर सारा पानी फेर दिया। चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को डाटा का उलट-फेर कर जो मजाक डाटा तैयार करने वाली अफसरशाही ने बनाया है, उसने हमारे लोकतंत्र,

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

हमारे इस पवित्र सदन, हमारी गरिमा, हमारी सच्चाई, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सबको धूमिल किया है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसका कोई उपाय भी मुझे नहीं सूझ रहा है। इस प्रकार की गलतियां शायद ही पहले कभी हुई हैं।

गम्भीर त्रुटि नम्बर एक। महामहिम राज्यपाल महोदय के 29 फरवरी, 2016 को दिये गये अभिभाषण में पेज नम्बर 21 के पैरा नम्बर 40 में माननीय राज्यपाल महोदय ने विद्युत के क्षेत्र में 4167 मैगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना बताया है। इसका मूल पाठ आपके पास उपलब्ध है। इसी सन्दर्भ में माननीया मुख्य मंत्रीजी के भाषण में पेज नम्बर 17 के पैरा नम्बर 39 में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4,283 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि होना बताया है। दोनों में 116 मेगावाट का फर्क है। हम किस बात पर बहस करें?

गम्भीर त्रुटि नम्बर-दो। मुख्य रूप से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 6 के पैरा नम्बर 11 में 2,182 किलोमीटर की 1,009 मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए 608 करोड़ 35 लाख की लागत बताई गई है, जबकि मुख्य मंत्रीजी के भाषण में पेज नम्बर 6 के पैरा नम्बर 10 में 2182 किलोमीटर की 1009 मिसिंग लिंक सड़कों के लिए सिर्फ 608 करोड़ बताये गये हैं। 35 लाख का फर्क है, उपाध्यक्ष महोदय। यह 35 लाख का फर्क दोनों दस्तावेजों में किस वजह से है?

गम्भीर त्रुटि नम्बर-तीन। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज नम्बर 4 के पैरा नम्बर 7 में भामाशाह योजनान्तर्गत नामित बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अंत्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखिया को दो हजार रुपये प्रति परिवार सहायता राशि का भुगतान आनलाइन प्रक्रिया अपनाते हुए किया जा रहा है। दिसम्बर, 15 तक 10 लाख 69 हजार परिवारों के खाते में 208 करोड़ 67 लाख की राशि हस्तांतरित होना बताया गया है। वहीं मुख्य मंत्री महोदया के भाषण में पेज नम्बर 74 के पैरा नम्बर 224 में 10 लाख 69 हजार की जगह 16 लाख 48 हजार खातों में हस्तांतरित होना बताया है।

इसी प्रकार त्रुटि संख्या-चार। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज संख्या 5 व 6 पर पैरा नम्बर 10 में चालू वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,481 ढाणियों को जोड़ने की 1,618 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति बताई है। इसी मामले में मुख्य मंत्रीजी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

द्वारा दिये गये भाषण में बसावटों की संख्या 1,481 की जगह 1,468 हो गई और 64 लाख रुपये उसमें कम हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, एक पैसे का भी फर्क जब बजट में आता है, बैलेंस शीट में आता है, तो चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकार, वह आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन यहां तो लाखों का फर्क जगह-जगह आ रहा है। हम पिछले दस दिन से किस बात पर वाद-विवाद कर रहे हैं, यह समझ से परे है। इस पैरे के हिसाब से आबादी भी कम जुड़ी और लागत भी बढ़ गयी है।

त्रुटि नम्बर पांच। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 10 के पैरा नम्बर 18 में राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में से 71 ब्लाक्स में स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल खोलना बताया है। वर्ष 2015-16 में 428 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से 63 नये स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल का निर्माण भी करवाया जा रहा है, ऐसा भी लिखा हुआ है। जबकि मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण के पेज नम्बर 50 व पैरा नम्बर 148 में लिखा है कि वर्ष 2015-16 में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए 61 ब्लाक्स में नये स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल का कार्य प्रारम्भ किया गया है। यानी कि राज्यपाल महोदय ने 71 ब्लाक बताये, मुख्य मंत्री महोदया ने 61 ब्लाक बताये। ऐसा क्रूर मजाक इस सदन के साथ जो अफसरशाही कर रही है, उसका कोई उपाय, उपाध्यक्ष महोदय, जरूर करायें।

त्रुटि संख्या-छह। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के पेज नम्बर 13, पैरा नम्बर 24 में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 367 राजकीय व 320 निजी चिकित्सालयों का जुड़ा होना बताया है, जबकि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में पेज नम्बर 56 के पैरा नम्बर 172 में बताया है कि 432 राजकीय चिकित्सालयों व 423 निजी चिकित्सालय इससे जुड़े हुए हैं। किसको सही मानें, किसको सही नहीं मानें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पाइप लाइन में थे, जुड़ गये और।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आठ दिन में जुड़ गये!

गम्भीर त्रुटि संख्या-सात। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज नम्बर 27 के पैरा नम्बर 49 में बताया गया है कि 1,459 मां-बाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जबकि बजट भाषण के पेज नम्बर 45, पैरा नम्बर 129 में इन मां-

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

बाड़ी केन्द्रों की संख्या 1,439 बताई गयी है। अब उपाध्यक्ष महोदय, 29 फरवरी से 8 मार्च के बीच 20 आंगनबाड़ी केन्द्र गायब तो नहीं हो सकते। इस तरह से प्रदेश में जो आंकड़ेबाजी हो रही है, वह समझ से बिलकुल बाहर है।

गम्भीर त्रुटि नम्बर-8 । राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के पेज नम्बर 32 के पैरा नम्बर 61 में पढ़ा है कि हमारे माननीया प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी की महत्वाकांक्षी योजना, जो 19 फरवरी को शुरू हुई थी, सोइल हैल्थ कार्ड में माह दिसम्बर, 15 तक 2 लाख 78 हजार किसानों को सोइल हैल्थ कार्ड दिया जाना बताया गया है, जबकि बजट भाषण में पेज नम्बर 30 के पैरा नम्बर 84 में 6 लाख 28 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना बताया गया है।

गम्भीर त्रुटि संख्या-9। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 41 के पैरा नम्बर 82 का मूल पाठ इस प्रकार है, "गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में वर्ष 2015-16 में 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। माह दिसम्बर, 2015 तक 270 कार्यों पर लगभग 78 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।" दूसरी तरफ, बजट भाषण में पेज नम्बर 71 के पैरा नम्बर 215 में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जन उपयोगी विकास कार्यों के निर्माण हेतु चलाई जा रही गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में इस वित्तीय वर्ष में अब तक विद्यालयों, चिकित्सालयों, श्मशान भूमि, कब्रिस्तान चारदीवारी, आदि के 842 कार्य बताये गये हैं।

माननीया उपाध्यक्ष महोदय, आप बताएं कि 270 कहां, 842 कहां! तीन गुना से भी अधिक का फर्क है। यह किस तरह का मजाक किया जा रहा है? यह कतई बरदाश्त के काबिल नहीं है। जिस किसी ने भी ये आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, या लिखवाये हैं, उनके खिलाफ, नौकरशाही पर ही दुबारा भरोसा नहीं किया जाए। आप स्वयं कोई एक्शन लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति आइन्दा नहीं हो।

इसी तरह त्रुटि नम्बर-दस। माननीया मुख्य मंत्रीजी के दिल से जुड़े मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पेज नम्बर 44 पर पैरा नम्बर 89 में लिखा है कि प्रथम वर्ष में 3,529 गांवों में 3,500 करोड़ रुपये के कार्य विभिन्न योजनाओं एवं जन सहयोग के माध्यम से करवाये जाएंगे, वहीं हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में पेज नम्बर 69 के पैरा नम्बर 209

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

में इस अभिनव योजना के बारे में यह बताया गया है कि इस अभियान के तहत जनवरी, 16 तक 3,318 गांवों का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 211 गांव गायब हो गये! हम इस अभियान से एक गांव को भी अछूता नहीं छोड़ना चाहते। जितनी मेहनत, हमारी मुख्य मंत्रीजी सिर पर तगारी तक लेकर चली हैं, सीकर आयीं थीं, खुद ने फावड़े से तगारी भर कर सिर पर डालकर बाहर निकाला उसको। उस योजना में एक-एक चीज हम अछूती नहीं छोड़ना चाहते। 211 गांव इसमें गायब कर दिये गये!

गम्भीर त्रुटि संख्या-ग्यारह। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 51-52 के पैरा संख्या 108 के अनुसार अब तक प्रदेश में 275 अन्नपूर्णा भण्डार प्रारम्भ किये जा चुके हैं, जबकि बजट भाषण के पेज नम्बर 61 में पैरा नम्बर 189 में अंकित है कि अब तक प्रदेश में 350 से अधिक अन्नपूर्णा भण्डार खोले जा चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या 29 फरवरी से 8 मार्च तक 75 नये अन्नपूर्णा भण्डार खुल गये?

गम्भीर त्रुटि संख्या-बारह। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 69-70 के पैरा नम्बर 152 में राज्यपाल महोदय ने बताया है कि महिलाओं की आत्म-रक्षा के लिए जिला मुख्यालयों एवं रेंज मुख्यालयों पर प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में सभी जिलों से चयनित महिला आरक्षी को प्रशिक्षक के रूप में तैयार कर दिसम्बर, 2015 तक 40 हजार 639 छात्राओं व महिलाओं को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं बजट भाषण के पेज नम्बर 49 के पैरा नम्बर 145 के अनुसार गत दो वर्षों में राज्य में एक लाख 60 हजार से अधिक बालिकाओं को आत्म रक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एक तरफ राज्यपाल महोदय छात्राओं, प्लस, महिलाओं की संख्या 40 हजार 639 बता रहे हैं, दूसरी तरफ बजट भाषण सिर्फ छात्राओं की संख्या एक लाख 60 हजार बता रहा है। यह बहुत भ्रमित करने वाले आंकड़े हैं। इन गम्भीर त्रुटियों की संख्या...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, सुन रहे हैं ना?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ आंकड़ों को लेकर सदन में अपनी बात कह रहे हैं। माननीया उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण तैयार हुआ था, तब, उसमें 31 दिसम्बर तक सारी गतिविधियां, सारे अलग-अलग विभागों के आंकड़े थे। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया, उसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

28 फरवरी तक थे। तो यह इसमें अंतर तो आना ही आना था। इसलिए स्वाभाविक जो चीजें हैं, उनको यहां ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महामहिम के अभिभाषण में तो ज्यादा और फिर कम?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कांग्रेस के माननीय सचेतक इस तरह से कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गम्भीर त्रुटि कर ली। मैं खुद जिस विभाग में हूं, चलाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इन-पैनल जो प्राइवेट हास्पिटल्स हैं, उनके आंकड़ों में अंतर है, मैं खुद स्वीकार करता हूं। जिस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण लिखा जा रहा था, उसमें संख्या दूसरी थी और फरवरी में, क्योंकि यह दो महीने का अंतर आ गया, तो संख्या दूसरी हो गयी इसलिए इसमें क्या रखा है?

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): हो सकता है। यह भी हो सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कम कैसे होगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। इतना गम्भीर विषय है और उसको हमारे संसदीय कार्य मंत्री ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मजाक में ले रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कृपया उसको इतने हलके से ले रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि इस विधायिका की गरिमा अपने आप में बड़ी है और इसमें कोई दो, चार का फर्क नहीं है, और इसमें यहां तक है कि पहले ज्यादा था और फिर कम है। यह कोई पाइपलाइन से बढ़ने का नहीं है।

मैं समझता हूं कि आसन को भी और पूरे सदन को इसको गम्भीरता से लेकर विचार करना चाहिए कि हमको, मैंने पहले भी कहा था कि एनुअल जनरल मीटिंग समझकर जो डाक्यूमेंट हमारे सामने रखे, उस पर हम ठप्पा लगा दें, तो हम विधायिका की गरिमा को गिराने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आसन, सरकार नहीं, सदन नहीं, सम्पूर्ण दल और आसन इस पर संज्ञान लें और संज्ञान लेकर आइंदा ऐसी त्रुटि नहीं हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, उस पर विचार किया जाना चाहिए और हम आपस में लड़कर अगर इसको समाप्त ही करना चाहें कि विधायिका को तो जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी लिखकर दे दिया, हमको ब्यूरोक्रेसी का बचाव करना है और उसके बचाव के लिए ही मंत्रिमंडल बना है, तो फिर वह काम करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो ब्यूरोक्रेसी का बचाव करने का कोई यहां आशय है। मैं निवेदन, मैंने यही किया है कि दोनों का महत्व अलग-अलग है। आप खुद ज्ञानी आदमी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर पूरे वर्ष में जो काम हुए हैं उनका लेखा-जोखा रहता है और इसके बजट एस्टिमेट्स हैं; एक तरह से बजट भाषण जो प्रस्तुत किया है, उसके अन्दर आगे की योजनाएं रहती हैं। उसमें अगर कहीं कोई आकड़े आये हैं, मैंने पहले भी यह निवेदन किया कि 31 दिसम्बर और 28 फरवरी, इन दोनों तारीखों के बीच के अन्दर गतिविधियां विभागों ने की हैं, इसलिए आंकड़ों में वह फर्क आना वाजिब सी बात है। इसलिए इसको इस प्रकार कहना कि वैसे ब्यूरोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, एनुअल मीटिंग का यह कर रहे हैं और हम विधायिका की गरिमा को कम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, माननीया उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह स्टेटमेंट ही विधायिका की गरिमा, यह स्टेटमेंट जो आपका है, वह ही विधायिका की गरिमा को कम करने का है। मैं समझता हूं कि आसन को इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से, यह न कोई शोर करने की बात है, आसन को स्वयंमेव इसमें प्रसंज्ञान लेकर, सभी दलों के प्रमुख लोगों को बुलाकर, इस पर निर्णय करना चाहिए। यह बहुत गम्भीर बात है। इसको हम अगर कोई दल के हिसाब से, कोई मंत्रिमंडल के हिसाब से सोचेंगे तो बिलकुल ठीक नहीं है। इस सदन की गरिमा को यह 7 करोड़ लोगों का रिप्रजेंटेशन करती है, इस बात की आपको जानकारी में रखनी चाहिए। यह विनम्र निवेदन है आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हम स्वीकार करते हैं कि हम सात करोड़ लोगों का यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई बात यहां पर कह दी गयी, वह सही प्रामाणिक बात है। मैं कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 28 फरवरी और 31 दिसम्बर, एक भाषण तैयार हुआ, उस भाषण को तैयार करने वाले लोगों की कमेटी में मैं भी था। 31 दिसम्बर तक जो आंकड़े हमारे सामने थे, विभागों ने भेजे, वह हमने संकलित किये और यह 28 फरवरी तक जो बजट तैयार हो रहा था, 28

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फरवरी तक के आंकड़े हैं और उसके बाद भी कोई त्रुटि होगी तो हम जरूर देखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आसन की आज्ञा तो सर्वोपरि है, पर इसको इस प्रकार कहना कि सारी की सारी सरकार ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर करती है, हम कुछ ज्ञान ही नहीं रखते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हों, पर दूसरों को ...(व्यवधान) नहीं, पर अक्ल का इतना ...(व्यवधान) नहीं होना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप भी बहुत बड़े ज्ञानी हों, आप भी बहुत बड़े ज्ञानी हों लेकिन जहां तक विधायिका की गरिमा का सवाल है, इतने हलके से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह क्या बात हुई?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): दोनों ज्ञानियों का एक अलग शास्त्रार्थ होना चाहिए, सदन के बाहर। (व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मेरा उद्देश्य इस तरह का कतई नहीं था कि इस मामले को बहस में डाला जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह ध्यान में लाना था कि दोनों को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरा अपना वक्तव्य, जो भी, और भी, कोई आपके पास में है, तो आप पूरा करें। (व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): मेरा सिर्फ यह मंतव्य था कि दोनों दस्तावेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों दस्तावेजों में जो फर्क मेरे सामने आया, वह मैं सामने लाना चाहता था। 1952 से लेकर अब तक के पुराने भाषण भी मैंने पढ़े, देखे हैं, लाइब्रेरी में जाकर, उनमें कहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ 2015, मार्च में एक छोटी-सी भूल यह हुई थी, माननीय भैरोंसिंहजी के टाइम में जो 1981 में वह पंचायतों का किया गया था, उसमें सिर्फ एक शब्द कि- 'जनगणना के आधार', यह छूट गया था। सिर्फ उस शब्द के पेटे मंत्रिमंडलीय समिति ने मुख्य मंत्री महोदया से अभिशंसा गवर्नर साहब को करवायी और गवर्नर साहब ने बड़ी कृपा की कि उन्होंने अपना जो संशोधन था, वह करने की अनुमति सदन को दी थी। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई मामला दूसरा सामने नहीं आया।

मुख्य मंत्री महोदया ने भी लास्ट यीअर जुलाई, बिफोर लास्ट यीअर एक छोटी-सी त्रुटि उनके बोलने और लिखने में रह गयी थी, किसी वजह से तो उन्होंने खुद ने ही स्पष्ट किया था कि मेरी यह त्रुटि रह गयी है और वह सदन के सामने लाये थे। तो अगर कोई त्रुटि दुरुस्त की जा सकती है तो वह करें; नहीं की जा सकती है, तो आप ज्यादा अच्छी व्यवस्था देंगे। थैंक यू।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब मृत्यु वाला श्लोक ही वापस नहीं किया तो इसमें क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं, सम्माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपने वक्तव्य पढ़ा, जो आपके दस्तावेज हैं, वे एक बार आप प्लेस कर दें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): जी।

श्री उपाध्यक्ष: आसन फिर इसके उपरांत जो भी निर्णय होगा, वह सदन से, उससे अवगत करा देंगे।

(माननीय सदस्य श्री नन्दकिशोर महरिया द्वारा सदन पटल पर दस्तावेज रखे गये)

श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बजट 2015-2016 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सरकार के प्रथम दो वर्षों में हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने सर्व जन-विकास-सर्व जन-उत्थान को ध्यान में रखते हुए 2016-2017 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया, जिसमें प्रदेश में निवेश को आकर्षित बनाना, पूर्व नीतियों की खामियों को दूर करके उनके स्थान पर नई नीतियां बनाना एवं कई सुधारात्मक कदम उठाये। परिणामस्वरूप, राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व में सकारात्मक दृष्टिकोण बना। 'रिसर्जेंट राजस्थान' के प्रोजेक्ट्स को शीघ्र ही धरातल पर लाया जाएगा, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिससे हमारा प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और प्रदेश आर्थिक स्तर पर मजबूत बनेगा और इसके साथ ही, आज का युवा आने वाले कल के राष्ट्र की पहचान बनेगा। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

निवेश में वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय, सुशासन एवं जाब क्रिएशन हमारी सरकार के मजबूत स्तम्भ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहल करते हुए सरकार ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्व-रोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, मुख्य मंत्री जन आवास, अन्नपूर्णा भंडार जैसी अनूठी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया।

न्याय-आपके-द्वार अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से वर्षों पुराने चल रहे जमीनी विवादों का निस्तारण किया। प्रधान

(श्रीमती संजना आगरी)

मंत्रीजी द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ भारत मिशन जन हित में एक सराहनीय कदम रहा। इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास के नाम पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति लागू की गयी, जिनमें प्रदेश के 50 लाख से अधिक बैंक खातेदार सम्मिलित हुए। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैग-शिप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं नवीन प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, नवीन पशु बीमा योजना की क्रियान्विति से किसानों एवं आम नागरिकों को बहुत लाभ मिलेगा और विकास के नए आयामों से प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है, जो जन हित में सराहनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों से सशक्त किया जाएं, गांव और पंचायतों का समग्र सुनिश्चित विकास हो और गांव-ढाणियों में निवास करने वाले नागरिक कैसे आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें सभी सरकारी और गैर-सरकारी निजी संस्थाओं और भामाशाहों का सहयोग रहा। मैं ऐसी संस्थाओं का आभार प्रकट करूंगी। राजस्थान के अन्दर निश्चित तौर पर यह एक नई क्रांति होगी।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की तर्ज पर मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गयी। मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, मुख्य मंत्री खेल मैदान विकास, मुक्तिधाम विकास योजना और कृषि विज्ञान के केन्द्र में ग्राम पंचायतों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र निर्माण एवं संचालन जैसी कई योजनाएं हमारी सरकार के सकारात्मक सोच के साथ सराहनीय कार्य रहे हैं, जो जन हित में हैं।

मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सोजत विधान सभा क्षेत्र की छह ग्राम पंचायतें, जो मगरा क्षेत्र के अन्दर आती हैं, उन्हें मगरा विकास बोर्ड में लिया। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में छह पंचायतों के 31 गांव हैं, जो मगरा विकास बोर्ड में आते हैं, वहां के निवासी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे मगरा विकास मंत्रीजी से कि 2014-15 के बजट के अन्दर मगरा विकास बोर्ड में इन

(श्रीमती संजना आगरी)

पंचायतों को लिया गया, इस बजट संशोधन के अन्दर मगरा क्षेत्र में विकास के लिए आप बजट की व्यवस्था जरूर करायें।

राज्य सरकार में सड़क तंत्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार की एक सकारात्मक सोच रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक, नान-पैचेबल सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रत्येक गांव पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कर गांवों की दशा और दिशा सुधारने का सराहनीय कार्य हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं कि पहली बार गांव के अन्दर रहने वाले व्यक्ति हेतु इतने सुन्दर गौरव पथ का निर्माण, उनके दोनों तरफ लाइटों की व्यवस्था की है। गांवों के अन्दर यह वाकई एक सराहनीय कार्य है। गांवों के अन्दर जाते ही पंचायत में लगता है कि यह सरकार कुछ न कुछ काम ग्रामीणों के लिए कर रही है। इसके अन्तर्गत सोजत विधान सभा क्षेत्र की 12 ग्राम पंचायतें हैं, जो इससे लाभान्वित हुई हैं और शेष पंचायतों को द्वितीय चरण के अन्दर जोड़ा जाएगा। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूं। शेष रही मिसिंग लिंक की सड़कों का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत सड़कों का जाल बिछाया था। आज भी गांवों का अगर विकास हुआ है तो पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत हर गांव और ढाणी सड़कों से जुड़े हैं। इसके लिए गांव आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी ने इसको आगे बढ़ाते हुए, शेष जितनी भी ग्राम पंचायतों के अन्दर जो सड़कें आज भी ग्रेवल नहीं बनी हुई हैं, इस योजना को आगे उन्होंने बढ़ाया है। मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सुरायता ग्राम पंचायत है, जो जाडन, एन.एच. 162 से सटा हुआ गांव है, वह गांव, ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री सड़क योजना से आलरैडी जुड़ चुका है, लेकिन यह दूसरा मार्ग है, जिसकी मैं बात कर रही हूं। यह 10 किलोमीटर का रास्ता अगर पी.एम.जी.एस.वाई. के माध्यम से जुड़ जाएगा, 10 से 15 गांवों के लोगों को एन.एच. 162 से जोड़ा जाएगा, तो जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए नागरिकों को सुविधा रहेगी।

(श्रीमती संजना आगरी)

इसके साथ ही मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब को बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जोधपुर से स्टेट हाइवे, जो 2007 के बाद में 2010 में स्वीकृत हुआ था, वह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल के अन्दर पी.पी.पी. मोड के अन्दर स्वीकृत हुआ था और उस पी.पी.पी. मोड के अन्दर उस रास्ते को जोधपुर से लेते हुए राजोला-चांडवास-धांगड़वास और रूपावास होते हुए, वाया सोजत शहर होते हुए, यह रास्ता आगे की ओर जा रहा है। पिछले सात वर्षों से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाला। यह मार्ग ऐसा है जहां पर 20 से 25 गांवों के लोगों का आवागमन रहता है और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगी कि यह कांग्रेस सरकार की यह बहुत बड़ी कमी रही है, जिसका खामियाजा मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा यह कार्यकाल होते ही दस साल मुझे हो जाएंगे, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का यह खामियाजा हमारे क्षेत्र की जनता नहीं भुगतेगी। यहां सदन के अन्दर माननीय युनूस खानजी ने मुझे आश्वस्त किया था कि बजट 2016-17 के अन्दर यह स्वीकृति आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सड़क हमें नहीं मिली है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि बजट संशोधन के अन्दर, क्षेत्र की जनता को बहुत ही आशा और उम्मीद है, यह स्टेट हाइवे है, इसको आप जरूर स्वीकृत करावें।

इसके साथ ही एन.एच. 162, जो ब्यावर से लेकर पिण्डवाड़ा तक स्वीकृत हुआ है, इसमें सोजत शहर के अन्दर, चूंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय इसका एजेण्डा बना था, और सोजत शहर नगर पालिका के अन्दर हम लोगों को एक ओवरब्रिज चाहिए था, निम्बली नाडी के पास विश्वकर्मा मंदिर से लगाकर गंगा पैट्रोल पम्प तक हम लोगों को फ्लाई-ओवर चाहिए था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को इसलिये जानकारी देना चाह रही हूं कि एक तरफ तो शहर की आबादी है, और शहर के दूसरी ओर, एन.एच. 162 के दूसरी ओर जुडिशियल कोर्ट बन रहा है, सारे समाजों के समाज भवन हैं, सारे स्कूलों के छात्रावास हैं, पूरी कालोनियां वहां पर बसी हुई हैं, पी एच ई डी का वाटर फिल्टर प्लांट वहां पर स्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि फ्लाई-ओवर या अंडरब्रिज को जरूर आप लोग अनुमोदित कर सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवायें। हमारी जनता को आपसे बहुत उम्मीद है।

(श्रीमती संजना आगरी)

इसके साथ ही झूंठा, बासिया, सांडिया, खारिया, सोढा, यहां पर अंडरब्रिज की आवश्यकता है। जिन जगहों का मैंने नाम लिया है, वे एक्सिडेंट जोन बन चुके हैं। तो इनके लिये भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी चिकित्सा के बारे में कि प्रदेश के हर नागरिक को उचित दर पर बेहतर आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर मेडिकल कालेज तक, 17 हजार से भी अधिक स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी मैं सराहना करती हूं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने पर पड़ने वाले वित्तीय भार की मार को झेलना ना पड़े, इसके लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जेनेरिक दवाइयों से आगे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो दिसम्बर, 2013 को लागू की गयी और प्रदेश के 43 हजार से अधिक परिवारों को इसका फायदा मिला, इसका लाभ उठाया। इसकी भी मैं बहुत-बहुत सराहना करती हूं।

राज्य के चिकित्सा संस्थानों में पांच करोड़ रुपये की लागत से 100 नई डेंटल चेयर यूनिट हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की ओर से दी जाएंगी। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि सोजत राजकीय चिकित्सालय के अन्दर और रायपुर सी.एच.सी. में हमारे पास वर्षों पुराना, कांग्रेस के शासन काल का पुराना डेंटल चेयर हमारे पास में है। मैं निवेदन कर रही हूं कि आप यह जरूर हमें उपलब्ध करवायें।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगी कि एन.एच. 162 पर हमारे सोजत शहर का राजकीय चिकित्सालय बना हुआ है। वहां पर मारवाड़ जंक्शन, जैतारण और सोजत, तीन विधान सभा क्षेत्र लगते हैं। चिकित्सा मंत्रीजी, आपका तो जैतारण और सोजत से वैसे ही बहुत लगाव है। वैसे आप पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर रहा करते थे, तब आपका काफी आना-जाना था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि देखिये, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सोजत के राजकीय चिकित्सालय के अन्दर एक ट्रोमा वार्ड स्वीकृत हुआ है, जो पावर फाइनेंस कार्पोरेशन कम्पनी के द्वारा एन.एच.एम. जोधपुर को स्वीकृत किया गया था कि यह सोजत के राजकीय चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में स्वीकृत होगा, लेकिन उन्होंने यह भी हम लोगों को बताया था, निवेदन किया था कि

(श्रीमती संजना आगरी)

अगर आपके अस्पताल के अन्दर स्टाफ अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम इसको ट्रोमा वार्ड स्वीकृत कर देंगे, क्योंकि एन.एच. 162 के ऊपर आये, दिन एक्सिडेंट्स होते रहते हैं। हमारे हास्पिटल के अन्दर ओ पी डी भी जिला हैडक्वार्टर के बराबर रहती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप स्टाफ की व्यवस्था करवा देंगे तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ट्रोमा यूनिट हमारे स्वीकृत हो रखा है, और हम लोग आपके हमेशा आभारी रहेंगे।

इसके साथ ही, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के प्रबन्ध एवं देखभाल हेतु सरकार द्वारा जुलाई, 2016 को कुशल मंगल कार्यक्रम का शुभारम्भ करने जा रहे हैं। इसके लिये भी धन्यवाद। पी सी पी एण्ड टी एक्ट की पालना में राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन के साथ में एक्टिवट्रैकर के बाद अब नई मशीनों के साथ में जी पी एस ट्रैकर लगवाया जा रहा है। भारत सरकार की रिपोर्ट में राज्य सरकार के इस कार्य को सराहा गया है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी को बधाई देते हुए, सराहना करती हूं कि देश के प्रधान मंत्रीजी व लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी का बेटी-बचाओ का जो अभियान है, निश्चित तौर से यह आगे की ओर बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री राजश्री योजना 1 जून, 2016 से लागू करने जा रहे हैं। यह महिला दिवस पर महिलाओं को एक तोहफा है। बालिका जन्मोत्सव पर 2,500 रुपये की राशि और प्रथम कक्षा में, राजकीय विद्यालय में, प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये और कक्षा 6 से दसवीं तक राजकीय विद्यालय में प्रवेश की बालिकाओं को 5 हजार से 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में राशि दी जाएगी। मैं मानती हूं कि गांव में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों को निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहनें, बेटियां आगे बढ़ेंगी।

स्कूलों में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, साथिन, आशा सहयोगिनियों का अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मानदेय बढ़ाकर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण दिया है, यह वाकई पूरे प्रदेश के लिए एक सराहनीय विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि स्कूलों के अन्दर हमारा शिक्षा तंत्र मजबूत हो, इसके लिए

(श्रीमती संजना आगरी)

विद्यालय के अन्दर पोषाहार की व्यवस्था की गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी, चूंकि मैं खुद एक महिला वर्ग से हूं, यहां पर कुक-कम-हेल्पर के नाम से जो महिलाएं विद्यालय के अन्दर पोषाहार पकाती हैं, उनको प्रतिदिन 50 बच्चों के ऊपर मात्र 30 रुपये मानदेय दिया जाता है, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं और हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी कुक-कम-हेल्पर के नाम से जितनी भी महिलाएं विद्यालयों के अन्दर पोषाहार बना रही हैं, उनके मानदेय के अन्दर भी अगर आप संशोधन करके बढ़ोतरी करेंगी, तो इससे भी महिलाओं को सक्षम होने में मदद मिलेगी और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कुक-कम -हेल्पर के अन्दर विधवा महिलाएं, एकल महिलाएं और विधवा परित्यक्ताएं ऐसी महिलाओं को प्रायोरिटी से भर्ती में शामिल करेंगे, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2015-16 में पाली के अन्दर मेडिकल कालेज स्वीकृत करवाया गया और इसका कार्य प्रोसेस पर है, मैं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

बजट 2016-17 में जवाई-पाली परियोजना के द्वितीय चरण लम्बित पेयजल योजना को हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर, किरण माहेश्वरी जी हैं, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सोजत के अन्दर 2003-04 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने यह जवाई पाइपलाइन परियोजना का शुभारम्भ किया। वर्षों से सोजत विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों का एक सपना था कि हम लोगों को जवाई का मीठा पानी मिले। हमारा दुर्भाग्य रहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अन्दर 2003 की भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लम्बित रखा। अब मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को और हमारी पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर, मेरी बड़ी बहन किरण माहेश्वरीजी को, कि इन्होंने इस लम्बित योजना को आगे बढ़ाया।

सोजत के अन्दर, मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारे पास में रॉ -वाटर 40 लाख लीटर अवेलेबल है लेकिन फिल्टर, स्टोरेज, यहां पर एस.आर. और वाटर डिस्ट्रिब्यूशन की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट संशोधन के अन्दर कहीं न कहीं, सोजत के नागरिकों

(श्रीमती संजना आगरी)

की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हुए, इसकी आप घोषणा करेंगे। इसका मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं बताना चाहूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2015-16 में सोजत शहर में हवाई पट्टी के रख-रखाव के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, हवाई पट्टी के नवीनीकरण के लिए, दो करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की, सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो हवाई पट्टी का निर्माण करवाया जा रहा है, वह पूरे जिले के अन्दर एकमात्र एयर स्ट्रिप है, जो सोजत में है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

राज्य में डैडिकेटेड फ्रैट कारिडोर के तहत प्रदेश में 337 करोड़ की लागत से दस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। उसके अन्दर मारवाड़ जंक्शन और सोजत विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को फायदा मिलेगा। इसमें सोजत रोड रेलवे स्टेशन के पास एल.सी. नम्बर 53 स्वीकृत करवाया, इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में विश्व स्तरीय मेहंदी के उत्पादन के साथ ही, वहां किसानों द्वारा अन्य खेती व जैविक खेती का कार्य किया जाता है। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा बजट 2016-17 में सोजत में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति मिली। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे किसानों को, युवाओं को कृषि की नयी तकनीक की जानकारी मिलेगी, हमारा किसान तंत्र मजबूत होगा और कृषि व इससे सम्बन्धित गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए किसानों को जानकारी भी मिलेगी। इसका भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वहां विश्वस्तरीय मेहंदी का उत्पादन होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सोजत के पूरे क्षेत्रफल में से 3,600 हैक्टेयर क्षेत्रफल के अन्दर हमारा किसान मेहंदी का उत्पादन करता है जिसकी सालाना दो करोड़ की आय रेवेन्यू कृषि मंडी को प्राप्त होती है। इसे पक्की जिंस में लेने की जरूरत है। इसके साथ ही मिलावटी मेहंदी, जो केमिकल-युक्त प्रोडक्ट होता है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है ताकि हमारी प्राकृतिक मेहंदी की जो पहचान है, वह विश्व के अन्दर बनी रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में आपको अवगत

(श्रीमती संजना आगरी)

कराना चाहूंगी कि शैक्षणिक जीवन में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय, शाला दर्पण, लैपटाप, साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी योजनाएं संचालित की गयी हैं। विद्यालयों के एकीकरण के साथ ही लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की मंशा थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक का स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। आज प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले छात्र-छात्राओं को अपने ही गांव के अन्दर शैक्षणिक योग्यता के लिए 10वीं और 12वीं स्कूलों के साथ कला व विज्ञान संकाय की सुविधा प्राप्त हुई है। मुझे यह खेद के साथ में कहना पड़ता है कि हम लोग विपक्ष में जब यहां विधायक बनकर आया करते थे, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल के अन्दर मात्र दो विद्यालय स्वीकृत हुए। मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी जी को वाकई ही धन्यवाद देना चाहती हूं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुर उप-खण्ड कार्यालय है और उप-खण्ड कार्यालय के साथ में, रायपुर पूर्व विधान सभा क्षेत्र भी रहा करता था, जहां से हमारे स्वर्गीय हीरालालजी रावत साहब यहां के, विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे, वे जीत कर यहां पर आया करते थे। तो वहां उप-खण्ड कार्यालय तहसील हैडक्वार्टर है लेकिन जब से मैं विधायक बनकर आयी हूं, अपोजिशन में भी मैंने एक बार नहीं, कई बार यह विषय रखा, हमारी सरकार की मंशा भी है कि प्रत्येक उप-खण्ड कार्यालय के ऊपर हम लोगों को महाविद्यालय बनाने की जरूरत है; मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुर, जो पूर्व में विधान सभा क्षेत्र था, वहां तहसील हैडक्वार्टर होने के कारण से 30 से 35 गांवों के लोगों का हमेशा आवागमन रहता है। चाहे आप वहां पर टेक्निकली अगर कोई पता भी करवाना हो तो अपने डिपार्टमेंट से करायें। मुझे सात साल हो गये, मैंने बार-बार यह बात रखी, बड़ी उम्मीद के साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि रायपुर के छात्र-छात्राएं हैं, वहां पर 15 से 20 निजी और सरकारी विद्यालय हैं, 12वीं तक के स्कूल हैं, जहां बच्चे अध्ययन करके मजबूरन उन बच्चियों को स्कूल छोड़कर दूसरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर तक कालेज, महाविद्यालय के अध्ययन के लिए जाना पड़ता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप हम लोगों को महाविद्यालय स्वीकृत करा देंगे, तो एक सरकारी बिल्डिंग, स्कूल की, हमारे पास

(श्रीमती संजना आगरी)

रखी है, तो इसी जुलाई सत्र से शुरू करवायेंगे तो वाकई में मैं आपकी आभारी रहूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: पूरे 5.50 पर आप समाप्त कर देना।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सर, प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष: 5.50 पर समाप्त कर देना। आप घड़ी की तरफ देखते रहो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): जी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगी, मैं सोजत शहर की बात कर रही हूं, वहां पर 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर महाविद्यालय स्वीकृत करवाया था लेकिन वह महाविद्यालय, जैसे ही उसका निर्माण हुआ, हम लोगों ने पी.पी.पी. मोड के अन्दर उस महाविद्यालय का निर्माण करवाया। अब उस विद्यालय के अन्दर 50 हजार की पापुलेशन वाली नगरपालिका के सारे छात्र-छात्राएं आते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अन्दर उस कॉलेज की बिल्डिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी, एक ईंट भी नहीं लगायी, हमें यह दु:ख के साथ में कहना पड़ रहा है, जबकि छात्र-छात्राओं के भविष्य का सवाल है, शैक्षणिक जीवन से जुड़ा हुआ यह विषय है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उस महाविद्यालय के अन्दर आज भी, वह एन.एच. 162 से बिलकुल सटा हुआ है, वहां पर वाल, बाउंडरी नहीं है, फर्श नहीं है, लैब नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने के पानी के लिए जल का कनेक्शन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि चूंकि यह छात्र-छात्राओं से जुड़ा हुआ विषय है, तो आप इसके अन्दर जरूर, पारदर्शिता से इसको आगे बढ़ाते हुए, इस बजट के अन्दर कहीं न कहीं स्वीकृति करायेंगे तो उनके भविष्य को लेकर कहीं खिलवाड़ नहीं होगा। इसके साथ में वहां पर प्रोफेसर की भी आवश्यकता है। यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर समर्थन करती हूं कि 2016-17 का हमारा जो यह अनुमानित बजट हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है यह आम व्यक्ति, मजदूर, किसान, कानून-व्यवस्था, सारी ठीक है।

बानसूर से आने वाली माननीया विधायक 2-3 दिन पहले यहां बार-

(श्रीमती संजना आगरी)

बार बात कर रही थीं कि मेरे एरिये के अन्दर दो-दो मर्डर हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम लोग पिछली बार इस विधान सभा में आया करते थे, तो इन्हीं की पार्टी के, कांग्रेस के जो विधायक हैं...

श्री उपाध्यक्ष: गृह विभाग की मांग है, उस वक्त ये सारे के सारे आंकड़े आप बता दीजियेगा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहती हूं कि इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक जो किशनगढ़ से आया करते थे, उनके बेटे का मर्डर हुआ और यहां पर बोलने तक भी नहीं दिया जाता था कि नहीं, बाहर जायेगी, यह प्रदेश की आवाज है। उपाध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था में भी हमारी सरकार के राज के अन्दर इतनी पारदर्शिता बरती जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी सुनवाई होती है। कानूनी पारदर्शिता के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है।

मैं इस बजट की...(व्यवधान) हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कानून-व्यवस्था में 5 साल की बच्चियों के हत्याओं के आंकड़े उठाकर के देख लो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर दामिनी जैसा हत्याकांड हुआ। पूरा देश उसके अन्दर, आत्मा से सारे छात्र-छात्राएं रोड के ऊपर निकले, मोमबत्तियां जलाईं ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): रोजाना, कल का अख़बार उठाकर देख लो, ...(व्यवधान) 5 साल की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। (व्यवधान) क्या कानून का हवाला दे रही हैं? (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): न्याय मिला, या नहीं...(व्यवधान) पूरा देश चिंतित था...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह महिलाओं का मैटर है ...(व्यवधान) बच्चियों का मैटर है। उसको तो गम्भीरता से ले लो कम से कम। ...(व्यवधान) उस पर तो गम्भीरता से सोच लो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीया बानसूर से आने वाली

(श्रीमती संजना आगरी)

विधायक, आप उस समय विधायक नहीं थीं। मुझे थोड़ी-सी जानकारी है। उस समय पूरा देश चिंतित था। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आज तो आप विधायक हैं। (व्यवधान) आज तो विधायक हैं। आज तो गिनो कि 5 साल की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): पूरा देश चिंतित था और यह कांग्रेस सरकार सो रही थी। (व्यवधान) यह सो रही थी, उसी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में मत टोकिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मेरा तो अभी आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार जो अच्छे काम कर रही है, उन अच्छे कामों के साथ आप भी साथ रहकर काम करें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, आसन इतना गम्भीर क्यों हो गया है?

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आसन आज बहुत गम्भीर हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: और कुछ रह गया हो तो वह भी आप चर्चा कर लें। आसन की तो आवश्यकता ही नहीं है, आपको अनुमति लेने की तो।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): कहां दिया?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): आपने ध्यान नहीं दिया। उस समय यह अपना खत्म कर रही थी। इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें। आप भी विराज जायें।

मैं दोनों तरफ के सचेतकों को एक निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं आप। अगर यही आपका चलता रहा तो आपके एक भी सदस्य को आसन बोलने नहीं देगा और बाकी सारे इंडिपेंडेंटस को और बाकी पार्टियों वालों को बुलवायेगा। अनुशासन में रहने की मैं हिदायत वापस दे रहा हूं। आप ऐसे कई बार आचरण करते हैं जैसे कोई किंडरगार्डन में बैठकर बच्चे करते हों।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप कुपित नहीं हों। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी आज्ञा की पालना के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा-सा हमारे जिन माननीय सदस्यों को बुलायें, उनको टाइम बता दें कि इतने मिनट हैं। तो वे अपने आप पालना करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब से बजट को सुना है, जब से बजट को पढ़ा है, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि गंगानगर जिले के साथ बजट में विकास कार्यों के लिए सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। क्या गंगानगर जिला और रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र इस राजस्थान का जिला नहीं है, या विधान सभा क्षेत्र नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि-

ना तो पैसा आता है,
ना पैसा जाता है,
ना पैसा लगाता है।
सबसे वादा कर, मन लुभाता है,
बेरोजगारों को नचाता है,
किसानों को डराता है,
मजदूरों को भगाता है।
यही सच्चाई है।
यही बजट की गहराई है। क्या कहूं?
क्या नाम दूं इस बजट को? मैं खोज रही हूं।
अच्छे दिन आने वाले हैं,

नारा कहीं साकार होता इस बजट में दिखाई नहीं दिया। क्या सरकार को यह नारा पसंद नहीं आया?

शक तो था कि बजट में नुकसान होगा,
सारा हमारा ही होगा,

(श्रीमती सोनादेवी)

यह पता न था।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के पेज नम्बर 67 पर बताया गया कि गंगानगर की संचालित सीवरेज योजना को पूर्ण करने के लिए सन् 2016-17 में प्रावधान प्रस्तावित हैं। क्या इस प्रावधान में जो हमेशा से स्वच्छता अभियान, इस सीवरेज में क्या रायसिंहनगर, विजय नगर शहर की गंदगी को भी बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है? विपक्ष में हूं, तो क्या हमारे क्षेत्र को ही भूल गये?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि रायसिंहनगर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार क्यों भूल गई? क्या मैं दलित परिवार की महिला विधायक रायसिंहनगर क्षेत्र से आती हूं, इसलिए? क्या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बजट पेश किया गया, इसलिए?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि-

नारी तो नारी होती है,
नारी का सम्मान,
समाज का सम्मान,
देश का सम्मान,
और क्यों हो रहा है इस सरकार में
एक महिला विधायक के विधान सभा क्षेत्र का अपमान?
सीधा-सच्चा आम जन वायदों पर मिट जाता है।
असत्य वादे घोषणा कर नीति-पत्र बनाया जाता है,
लुटा-पिटा किसान, व्यापारी और बेरोजगार
आंसू बहाता है।
अब तो सिर्फ कागजों में ही सुराज नजर आता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ताली नहीं बजाई जाती है। आसन बाध्य कर देगा आपको एवं प्रताड़ित और करेगा।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में पेश किया गया बजट, बजट के ज्यादातर आंकड़ों को मैं नहीं समझ पाई, लेकिन इतना जरूर समझ पाई कि इस वर्ष 50-60 करोड़ रुपये की कटौती हुई है बजट में।

(श्रीमती सोनादेवी)

रायसिंहनगर में केवल मात्र एक भगत सिंह निजी महाविद्यालय है। मैंने 2 वर्ष से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के यहां चक्कर काटे लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। जितना उदार दिल आप हम से मिलनसार का रखते हैं, उतना उदार दिल आप विकास कार्य के लिए भी रखें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): और भी कहना चाहूंगी। गंगानगर जिले से माननीय विधायक, सूरतगढ़ से आने वाले, नाम नहीं लूंगी, और माननीय सदस्या अनूपगढ़ से आने वाली, उन्होंने इस बजट की काफी वाहवाही की, लेकिन क्या पाकिस्तान में बहकर जा रहे वर्षा के पानी के बारे में सरकार को अवगत करा दिया गया? बजट में वैसे तो दे रखा है, इसमें यह दे रखा है कि श्रीगंगानगर से आते हुए लास्ट तक के जिलों को इसमें पानी का विस्तार किया जायेगा। मेरा तो निवेदन इतना ही है कि गंगानगर जिले में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र भी आता है, जो कि एक 20 परसेंट बारानी इलाका है, उसको भी सिंचाई में जोड़ दें तो आपका आभार होगा। आप विकास कार्य करवाना नहीं चाहते, इसलिए समझ में आयेगा भी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है, बड़ी आकर्षक योजनाएं दिखाई गई, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों तक जाने के लिए खडबंजा ही नहीं है; डामर सड़क, सी सी रोड तो दूर की बात है। कई विद्यालयों को आदर्श विद्यालय घोषित किया गया। बालिकाओं को साइकिलें दे दी गईं, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए सड़कें कच्ची हैं।

आई जी एन पी परियोजना के विस्तार एवं नया सिंचित क्षेत्र खोलने के लिए बजट प्रावधान दिया गया, लेकिन इसकी सूरतगढ़ ब्रांच, अनूपगढ़ ब्रांच तथा इससे निकलने वाली अन्य माइनर शाखाएं बदहाली के आंसू रो रही हैं। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। टेल पर स्थापित चक जी बी, पी टी डी, ए पी डी, सरदारपुरा, एन पी, एफ एफ की नहरों के किसानों को पूरा पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। सरकार ई-पंचायत, यानी इंटरनेट को घोषित करने जा रही है। मैं पूछना चाहती हूं सिंचाई मंत्री महोदयजी से कि ये टेल पर बैठे किसान हमेशा से ही रोना रो रहे हैं, जिनका आज तक धणी-धोरी कोई नहीं रहा। आज 67 वर्ष हो गये, दोनों सरकारों की ही बात कर रही हूं, टेल पर बैठे किसान, जिसकी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, जितना हिस्सा पानी उनको असलियत में मिलना चाहिए था, आज तक नहीं मिला।

(श्रीमती सोनादेवी)

(18.00 बजे)

राजस्थान सरकार के कमजोर प्रशासन के चलते हम पंजाब से राजस्थान के हिस्से का पानी लेने में लगातार नाकाम रहे हैं। राजस्थान के हिस्से के पानी के लिए पंजाब सरकार से वार्ता करना तो दूर, शायद सरकार के नुमाइंदों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इसे गम्भीरता से न लिये जाने के परिणामस्वरूप और पंजाब सरकार के अधिकारियों से मिलीभगत से वहां के किसानों से चोरी कराया जा रहा है।

सी ए डी द्वारा बनाये जा रहे पक्के खाळों की कोई पूरी योजना नहीं है। इसमें पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 टी के 48 एन पी और 58 एन पी के खाळे तो निर्माण के 1 वर्ष से पूर्व ही टूट गये और घग्घर नदी की 90 जी बी की पुलिया के बारे में अभी तक किसी ने सुना ही नहीं। हमारी माननीया अनूपगढ़ से आने वाली विधायक का भी क्षेत्र वहां लगता है, अगर वे भी चाहें तो इस पुलिया का विकास करवा सकती है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या माननीय सदस्या ने इसके बारे में सरकार को अवगत नहीं करवाया? अगर करवाया तो अभी तक वह पुलिया बनी क्यों नहीं? (व्यवधान)

शब्दों का मैं सवेरा हूं,
आम जन की बात रखती हूं...,
शब्दों का मैं सवेरा हूं
आम जन की बात रखती हूं,
किसानों की प्यास की बात करती हूं।
माना सवाल बहुत हैं बजट पर,
माना सवाल बहुत हैं बजट पर,
लेकिन मैं शब्दों से ही सरकार को हिलाकर रखती हूं।

अगर सरकार ईमानदार है तो फसल प्रदर्शन के अनुदान का पैसा सीधे ही किसानों के खातों में क्यों नहीं दे रही? करोड़ों रुपयों का अनुदान किसानों के नाम से सीधे कम्पनियों के खातों में जा रहा है। एक तरफ मोदीजी पारदर्शिता लाने के लिए हर योजना को आनलाइन कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के किसानों के अनुदान का पैसा बड़ी-बड़ी कम्पनियां ले जा रही हैं। क्या डिजिटल इंडिया के सपने में किसानों को नहीं रखा गया? क्या सरकार इसी को अपनी प्रगति मान रही है?

(श्रीमती सोनादेवी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही सच है कि राजस्थान में बड़े-बड़े सपने दिखाकर किसानों के खेतों में खजूर के बाग़ लगाये गये। खजूर के बाग़ कब लगाये गये, यह भी सुन लें। भूतपूर्व सरकार यही थी, तब इस वर्तमान सरकार ने एक कम्पनी, जिसका नाम मित्तल कम्पनी था, उस कम्पनी ने खजूर के पौधे, जो कि रोगग्रस्त, वे पौधे दिये और इन्हीं कारणों से काश्तकारों को उन पौधों से लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा और वे पौधे उखाड़ने पड़े, उसका किसान मुआवजा लेने का हकदार नहीं है?

कहां गई फसल बीमा योजना? किसानों के कल्याण के लिए बजट बड़ा कष्टपूर्ण रहा है। किसानों के लिए कम दर पर डीजल-खाद उपलब्ध करवाकर कमर टूटने से बचाया जा सकता था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं।

श्रीगंगानगर जिला किन्नू का प्रधान उत्पादक जिला है, यहां के किन्नू विश्व भर में निर्यात होते हैं, पर किन्नू उत्पादकों के कल्याण के लिए कोई योजना बजट में है ही नहीं।

श्रीगंगानगर की वर्षों पुरानी मांग, मेडिकल कालेज खोलने पर माननीया मुख्य मंत्री महोदया जी ने कोई घोषणा नहीं की।

गंगानगर जिले में अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तहसील को जिला बनाने की मांग पर इस बजट में कोई प्रावधान नहीं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को ऋण देने की प्रक्रिया सरलीकृत नहीं है, हजारों लोग वंचित रह गये। बैंकों द्वारा मनमानी की जाती है। कई प्रकरणों में बैंकों द्वारा निजी स्वार्थों की पूर्ति किए बिना बेरोजगारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब एक बार उक्त योजना में लाभांवित हैं, पात्र मान लिया गया है, बैंकों द्वारा पुनः पात्रता की परीक्षा करना गलत है। इसके लिए प्रभावी मानिटरिंग का अभाव है।

राजस्थान में छीना-झपटी, लूटपाट, अपराध, इस कदर बढ़ गये हैं कि औरतों के जुड़वां बच्चे पैदा होने लगे हैं क्यों, क्योंकि वह डरता है अकेला आने के लिए। इसलिए वह एक साथी लाने लग गया है। (व्यवधान) बढ़ता है क्राइम। चोरी, डकैती, बलात्कार, कोई भी सुरक्षित नहीं समझता है। इसी कारण, इसी को क्या स्वराज कहते हैं?

राजस्थान में पी पी पी मोड के मेडिकल कालेज खोलने की लोक-लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं, दूसरी तरफ श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज,

(श्रीमती सोनादेवी)

उसका क्या होगा? वह देंगे या नहीं, इतना ही बता दें। वस्तुस्थिति क्या है, माननीया मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट करें। श्रीगंगानगर में मेडिकल कालेज बनाया जायेगा, या नहीं बनाया जायेगा, इतना ही बता दें।

आजादी के 59 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी कई गांव-ढाणी अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। ढाणियों के विद्युतीकरण में तमाम घोषणाएं असफल साबित हुई हैं।

लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौशालाओं के लिए कोई अनुदान नहीं; माननीय मुख्य मंत्री आदर्श गांव बजट में कहीं दिखाई नहीं दिया।

मैं पुन: बताना चाहूंगी कि विपक्ष में हुई तो क्या हुआ एक महिला हूं, माननीया सी एम, मुख्य मंत्रीजी भी महिला हैं और आशा रखूंगी कि मेरी जो ये समस्याएं हैं इन पर गौर जरूर फरमायेंगी।

हीरा अगर बेटा है, तो मोती हैं बेटियां।
दीपक अगर बेटा है, तो बाती हैं बेटियां।।

इसके साथ में मैं यह कहना चाहूंगी कि चार दिन से सत्ता पक्ष के लोग गला फाड़ कर बजट की ...(व्यवधान) वाहवाही कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। सुन लें जरा। ज्ञान बढ़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सदस्या, मेरे पास आकर बैठ जाना, ज्ञान लेना हो तो।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): थोथा चणा, बाजे घणा। निश्चित रहिये, अगली बार हम वहीं आयेंगे, आप यहां आयेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): चिंता मत करो, देख रहे हैं यहीं पर हम।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): थोथा चणां बाजे घणा, यही कहूंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए और तमाम 36 कौमों के लिए जो बजट

(श्री अमृतलाल)

पेश किया है, महिला दिवस के दिन, 8 मार्च को वर्ष 2016-17 का बजट, विकास का बजट सदन में पेश किया। सब जन विकास, सब जन उत्थान; बिजली, पानी, पेयजल, कृषि, चिकित्सा-स्वास्थ्य और रोजगार का, हमारी सरकार ने भामाशाह योजना, न्याय-आपके-द्वार, सरकार-आपके-द्वार, आपका जिला आपकी सरकार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास, राजस्व लोक अदालत, अन्नपूर्णा भंडार, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इस प्रकार के तमाम जो 40-50, 'रिसर्जेंट राजस्थान', सामाजिक सुरक्षा, फसल बीमा, भामाशाह पशु बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सारी योजनाओं को हमारे बजट में उजागर किया है। विकास के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, खेल प्रतिभा योजना, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री स्वस्थ ग्राम योजना, मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना, मुक्तिधाम विकास योजना, ये तमाम योजनाओं का जो उल्लेख किया है और मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने पिछले दो वर्ष में जो विकास किया है, और उनका शासन 2003 से 2008 के बीच में भी देखा है, जितना गांवों का विकास करने की उनके मन में सोच है, उनके तमाम मंत्रियों के मन में जो सोच है, हमारा राजस्थान कहीं और ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा।

मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमारे मेरे विधान सभा क्षेत्र, मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां हाड़ी रानी, एक महिला ने अपना सिर काट कर अपने पति को जो युद्ध लड़ने जा रहा था और वह मोहित था उस पर, छह-सात दिन हुए थे शादी को, लेकिन उस हाड़ा रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति के हाथ में सौंपा था। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस मेरे विधान सभा क्षेत्र के चावण क्षेत्र में ली थी। मैं उस क्षेत्र से आता है जहां विश्वविख्यात मानवनिर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मेरा आपसे निवेदन है, जिस प्रकार हमारे पिछले बजट में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण हुआ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ, साथ में नालियां, रोड लाइट का निर्माण हुआ। वह आज तक, पिछले 50 साल हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों का राज रहा, उनके मन में सोच ही नहीं था, धीरजजी के मन में भी सोच नहीं था। लेकिन इस प्रकार का गौरव पथ का निर्माण, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, नान-पैचेबल सड़कों का

(श्री अमृतलाल)

निर्माण और प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण हुआ, मैं इस मंच के माध्यम से हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री युनूस खानजी हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र को 120 करोड़ रुपया पिछले बजट में दिया, जिसके मेरे पास आंकड़े हैं- 10 पुलियाएं दी हैं, 3 तहसील के भवन निर्माण हेतु 5.25 करोड़ रुपये दिये, 20 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ निर्माण हुआ 10 करोड़ से, 13 पुलियाओं का निर्माण हुआ जिसमें, 22.50 करोड़, पी एम जी एस वाई में 40 सड़कों का निर्माण हुआ, 120 किलोमीटर, उसमें 50 करोड़। सबसे बड़ा 25 सड़कों का निर्माण मिसिंग लिंक में 2.56 करोड़, 11.14 किलोमीटर का था। हाडा रानी को ध्यान में रखते हुए, महाराणा प्रताप की भूमि को ध्यान में रखते हुए और विश्वविख्यात मानवनिर्मित झील को ध्यान में रखते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने एक स्टेट हाइवे की घोषणा की जिसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको यह भी धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, आपने नेशनल हाईवे की घोषणा की है। वह भी मंदसौर, प्रतापगढ़, धरियावद होते हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पास होते हुए, डूंगरपुर नेशनल हाईवे 8 को जोड़ेगी। इस प्रकार मुझे पिछले वित्त वर्ष में 119.38 करोड़ का आपके विभाग से जनता के लिए मिला। इसके लिए मैं पुन: कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय गृह मंत्रीजी माननीय गुलाबचंदजी कटारिया साहब, जिनके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र को 4 करोड़ 73 लाख 50 हजार रुपये, पुलिस थाना सराड़ा भवन निर्माण हेतु 1.70 करोड़, पुलिस थाना परसाद भवन निर्माण हेतु 1.68 करोड़, आबकारी पुलिस थाना सलूम्बर भवन हेतु 97.50 लाख, पुलिस चौकी जावद में भवन निर्माण हेतु 38 लाख।

हमारे बीच में चिकित्सा मंत्रीजी विराजमान हैं, उनकी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जोरदार रही। जनजाति एरिया है, उपयोजना क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है। आपने पिछले बजट में 2014-15 में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले और करीब 9 करोड़ रुपये का बजट आपने मुझे दिया। मैं आपको कोटि-कोटि बधाई देना चाहूंगा। मेरे वहां 4 पंचायत समितियां हैं, 3 तहसीलें हैं, 3 उप-तहसीलें हैं, दो उपखण्ड कार्यालय हैं। आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए 38 उप-स्वास्थ्य केन्द्र पिछले बजट में खोलकर 10.26 करोड़ का बजट

(श्री अमृतलाल)

मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर को दिया। मैं कोटि-कोटि बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को ताकि गरीब लोगों को सुविधाएं मिलें। आपने यह भी तय किया, 30 हजार से 3 लाख तक का नि:शुल्क इलाज की योजना लागू की, उससे उस क्षेत्र की जनता को, आदिवासी जनता को काफी फायदा मिलेगा।

मैं पी एच ई डी मंत्रीजी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे सलूम्बर व लसाड़िया के 93 विलेज, जयसमंद के मीठे पानी को पीने के लिए 72 गांव सलूम्बर के और 21 गांव लसाडिया के, आपने डी पी आर जारी करके उनके सर्वे हेतु 111 लाख रुपये की स्वीकृति दी। मैं बधाई देना चाहूंगा। साथ ही आपने 15 सोलर सिंगल फेज पम्प स्वीकृत किये, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 112 विद्यालयों में आपने हैण्डपम्प खोदने के लिए स्वीकृति दी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे द्वारा एक लैटर देने के बाद आपने मेरी अनुशंसा पर 30 हैण्डपम्प दिये, उसके लिए भी मैं कोटि-कोटि बधाई देना चाहूंगा। टंकी, पाइपलाइन, पनघट के माध्यम से आपने 12 करोड़ रुपया सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र को दिया। मैं कोटि-कोटि आपको बधाई देना चाहूंगा...(व्यवधान) सुखरामजी, बैठिए। मैं बात कहना चाहूंगा।

हमारे पूर्व पंचायती राज मंत्रीजी और वर्तमान गृह मंत्रीजी और वर्तमान पंचायती राज मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान में 723 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया और 47 नई पंचायत समितियां बनायीं। आपने कई बार पहल की, लेकिन आप नहीं बना सके। वसुन्धराजी पहली मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने 723 ग्राम पंचायतों का गठन किया, 47 नई पंचायत समितियां बनायीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया; उदयपुर जिले में 6 पंचायत समितियां बनायीं। मैं कोटि-कोटि बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं पुन: हमारे पंचायती राज मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आपदा राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम हुआ, जो आज तक आपने नहीं सोचा होगा, जनता ने भी नहीं सोचा होगा, हाउस में बैठने वालों ने नहीं सोचा होगा। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पहल की, आपदा मंत्रीजी ने पहल की और हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके पहल करने के बाद हमारे राजस्थान में 33 प्रतिशत खराबा का आंकड़ा है; आपदा राहत में पूरे भारत में प्रथम स्थान

(श्री अमृतलाल)

हासिल किया है। वह आप सबके सहयोग से, सदन के सहयोग से, मंत्रियों के सहयोग से, आपदा मंत्रीजी के सहयोग से और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की पहल से हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा इसलिए यही कहना है।

हमारे शिक्षा मंत्रीजी बीच में विराजमान हैं, ऐनक लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने वह इतिहास रचा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 से ज्यादा सीनियर स्कूल बनाने का काम आपने किया। मैं कोटि-कोटि बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि 'रमसा' के अन्दर आपने 19 विद्यालयों का

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट कहनी है मेरी बात। मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है, प्रार्थना है कि हाडा रानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर 1991 में खुला और आज तक 26 साल तक वह इंतजार कर रहा है पी जी बनने के लिए। मेरा पुरजोर तरीके से माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी और पूरे केबिनेट से निवेदन है कि 26 साल बाद, वह पूरा ट्राइबल एरिया है, 2,500 से ऊपर छात्र-छात्राएं हैं, तो उसको पी.जी. करने के लिए मेरा निवेदन है कि सलूम्बर कालेज को आप पी.जी. का दर्जा अवश्य दें।

हमारे माननीय जनजाति मंत्रीजी ने भी बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी रखी कि 4 सड़कें 4 करोड़ 80 लाख की.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां तो, माननीय सदस्य, थोथी घोषणाएं ही हैं, धेला ही नहीं है।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): नहीं, है, है। ये मेरे आंकड़े देख लीजिये। दो बालिका छात्रावासों के 2-2 करोड़ के दिये; बन्द पड़ी सारी लिफ्टें शुरू करवाईं।

ऊर्जा मंत्रीजी की भी बहुत बड़ी मेहरबानी रही। ऊर्जा मंत्रीजी ने हमें 10 जी एस एस दिये, 190 करोड़ रुपये की उदयपुर जिले को दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दिलाई। उसके लिए मैं सदन के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री वसुंधराजी और ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मेरी और कोई बात है, वह भी मेरा आपसे निवेदन है। मेरे विधान

(श्री अमृतलाल)

सभा क्षेत्र की कुछ मांगें और हैं जो अगर वे कर देते हैं, तो आपको मैं कोटि-कोटि बधाई देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय को पी.जी. किया जाय। माही का पानी ओवरफ्लो होकर गुजरात में जाता है, उसको नागलिया डैम में डाला जाए। जाखम का ओवरफ्लो पानी जयसमन्द में डाला जाए ताकि भीण्डर, कानोड़, मावली, जहां भी मर्जी आये, चित्तौड़ तक ले जा सकते हो तो ले जाओ, लेकिन इतनी बड़ी झील है उसका पानी वहां डाला जाए। तीसरी बात, मेरे मीठे पानी की झील सलूम्बर से देने का मैंने पी एच ई डी मिनिस्टर साहब को कह दिया है। मेरा स्टेट हाईवे 32 जो उदयपुर से सलूम्बर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश को जोड़ता है, उसके लिए सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से कहूंगा कि उसको चौड़ा किया जाए। सलूम्बर से चावण्ड की रोड 7 मीटर चौड़ी की जाए। इसके अलावा स्टेट हाईवे आपने जो कीर की चौकी से ऋषभदेव जो दिया है, उसको आपने पास कर दिया, लेकिन द्वितीय और तृतीय चरण के जो तीन-तीन किलोमीटर के टुकड़े हैं वे आप अवश्य करें।

मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि जयसमन्द में जो नहरों का है, हमारे सिंचाई मंत्रीजी बहुत जागरूक हैं, सोचते हैं, जनता की पीड़ा को, दर्द को समझते हैं, सिंचाई मंत्रीजी से मेरा पुन: आपके समक्ष निवेदन है कि 135 करोड़ का पिछले 50-60 साल जयसमन्द पुराना बना हुआ है, उसकी नहर निकाली हुई हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए आपके पास विचाराधीन है। डाया डैम का भी विचाराधीन है। सलूम्बर बाईपास का भी विचाराधीन है। मेरा यही कहना है कि आप अवश्य करें।

मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे प्रभारी मंत्रीजी वहां सलूम्बर आये थे 17 से 23 तक और कुछ काम इन्होंने किये हैं; 33 कार्य घोषित किये थे उनमें से 20 कार्य कर दिये हैं और 13 कार्य जो नहीं हुए हैं, उनको अवश्य करें। यही मेरा कहना है। पुलियाओं का निर्माण कराया जाएं। पुलिया निर्माण सिंगटवाड़ा से हेलपिया, चांदनीका, पुलिया निर्माण पिलादर एनीकट के नीचे, पुलिया निर्माण करोड़िया बस्सी, गरगल नदी खकटड़ा पर पुलिया निर्माण, पुलिया निर्माण बण्डोली, पुलिया निर्माण संगमेसर हठोड़ा, पुलिया निर्माण झामरी नदी गुडैल, पुलिया निर्माण पाडराणा प्रसाद। भामाशाह में मेरा यही कहना है। हमारे बीच में पर्यटन मंत्रीजी भी हैं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने जो राज्य का बजट प्रस्तुत किया है, वह राज्य की आम जनता के त्वरित विकास के दृष्टिगत बनाया है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने राज्य के अधिकांश क्षेत्र और वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो बजट में प्रावधान किये हैं, वे जनता की मांग को, विकास की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे।

सदन में कुछ लोग किसान हितैषी होने का दावा करते हैं लेकिन उन्होंने किस प्रकार से किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है, मैं इस ओर सदन को अवगत कराना चाहूंगा। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले कार्यकाल में एक पिण्ड डैम है हमारे विधान सभा क्षेत्र में, हमारे किसानों की आवश्यकता को देखते हुए उस पिण्ड डैम का उस समय उन्होंने शिलान्यास किया था लेकिन पिछले पांच साल की इनकी सरकार ने न तो उस पिण्ड डैम की कोई सुध ली और उस परियोजना को एक ठण्डे बस्ते में डाल दिया। हमारी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी की 2013 में पुनः सरकार बनी और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे सिंचाई मंत्री आदरणीय रामप्रतापजी ने वापस उस परियोजना की सुध लेकर, वहां किसानों को नई नीति से, नई दरों से मुआवजा देकर, उसके वापस टेंडर करके शीघ्र ही उसका निर्माण चालू हो, उसकी आपने पूरी प्रक्रिया कर दी है। इसके लिए मैं हमारे पूरे क्षेत्र के, हमारे पूरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों की तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदयाजी को, आदरणीय सिंचाई मंत्रीजी को मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। चूंकि यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिससे हमारा पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा, इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

साथ ही आपके माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि ऐसी ही एक परियोजना हमारे विधान सभा क्षेत्र में, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी कौन से?

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): सिंचाई मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: सिंचाई मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): जल संसाधन मंत्रीजी का। पिण्ड डैम में तो आपने हम पर पूरी मेहरबानी की है, तो ऐसी ही मेहरबानी हमारे जातला डैम, जो प्रतापगढ़ पंचायत समिति में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, अगर

(श्री गोतम कुमार)

वह भी आप इस बजट में स्वीकृत कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और हमारे क्षेत्र के किसान आपको जीवन भर याद रखेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस बजट में आप उसको सम्मिलित कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के किसान आपको बहुत धन्यवाद देंगे।

अभी किसानों के हितों की बहुत सारी बात हो रही थी, किसानों को मुआवजे की बात भी हो रही थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले साल, 2014 में भी ओलावृष्टि हुई थी और 2015 में भी हुई थी, 2015 और 2016, दोनों में मिलाकर 90 करोड़ रुपये का मुआवजा हमारे विधान सभा क्षेत्र में हमारे किसानों को मिला। मैं निश्चित रूप से इसके लिए माननीया मुख्य मंत्री महोदया को, हमारे कृषि मंत्रीजी को, हमारे आपदा राहत मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और सदन में सबको अवगत कराना चाहूंगा कि आजादी के इन 70 सालों में कभी किसानों को नहीं दिया और ऐसी खुशी जो उन किसानों के चेहरे पर देखने को मिली, वैसी कभी देखने को नहीं मिली। कुछ लोग अपने आपको खाली किसानों का हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

ऐसे ही हमारे सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में, सड़कों के लिए भी पिछली बार की सरकार ने घोषणा की थी मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी सड़क की। घोषणा हो गई बजट में, वहां पटाखे फूट गये, लेकिन वहां कोरे कागजों में वह घोषणा हुई। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, पिछली बार बजट में आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने बजट में 24 मार्च को यहां सदन में घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि या तो इसी सत्र में या अगले सत्र में, लेकिन 24 मार्च को घोषणा करने के बाद उन्होंने 27 मार्च को ही प्रयास करके सी आर एफ से हमारी मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी की जो बहुप्रतीक्षित रोड थी, उसको सी आर एफ में स्वीकृत कराया और अब तक उसका लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसलिए मैं, आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को, आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है।

ऐसे ही हमारे क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण रोड थी बाणची से लगाकर बड़ी सादड़ी होकर होड़ा चौराहे से रड़क की, वह भी काफी जर्जर अवस्था में थी। पिछले पांच सालों में उस रोड पर एक कारी नहीं लगायी गयी थी, एक पैच नहीं निकाला गया था। उस सड़क के लिए भी आदरणीय मंत्रीजी ने, उसकी सुध लेकर, उसको भी इस बार सी आर एफ में लेकर 77 करोड़ रुपये

(श्री गोतम कुमार)

उस रोड के लिए स्वीकृत किये। उसका टेंडर भी हो चुका और उसका काम लगभग 10 प्रतिशत हो चुका है।

तो हमारी सरकार तो निश्चित रूप से घोषणा करने के साथ-साथ क्रियान्विति करने में भी विश्वास रखती है। मैं इसके लिए भी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को जितना धन्यवाद दूं हमारे क्षेत्रवासियों की ओर से, उतना कम है। लेकिन मैं साथ ही आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आग्रह भी करना चाहूंगा कि मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी जो रोड जा रही है, उसका काम भी लगभग पूरा होने आया है। उसमें टेण्डर में लगभग 20-25 प्रतिशत बिलो रेट है। तो मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आग्रह है कि उस क्षेत्र में आने वाला एक बिलोदा गांव है, अगर उस बिलोदा गांव में वहां बाइपास निकल जायेगा, चूंकि उस गांव से सिंगल लेन सड़क ही निकली हुई है, अगर वहां बाइपास होकर रोड बन जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पूरे 54 करोड़ की सड़क का...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति के जो बोला है, वह अंकित नहीं हो।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): निश्चित रूप से हमने जो दिया है, उसे शायद पचा नहीं पा रहे हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा। हमारी कुछ छोटी-सी मांग है, अगर बिलोदा में बाइपास हो जायेगा तो उस पूरे रोड की, शायद अगर डोटासराजी भी उस रोड पर आयेंगे तो उनको भी लगेगा, देश आजाद होने के बाद में इतनी अच्छी सड़क पर आप घूमेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको सड़क पर क्यों लाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी वह जगह है? सम्मानित सदस्य, आपकी वह जगह है?

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): इसी तरह से पूर्ववर्ती हमारी जो सरकार थी, उसमें मंगलवाड़ से लेकर निम्बाड़ा एक सड़क है, वह स्वीकृत हुई है और उसके स्वीकृत होने के बाद में उसका काम भी पूरा हो गया, लेकिन उस मंगलवाड़ से निम्बाड़ा रोड के बीच में एक चिकाड़ा गांव है। चूंकि वहां बाइपास उस समय स्वीकृत था, लेकिन बाईपास स्वीकृत होने के बावजूद भी,

(श्री गोतम कुमार)

उसमें अभी तक बाइपास नहीं बना है। उसके बावजूद उस पर लगभग चार-पांच सालों से टोल वसूला जा रहा है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि उस पर अगर बाइपास बन जायेगा तो निश्चित रूप से उस चिकाड़ा गांव के वाशिंदों को राहत मिलेगी।

माननीय जलदाय मंत्रीजी ने भी हमारे क्षेत्र में दौरा किया था और उस दौरे के दौरान आपने कई बड़ी पेयजल योजनाओं की घोषणाएं की थीं। उन घोषणाओं की लगभग क्रियान्विति भी हो चुकी है, कुछ के टेंडर हो गये हैं और कुछ के काम चल रहे हैं। इसके लिए भी मैं माननीया मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पेयजल योजना है। मेरे हिसाब से इतने वर्षों में कभी इतनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई थीं। लेकिन पहली बार आपके आने से इतनी पेयजल योजनाएं आपने स्वीकृत कीं, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा; साथ ही आपसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी कई सारी बड़ी-बड़ी पेयजल योजनाओं की घोषणा आपके द्वारा हुई थी लेकिन एक हमारे प्रतापगढ़ में, चूंकि हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र में जाखम डैम स्थित है। उसमें पानी की उपलब्धता भी खूब है और उस पानी की उपलब्धता को देखते हुए, 554 गांवों को पेयजल से जोड़ने की डी पी आर आपने तैयार करवाई है। वहां की पेयजल की समस्या को देखते हुए 3.5 करोड़ रुपये की लागत से आपने डी पी आर तैयार करवाई है, उसका लगभग बजट भी आ गया है और 750 करोड़ रुपये के आसपास का कुल बजट है। उसको एक-दो फेज में करके अगर इस बजट से उसको शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से लाखों लोग आपको और मुख्य मंत्री महोदया को याद करेंगे, वह योजना आपके द्वारा अगर चालू होगी, तो। चूंकि डी पी आर बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसी सत्र में अगर उसका प्रावधान आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्षेत्र की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद मिलेगा।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को भी इस अवसर पर बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे यहां कितने ही वर्षों पूर्व पी एच सीज बन गई थीं 1985 की, 1990 की, ऐसी कई पी एच सीज थीं जो खाली पड़ी थीं। वहां कभी डाक्टर्स नहीं लगे। ज्ञासपुर एक ऐसी जगह है जहां 1985 के बाद में आज दिन तक कभी डाक्टर नहीं लगा। आज की तारीख में हमारे विधान सभा क्षेत्र में 18 पी एच सीज हैं और ऐसी कोई पी एच सी नहीं है जो खाली है, या जहां डाक्टर नहीं लगा हो। आपके माध्यम से माननीया मंत्री महोदय को मैं खूब-खूब धन्यवाद दूंगा और साथ में आपसे आग्रह भी करूंगा कि अभी हमारे यहां कुछ

(श्री गोतम कुमार)

पद जी एन एम और ए एन एम के खाली हैं। जो नई भर्तियां हो रही हैं, उनमें, जिस तरह से आपने डाक्टर्स को लेकर हमारे ऊपर मेहरबानी की है, ऐसी ही मेहरबानी अगर ए एन एम और जी एन एम पर कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद रहेगा। जो मेहरबानी आपकी ऐसी है, वैसी ही हमारे क्षेत्र पर बनी रहे।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, एक हमारे क्षेत्र में मंगलवाड़ चौराहा, फोरलेन पर एक गांव है, चूंकि वहां मंगलवाड़ से निम्बाड़ा रोड भी जाती है, मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी भी रोड होने जा रही है और चित्तौड़ से उदयपुर जो रोड है, उस पर यह गांव स्थित है, आये दिन वहां कोई न कोई घटना या दुर्घटना होती रहती हैं। अगर वहां एक ट्रोमा सेंटर स्वीकृत हो जाये। चूंकि वहां रोज दुर्घटनाएं होती हैं, मैं मंत्रीजी से मिला था, तब उन्होंने भी स्वीकार किया था कि वहां ट्रोमा सेंटर होना चाहिए। अगर वहां ट्रोमा सेंटर स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से वहां जो जन हानि हो रही है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे जो जन हानि होती हैं, उससे जनता को राहत मिलने का काम हो सकेगा।

मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे यहां बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 65 नये उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। जो क्रमोन्नत हुए, चूंकि हमारे क्षेत्र में लगभग 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर पर सीनियर सेकण्डरी स्कूल नहीं हुआ करते थे, ऐसे में जो सीनियर सेकण्डरी स्कूल हमारे हर पंचायत स्तर पर हो गये हैं, उनका तो पिछड़े क्षेत्र में हमें लाभ मिलेगा लेकिन उनमें कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं व्याख्याताओं के और सेकण्ड ग्रेड टीचर्स के। अगर वे भी भर दिये जायेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को काफी राहत मिलेगी।

मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहते हुए, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी यहां विराजे हुए हैं, उन्होंने भी हमारे यहां, हमारे विधान सभा क्षेत्र में डूंगला में तहसील भवन के लिए दो करोड़ रुपये और एक मंगलवाड़ और निकुंब में वहां नायब-तहसील के लिए पौने दो-दो करोड़ रुपये की स्वीकृति निकाली है। उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे यहां इतना बड़ा बजट स्वीकृत किया है। उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, मेरी जो ये छोटी-छोटी मांगें हैं, उन पर थोड़ा-सा विचार करेंगे तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

सूचना

सादुलपुर में ओलावृष्टि से फसलों को कारित क्षति

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। आपदा राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वहां भारी ओलावृष्टि होने से फसल का नुकसान हुआ है। तो उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वहां जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीया उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 का बजट यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 'सब जन विकास, सब जन उत्थान,' 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने मूलमंत्र को मूर्त रूप देने के लिए राज्य की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने दिनांक 8 मार्च को राज्य का बजट प्रस्तुत किया। वह राज्य को द्रुत गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर करने वाला साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है।

पिछले कांग्रेस शासन के दौरान, उनकी गलत नीतियों के कारण राज्य जो 'बीमारू' राज्य में शरीक होने लगा था, राज्य को दो वर्ष में अपनी विकासशील नीतियों के कारण वसुन्धराजी ने पुन: पूरे देश के अन्दर चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं उनको इसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

विरासत में प्राप्त जर्जर अर्थव्यवस्था के आधार पर कभी खजाना खाली होने का रोना नहीं रोया। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य की गाड़ी को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए यह विजन प्रस्तुत किया है। यह भी बहुत अच्छी पहल की है। इसके लिए भी हार्दिक आभार।

इस बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व मुख्य मंत्री महोदया सब जिलों में और क्षेत्रों के दौरे पर गईं और सभी क्षेत्र से फीडबैक प्राप्त किया। इस बजट को तैयार करने से पूर्व राज्य के हर जिले का दौरा किया गया और वहां के जन-प्रतिनिधियों से, व्यापारिक संगठनों से, बुद्धिजीवियों से, उद्योगपतियों से, किसानों और विद्यार्थियों से, विद्यार्थी संगठनों से, समाज के हर वर्ग के संगठनों

(श्री पब्बाराम)

से यथा नारी संगठनों, सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों, अल्पसंख्यकों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारी संगठनों से उनकी राय लेकर, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास को इस बजट में मूर्त रूप देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु उनका आभार।

मैं आंकड़ों का, जो जिस प्रकार से कुछ हमारे अर्थशास्त्री माननीया सदस्यगण ने आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया है, निश्चित तौर पर आंकड़े अपनी जगह सही हैं और वे स्थिति को, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन को अलग-अलग प्रस्तुत करते हैं और उनका तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण भी है। उसके ऊपर अगर अच्छी तरह से ध्यान दें तो मेरे विपक्ष के साथियों को ये सारी बातें नजर आ जाएंगी।

'रिसर्जेंट राजस्थान' के बारे में बहुत सारी बातें हो गईं। क्योंकि समय का जो दबाव है, उसके चलते मैं मुख्य बातों पर आना चाहता हूं। जिस प्रकार से 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार देने के जो अवसर प्राप्त हुए हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं हमारी जलदाय मंत्री माननीय किरणजी माहेश्वरी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना घटोर और कानासर, बाप, फलौदी बावडी, खारा, जालौड़ा के लिए आपने जो बजट दिया है, उसके लिए आभार। क्योंकि 2007-08 के अन्दर जिन योजनाओं को शुरू किया गया था, उनको रोक करके वापस कांग्रेस ने अपने अंतिम वर्ष में जो एक किश्त देकर के शुरू किया था, उन सबको लोगों के हितार्थ उन्होंने बजट देकर के पूरा करने का संकल्प लिया है और जो बजट दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

इस हेतु मैं एक अपनी मांग भी रखना चाहता हूं। हमारा फलौदी जो बड़ा कस्बा है, उसके अन्दर 2016 तक की आबादी के आधार पर फिल्टर और सप्लाई की व्यवस्था है। परन्तु अभी एक नयी डी पी आर बनाकर के आपको प्रस्तुत की गयी है, 13.61 करोड़ की शहरी पेयजल योजना और एक फिल्टर प्लांट। रोजाना अख़बारों की सुर्खियां बनती हैं कि गंदा पानी आता है और एक अतिरिक्त फिल्टर प्लांट की आवश्यकता रहती है। इसकी एक डी पी आर प्रस्तुत की गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि उसकी स्वीकृति प्रदान कर क्षेत्र की जनता को राहत दिलायें।

इसी प्रकार से जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं, बारू, राणेरी, टेपू टेकरा,

(श्री पब्बाराम)

सिहडा के लिए एक डी पी आर बनाकर के आपको प्रस्तुत कर दी गई है, जिसकी 68.67 करोड़ की लागत है। कृपया उस जलदाय योजना को भी अपने इस बजट के अन्दर जगह प्रदान करें। ऐसा मेरा आग्रह है।

मैं यह नहीं समझता हूं कि आंकड़े कैसे हैं, परन्तु इतना अवश्य समझता हूं कि दो साल के इस विकास के विजन के साथ में जो सरकार ने कार्य किया, उसका धरातल पर कितना प्रभाव पड़ा, वह परिलक्षित होता है और जो मैंने देखा है अपनी आंखों से उनकी एक-दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे जोधपुर के डिस्काम के अन्दर साढ़े तीन लाख फाइलें जो कांग्रेस के शासनकाल के अन्दर भरवाकर के रख दी गई थीं और एक भी घरेलू कनेक्शन नहीं दिया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत मेरे क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री की सिफारिश पर और माननीया वसुंधराजी के आशीर्वाद से केन्द्र सरकार ने 88 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं। लोगों ने कभी भी सपना नहीं देखा था कि 70 साल के इस आजादी के कार्यकाल में कभी हमारे बिजली आएगी। उन धौरों के अन्दर, जहां पर दो-दो, चार-चार ढाणियां हैं, वहां पर तीस -तीस मीटर की दूरी से खंभे लगाकर के और वहां पर बीपीएल को बिलकुल नि:शुल्क और जो एपीएल हैं उनके लिए भी बिजली देने का जो काम किया, 88 करोड़ की लागत से घर-घर बिजली पहुंचाई जा रही है। यह मैं आपको बता रहा हूं कि यह गेम-चेंजर साबित होगा और आपको वापस पुन: उन्हीं सीटों पर बैठने के लिए विवश कर देगा।

इसी प्रकार से अभी डिस्काम्स की कम्पनियों की जिस प्रकार से घाटे की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से 60 हजार करोड़ का टेक-ओवर करके किस प्रकार से इसको मैनेज किया है और विकास का अग्रगामी बजट बनाया है, इसके लिए भी मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अगले वर्ष के लिए भी 127 करोड़ हमारे जिले को स्वीकृत किये हैं और उसमें अधिकतर मेरे क्षेत्र में लगेंगे। इसके लिए मुझे गर्व है इस चीज का।

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए हमारे पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर और माननीया वसुंधराजी की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने मेरे क्षेत्र में बहु-प्रतीक्षित एक एन एच की घोषणा की है। नागौर से लेकर के, फलौदी से नागौर, तारनाउ, खाटू होते हुए, 458 एन एच के अन्दर सम्मिलित हो रहा है। उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसके होने से कई जिलों से इनका सीधा जुड़ाव हो जाएगा।

(श्री पब्बाराम)

इसी प्रकार से अनेक ऐसी सड़कें हैं। फलौदी शहर के अन्दर तीन अण्डर-पास और एक आर ओ बी का निर्माण 15 नम्बर हाइवे पर होने जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक कस्बे के अन्दर तीन अण्डर-पास और एक आर ओ बी स्वीकृत किये गये हैं। इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम इस सरकार के दौरान में हुआ है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैंने इस चीज को महसूस किया है, और कांग्रेस के शासनकाल में भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी देखा है। जहां पर साढ़े चार हजार सीनियर सेकण्डरी हुआ करती थीं, वहां पर एक ही झटके में पांच हजार सीनियर सेकण्डरी क्रमोन्नत करके हर पंचायत में वह सहूलियत प्रदान की, कि हमारा बालक है, इंटीरियर में बैठा भी अपने पंचायत के अन्दर वहां पर पढ़ सके।

पहले पूर्व के अन्दर ऐसा होता था कि समानीकरण के लिए कांग्रेस सरकार के अन्दर बहुत सारे काम किये गये। परन्तु इस बार, मैं शिक्षा मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि 15 छात्रों के ऊपर दस-दस टीचर लगे हुए थे, इस प्रकार से यह मानव संसाधन का निरा अपव्यय था। उस अपव्यय को रोकते हुए, स्टाफिंग पैटर्न के ऊपर...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीया उपाध्यक्ष महोदय, स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा उन शिक्षकों को गांवों के अन्दर भेजा गया और सभी सीनियर

(श्री पब्बाराम)

सेकण्डरी स्कूलों के अन्दर, आज वहां बेरा क्षेत्र सबसे इंटीरियर में है, और हर स्कूल के अन्दर प्रिंसिपल वहां पर मौजूद हैं। इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और क्षेत्र के बालक हैं वे आपको दुआएं दे रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

इसी प्रकार से मेरा एक सुझाव है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही अलग-अलग स्थिति का है। कहीं पर एक दो किलोमीटर के अन्दर ग्राम पंचायत है, कहीं पर चालीस किलोमीटर पर एक ग्राम पंचायत है। माननीया मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि जहां पर एक सीनियर सेकण्डरी एक पंचायत में हैं और वहां से पन्द्रह किलोमीटर दूसरी सेकण्डरी स्कूल है, वहां की बच्चियां कहां पर जाएंगी? एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि कितनी दूरी के बाद में किसी भी छात्र को कितनी शिक्षा ग्रहण करने की सहूलियत प्रदान की जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है, अगर एक पंचायत में अगर वह स्टूडेंट्स पूरा करता है विद्यालय, तो उसको अतिरिक्त सीनियर सेकण्डरी और सेकण्डरी घोषित किया जाना चाहिए।

एक मेरे क्षेत्र में डीई.ओ कार्यालय, यानी कि 350-300 किलोमीटर से चार डी.ई.ओ. कार्यालय हैं जो सिर्फ जोधपुर के अन्दर हैं। फलौदी जिले की तरफ अग्रसर है और वहां पर लगभग सभी जिला स्तरीय कार्यालय खुल गये हैं, तो क्यों न एक डी.ई.ओ. कार्यालय वहां पर खोला जाए?

इसी प्रकार से उच्च शिक्षा के अन्दर निश्चित तौर से मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के अन्दर स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया, तो क्या अपना मानस रखते हैं कि एक जगह जहां पर 500 विद्यार्थी हैं और वहां पर 20-20, 25-25 लेक्चरर्स बैठे हैं और मेरे वहां पर 2 हजार स्टूडेंट्स हैं, वहां पर चार-पांच लेक्चरर्स बैठे हैं। क्या इस सूरत को बदलने का आपके अन्दर कुछ है? तो इस चीज पर जरूर विचार किया जाना चाहिए और स्टाफिंग पैटर्न लागू करके उन छात्रों को, इंटीरियर में बैठे छात्रों को न्याय दिया जाना चाहिए और अध्यापकों का उचित समायोजन किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नीति निर्धारण में आपने बताया था, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं और शिक्षा के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं, आपने यह कहा था कि ऐसे ब्लाक्स हैं जहां पर न तो प्राइवेट कालेज हैं और न गवर्नमेंट कालेज हैं, वहां पर सरकार खोलने की मंशा रखती है। मेरा बाप ब्लाक है जिसके अन्दर न तो निजी महाविद्यालय है और न ही गवर्नमेंट महाविद्यालय है। तो मेरा आग्रह है कि बाप के अन्दर गवर्नमेंट महाविद्यालय खोलने की इसी सत्र में आप अनुमति प्रदान करें। ऐसा मेरा आग्रह है।

(श्री पब्बाराम)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो आग्रह और करूंगा। माननीय सिंचाई मंत्रीजी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे वहां पर तीन लिफ्ट योजनाएं हैं, तीनों में पिछले पांच वर्ष में पीने को पानी नहीं मिलता था और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य भी विराजमान हैं, उस क्षेत्र में खिदरत वितरिका है वहां पर पानी नहीं जाता था, पीने को पानी नहीं मिलता था; आज वहां पर सोलह किलोमीटर दूर तक, टेल तक पानी जाता है। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से जम्बासुर लिफ्ट है, उसमें लिफ्ट नंबर-4 तक पानी आपने पहुंचा दिया। मेरा आग्रह है आपसे कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचायें। आपने जिस प्रकार से काम किया खेत-खलिहानों में आज अनाज के ढेर लगे हैं और लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, माननीया वसुन्धराजी को दुआएं दे रहे हैं। इसी प्रकार पोकरण लिफ्ट जो मेरे ही क्षेत्र में चलती है, पूरी की पूरी वहां पर भी सिल्ट निकालने का और जो आगे पानी लाने का कार्य किया है, उसके लिए आपको आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नगरीय विकास मंत्री से मेरा आग्रह है कि पचास हजार की आबादी वाले को सीवरेज व्यवस्था देने का एक केन्द्र सरकार का नियम है। उसके दायरे में मेरा फलौदी सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि उसमें पचास हजार से सिर्फ आठ की संख्या कम है, 49,992 उसकी जनसंख्या है। इसके कारण से, इस मामूली अंतर के कारण मेरा शहर सीवरेज व्यवस्था से विमुक्त रह रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय मंत्रीजी से कि इस पर छूट प्राप्त करके सीवरेज व्यवस्था प्रदान की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा कि अभी ओलावृष्टि के बारे में और किसानों के लिए जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे विपक्ष के बंधु हमारे। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में रबी और खरीफ का जो मुआवजा मिला, वह 75 करोड़ रुपये मिला है एक साल में। मैं चैलेंज करता हूं विपक्ष को, अपने सम्पूर्ण शासन काल में मेरी कांस्टिट्यूएंसी में अगर इतना मुआवजा दिया है तो मैं चैलेंज करके आपको यह कह रहा हूं। किसी हालत में पूरे शासनकाल में, जब से देश आजाद हुआ है, 51 वर्ष तक आपने शासन किया है, 75 करोड़ आपने नहीं दिया। एक वर्ष में इस सरकार ने दिया है। इसके लिए आपका हार्दिक आभार।

इसी प्रकार से मुख्य मंत्रीजी जल स्वावलम्बन में, राजस्थान के गांव पहले से जल स्वावलम्बित हुआ करते थे परन्तु कांग्रेस की गलत नीतियों के

(श्री पब्बाराम)

कारण वे स्वावलंबी न होकर परावलंबी हो गये थे। उस समय जब हम छोटे बालक थे, हम लोग चैत्र, बैसाख और जेठ के अन्दर तालाबों की सफाई करते थे, उसमें गोबर दूर हटाते थे, उसके अन्दर पानी के ग्रहण की व्यवस्था सही करते थे, उसमें से मिट्टी हटाते थे और उसको धार्मिक आस्था से जोड़ा जाता था और ग्यारस, अमावस और पूर्णिमा के दिन वहां पर मिट्टी डालने का काम करता था हर बच्चा, और पूरा का पूरा स्वावलंबी था। उसी सोच को परिलक्षित करते हुए मुख्य मंत्रीजी जल स्वावलंबन के अन्दर अभियान के तौर पर लेकर के उन्हीं सभी धार्मिक संस्थाओं को जोड़ा गया, सभी लोगों का साथ लिया गया और पुनः स्वालवबंन के पथ पर यह राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का माननीय चिकित्सा मंत्री से आग्रह करूंगा कि डाक्टरों की हमारे कुछ हद तक पूर्ति हो गयी है, ए एन एम भी हमारे लग गये जो कभी नहीं होते थे, 54 में से 36 सिर्फ मेरे क्षेत्र में लगी हैं ए एन एम और जी एन एम भी लग रहे हैं, परन्तु डाक्टरों की कमी है। गांवों में डाक्टर लगे। दो बड़े सी एच सीज हैं फलौदी और बाप, दोनों नेशनल हाईवे पर हैं और रोजाना एक्सिडेंट्स होते हैं, वहां पर डाक्टरों की कमी है। कारण यह है कि पोस्ट-ग्रेजुएशन करने के लिए उसको गांवों में सेवाएं देनी पड़ती है और वे गांव नहीं बताये जाते। इस कारण से लोग वहां पर आते नहीं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था की जाएं।

जो 150 की बेड का जो फलौदी का हास्पिटल था जो क्रमोन्नत हुआ है, उसके अन्दर अभी तक वह सौ वाली सुविधाएं ही हैं। न ही बजट अलाटमेंट किया गया है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसका बजट अलाटमेंट करके डेढ़ सौ की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे फलौदी में एक अरबन डिस्पेंसरी देकर के, 75 करोड़ रुपये का बजट अलाटमेंट करके, उसका भवन बनाया जा रहा है। इसके लिए भी आभार।

इस प्रकार से मैं समय की सीमा ध्यान रखते हुए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय की भौंहों की तरफ ध्यान देते हुए, अपने वक्तव्य को पूरा करते हुए इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, यह राज्य को तेज गति से आगे ले जाने का काम करेगा और मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): परम आदरणीय उपा.ध्यक्ष महोदय जी, बजट पर आज आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारी यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने तीसरे बजट के रूप में राजस्थान के विकास की यात्रा को नवीन सोपान प्रदान किये हैं। राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए मुख्य मंत्री महोदया ने अपनी दूरदर्शिता के साथ में सभी क्षेत्रों और आम जन की आवश्यकताओं को भली भांति अनुभूत करते हुए, ठीक उसी तरह बजट का विभाजन भी सभी में समान रूप से किया है। मुख्य मंत्री महोदया का यह ममतामयी व्यवहार इस प्रदेश को आने वाले भविष्य में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास है और इस बजट में उनकी यह भावना पूरी तरह से परिलक्षित होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे पंचायती राज मंत्रीजी एवं हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बार-बार धन्यवाद दूंगी कि जो काम कांग्रेस लम्बे समय से नहीं कर पायी थी, हमारी मुख्य मंत्रीजी के आदेश से हमारे पंचायती राज मंत्रीजी ने पंचायत पुनर्गठन का कार्य हाथ में लेकर राजनीति न करते हुए यह काम किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। बाकी सबके लिए यह कोई बड़ा काम नहीं होगा, पर मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में चौदह पंचायतें ऐसी थीं जो सीमलवाड़ा पंचायत समिति में पड़ती थीं, जो कम से कम चालीस किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। वहां आम जनता को रोजाना के कार्य के लिए वहां आने-जाने में बड़ी दिक्कत थी। यह कार्य मेरे सागवाड़ा की जनता के लिए बहुत बड़ा कार्य है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। टैक्स में विशेष प्रावधानों से काफी चीजें सस्ती हुई हैं जिससे महंगाई की मार से त्रस्त आम

(19.00 बजे)

व्यक्ति को राहत प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से निवेशकों को प्रोत्साहित करने, शैक्षिक विकास, जैविक खेती को प्रोत्साहन, डिजिटल राजस्थान पर महत्व देने का प्रयास इस बजट की विशिष्ट

(श्रीमती अनिता कटारा)

बातें हैं जिनमें मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रदेश को विकास की नवीन दिशा देने की मंशा नजर आती है।

मेरे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में ए डी जे कोर्ट की स्थापना करके, आम जनता को न्याय सुलभता से प्राप्त हो जाये, उसके लिये हमारी सरकार ने ए डी जे कोर्ट दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें बारहवीं पास करने वाली हर बेटी को 25 हजार रुपये देना, आंगनबाडी और सहायिकाओं के लिए मानदेय में बढ़ोतरी करने, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने, विधवा पुनर्विवाह पर 30 हजार रुपये देने, बालिकाओं के लिए ट्रांसफर वाउचर की व्यवस्था, दूरदराज की महिलाओं के लिए काल सेंटर, कामकाजी महिलाओं के लिए अलग से कार्ययोजना जैसी कई घोषणाएं हैं जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और समाज में आत्म सम्मान प्राप्त हुआ है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में हमारे माननीय मंत्रीजी ने स्टेट हाइवे घोषित किया है, जिसके लिये इस बजट में बजट उपलब्ध कराकर उस स्टेट हाइवे को पूरा करें। ऐसी मैं उम्मीद रखती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समूचे राजस्थान की तरह ही डूंगरपुर जिले को भी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत कुछ दिया है। मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में जहां इस अंचल में शिक्षा और कृषि में नवाचारों के माध्यम से क्षेत्रीय निवासियों को अपने विकास की सम्भावनाओं को पूर्ण करने का अवसर मुहैया करवाया गया है, वहीं स्थानीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गौरव की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण सौगात प्रदान की गई है। मुख्य मंत्रीजी ने इस अंचल में शिक्षा एवं संस्कृति को मान देने के लिए वागड में साक्षरता की देवी मानी जाने वाली वीरबाला कालीबाई, जो हमारे वागड में अपने गुरु के लिए प्राणों की आहूति देने वाली कालीबाई के लिए कालीबाई पैनोरमा का निर्माण करवाने की जो घोषणा की है, वह हमारे वागड़-वासियों के लिये बहुत बडी उपलब्धि है। इसी प्रकार से हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जनजाति अंचल की अगाध आस्थाओं के वेणेश्वर धाम पर विकास कार्य करवाने के लिए भी बजट की घोषणा की है। उसके लिए भी मैं धर्म पर आस्था रखने वाली मेरी पूरी जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देती हूं।

जनजाति अंचल डूंगरपुर जिले को कृषि के क्षेत्र में मोडल बनाने की

(श्रीमती अनिता कटारा)

दृष्टि से मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में जिले के एक विकास खण्ड को पूर्ण रूप से जैविक खेती में बदलने के लिए विशेष योजना बनाकर पायलेट बेसिस पर कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा कर यहां के किसानों को विकास की मूल धारा में लाने के प्रयास किये हैं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा से ही सर्वागीण विकास की सम्भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने की दृष्टि से जिले में संचालित 9 छात्रावासों में सीटों की वृद्धि करते हुए, अधिकाधिक विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राजकीय मोडल आवासीय विद्यालय की क्षमता 210 से बढ़ाकर 350 करने, जिले में 23 विद्यालयों में विज्ञान या कृषि एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने की घोषणा की है; महाविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विषय खोलने का लक्ष्य रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सागवाड़ा की जनता ने भाजपा का कार्यकाल बहुत कम देखा है क्योंकि प्रदेश में सरकार बी जे पी की जरूर रही होगी पर मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में यह दूसरी बार ऐसा मौका है कि बी जे पी का विधायक मेरी जनता ने देखा है। आप कोई कभी अगर मेरे विधान सभा में पधारें तो मेरे सागवाड़ा विधान सभा में एक ही परिवार कांग्रेस से राज करता आया है और हर जगह बहुत बड़े-बड़े जो भी कार्य हुए हैं, उस परिवार के नाम से ही उन कार्यों का नामांकरण किया गया है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा काम भीखा भाई नहर का काम शुरू करके कांग्रेस चली गई, जबकि उसके लिए बजट का नामोनिशान नहीं था। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस काम को पूरा करवाया है और बाकी जो बजट था वह भी स्वीकृत कर दिया है। उसके लिए उनको हमारी जनता की ओर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं, मैं मेरी गलियागोट पंचायत समिति में 132 केवी जी एस एस की मांग रखती हूं। उसके लिए मैं मंत्री से उम्मीद रखती हूं कि बजट में इसको लिया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री बी.एल. कुशवाह।

श्री बी. एल. कुशवाह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बेहद आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि मैं आज पहली बार माननीय हाई कोर्ट की परमिशन से इस सदन में उपस्थित हुआ हूं, तो मेरे

(श्री बी.एल. कुशवाह)

लिए अपनी जनता की आवाज उठाना बेहद जरूरी था। इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह से लेकर अभी तक ज्यादातर माननीया सदस्यों के जो भाषण सुने हैं, उसमें इस बजट की बहुत जोर-जोर से बढ़ाई की गई कि विकास हुआ, बहुत जोर-जोर से विकास हुआ, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्या इसी को विकास कहते हैं।

आज किसान पानी पर पूरा निर्भर करता है। पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी माननीय सदस्य आते हैं, ज्यादातर इंटीरियर क्षेत्र से हैं। हमारे पूरे प्रदेश की जनता करीबन 70-75 परसेंट गांव में ही रहती है और उन किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की पडती है और पानी-बिजली पर डिपेंड हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश में हजारों नहीं लाखों कृषि कनेक्शन पेंडिंग पडे हुए हैं और वे एक-दो साल से नहीं हैं, पिछले कई सालों से पडे हुए हैं। जिन लोगों को कृषि कनेक्शन मिल भी जाते हैं, क्योंकि गांव में अगर हमारे एक भाई के बोर लगा हुआ है तो वह पड़ोसी का भी काम चला देता है। यह बडी अच्छी बात होती है, शहरों में नहीं होता है लेकिन गांव में लोग एक-दूसरे के काम आ जाते हैं। तो जो एक दो कनेक्शन कुछ भाइयों को मिले भी हैं, उनको भी आपके इस राज में पूरी बिजली नहीं मिल रही। जो वादा आपने किया था, क्या उतनी बिजली लोगों को दे पा रहे हैं? मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्या इसी को विकास कहते हैं।

सडकें पूरी तरह से खुदी पड़ी हुई हैं। आज भी ऐसे कई गांव हैं, केवल मेरी विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश के कई ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, जिनमें आज 70 साल देश को आजाद हुए हो गये, उसके बावजूद भी आज तक वहां रोडें नहीं बनीं। वे लोग आज भी रोड का सपना लिये बैठे हैं। क्या इसी को विकास कहते हैं?

आज हमारे सभी विधान सभा क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, कालेजें खुली हुई हैं, मेरे धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में भी खुली हुई हैं, लेकिन उनमें आज तक कभी भी पूरे शिक्षक और व्याख्याता नहीं बैठे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं ऐसा कालेज किस काम का जिसमें शिक्षक ही न हों, ऐसा स्कूल किस काम का जिसमें शिक्षक ही न हों, ऐसा हास्पिटल किस काम जिसमें डाक्टर ही न हों। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हम नये वायदे करने की बजाय, जो समस्या

(श्री बी.एल. कुशवाह)

वाजिब है, जो एक आदमी के लिए जरूरी हैं, पहले उनको तो पूरा करें। ऐसे कालेजों में व्याख्याता नहीं हैं, जिन स्कूलों में टीचर नहीं हैं, उनकी पूर्ति करें तो मेरे खयाल से जनता के हित में एक बहुत बड़ा कदम होगा।

आज बी.जे.पी. सरकार में 'स्वच्छ भारत' मिशन को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी चलाया जा रहा है और शायद पूरे राजस्थान क्या, पूरे देश में ही चलाया जा रहा है। मैं आपका ध्यान बड़ी गम्भीरतापूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं कि यह योजना बहुत अच्छी है, देश को स्वच्छ बनाने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वह बिलकुल विपरीत है। क्योंकि जो योजना बनी है इसमें सोक्ता सिस्टम लागू किया गया था; प्रधान मंत्रीजी की मैंने स्पीच सुनी थी, उसमें सोक्ता सिस्टम लागू किया गया था। लेकिन आपके कुछ कलक्टर्स और कुछ बी.डी.ओ. अपनी वाहवाही लेने के लिए अपनी पंचायतों को, अपने जिलों को ओ.डी.एफ. कराने के लिए लोगों को शोटकर्ट बना दिया, सरपंचों को आदेश दे दिया कि आप तो फटाफट से ओ.डी.एफ. कराओ, हमें इनाम लेनी है और ऐसी स्थिति में हुआ क्या, कि वहां गांव-गांव में ड्रेनेज सिस्टम बना दिया; सोक्ता न बनाकर के, सेप्टिक टैंक बना दिये। तो उसका गंदा जो पानी है, वह पूरा रोड़ों पर भरा हुआ है। क्योंकि हमारे गांव अभी ऐसे नहीं हैं जहां पर आपने पक्के खरंजे करा दिये हों, या पक्की नालियां करा दी हों जिससे उसका गंदा पानी बाहर जा सके। आज वह पूरा गंदा पानी, पूरी गंदगी रोडों के ऊपर फैल रही है, घरों के सामने भरी हुई। बीमारी भगाने की बजाय, बीमारियों को हमने और पास बुला लिया है।

इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह योजना बहुत अच्छी है लेकिन इसके लिए हमें कुछ अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। या तो वहां ऐसा किया जाता कि सामूहिक रूप से सुलभ शौचालय बनाये जाते जिससे गंदगी कम से कम लोगों के घरों में नहीं फैलती, या और भी कोई ऐसा रास्ता हो सकता है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, गंदगी घरों के सामने ना भरे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस योजना को आगे बढ़ाने से पहले कम-से-कम प्रत्येक गांव में पक्की नाली तो बनवा देनी चाहिए, जिससे इस योजना का लाभ एक आम आदमी को मिल सके, जनता आपको दिल से बधाई दे सके।

आगे मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हमारे यहां पर हमारी माननीया

(श्री बी.एल. कुशवाह)

मुख्य मंत्रीजी ने पहला जो बजट पेश किया था, मैंने उसको पढ़ा था; मैं भले ही यहां पर नहीं आया, लेकिन मैंने पढ़ा था और बड़ी गम्भीरता से पढ़ा था। उसमें मैंने एक चीज देखी थी कि हम प्रदेश में 15 लाख रोजगार देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ था। और बड़ा ही सराहनीय कदम था हमारी मुख्य मंत्रीजी का कि 15 लाख रोजगार अगर लोगों को मिल जाए तो निश्चित तौर पर हमारे आम आदमी का बड़ा भला होगा। क्योंकि रोजगार ही एक ऐसा रास्ता है कि जहां पर एक आम आदमी अपने बच्चों की परवरिश बड़े बढ़िया ढंग से कर सकता है। रोजगार के अभाव में हमारा एक आम आदमी न तो अपने बच्चे को शारीरिक रूप से मजबूत बना पाता है, पैसे के अभाव में न उसको मानसिक रूप से मजबूत बना पाता है और न ही उसको दिमागी रूप से मजबूत बना पाता है। इसकी डिटेल्स में जाने के लिए थोड़ा-सा वक्त लगेगा, मैं जाना नहीं चाहता। आप सभी मुझसे ज्यादा विद्वान सज्जन हैं, विद्वान सदस्य हैं।

मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रोजगार देने का वादा था, वह 15 लाख नहीं, 5 लाख भी दे दिये होते तो जनता आज आपको दिल से नमन करती। तो मुझे यह बजट समझ में नहीं आता कि आप वादे-पर-वादा करते जाते हैं, आज आम आदमी को जरूरत है, आज आम आदमी को जरूरत है कड़वाहट दूर करने की और हम केवल उससे वादा किये जा रहे हैं कि आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, आपको बर्फी खिलाएंगे, आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे। अरे, आप इस समय तो गुड़ ही खिला दो जिससे उसकी कड़वाहट दूर हो जाए।

इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर इसी को विकास कहते हैं, हमारे कई माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि मुझे इतना बजट दे दिया, मुझे इतना बजट दे दिया, मुझे इतना बजट दे दिया; इस किताब में पहले ही पन्ने पर, इस बार के बजट में, और पहले भी यह लिखा हुआ है, 'सर्व जन विकास, सर्व जन उत्थान'; यानी, सभी का विकास। इस प्रदेश में जो भी जनता है, वह हमारी है और हम उसका विकास कर रहे हैं। मेरे नजरिये से इसका मतलब यही निकलकर आता है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा यह कहते हुए दु:ख होता है कि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी सब को इतना भर-भर के बांट रही हैं, तो कम-से-कम अपने गृह जिले को दो-चार बूंद दे देतीं, तो बड़ी कृपा होती। क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा यही सुनने को मिलता है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश को निहाल कर दिया, और हमारा धौलपुर सूखा ही रह गया। तो धौलपुर से ऐसी क्या दुश्मनी है? मैं

(श्री बी.एल. कुशवाह)

सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर के लिए और खास तौर पर जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जीतकर आये हैं उनसे ऐसी क्या नाराजगी है? वे भी आपके ही विधायक हैं, आपकी ही सरकार के हिस्से हैं। उनको भी यह अधिकार है कि अपनी जनता के लिए आपसे निवेदन करें और आप उनकी भी बात सुनें और उनका भी भला करें, क्योंकि वह भी आपके इस प्रदेश में आती है। जनता आपसे उम्मीद करती है।

इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। सरकार से बार-बार निवेदन करना चाहता हूं धौलपुर के लिए, धौलपुर की इतनी अनदेखी ना करें। आप दुनिया को मेडिकल कालेज दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेज दे रहे हैं, कम-से-कम धौलपुर को एक कृषि विश्वविद्यालय ही दे दीजिए। इसमें ही कम-से-कम लोग खुशी मनाएंगे। क्योंकि हमारे यहां तो लोग किसान हैं, किसानों के बच्चे कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो आप लोगों को करना चाहिए और यह जरूरी भी है।

इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब बी.जे.पी. की सरकार आती है तो बी.जे.पी. के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने यह वादा किया था, वह वादा किया था, पूरा नहीं किया; जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस के लोग यह कहते हैं कि बी.जे.पी. ने यह वादा किया था, वह वादा किया था, पूरा नहीं किया, और जब चुनाव आते हैं तो हम सभी नेता लोग अपनी-अपनी तरफ से यह वादा करते हैं कि हम आपको यह करेंगे, वह करेंगे, यह करेंगे। वह करेंगे। जनता को कमिटमेंट करके आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहां पर वो कमिटमेंट पूरे नहीं होते। तो क्या इसके लिए कोई ऐसा विधेयक नहीं बनाना चाहिए? क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए? अगर मैं वादा करता हूं, अगर मैं मिनिस्टर हूं, या कोई नेता हूं, अगर मैं वादा करता हूं इस सदन में या जनता के बीच में। और अगर उस वायदे पर खरा नहीं उतरता हूं, उसको समय-सीमा में पूरा नहीं करता हूं, तो क्या मुझे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम-से-कम पांच साल के लिए आपको राजनीति से बाहर कर दिया जाए? या कोई भी ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे एक डर पैदा हो, जिससे जनता में हमारा विश्वास पैदा हो, जनता आपके ऊपर भरोसा करे और इस लोकतंत्र का सही मायने में मतलब निकल सके।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री बी.एल. कुशवाह)

चाहूंगा कि आपने मुझे जो समय दिया है, इसके माध्यम से, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उसके माध्यम से केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश में जो समस्याएं हैं, जरूरी हैं कि पहले उनका निराकरण कराएं, बजाय नये सपने दिखाने के। जो पुरानी चीजें हैं, जो जरूरी हैं, सुबह-शाम पेट भरना जरूरी है, उसकी हमारे लिए आवश्कता है, न कि नए सपने दिखाने की।

बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवर सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से माननीया मुख्य मंत्री के द्वारा 8 मार्च को दिए गए तीन घंटे के बजट भाषण पर लगातार चर्चा हो रही है,...

श्री उपाध्यक्ष: टेन मिनट।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सत्ता पक्ष के माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि इतने कार्य हुए हैं। पिछले ढाई सालों में माननीया मुख्य मंत्रीजी का हमारे बीकानेर जिले में तीन-चार बार पधारना हुआ। सबसे पहले 2014 में सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम में पधारीं; उस समय लोगों को अपेक्षाएं थीं, लेकिन बीकानेर जिले को उसम समय भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद आपका-जिला-आपकी सरकार कार्यक्रम के दौरान और सबसे लास्ट में अभी

(श्री भंवरसिंह)

26 जनवरी को बीकानेर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो बीकानेर जिले को बहुत उम्मीद बंधी कि इस बार बीकानेर जिले को, मुख्य मंत्रीजी स्वयं पधार रही हैं, और बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हम सभी जनप्रतिनिधियों से भी, उपखण्ड अधिकारियों के माध्यम से, जिला कलक्टर के माध्यम से प्रस्ताव मांगे गये और यह कहा गया कि सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र के पांच-पांच जो प्रमुख कार्य हैं उन कार्यों का प्रस्ताव आप दीजिए। मुख्य मंत्रीजी के बीकानेर प्रवास और 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद जो घोषणाएं की जाएगी उसमें उन कार्यों को लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी परिणाम नहीं निकला। मुख्य मंत्रीजी बीकानेर पधारे और बीकानेर जिले को पिछले दो-ढाई सालों से जो उम्मीदें थीं, उन पर एक बार फिर पानी फिर गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो बजट घोषणाओं की तरफ जाना चाहूंगा, हालांकि काफी चर्चा हुई है, सड़क के बारे में जब 2014-15 का बजट पेश किया गया तो 20 हजार किलोमीटर की सड़कें बनाने की घोषणा की गई जिसमें एम डी आर को स्टेट हाइवे में बदलने की बात की गई, राजस्थान स्टेट हाइवे अथोरिटी बनाने की घोषणा की गई। शायद राजस्थान स्टेट हाइवे अथोरिटी का गठन तो कर दिया लेकिन आज तक इस राजस्थान स्टेट हाइवे अथोरिटी के माध्यम से 20 हजार किमी राज्य की मुख्य सड़कें जिनका पुनर्निर्माण होना था पी पी पी के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक एक भी सड़क का इस क्षेत्र में निर्माण नहीं किया गया।

टूटी हुई सड़कों के बारे में सरकार बनते ही बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं, हम ओ पी आर सी लेकर आएंगे, सम्भाग का एक कम्पनी को ठेका दिया जाएगा, रोड एम्बुलेंस लेकर आएंगे, पूरे सम्भाग में 8 वर्ष के लिए कम्पनी को करार किया जाएगा, वह कम्पनी पूरे सम्भाग में जहां भी सड़कों पर गड्ढे हैं उन तमाम गड्डों को मिटाने का काम करेगी। लेकिन वह ओ पी आर सी योजना कागजों में ही दबकर रह गई। वह ओ पी आर सी पूरी तरह से फैल हो गई। राजस्थान की पैचेबल सड़कें थीं, राजस्थान की सड़कों पर और ज्यादा गड्ढे पड़ गए।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके अलावा बजट घोषणा 2014 में माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बीकानेर में सिरेमिक हब बनाकर सिरेमिक उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई थी, 2014 के बाद 2015 और 2016, तीसरा बजट

(श्री भंवरसिंह)

पेश हो गया लेकिन बीकानेर में सिरेमिक हब बनाने की तरफ आज तक बजट घोषणा पर कोई कार्य नहीं हुआ है।

नई खनन नीति लाने की बात की गई थी; हमारे बीकानेर जिले के जिन किसानों के खेतों में जिप्सम है उन किसानों को सीधे खनन के पट्टे देने की बात की गई थी, पिछले दो सालों में वे किसान एप्लिकेशन लगाकर खनिज विभाग के लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन पिछले दो-ढाई सालों में उन किसानों को जिप्सम का एक भी खनन पट्टा नहीं दिया गया।

माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बीकानेर के बारे में 2014 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि बीकानेर में करणीसिंह स्टेडियम, बीकानेर में साइकिल वेलोड्रम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और राजस्थान का एक मात्र स्पोर्ट्स स्कूल, जो बीकानेर में पिछले पचास सालों से है, इन तीनों संस्थाओं का संचालन करने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा और इन तीनों संस्थाओं का विकास किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरफ भी आज तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2015 में बीकानेर जिले से सम्बन्धित सड़कों के सम्बन्ध में घोषणाएं की गई थीं, डूंगरगढ़ से सरदारशहर-राजगढ़ सड़क 159 किमी; श्रीगंगानगर-रायसिंहनगर-बीकानेर सड़क 227 किमी, सीकर-लाडनूं-नोखां सड़क 200 किमी; इन तीनों सड़कों को चालू करना तो दूर रहा वहां इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य बजट घोषणा होने के बावजूद शुरू नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2015-16 में 4 हजार किमी नान-पैचेबल सड़कों के पैचवर्क और नवीनीकरण की बात की गई थी, लेकिन उसका आधा बजट पिछले साल में खर्च किया गया।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में बायोलोजिक पार्क बनाने की घोषणा भी पिछले बजट में की गई थी, इसमें 25 करोड़ रुपये खर्च करके बायोलोजिक पार्क बीकानेर में बनाने की बात की गई थी, लेकिन बीकानेर में बायोलोजिक पार्क बनाने की दिशा में अभी तक, मैं समझता हूं, किसी प्रकार का कोई शुरू नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गोवर्धन और बृज 84 कोस परिक्रमा का मार्ग 103 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया है इस बजट में। जोधपुर से रामदेव और हमारे, 14 करोड़ रुपये खर्च करके पैदल यात्रियों के लिए निर्माण किया जाएगा। मेरी आपके माध्यम से, चूंकि सभी लोग मांग रहे

(श्री भंवरसिंह)

हैं, तो मैं भी कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। हमारे पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान में करणी माता का मंदिर विश्व विख्यात है और करणी माता मंदिर के चारों तरफ करीब 25 किमी. की ओरण है। बीकानेर ही नहीं राजस्थान के हर जिले से लोग करणी माता के दर्शन करने जाते हैं। हर चतुर्दशी को ओरण की परिक्रमा लगाते हैं। नवरात्रों के अवसर पर लाखों लोग करणी माता के ओरण की परिक्रमा लगाते हैं, रात भर का समय लगता है। वह सारा बहुत ही ज्यादा खराब है, कच्ची सड़क भी वहां नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि करणी माता की ओरण है, करीब 20-25 किलोमीटर लम्बाई है, परिक्रमा का मार्ग है उस मार्ग को भी सहज और सुलभ किया जाए। उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी जब बजट का सोमवार को जवाब दें तो उसमें करणी माता के मंदिर की परिक्रमा का मार्ग बनाने की घोषणा भी करें।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, जोधपुर से रामदेवरा तक जो पैदल यात्री आते हैं, उनके लिए कच्चा मार्ग बनाने की घोषणा की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जितने लोग जोधपुर से रामदेवरा आते हैं, मैं समझता हूं, उससे कहीं ज्यादा बीकानेर से रामदेवरा भी लोग पैदल, बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। बीकानेर से रामदेवरा तक पैदल जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक कच्चा मार्ग बनाने के लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ बीकानेर में गो अभयारण्य की घोषणा करने की बात सरकार के मंत्रियों के द्वारा बार-बार बीकानेर प्रवास के दौरान की गई है। मेरा निवेदन है कि बीकानेर में बहुत बड़ा भू भाग है जहां गो अभयारण्य बनाया जा सकता है। बीकानेर में गौ अभयारण्य बनाया जाए और साथ में जो गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान को भी आगे लगातार गौशालाओं और गौ माता की सेवा के चालू रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जून-जुलाई में बीकानेर में करीब चार दिन तक लगातार, 2015 में, अतिवृष्टि हुई थी। हजारों मकान गिर गये, लोग बेघर हो गये। जिला प्रशासन के द्वारा सर्वे भी करवाया गया, लेकिन इन बेघर हुए हजारों परिवारों को आज तक जिला प्रशासन के द्वारा एक भी मकान का, गिरे हुए मकान का, मुआवजा नहीं दिया गया है। जिन लोगों की इस अतिवृष्टि में मृत्यु हुई थी उनमें से एक परिवार के आश्रितों को मुआवजा दे दिया जबकि दो-तीन अभी भी प्रतीक्षा में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2072 की जो खरीफ

(श्री भंवरसिंह)

की पिछली फसल है वह बीकानेर जिले में पूरी तरह से नष्ट हो गई; बीकानेर ही नहीं, राजस्थान के करीब 16-17 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है लेकिन बीकानेर के जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से बीकानेर जिले का एक भी गांव खरीफ की फसल 2072 में अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। बीकानेर के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। जबकि बीकानेर के पड़ोसी जिले नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, सभी जिलों के गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन के अलावा राजस्व मण्डल की टीम बना करके, या आपदा राहत मंत्रीजी स्वयं अलग से आकलन करवा लें। बीकानेर जिले के कोलायत और नोखा विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लोग, जिनकी फसलें पूरी तरह से बरबाद हो गयीं लेकिन उनको फसल मुआवजे के लिए काबिल नहीं माना गया। इसका पुनः सर्वे करवाया जाये, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

संक्षिप्त में मेरे विधान सभा क्षेत्र से और जिले से सम्बन्धित कुछ बातें और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी का और उच्च शिक्षा मंत्रीजी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में बनाया जाना प्रस्तावित तो कर दिया, लेकिन, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह तकनीकी विश्वविद्यालय पहले से ही कांग्रेस की सरकार में था, परन्तु आप अपनी छाप रखना चाहते थे, आपने रख दी। कृपा करके आप इस, जो आने वाले 2016 का सत्र है, इसमें इस तकनीकी विश्वविद्यालय को चालू करवाने की मेहरबानी करवाएं।

तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने खाजूवाला में, विश्वनाथजी संसदीय सचिव हैं, बीकानेर जिले में तीन कालेज पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा खोले गये थे। तीन में से दो विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, उसके बावजूद ये कालेज खोले गये; आपने सिर्फ खाजूवाला में राजकीय महाविद्यालय खोल दिया। मेरा माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि आप बड़ा दिल रखिये। आप राजस्थान की सात करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं और आपको पक्ष और विपक्ष के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हुए, कोलायत सीमावर्ती क्षेत्र है और भारत-पाक सीमा पर बसा हुआ है,

(श्री भंवरसिंह)

200 किलोमीटर से भी लम्बा क्षेत्र है, कोलायत मेरे विधान सभा क्षेत्र का राजकीय महाविद्यालय है, इस राजकीय महाविद्यालय को खोलने की मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से पूरी उम्मीद भी करूंगा और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी के माध्यम से कि कोलायत का राजकीय महाविद्यालय खोला जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-चार मुख्य पाइंट मैं और बताना चाहूंगा। एक हमारे बीकानेर के कोटगेट रेलफाटकों की समस्या बहुत ही गम्भीर है। पूरे राजस्थान में आर.ओ.बी. बनाये गये हैं लेकिन बीकानेर में नहीं बनाया गया है। इसको बनाया जाये।

एग्रो फूड पार्क बनाने की मांग, क्योंकि बीकानेर में भुजिया-पापड़ का व्यवसाय बहुत बड़ी संख्या में होता है, यहां एग्रो फूड पार्क बनाया जाता है तो बीकानेर के व्यापारियों को और किसानों को फायदा मिलेगा।

डूंगर महाविद्यालय और महारानी सुदर्शना महाविद्यालय को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के संघठक महाविद्यालय की मांग मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से करना चाहूंगा।

हमारे बीकानेर जिले में लम्बे समय से रविन्द्र रंगमंच के निर्माण का कार्य अधूरा पडा है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस रविन्द्र रंगमंच का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करके बीकानेर की जनता को तोहफा दिया जाये।

एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में, बज्जू में राजस्व तहसील और उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय खोलने की हम, माननीय अमरारामजी हमारे बीच में विराजे हैं, हम पूरी उम्मीद लगाये हुए थे। बीकानेर, राजस्थान की अगर सबसे बड़ी तहसील है तो वह कोलायत तहसील है। कोलायत के बज्जू क्षेत्र की तीन तहसीलों को तोड़ कर, उपनिवेशन की तीन तहसीलों को तोड़ करके, एक तहसील में मर्ज कर दिया गया है। डेढ़ सौ किलोमीटर दूर लोगों को आना पड़ता है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जब सोमवार को बजट चर्चा पर जवाब दें तो उस समय बज्जू में राजस्व तहसील जरूर खोलें। उप खण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने का यदि आप लम्बित रखते हैं, तो एक अलग बात है।

इसके अलावा, कोलायत व बज्जू में, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने बीकानेर जिले में खाजूवाला को सब कुछ दिया है, मेरा निवेदन रहेगा कि

(श्री भंवरसिंह)

कोलायत और बज्जू के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो 30 बेड के हैं, उनको 50 बेड का किया जाए। पी.एच.सी. खोलने की जो घोषणाएं हैं, उसमें मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की....

श्री उपाध्यक्ष: आप बाकी की डिमांड टेबल कर दें, रिकार्ड पर आ जाएंगी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट। जज्जू, नगरासर और सियाणा, तीन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वे अति महत्वपूर्ण हैं, मैं उनके खोलने के लिए निवेदन करुंगा।

एक, आई.टी.आई. पूरे राजस्थान के सभी विधान सभा क्षेत्रों में खोल दिये गये, कोलायत में आई.टी.आई. स्वीकृत किया हुआ है लेकिन आई.टी.आई. आज तक नहीं खोला गया है। कोलायत सिरेमिक हब है, सिरेमिक का क्षेत्र है। तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय, मेरी इन तमाम समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक अन्तिम बात मैं और कहना चाहूंगा। बीकानेर जिले में दो साल पहले मुख्य मंत्रीजी ने हवाई अड्डे का शिलान्यास कर, शिलान्यास नहीं, लोकार्पण कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने बनाया, मुख्य मंत्रीजी ने फीथा काट दिया। लेकिन, माननीया उपाध्यक्ष महोदय, दो साल से बीकानेर की जनता आज भी उस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू होने का इन्तजार कर रही है। मेरा पूरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि मुख्य मंत्रीजी के द्वारा लोकार्पण किये गये हवाई अड्डे की शुरुआत की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचन्दजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा मैं कपिल सरोवर और लिफ्ट नहरें हैं, उनके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान) बीकानेर में उप निदेशक कार्यालय खोलने की मांग भी मैं करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीया उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट से विकास की दृष्टि से राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में शामिल होगा। माननीया मुख्य मंत्रीजी के 'सब जन विकास सब जन उत्थान' के नारे के ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): बदलने के लिए सभी वर्गों का ध्यान रखा गया।

श्री उपाध्यक्ष: जब आसन ने आधा घण्टा बढ़ाया है तो आप उप मुख्य सचेतक से पूछिये। सत्ता पक्ष के सिर्फ ये एक माननीय विधायक हैं बोलने वाले। बाकी सारे हैं आपके यहां से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वैसे निर्दलीयों का समय 34 मिनट था, 34 मिनट एक ही व्यक्ति पूरा ले चुका है।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): राज्य में कृषि कनेक्शन, 40 हजार कनेक्शन, एक-एक किसानों का ...(व्यवधान) कृषकों का ध्यान, डिमाण्ड कृषि कनेक्शन के 8 लाख ग्रामीण ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण ज्योति योजना जोड़ने की घोषणा करके सरकार ने किसानों, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन से बगैर पूछे अगर किसी ने कोई बात कही है तो अंकित नहीं हो।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): मैं कहना चाहता हूं बिजली पर कि किसानों की जो डिमाण्ड आती है उस पर कनेक्शन दिया जाए तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी। मैं किसान होने के नाते किसानों की तरफ से मांग करना चाहता हूं कि डिमाण्ड पर कनेक्शन दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार ग्रिड खोलकर एक बड़ा तोहफा दिया है, 33 के.वी. ग्रिड का। मैं मुख्य मंत्रीजी को और ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसान होने के नाते मैं मेरे क्षेत्र के किसानों की मांग रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। वास्तव में 30 पंचायतों में पानी की इतनी कमी है कि पिलाई नहीं होती है और जमीन पड़ी रहती है। वहां पर 600 600 फीट तक बोरिंग खोदते हैं तो पानी नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बागोलिया एक बांध है, बहुत बड़ा, 666

(श्री दलीचन्द डांगी)

फीट का। मैं बार-बार मांग करता रहा हूं। पूरी जनता की मांग है और पूरे किसानों की मांग है। वह बागोलिया तालाब, उदयसागर में पानी बहुत है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में ही है, वह 24 किलोमीटर दूर है। मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष मांग है, ज्यादा मांग नहीं है। यही दो मांगें मेरी खास हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में। बाकी का काम सब अच्छा चल रहा है, रोड्स भी अच्छी हैं लेकिन किसानों की मांग बहुत जोरदार है। मैं मांग करना चाहता हूं, इसी बजट में घोषणा करें और बड़ा बजट बनायें, लेकिन 20 करोड़ रुपये देकर मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से जोड़ कर इस काम को, पानी ले जाने की कृपा करें और पेयजल की बहुत व्यवस्था करावें। टैंकर, मतलब, रेल से पानी लाकर पूर्व में मावली को पिलाया था। इसलिए मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र की यह मांग रखना चाहता हूं।

मैं इसी क्षेत्र में कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राशि बढ़ाकर किसानों को ओलावृष्टि में जो भी फायदा दिया गया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम सात पंचायतें थीं, उनमें 13 करोड़ रुपये मुआवजा देकर सीधे खाते में आया। किसान इतने खुश हुए, मैं गांव में गया और किसान बोले इतिहास में पहली बार इतने आलावृष्टि के पैसे आये। मैं कहना चाहता हूं, इसी सत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोला जाए। 60 किलोमीटर दूर फतहनगर से उदयपुर पड़ता है। उदयपुर सिटी के पास है, लेकिन 60 किलोमीटर दूर है। मैं मांग रखता हूं, मंत्रीजी से कि उप खण्ड पर इसी सत्र में महाविद्यालय खोला जाये।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा आम गरीब को, व्यक्ति को मिला। यह योजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुई।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की मेरी मांग रखना चाहता हूं। आपको टाइम कम है, सबको जाना है। इसलिए मैं मेरी मांग भी रख देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ट्रोमा सेण्टर फतहनगर में खोला जाये। ट्रोमा सेण्टर वाया, फतहनगर हाइवे के नजदीक है, इसलिए ट्रोमा सेण्टर खोला जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एयरपोर्ट के पास डबोक में सी.एच.सी. खोली जाये, एयरपोर्ट के पास में। उदयपुर जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। वहां ट्रैफिक बहुत रहता है। इसलिए सी.एच.सी. खोली जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये तीन-चार ही मांगें हैं।

(श्री दलीचन्द डांगी)

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा बजट है, समर्थन करता हूं। धन्यवाद। आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती गीता वर्मा।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2016-17 जो पेश किया गया, उसमें सर्व जन विकास और सर्व जन उत्थान के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए यह बनाया हुआ है, यह एक अच्छी बात है परन्तु इस बजट के अन्तर्गत बहुत से विधान सभा क्षेत्रों के विकास की कोई बात नहीं कही गयी है, जिससे प्रतीत होता है, कथनी और करनी में फर्क नजर आता है।

मैं कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में ग्रामीण गौरव पथ व मिसिंग लिंक की बात कही गयी है पर जो सड़कें इन दोनों योजनाओं के मापदंडों में नहीं आती हैं, वे सड़कें किन योजनाओं के अन्तर्गत बनेंगी, इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय में दौसा से लगती हुई करीब 13 पंचायतें हैं, जिनकी तीन मुख्य सड़कें हैं, जिनको किसी भी योजना में नहीं लिया गया है। पिछले सत्र में भी मैंने कटौती प्रस्ताव में माननीय मंत्री महोदय के सामने अपनी यह बात रखी थी लेकिन दो साल निकल गये और अभी तक उन्होंने ये जो तीन मुख्य सड़कें हैं, इन सड़कों पर आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है। तो मैं माननीया मंत्री महोदयजी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो मेरी विधान सभा क्षेत्र की। ये तीन सड़कें हैं- पापड़दा से मुनकिसिया वाया सालावास, लगभग छह किलोमीटर की, नांगल चापा से सालावास रोड, लगभग तीन किलोमीटर की; और भगलाव से आलूदा वाया रामसिंहपुरा, ये तीन जो मुख्य सड़कें हैं इनमें लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहां के जो गांव के लोग हैं, उनमें भी विकास नहीं हो पा रहा है, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये सड़क से वंचित हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदयजी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बजट में या जिस तरीके से भी, किसी भी,

(श्रीमती गीता वर्मा)

योजना के तहत इन तीनों सड़कों को जोड़ा जाएं ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट में राज्य में प्रदूषण जांच केन्द्रों की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से समस्त वाहनों की प्रदूषण जांच सुनिश्चित, समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से करने की बात कही हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, यह एक योजना न बनकर, सिर्फ कागजों में ही सीमित नहीं रह जाए। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी, दिल्ली में भी, यह करीब अपने दिल्ली महानगर में प्रदूषण अपनी बांहें फैला कर खतरनाक बीमारियों के आगोश में जो जकड़ता जा रहा है, वही हालत कहीं हमारे राजस्थान की भी न हो जाए। यह वायु प्रदूषण का एक अदृश्य मीठा जहर है, जो धीरे-धीरे हमारे शरीर में उतरता जा रहा है। अगर इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये तो भविष्य में नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग पर अपनी एक छोटी-सी बात रखना चाहूंगी कि राजस्थान में नये उद्योग स्थापित करने और रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए 295 एम.ओ.यू. किये गये हैं, यह एक अच्छी बात है लेकिन कल कोटा से आने वाले माननीय सदस्य श्री संदीप शर्माजी ने जो कोटा की आई.एल. कम्पनी के बंद होने के कगार पर अपनी बात कही और माननीय मंत्री महोदयजी ने भी उस कम्पनी को टेक-ओवर करने के लिए मना कर दिया। ऐसे हालात में कम्पनी में कार्यरत हजारों श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आपने कोई योजना बनाई है, या फिर वे सब श्रमिक कम्पनी बंद हो जाने के बाद जब बेरोजगार हो जाएंगे? इस बात को वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए और रोजगार दे नहीं सकती तो कम से कम कार्यरत श्रमिकों से रोजगार छीनने का अधिकार न लिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन पर अपनी एक छोटी-सी बात रखना चाहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी ने जो पशु-चिकित्सा-विहीन ग्राम पंचायतों में पशु संख्या को ध्यान में रखते हुए नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने की घोषणा की है; इन उप केन्द्रों के भवन निर्माण पर आठ करोड़ और

(श्रीमती गीता वर्मा)

इनके संचालन पर लगभग 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान रखा है, यह अच्छी बात है, परन्तु, जो पशु चिकित्सा केन्द्र पहले से संचालित हैं, उनमें न तो पूरा स्टाफ है और न ही पशुपालकों को वहां पर पूरी दवाइयां उपलब्ध होती हैं। माननीया उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि पूर्व में संचालित पशु-चिकित्सा केन्द्रों पर स्टाफ और दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जाएं ताकि पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को मरने से बचाया जा सके। क्योंकि अभी वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के गांव सीकरी में एक अज्ञात बीमारी से करीबन 10-12 भैंसें मर चुकी हैं और वहां के चिकित्सकों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम, हमारे यहां पर कोई दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। वहां से कोई टीम भी गयी थी, उसके नमूने लेकर वह आ चुकी है, लेकिन अभी तक उन भैंसों का उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे लगातार वहां पर भैंसें मरी जा रही हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदयजी से भी कहना चाहूंगी कि इस विषय को ध्यान में रखते हुए वे कोई ठोस कदम उठाएं और जयपुर से अनुभवी डाक्टर्स को वहां पर भेजें ताकि वहां की जो दुधारू भैंसें हैं उनको मरने से बचाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी कि इस बजट में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू करने की घोषणा की है, यह बालिकाओं के लिए एक अच्छी घोषणा है लेकिन यह योजना तब सफल मानी जाएगी जब बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। क्योंकि आज भी गांवों में बेटी के बड़े होने पर मां-बाप द्वारा दूर स्कूल होने की वजह से स्कूल नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण उन्हें घर पर ही बैठना पड़ता है। यदि बालिकाएं पूर्ण शिक्षा नहीं ले पाएंगी तो आप द्वारा चलायी गयी योजना का सफल होना सम्भव नहीं है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर, जहां बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं ताकि बालिकाएं पढ़ें और आपके द्वारा चलाई गयी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः आप बोलना चाहेंगे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके पास में पूरे 13 मिनट है। आसन किसी ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, सम्माननीय सदस्य। (व्यवधान)

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.48 बजे सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मालवीय नगर सेक्टर 3 (जयपुर) के पार्क से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

155. श्री हीरालाल निवाई) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के मालवीय नगर, सेक्टर-3 में प्रधान मार्ग पर रेलवे अण्डरपास के तिराहे से पहले स्थित सार्वजनिक पार्क में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो किन-किनके द्वारा? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पार्क पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मकान आदि का निर्माण कर रहना भी प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किनके द्वारा व कितना निर्माण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त पार्क में बिजली के खम्भे, कैटरिंग की टेबलें, कबाड़, कूड़ा-कचरा भी डाला जा रहा है तथा कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा पशु, आदि बांधकर सम्पूर्ण पार्क पर अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो किन-किनके द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण पार्क के साथ लगती हुई सड़कों पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में किस-किसके द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त पार्क व इसके आसपास लगती हुई सड़क पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण व सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त पार्क व इससे लगती हुई सड़क पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण व निर्माण को हटाकर उक्त पार्क को विकसित करने तथा पार्क में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री हीरालाल)

(7) उक्त पार्क पर अतिक्रमण को अब तक नहीं हटाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त पार्क पर निम्न व्यक्तियों का कब्जा है:-

1. श्री रामनारायण माली व नाथूराम व श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री छोटू, लगभग 837 वर्ग गज पर कब्जा है एवं 7 दुकानें बनाकर किराये से दी हुई हैं;
2. कल्याण सैनी पुत्र विजय लाल लगभग 600 वर्ग गज;
3. कन्हैया लाल पुत्र श्री छोटू 150 वर्ग गज;
4. श्योबक्स पुत्र मुकन्दा व अनोखी देवी पत्नी श्री गोविन्दराम लगभग 800 वर्ग गज;
5. श्री प्रेमचन्द सैनी पुत्र श्री अमराराम लगभग 1,200 वर्ग गज;
6. श्रीमती रेखा पत्नी श्री सुरेन्द्र 150 वर्गगज;
7. शिवजी, भैंरूजी व हनुमानजी का मन्दिर 500 वर्ग गज;

(2) जी हां। उक्त पार्क में निर्माण कर रहवास कर रहे व्यक्तियों का विवरण बिन्दु संख्या 1 में अंकित है।

(3) मौके पर पार्क में बिजली के सीमेंट के खम्भे एवं श्री प्रेमचन्द सैनी का कैटरिंग का सामान पडा हुआ है। पार्क की खाली जमीन पर कालोनीवासियों द्वारा कचरा डाला जाता है। मौके पर पशु, इत्यादि नहीं बंधे हुए पाये गये।

(4) जी हां। प्रधान मार्ग मुख्य सड़क पर योजना मानचित्र में 30 मीटर है जिसे मार्ग अधिकार पर निम्न व्यक्तियों के कब्जे हैं :-

1. श्री रामनारायण व नाथूलाल का क्षेत्र 5×7.70 मीटर व कन्हैयालाल, 5×5 मीटर;
2. रेखा 5×5.70 मीटर; एवं
3. श्योबक्स 27×8 मीटर।

(5) जी नहीं। नगर निगम जयपुर के वार्ड पार्षद श्री अशोक गर्ग द्वारा दिनांक 17.12.15 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर अतिक्रमियों को नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की गई।

(नगरीय विकास मंत्री)

(6) जी हां। शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(7) प्रकरण में उपायुक्त सतर्कता, नगर निगम जयपुर से जांच करवाई जा रही है। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

मुण्डावर में शिक्षकों के रिक्त पद

161. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के विद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क-1 से क-4 पर संलग्न है।

(2) जी हां। तृतीय श्रेणी अध्यापक के 15,000 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा रीट परीक्षा, 2015 विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 7.2.2016 को आयोजित की जा चुकी है। रीट परीक्षा में चयनित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त भरे जा सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत व्याख्याता पद हेतु सीधी भर्ती के 13,098 तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक (विशेष शिक्षा) के 228 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई है तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के विभिन्न विषयों के सीधी भर्ती अभ्यांश (कोटे) के पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वन विभाग में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि के दुरुपयोग की जांच

162. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चैक या ड्राफ्ट के बदले कैश के भुगतान के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कोई जांच लम्बित है?

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार से मिली राशि के उपयोग के लिए विभाग के कार्मिकों द्वारा चैक के बदले कैश से करोडों रुपये के भुगतान का घोटाला किया गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या सरकार उक्त घोटाले की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

वजीरपुर (सवाई माधोपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

163. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर में छात्रों के उच्च अध्ययन के लिए महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी राजकीय महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की अधिकता के कारण बहुत से एस.सी./एस.टी. के छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं?

(3) क्या सरकार छात्रों के प्रवेश के दबाव के मद्देनजर वजीरपुर में भी राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों के आधार पर वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(2) गंगापुर सिटी राजकीय महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जाता है।

एस.सी./एस.टी. के विद्यार्थियों को राज्य सरकार की प्रभावी प्रवेश

(उच्च शिक्षा मंत्री)

नीति संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित आरक्षण नियमों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(3) वजीरपुर तहसील के ग्राम कुसाय पो. रायपुर में वर्तमान में निजी क्षेत्र में एक महाविद्यालय संचालित है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों के आधार पर वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर नगर निगम में सफाई ठेकों में अनियमितता की जांच

164. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम में माह दिसम्बर, 2015 में सफाई के ठेकों में भ्रष्टाचार होने के तथ्य उजागर हुए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच कब एवं किसको सौंपी गई? जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर नगर निगम में सफाई समिति से जुडे तीन अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है? यदि हां, तो कब एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार के प्रकरणों की ए.सी.बी. में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम में माह दिसम्बर, 2015 मे सफाई ठेकों में भ्रष्टाचार होने के क्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर मे एक परिवाद व एक प्रकरण संख्या 383/15 दर्ज हुआ है। दिनांक 21.12.15 को परिवादी हाजी गुलाब नबी खान व अन्य द्वारा एक परिवाद ब्यूरो को प्राप्त हुआ। परिवाद में अंकित तथ्यों के सत्यापन हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को दिनांक 20.01.16 को सौंपा गया है, जो सत्यापनाधीन है। श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल, तत्कालीन महापौर, नगर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निगम जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र पर परिवाद संख्या 138/14 दिनांक 16.05.14 दर्ज कर परिवाद का सत्यापन किया गया। प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 383/15 दिनांक 31.12.15 को दर्ज किया गया। प्रकरण की जांच दिनांक 11.01.2016 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को सौंपी गई है। प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।

(2) जी हां। दिनांक 19.12.2015 को एक कथित आडियो वायरल होने सम्बन्धी खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के कारण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (ए, बी व सी) के अध्यक्षों द्वारा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया। उक्त इस्तीफे को महापौर, नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 21.12.2015 को स्वीकार कर लिया गया।

(3) वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जयपुर द्वारा भाग संख्या 1 के उत्तर में वर्णित परिवादों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में नहरों पर लगे गेज को कम्प्यूटराइज्ड करने की योजना

165. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नहरों को पक्का, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण तो किया जा रहा है परन्तु गेज का आधुनिकीकरण नहीं करने से काश्तकार नहरों में पानी की मात्रा का सही आकलन नहीं कर पाते हैं?

(2) क्या सरकार सभी नहरों व लिंक नहरों पर स्थापित गेज को कम्प्यूटराइज्ड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु यह सही नहीं है कि सभी नहरों में गेजेज का आधुनिकीकरण नहीं किये जाने से किसान, नहरों में पानी की मात्रा का सही आकलन नहीं कर पाते हैं।

(2) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 50 क्यूसेक्स तक की सभी नहरों पर स्काडा सिस्टम एवं कम्प्यूट्राइजेशन प्रस्तावित है। वर्तमान में संसाधन उपलब्धतानुसार 13 स्थानों पर कार्य प्रक्रियाधीन हैं। अन्य नहरों एवं

(जल संसाधन मंत्री)

लिंक नहरों पर प्राथमिकता के आधार पर, आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार गेजेज को कम्प्यूटराइज्ड किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण परियोजना हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता

166. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समेकित बाल संरक्षण योजना राज्य में कब से लागू की गई? इसको लागू करने के क्या उद्देश्य थे? इसके तहत केन्द्र व राज्य सरकार की क्या-क्या भूमिकाएं सुनिश्चित की गई थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लागू होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में उपलब्ध कराई गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार ने अपने मद में तथा केन्द्र की राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई राशि में से स्वयंसेवी संस्थाओं को बच्चों की देखभाल व संरक्षण हेतु संचालित किये जाने वाले होम (किशोर गृह/संप्रेक्षण गृह) के लिए दी गई राशि का वितरण चयनित संस्थाओं को कर दिया गया है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा कब-कब इन संस्थाओं को सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई? संस्थावार वर्षवार उपलब्ध करायी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1. समेकित बाल सरक्षण योजना राज्य में लागू समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी का पंजीकरण 18.02.2011 को हुआ। अतः समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत विधिवत वर्ष 2011-12 को शुरू हुआ।

2. समेकित बाल संरक्षण योजना के निम्न उदेश्य हैं:-

1. संकटग्रस्त बच्चों हेतु उपलब्ध सेवाओं एवं आवश्यकताओं का आकलन कर व्यवस्था निर्माण करना;

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2. राज्य/जिला/ब्लाक/ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना;
3. बाल संरक्षण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा इनकी पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार करना;
4. बच्चों को संस्थागत देखभाल के अतिरिक्त गैर-संस्थागत परिवार आधारित देखरेख विकल्पों को मजबूत करना और बढ़ावा देना;
5. सेवा प्रदाओं की क्षमतावर्धन, ज्ञान, जागरूकता कराना;
6. साक्ष्य आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन एवं सेवा नियोजन निर्णय लेने हेतु वेब आधारित डाटा बेस तैयार करना;
7. निगरानी एवं मूल्यांकन करना;
8. सभी स्तर पर बाल सरंक्षण हेतु भागीदारी बढ़ाना; एवं
9. अन्य निकायो/सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना।

3. केन्द्र व राज्य सरकार की भूमिकाएं

समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत संचालित फंड निम्नानुसार हैं:-

क्र सं.	योजना	भारत सरकार का हिस्सा (प्रतिशत में)	राज्य सरकार का हिस्सा (प्रतिशत में)	एन जी ओ का हिस्सा (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1	राज्य प्रोजेक्ट सहायता इकाई	60	40	0
2	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	60	40	0
3	जिला बाल संरक्षण इकाई	60	40	0
4	राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान एजेन्सी	60	40	0
5	राजकीय गृह	60	40	0
6	राजकीय दत्तक ग्रहण सोसायटी	60	40	0

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1	2	3	4	5
7	गैर-राजकीय बाल गृह, आश्रय गृह तथा गैर-राजकीय दत्तक ग्रहण एजेन्सी	60	30	10
8	बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड	35	65	0

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2. केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को प्रति वर्ष उपलब्ध कराई गई राशि का मदवाइज विवरण निम्नानुसार है: -

क्र सं	मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	राज्य प्रोजेक्ट सहायता इकाई	0.00	10.06	0.00	8.70	0.00	0.00
2	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	0.00	15.86	11.62	25.76	53.45	101.50
3	जिला बाल संरक्षण इकाई	0.00	184.26	161.29	358.22	660.83	1105.42
4	राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान एजेन्सी	0.00	3.33	2.85	6.02	5.78	10.12
5	राजकीय गृह	19.94	47.45	94.26	131.33	167.86	655.79
6	राजकीय दत्तक ग्रहण सोसायटी	0.00	11.22	14.91	85.39	161.87	333.22
7	गैर-राजकीय बाल गृह, आश्रय गृह तथा गैर-राजकीय दत्तक ग्रहण एजेन्सी	10.94	10.94	31.69	19.86	18.39	46.50
8	बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड	120.95	0.00	325.46	460.87	675.04	914.08
9	राज. गृह भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	787.05	94.06	0.00
10	गैर राजकीय बाल गृह	73.24	0.00	321.45	448.69	608.68	1250.36
11	बाल कल्याण समिति	0.00	51.09	34.71	52.74	54.75	108.86
12	किशोर न्याय बोर्ड	0.00	32.30	24.37	38.94	40.89	75.60
	योग	**225.07**	**366.5**	**1022.61**	**2423.57**	**2541.6**	**4601.45**

संलग्न परिशिष्ट-अ।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) व्यय की गई राशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण :-

क्र. सं.	मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	राज्य प्रोजेक्ट सहायता इकाई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	0.00	0.00	0.16	10.24	33.75	55.24
3	जिला बाल सरंक्षण इकाई	0.00	0.00	0.40	413.98	433.79	851.03
4	राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान एजेन्सी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	राजकीय गृह	0.00	0.00	90.44	114.00	167.5	351.05
6	राजकीय दत्तक ग्रहण सोसायटी	0.00	0.00	7.22	79.87	161.87	283.75
7	गैर राजकीय बाल गृह, आश्रय गृह तथा गैर-राजकीय दत्तक ग्रहण एजेन्सी	0.00	0.00	25.09	19.85	18.39	43.60
8	बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड	120.95	0.00	213.36	428.10	675.04	699.73
9	राज. गृह भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	787.05	94.06	0.00
10	गैर राजकीय बाल गृह	70.08	0.00	65.91	448.69	608.68	1199.21
11	बाल कल्याण समिति	0.00	0.00	0.39	52.74	54.75	103.33
12	किशोर न्याय बोर्ड	0.00	0.00	1.18	38.94	40.89	75.60
	योग	**191.03**	**0.00**	**408.15**	**2193.46**	**2288.27**	**3662.54**

संलग्न परिशिष्ट-ब।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(4) केन्द्र सरकार द्वारा चयनित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा संचालित गृहों के लिए दी गई राशि का वितरण विभाग द्वारा कर दिया गया है:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	योजना			
		गैर-राजकीय बाल गृह	गैर-राजकीय आश्रय गृह	गैर-राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण ऐजन्सी	योग
1	2012-13	448.69	131.33	19.86	599.88
2	2013-14	608.68	167.86	18.39	794.93
3	2014-15	1250.36	655.79	46.50	1952.65
	योग	2307.73	954.98	84.75	3347.46

विगत तीन वर्षों के दौरान संस्थावार एवं वर्षवार उपलब्ध कराई गई राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रों के नाम हटाने पर कार्यवाही

167. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम किस नियम के तहत हटाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में से बिना किसी कारण या जांच के पात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं हटाये गये हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राज्य में जल्दीबाजी में लागू की गई थी। इस कारण पात्र व्यक्तियों के साथ कुछ अपात्र व्यक्तियों का भी चयन हो गया। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 के बिन्दु संख्या 114 की पालना में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी से प्राप्त निर्देशों की पालना में चयनित लाभार्थियों के सत्यापन कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के पास प्रमाणित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के अभाव में अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा की सूचियों में से कम किये गये हैं।

(2) खाद्य सुरक्षा योजना में से बिना किसी कारण या जांच के पात्र व्यक्तियों के नामों को नहीं हटाया गया है। अत: किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश में सहकारी समिति के नये सदस्यों को ऋण देने की योजना

168. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समिति में सदस्यों को 1.50 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो सदस्यों को केवल 40 से 50 हजार तक का ही ऋण क्यों दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि समिति के नये सदस्यों की साख सीमा तय होने के उपरान्त भी ऋण नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार नवीन सदस्यों को 1.50 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। कृषक सदस्य की स्वीकृत साख सीमा एवं सम्बन्धित बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

(2) बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नये सदस्यों को भी फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(3) नवीन सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्तर से कोई रोक नहीं है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत बैंक ऋण वितरण करने के लिए स्वतंत्र व अधिकृत हैं।

कालीबंगा को हैरिटेज सिटी बनाने की योजना

169. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कालीबंगा में सिन्धु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कालीबंगा में देशी-विदेशी पर्यटक आते-जाते हैं? यदि हां, तो क्या उनको ठहरने, खाने व पीने, आदि की व्यवस्था उपलब्ध होती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कालीबंगा को विश्व धरोहर के तहत हैरिटेज सिटी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर-

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा पुरास्थल केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक है । यह पुरास्थल हड़प्पा कालीन सभ्यता से सम्बन्धित है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहां वर्ष 1961-69 तक उत्खनन कार्य करवाया गया था, जिसमें हडप्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो उक्त स्थल पर बने संग्रहालय में प्रदर्शित हैं।

(2) जी हां। पर्यटकों हेतु पेयजल एवं शौचालय, आदि सुविधाओं का विकास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है । पर्यटकों के ठहरने, खाने-पीने आदि की व्यवस्था हेतु हनुमानगढ़ मुख्यालय में कुछ निजी होटल संचालित है।

(3) जी नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्तमान में पीलीबंगा को विश्व धरोहर के तहत हैरिटेज सिटी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

कुशलगढ़ पंचायत समिति (बांसवाड़ा) में नवीन बालिका विद्यालय की स्थापना

170. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमा भाई)

क्या विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की पंचायत समिति कुशलगढ़ में बालिकाओं हेतु एक मात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर में संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बालिकाओं हेतु नवीन विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की पंचायत समिति कुशलगढ़ में सहशिक्षा के 30 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन सभी विद्यालयों में बालिकाओं के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। एक विद्यालय पृथक से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ है, जिसमें केवल बालिकाएं ही अध्ययन कर सकती हैं।

प्रदेश में अवैध रूप से चलाये जा रहे ईंट-भट्ठों पर कार्रवाई

171. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के अवैध ईंट-भट्ठे चल रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भट्ठों के लिए भू-रूपांतरण करवाया जाता है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ईंट भट्ठों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो कितने समय में? क्या इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब-कब, किस-किसके विरुद्ध व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, नोटिफिकेशन, 2006) के प्रावधानों के अन्तगर्त ईंट-भट्ठों के संचालन के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है ।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 2(6) में परिभाषित

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

औद्योगिक प्रयोजन में ईंट भट्ठे को भी सम्मिलित किया गया है, अर्थात् ईंट भट्ठा एक औद्योगिक प्रयोजन है तथा इस प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन औद्योगिक दर से किया जाता है। परन्तु संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि जहां कोई खातेदार अभिधारी 2,500 वर्ग मीटर तक अपनी खातेदारी भूमि पर लघु उद्योग स्थापित करता है तो संपरिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु ईंट भट्ठों का निरीक्षण किया जाता है। राज्य मण्डल द्वारा निरीक्षणों हेतु निर्धारित समयावधि के अनुसार ईंट भट्ठा उद्योग का निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया जाना अपेक्षित है।

निरीक्षण के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों की अवहेलना पाये जाने पर ईंट भट्ठों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। गत तीन वर्षों में चार सौ छत्तीस ईंट भट्टा उद्योगों को वायु अधिनियम की धारा 31(A) में बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

बीकानेर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

172. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर के पूर्व प्राचार्य व अन्य के खिलाफ दो वर्ष दस माह पूर्व सहायक प्राचार्य भर्ती परीक्षा में धांधली बरतने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दो नियमित प्रकरण दर्ज किये गये हैं? यदि हां, तो उन प्रकरणों से सम्बन्धित दर्ज प्राथमिकी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा उक्त तत्कालीन प्राचार्य द्वारा की गई बेतहाशा खर्चों की जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कमेटी की रिपोर्ट आने के उपरान्त भी अब तक सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही व सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में धांधली बरतने के आरोपी तथा वित्तीय घोटालों में वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 33/14 एवं 34/14 एवं कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, बीकानेर से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 32/14 एवं 35/14 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर में दर्ज किये गये हैं। प्रति प्राप्त की जा रही है। प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अभियांत्रिकी महविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की भर्ती में की गई अनियमितताओं की विशेष जांच करने हेतु मुख्य सचिव द्वारा एक कमेटी गठित की गई। जॉच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मुख्य सचिव के आदेशों के अनुसरण में गठित कमेटी की रिपोर्ट पश्चात् विभाग द्वारा महाविद्यालय के तीन अधिकारियों के निलम्बन सम्बन्धी आदेश जारी किये गये।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मुख्य सचिव द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों के अनुसंधान के उपरान्त सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों में से 32/14 एवं 35/14 के अन्तर्गत आरोपित व्यक्तियों पर अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी। आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रेषित कर दी गई है।

वित्तीय घोटाले के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा बीछवाल थाना, बीकानेर में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। दर्ज प्राथमिकी पर जिला पुलिस, बीकानेर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। F.I.R. की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर नगर निगम द्वारा नियम विरुद्ध निर्माण किये गये भवनों पर कार्यवाही

173. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) गत पांच वर्षों में नगर निगम, जयपुर द्वारा कितने भवनों को सील किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर की चारदीवारी क्षेत्र में ऐसे कितने भवन हैं, जिनमें आवासीय नक्शा पास करवाकर व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा सील किये गये भवनों की सील हलफनामे के आधार पर खोल दी जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष में कितने भवनों की सील खोली गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिन भवनों की हलफनामे के आधार पर सील खोली गई, उनमें व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त भवनों की जांच निगम के अधिकारियों द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि कई भवन मालिकों ने निगम के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त लिये हैं? यदि हां, तो स्थगन आदेश हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा गत एक वर्ष में सील किए गए भवनों के सम्बन्ध में जयपुर नगर निगम से रिपोर्ट मांगी गई है? यदि हां, तो निगम द्वारा रिपोर्ट कब भिजवाई गई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में नगर निगम, जयपुर द्वारा कुल 396 भवनों को सील किया गया, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आवासीय नक्शा पास करवाकर व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया है, का नगर निगम, जयपुर द्वारा सर्वे नहीं करवाया गया है।

(3) जी नहीं। नगर निगम, जयपुर द्वारा सील खोलने हेतु समय-समय पर जारी प्रशासनिक/विभागीय आदेशों के आधार पर आवेदन, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के पेश करने के पश्चात् प्रकरण के गुण व अवगुण पर विचार करते हुए सील खोली जाती है। नगर निगम, जयपुर द्वारा विगत पांच वर्षों में 200 भवनों की सील खोली गई, जिनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जिन भवनों की सील खोली गई, उसकी अवैध

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निर्माणकर्ता द्वारा अक्षरश: से पालना करनी होती है तथा निगम अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(5) जी हां। कई भवन मालिकों के द्वारा निगम के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश लिये गये है। स्थगन आदेश खारिज कराने हेतु निगम के अधिवक्ता द्वारा समय-समय पर माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर स्थगन आदेश खतम कराने की कार्यवाही की जाती है।

(6) जी, हां। नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

डग में प्राकृतिक जल स्रोतों पर बांध बनाने की योजना

174. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में विगत दो वर्षों में सिंचाई की कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई? उनमें से डग विधान सभा क्षेत्र की किन-किन योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं? उनकी लागत, स्थान, लाभान्वित ग्राम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से 2013 के मध्य डग विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की योजना स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) झालावाड़ जिले में गत पांच वर्षों में फोर वाटर कन्सेप्ट में कितने माइक्रो डैम स्वीकृत हुए हैं, उनमें से कितने बने व बनने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में प्राकृतिक जल स्रोत एवं बड़ी-बड़ी नदियां हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदियों पर बड़े-बड़े बाँध बनाने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार गांधी सागर एवं गागरीन कैचमेंट एरिया से प्रतिबन्ध हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में विगत दो वर्षों में 86 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं एवं 7 एनिकट निर्माण कार्य स्वीकृत हुए। डग विधान सभा क्षेत्र में 7 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये। लागत, लाभान्वित ग्राम सहित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2009-2013 के दौरान डग विधान सभा क्षेत्र में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियेाजना का कार्य स्वीकृत हुआ। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) झालावाड़ जिले में गत पांच वर्षों में फोर वाटर कन्सेप्ट में 86 माइक्रो परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत हुए, जिनमें से 7 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 79 में से 63 कार्य प्रगतिरत एवं 16 कार्यों की डी.पी.आर. बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां। परन्तु बड़ी नदियों पर गागरीन, राजगढ़, भीमनी, रेवा सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन एवं घाटी लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित होने से नई बड़ी परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(5) नये बांध बनाने हेतु, कार्य स्थल पर उपलब्ध जल की आवक एवं इसके निर्माण से पूर्व में निर्मित परियोजनाओं में जल आवक के प्रभाव का आकलन कर तकनीकी सलाहकार समिति (T.A.C.) द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित राजकीय अनुदानित छात्रावास

175. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजकीय अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या एस टी व एस सी के उक्त छात्रावास पृथक-पृथक चलाये जाते हैं या सामूहिक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास बालक व बालिकाओं के पृथक-पृथक चलाये जाते हैं? यदि हां, तो जिला एवं पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में प्रत्येक वर्ष में माह जुलाई से प्रवेश दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2015 से प्रदेश में प्रत्येक

(श्री नवनीत लाल)

छात्रावास में एस टी, एस सी के कितनें छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया? उनको देय मासिक खर्च सहित संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में विभाग द्वारा वर्ष 1953-54 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य में अनुदानित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास पृथक-पृथक चलाये जाते हैं, जिनमें छात्र-छात्राओं के प्रवेश में आरक्षण का प्रतिशत पृथक-पृथक निर्धारित है, जो परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राज्य में उक्त छात्रावास बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक चलाये जाते हैं, जिनका जिला एवं पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। छात्रावासों में माह जुलाई से विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया विद्यालय प्रारम्भ होने से पूर्व प्रारम्भ करवा दी जाती है। इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 2015 में प्रवेश का विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है तथा छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों पर वर्ष 2015 में 1,900 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रति माह व्यय होता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयन में विशेष छूट देने की योजना

176. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है? यदि हां, तो इसमें चयन हेतु क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत

(श्री सुशील कटारा)

परिवार चयन में किसी प्रकार की विशेष छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्तमान में कितने परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है? ग्राम पंचायत वार एवं पंचायत समिति वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है। उक्त योजना के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी मापदण्ड (अधिसूचना) दिनांक 19.02.2016 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत चयन का प्रतिशत (ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में) भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए निर्धारित किया गया है, किसी जिले/क्षेत्र विशेष के लिए नहीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी जिलों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर समान नहीं है, इसलिए किसी जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में चयन का प्रतिशत अधिक अथवा कम हो सकता है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत परिवार चयन में किसी प्रकार की विशेष छूट देने का विचार वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 72,928 परिवारों के 2,80,582 व्यक्तियों (यूनिट) को लाभान्वित किया जा रहा है। पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

सहकारी समितियों द्वारा कृषकों की भूमि रहन पर दिये जाने वाले ऋण में संशोधन की योजना

177. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषकों को अपनी भूमि को रहन रखने पर सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो ऋण उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

(2) क्या सरकार कृषकों द्वारा रहन रखी गई भूमि के बदले उनके द्वारा चुकाये गये ऋण के अनुपात में उनकी भूमि को रहन से मुक्त कर नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा कृषकों की भूमि रहन नहीं रखी जाती है। सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों द्वारा भूमि रहन रखकर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समितियों एवं बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रकिया परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खासा कोठी होटल, जयपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों से राशि वसूली की कार्यवाही

178. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि होटल खासा कोठी, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय अनियमितता बरतने के कृत्य के फलस्वरूप वर्ष 2013 में पदावनत कर आरोप पत्र जारी किये गये थे? यदि हां, तो किस-किसको, कब-कब व क्यों? क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाए जाने पर वसूली के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो वसूली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राशि की वसूली अधिकारियों/कर्मचारियों से कर ली गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे उच्चाधिकारियों जिन्होंने नियमों की अनदेखी करके सम्बन्धित अधिकारी से वसूलनीय राशि की वसूली के आदेश निरस्त कर निगम को आर्थिक हानि पहुंचायी है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लि. जयपुर में कार्यरत वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) को पदोन्नति की नियमानुसार पात्रता पूर्ण नहीं करने एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्राप्त पदोन्नति को सेवा चयन उप-समिति की अनुशंसा दिनांक 16.09.2013 के आधार पर आदेश संख्या 831-34 दिनांक 18.09.2013 द्वारा प्रबन्धक ग्रेड-प्रथम (वित्त/लेखा) के पद पर पदोन्नति की तिथि 1.4.2013 से पदावनत किया गया था।

उक्त अधिकारी के विरुद्ध संयुक्त शासन सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता जांच रिपोर्ट दिनांक 27.06.2013 के आधार पर ज्ञापन संख्या 1023 मय आरोप पत्र दिनांक 13.11.2013 को जारी किया गया।आरोप सिद्ध पाये जाने पर आदेश संख्या 889-92 दिनांक 22.10.2014 से दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड पारित किया गया।

प्रकरण में संयुक्त शासन सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) के पद से पदावनत किये जाने के आदेश के तहत सम्बन्धित अधिकारी से दिनांक 01.08.2004 से अगस्त, 2013 तक की अवधि के अधिक वेतन भुगतान की राशि रुपये 4,29,343/- की कटौती करने के आदेश संख्या 1003-04 दिनांक 08.11.2013 जारी किये गये।

(3) अधिकारी से उक्त राशि की वसूली रुपये 10,000/- प्रति माह की दर से वेतन से की जा रही है। अब तक राशि रुपये 1,92,000/- की वसूली की जा चुकी है।

(4) सम्बन्धित अधिकारी से वसूलनीय राशि की वसूली के आदेश निरस्त नहीं किये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

वैर के विद्यालयों के क्रमोन्नयन की योजना

179. श्री भजन लाल जाटव (वैर) व **श्री घनश्याम महर** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम नगला खरवेरा में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम झालाटाला में वर्ष 1960 से संचालित विद्यालयों

(श्री भजन लाल जाटव)

को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र वैर में वर्ष 1960 से कितने विद्यालय ऐसे हैं जो अभी तक भी क्रमोन्नत नहीं हुए हैं? क्या सरकार इन्हें क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सत्र 2015-16 में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं हैं।

(2) ग्राम झालाटाला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, झालाटाला वर्ष 1960 से संचालित हैं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं हैं। आगामी वित्तीय वर्षों में विद्यालय क्रमोन्नति हेतु वित्तीय प्रावधान होने पर राजकीय प्राथमिक झालाटाला को समग्र विचार कर गुणावगुण के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु विचार किया जा सकेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत होने के पश्चात् ही विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा सकेगा।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र वैर में वर्ष 1960 से स्थापित 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 1 रा प्रा वि झालाटाला एवं 2 रा प्रा वि नयागांवमाफी संचालित हैं जिनको उच्च प्राथमिक स्तर पर अभी तक क्रमोन्नत नहीं किया जा सका है।

आगामी वित्तीय वर्षों में विद्यालय क्रमोन्नति हेतु वित्तीय प्रावधान होने पर रा प्रा वि झालाटाला एवं रा प्रा वि नयागांवमाफी को समग्र विचार कर गुणावगुण के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु विचार किया जा सकेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत होने के पश्चात् ही विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर एवं उसके पश्चात् उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा सकेगा।

झुझार्डी (मारवाड जंक्शन) में अवैध क्रैशर पर कार्रवाई

180. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम झुझार्डी में क्रैशर लगाने एवं खनन हेतु लीज आवंटित की गई है? यदि हां, तो

(श्री केसाराम चौधरी)

कितनी व कब तथा उक्त लीज किन-किनके नाम आबंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में क्रैशर लगाने के नियम एवं मानदण्ड क्या है? वन क्षेत्र से कितने मीटर की दूरी पर खनन हेतु लीज आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध क्रैशर लगाने हेतु दी गई अनुमति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम झिझांरडी में खनिज मेसेनरी स्टोन के 3 खनन पट्टे आबंटित किये गये हैं, जिनमें 2 क्रैशर लगाये गये हैं। खनन पटटा एवं स्थापित क्रेशर का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी वर्तमान मार्गदर्शिका दिनांक 15.10.2014 के अनुसार किसी भी स्टोन क्रैशर को स्थापना से पहले राजस्व विभाग से भूमि का रूपान्तरण, औद्योगिक (स्टोन क्रैशर उद्योग) प्रयोजनार्थ करवाया जाना आवश्यक है, जिसके पश्चात् राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा स्थापना हेतु सम्मति प्रदान की जाती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी मार्गदर्शिका दिनांक 15.10.2014 की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। वन क्षेत्र से 25 मीटर की दूरी छोड़कर खनन पटटे आबंटन किये जाने का प्रावधान है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के झिझांरडी गांव में मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्राइजेज के नाम से एक स्टोन क्रैशर इकाई चिह्नित की गई है, जो कि खनन पट्टा संख्या 190/07, मैसर्स दीपक अरोडा पुत्र श्री इन्द्रचंद अरोड़ा (पंजीयन दिनांक 31/07/2008), खसरा संख्या 2826 (क्षेत्रफल - 1.0 हैक्टेयर), निकट ग्राम झुझार्डी, तहसील-मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में स्थापित है, जिसे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 1.12.2009 को स्थापना सम्मति तत्कालीन मार्गदर्शिका में उल्लिखित दूरी सम्बन्धी प्रावधान सुनिश्चित करने के पश्चात् जारी की गई थी। उद्योग द्वारा संचालन सम्मति हेतु आवेदन नहीं किये जाने एवं उपयुक्त वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था नहीं अपनाये जाने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (अ) के अन्तर्गत उद्योग को बंद किये जाने एवं उद्योग की विद्युत आपूर्ति सम्बन्ध विच्छेद करने हेतु निर्देश दिनांक 23.02.2016 को जारी किये गये। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी निर्देश दिनांक 23.02.2016 की प्रतिपालना में दिनांक 24.02.2016 को इकाई का डी. जी.सैट एवं जा (JAW) क्रेशर सील किया गया।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में पी.पी.पी. के तहत महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि का आबंटन

202. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में पी.पी.पी. के तहत गत 5 वर्षों में किन-किन समूहों को महाविद्यालय खोलने हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटित की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समूहों को कितनी-कितनी भूमि किन-किन शर्तों पर कितने समय के लिए आबंटित की गई है? समूहों के साथ किये गये एम.ओ.यू. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समूहों में से कितनों के द्वारा कहां-कहां पर महाविद्यालयों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया तथा कितने समूहों ने अभी तक प्रारम्भ नहीं किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समूहों को कालेज प्रारम्भ करने के लिए कितनी-कितनी राशि सरकार द्वारा आबंटित की गई? जिले एवं समूहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पी पी पी के तहत विगत 5 वर्षों में निम्नलिखित समूहों को महाविद्यालय खोलने हेतु अब तक नि:शुल्क भूमि सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा आबंटित की गई है, जिनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	समूह/महाविद्यालय	वर्ष	जिला
1	जे.आर. कन्या महा. प्रतापगढ़	2013	प्रतापगढ
2	श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी महिला महा. किशनगढ़	2012	अजमेर

(2) जे.आर. कन्या महा. प्रतापगढ़ को 4 हैक्टेयर भूमि का आबंटन 99 वर्ष की लीज डीड पर दिनांक 28.10.2013 को किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी महिला महा.

(उच्च शिक्षा मंत्री)

किशनगढ़ जिला अजमेर को 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आबंटन 99 वर्ष की लीज डीड पर दिनांक 14 जून, 2012 को किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जे.आर. कन्या महा. प्रतापगढ़ के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी महिला महा. किशनगढ़ जिला अजमेर के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) जे.आर. कन्या महा. प्रतापगढ़ के द्वारा प्रतापगढ़ में वर्ष 2012 से तथा श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी महिला महा. किशनगढ़ जिला अजमेर के द्वारा किशनगढ़ में वर्ष 2015 से महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

(4) उक्त समूहों को कालेज प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं. सं.	समूह/महाविद्यालय	आबंटित राशि (लाखों में)	जिला
1	जे.आर. कन्या महा. प्रतापगढ़	101.31	प्रतापगढ़
2	श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी महिला महा. किशनगढ़	200.00	अजमेर

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड

203. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में वर्ष 2007 से 31 जनवरी, 2016 तक कितने राजकीय एवं निजी महाविद्यालय खोले गये? उक्त महाविद्यालयों के लिए कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निजी महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसे शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सन् 2007 से अब तक राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया है तथा सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सन् 2007 से अब तक निजी क्षेत्र में 6 महाविद्यालय स्वीकृत किये गये है, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं खोला गया है इसलिए कोई राशि आबंटित नहीं की है तथा निजी महाविद्यालयों के लिए किसी प्रकार की राशि आबंटित नहीं की जाती है।

(2) निजी महाविद्यालय खोले जाने के लिए निजी महाविद्यालय की नीति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड परिशिष्ट-द पर संलग्न हैं।

(सूचियां, प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले में संचालित संस्कृत शिक्षा के विद्यालय

204. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में संस्कृत शिक्षा विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा अध्यापकों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय संस्कृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) जिला अलवर के राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 बनाये गये हैं, जो कि दिनांक 9.10.2015 से लागू किये गये हैं। सेवा नियमों के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के नवीन महाविद्यालय खोलने की योजना

205. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक तथा 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रदेश एवं विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कितने नये संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय कहां-कहां खोले गये व किन-किन विद्यालयों/महाविद्यालयों को किस स्तर पर क्रमोन्नत किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के अधीन प्रशासनिक, शैक्षणिक, अशैक्षणिक व अन्य प्रकार के किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में एक राजकीय महिला शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, चक, खाचरियावास, सीकर में खोला गया तथा विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में एक राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, भरतपुर को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। प्रदेश एवं विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में नवीन/क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रदेश एवं विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में कोई भी नया संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय ना तो खोला गया और ना ही क्रमोन्नत किया गया है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रशासनिक, शैक्षणिक, अशैक्षणिक व अन्य स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 बनाये गये हैं, जो कि दिनांक 9.10.2015 से लागू किये गये हैं। सेवा नियमों के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

महाविद्यालय अनुभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेवा नियम बनाये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षक विहार योजना जगतपुरा (सांगानेर) का भू-उपयोग परिवर्तन

206. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जगतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 125, 137, 151, 152, 153, 158 व 160 की भूमि को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 (क) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन का आवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लोक सूचना सं. 156/2014 दिनांक 7 अगस्त, 2014 के संदर्भ में आपत्तियां भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त आपत्तियों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खसरा नम्बरों की भूमि के सम्बन्ध में कोई आपराधिक वाद सरकार द्वारा किसी न्यायालय में दायर किया हुआ है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त खसरा नम्बरों की भूमि को किसी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा शिक्षक विहार योजना बनाकर अपने सदस्यों को भूखण्ड आबंटित किये गये हैं तथा भूखण्डों का वास्तविक कब्जा नहीं दिये जाने के कारण सरकार द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया है? यदि हां, तो जांच में प्रथम दृष्टया किन्हें अपराधी मानकर दावा दायर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जगतपुरा तहसील सांगानेर भूमि का खसरा नम्बर 125, 137, 151, 152, 153, 158 व 160 की भूमि को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90(क) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थिया श्रीमती गोपाली देवी पत्नी श्री रामकेश मीणा द्वारा दिनांक 21.7.14 को जोन-9, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त भूमि के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लोक सूचना संख्या 156/2014 दिनांक 7 अगस्त, 2014 के संदर्भ में निम्नलिखित 5 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं:-

1. श्री धमेन्द्र मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा, निवासी-13/917, मालवीय नगर, जयपुर, दिनांक 11.3.14 एवं 12.8.14;

2. श्री नियामत अली, इसरत जहां, 4335, छप्पर बंधो का रास्ता, घाट गेट, जयपुर; एवं

3. श्री विनित कुमार गुप्त, मकान नम्बर 295, गायत्री नगर ए, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, दिनांक 12.8.14;

4. श्री गिर्राज वागड, निवासी सी-70, सिवाड़ एरिया, बापू नगर, जयपुर;

5. श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री प्रतीपाल सिंह, वगैरह, दिनांक 17.8.14 ।

उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.02.2012 लागू होने के कारण कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। प्राप्त आपत्तियों की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। न्यायालय स्थगन आदेश की प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित) संख्या-2, जयपुर महानगर, जयपुर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा वाद संख्या 133/2009 धमेन्द्र कुमार मीना बनाम जगदीश मीणा व अन्य में पारित निर्णयानुसार बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण नहीं करने के सम्बन्ध में पाबन्द किया हुआ है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जोन-9, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में उपलब्ध रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर की भूमि को किसी भी गृह निर्माण सहकारी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
समिति की योजना शिक्षक विहार बनाकर सदस्यों को भूखण्ड आबंटन किया जाना पेश नहीं है। अत: कब्जे दिये जाने के कोई प्रकरण जोन मे लम्बित नहीं हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा, जयपुर में अवैध वाणिज्यिक काम्पलेक्सों का निर्माण

207. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर में ज वि प्रा द्वारा किन-किन वाणिज्यिक काम्प्लेक्स को कब-कब, किन-किन शर्तों के अनुसार व्यावसायिक उपयोगार्थ निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी और सरकार द्वारा अब तक किन-किन निर्मित काम्प्लेक्सों की बिल्डिंग बायलाज व निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य की जांच की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाइपास में किन-किन व्यवसायिक काम्प्लेक्स द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं करते हुए निर्माण कार्य करवा कर वाणिज्यिक गतिविधियों का अवैध रूप में संचालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा इनके विरुद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या मै. आदिनाथ बिल्डकान प्रा. लि. के द्वारा अवैध प्लाट नं. ए 5, न्यू आतिश मार्केट में बहुमंजिला वाणिज्यिक काम्प्लेक्स का निर्माण अवैध रूप से करवाकर उसमें व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवैध रूप से निर्मित निर्माण कार्य के विरुद्ध कब-कब, किन-किन के द्वारा लिखित शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर सरकार के स्तर से क्या -क्या कार्यवाही अमल में लाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अवैध रूप से मै. आदिनाथ बिल्ड कान प्रा. लि. द्वारा निर्मित वाणिज्यिक काम्प्लैक्स को सील कर उसकी निर्माण स्वीकृति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या एस-2 दिनांक 2.4.2004, भूखण्ड संख्या एस-4 दिनांक 16.7.2005 एवं भूखण्ड संख्या ए-5 दिनांक 30.6.2006 को व्यावसायिक उपयोगार्थ निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। निर्माण स्वीकृति एवं शर्तों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के तहसीलदार, सहायक नगर नियोजक व प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 4.3.2016 को संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर जांच की गई। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाइपास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-2, एस-4 व ए-5 पर स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत निर्माण किये जाने के कारण ज वि प्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2016 को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की प्रतियां परिशिष्ट-3, 4, 5 व 6 पर संलग्न हैं।

(3) मै. आदिनाथ बिल्ड कान प्रा.लि. के द्वारा प्लाट नं. ए-5 पर स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार निर्माण नहीं पाये जाने पर भूखण्डधारी को दिनांक 4.3.2016 को जे डी ए अधिनियम की धारा 32-33 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं। उक्त नोटिसों का जवाब दिनांक 8.3.2016 तक प्राप्त होना है। इसके पश्चात् प्राप्त जवाब का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-5 व 6 पर संलग्न है।

(4) इस सम्बन्ध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 7.1.2016 को शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति व कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण दिनांक 4.3.2016 को जांच करने पर स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार निर्माण नहीं पाये जाने पर भूखण्डधारी को ज वि प्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के अन्तर्गत दिनांक 4.3.2016 को नोटिस जारी किये गये हैं। (परिशिष्ट-5 व 6 अनुसार)

(5) स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण नहीं किये जाने पर ज वि प्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 4.3.2016 को जारी किये गये हैं, जिसमें दिनांक 8.3.2016 को जवाब प्राप्त होने पर जवाब का परीक्षण कर गुण-अवगुण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

बाराह जी का चौक चांदपोल बाजार, जयपुर में बन्दरों का आतंक

208. श्री सुखाराम (मेड़ता) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाराहजी का चौक, दीनानाथजी की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर में बन्दरों का आतंक छाया हुआ है? क्या सरकार इन्हें पकड़कर दूर वन क्षेत्रों में छोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सतत प्रक्रिया के तहत नगर निगम जयपुर द्वारा बन्दरों को पकड़वाने का कार्य ठेका/संविदा पर करवाया जाता है एवं ठेका शर्तों के अनुसार शहरी सीमा से 100 किलोमीटर दूर इन बन्दरों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने हेतु आदेशित किया गया है।

मोनिका विहार-प्रथम (जयपुर) में विकास कार्य करवाने की योजना

209. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-18 स्थित मोनिका विहार-प्रथम का नियमन कर दिया गया है? यदि हां, तो नियमन हेतु अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं व उनमें से कितनों को पट्टा जारी कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालोनी के नियमन के वक्त कौन-कौन से भूखण्ड जीरो सेट-बैक पर निर्मित, पूर्ण निर्मित, अर्द्धनिर्मित व मात्र बाउंड्रीवाल निर्मित थे तथा नियमन के समय प्रत्येक भूखण्ड के साइट प्लान में सेट-बैक का क्या क्या प्रावधान रखा गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये सर्वे के समय कतिपय सड़कें सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दिखाई गई चौड़ाई से कम पाई गईं? यदि हां, तो इससे प्रभावित कितने भूखण्डों की साइज कम की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नियमन के वक्त कुछ सड़कों की चौड़ाई बढ़ा कर तीस से चालीस व सौ फीट की गई है? यदि हां, तो उक्त सड़कों पर किन-किन भूखण्डों में पूर्व में बने हुए निर्माण अब सड़क सीमा में आ चुके हैं?

(श्री पूरणमल सैनी)
क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण व सड़क सीमा में अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मोनिका विहार-प्रथम में नियमन पश्चात् सड़क, सीवरेज लाइन, पेयजल लाइन व पार्क, आदि के विकास हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विकास कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जाएंगे? अब तक उक्त योजना में विकास हेतु किये गये कार्यो का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-18 में स्थित योजना मोनिका विहार-प्रथम का कैम्प आयोजित किया जा चुका है। आबंटन हेतु अब तक 137 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं इनमें से 97 भूखण्डों को पट्टा जारी कर दिया गया है। उक्त कालोनी का ज वि प्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र परिशिष्ट-1 व भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट-2 पर व आवेदन प्राप्त की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। भूखण्ड संख्या, भूखण्डधारी का नाम, भूखण्ड साइज, पट्टा जारी करने की दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(2) अनुमोदन के समय अनुमोदित मानचित्र अनुसार भूखण्ड आंशिक/पूर्ण निर्मित भूखण्ड, चारदीवारी निर्मित भूखण्ड व जीरो सेटबैक पर निर्मित भूखण्ड की सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। सेटबैक की भूखण्डवार सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। जारी साइट प्लान की प्रति भूखण्डवार परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त कालोनी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये सर्वे के समय भूखण्ड संख्या ए-1, ए-2, ए-3, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7, ए-22, ए-23, ए-24, ए-25, ए-26, ए-27, ए-28, ए-13, ए-16, ए-17, ए-18, ए-19, ए-20, ए-21 के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई सोसायटी द्वारा प्रेषित मानचित्र में 20 फीट दर्शित है, जिसको 30 फीट करते हुए योजना मानचित्र अनुमोदन किया गया है। भूखण्ड संख्या ए-1 से ए-28, बी-1 से बी-9 को जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.01.2016 में लम्बित रखा गया है। जारी साइट प्लान की प्रति भूखण्डवार परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि नियमन के वक्त कुछ सड़कों की चौड़ाई 30 फीट से 40 फीट की गई है। भूखण्ड संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18ए के पश्चिम में व भूखण्ड संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 24 के पूर्व में कुल 12

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

भूखण्डों के मध्य स्थित सड़क की चौड़ाई मौके पर उपलब्ध 30 फीट सड़क से 40 फीट किये जाने का निर्णय पूर्व में जोन स्तरीय समिति द्वारा लिया गया था। उक्त 40 फीट सड़क को जोनल स्तरीय समिति के संशोधित निर्णय अनुसार पुनः 30 फीट किये जाने का निर्णय अब ले लिया गया है। यानी 30 फीट चौड़ाई सड़क को उक्त भूखण्डों के आगे 30 फीट ही रखा गया है। महारानी गार्डन से पी आर एन 200 फीट तक जाने वाली 100 फीट सेक्टर रोड जो कि मौके पर 30 से 40 फीट उपलब्ध है, से प्रभावित भूखण्ड संख्या ए-1, ए-2, ए-3, ए-4, ए-5, ए-8, ए-9, ए-10, ए-11, ए-12, 1, 2, 3, 3-ए, 11, 12, 12-ए, 13, 26, 27, 33-बी, 33-ई, 44, बी-1, बी-2, बी-5, बी-6, यानी कुल 27 भूखण्डों में बने हुए निर्माण सड़क की सीमा में आ रहे हैं। इन भूखण्डों में से जिन भूखण्डों की लीज डीड जारी की गई है, उनमें से सेक्टर रोड से प्रभावित क्षेत्रफल को हटाते हुए ही क्षेत्रफल की लीज़ डीड जारी की गई है। सेक्टर रोड में आ रहे भवनों को हटाने के लिए समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा ऐसे ही कार्यवाही इस योजना में भी की जायेगी। अभी तक निर्माण कार्य हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(5) मोनिका विहार-प्रथम के नियमन पश्चात् कालोनी की समस्त आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 29.01.16 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। सडक निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के पृथ्वीराज नगर योजना में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त क्षेत्र में पेयजल कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा लिया जाना है। मुख्य पाइपलाइन व आधारभूत संरचनाओं के लिए प्रारम्भिक निर्णय अनुसार पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रथम किश्त राशि रुपये 60.00 करोड़ स्वीकृत कर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को पत्र क्रमांक जविप्रा/अधि.अभि./पीएचई-III/2016/डी-300 दिनांक 27.03.2015 को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पृथ्वीराज नगर (दक्षिण क्षेत्र), जिसमें मोनिका विहार भी सम्मिलित है, में बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राशि रु. 222.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 01.12.2015 को जारी की जा चुकी है। इस कार्य हेतु सलाहकार फर्म की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के सीवरेज सुविधा से वंचित क्षेत्र जैसे पृथ्वीराज नगर व समीपस्थ क्षेत्र, गोविन्दपुरा बक्सावाला (सांगानेर), बढ़ारना (सीकर रोड), आगरा रोड व इन्दिरा गांधी नगर के मध्य बसी कालोनियों, इत्यादि में सीवर कार्य हेतु राशि रुपये 1445.40 करोड़ के प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-प्लानिंग बोर्ड, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को वित्तीय पोषण हेतु दिनांक 17.02.2016 को भिजवाये गये हैं। उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति पश्चात् तदनुसार सीवरेज कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

दी फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर की योजना मोनिका विहार-प्रथम ग्राम मांग्यावास में अनुमोदित मानचित्रानुसार पार्क हेतु भूमि आरक्षित नहीं है। नक्शे में मंदिर अंकित है, जो सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित है।

(प्रतियां, सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

ओ.टी.सी. योजना, रानी रोड (उदयपुर) में सड़क की भूमि पर अतिक्रमण

210. श्री राम लाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर की रानी रोड स्थित ओ.टी.सी. योजना में ओ.टी.सी. भवन के उत्तर में स्थित श्रीचोकसी का प्लाट व भवन बना हुआ है और रानी रोड से भवन तक जाने के लिए श्रीचौकसी द्वारा बनाई गई सड़क में नगर विकास न्यास के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि नहीं, तो खाली पड़े प्लाट, भवन व सड़क का अलग-अलग क्षेत्रफल दर्शाते हुए मय नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना में भूखण्ड संख्या ए-2/ख व ए-2/क के पश्चिम में योजना में सड़क की सुविधा हेतु छोड़ी गई जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है? यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी वास्तविक स्थिति क्या है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना में श्री इन्द्रसिंह कर्णावट द्वारा उसके स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 2 के समीप न्यास के भूखण्ड संख्या 755 के आधे भाग तथा न्यास के भूखण्ड संख्या 748, 747 तथा 746 एवं

(श्री राम लाल गुर्जर)

सड़क के कुछ भाग पर अतिक्रमण कर रखा है? प्रत्येक के क्षेत्रफल का अलग-अलग नाप दर्शाते हुए नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि श्री इन्द्रसिंह कर्णावट को निर्माण हेतु दिनांक 16 अक्टूबर, 1978 को स्वीकृति दी गई थी लेकिन स्वीकृत मानचित्र के अलावा भी श्री कर्णावट ने अवैध रूप से निर्माण करवाये हैं? यदि हां, तो दिनांक 16 अक्टूबर, 1978 का स्वीकृत मानचित्र का नक्शा व उसके अलावा निर्माण का क्षेत्रफल दर्शाते हुए नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस तरह किये गये अतिक्रमण व अवैध निर्माण के विरुद्ध अब तक नगर विकास न्यास या योजना नगर निगम को स्थानान्तरित करने के बाद कोई कार्यवाही की गई है, या करना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या प्लाट संख्या ए-2/ख एवं ए-2/क पर निर्माण की स्वीकृतियां एवं उनका नवीनीकरण किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि उदयपुर नगर में रानी रोड स्थित स्वरूप सागर-फतह सागर ओ टी सी योजना में ओ टी सी भवन के उत्तर में स्थित चौकसी का प्लाट व भवन बना हुआ है। यह भी सही है कि रानी रोड से चौकसी भवन तक जाने वाला रास्ता जो नगर विकास प्रन्यास की योजना में 40 फीट चौड़ाई में सड़क के रूप में प्रस्तावित किया गया था वह मौके पर अतिक्रमण किया हुआ है।

(2) जी हां। यह सही है कि इस योजना में भूखण्ड संख्या ए-2/ख व ए-2/क के पश्चिम में योजना में सड़क की सुविधा हेतु छोड़ी गयी 30 फीट चौड़ी भूमि पर श्री इन्द्रजीत सिंह कर्णावट ने अतिक्रमण कर रखा है, परन्तु वास्तविक स्थिति यह भी है कि श्री इन्द्रजीत सिंह कर्णावाट द्वारा दिनांक 31.05.1978 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मात्र 33,192 वर्ग फीट भूमि ही क्रय की गई थी एवं इनके भवन निर्माण आवेदन पर न्यास द्वारा दिनांक 16.10.1978 को 33,192 वर्गफीट में से 20,284 वर्ग फीट का भूखण्ड रखते हुए, इसी 20,284 वर्ग फीट क्षेत्र पर निर्माण स्वीकृति दी गई थी एवं शेष 12,908 वर्ग फीट भूमि को सड़क मार्गाधिकार एवं सुविधा क्षेत्र हेतु छोड़ा

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

गया था। परन्तु इसके पश्चात् श्री इन्द्रजीत सिंह कर्णावट द्वारा दिनांक 20.11.1978 को श्री सुरेश पोरवाल को 10142 वर्ग फीट एवं श्रीमती मधुबाला पोरवाल को 6428 वर्ग फीट भूमि का बेचान कर दिया गया, जिसमें सड़क एवं सुविधा क्षेत्र की 12,908 वर्ग फीट भूमि भी सम्मिलित है। श्रीमती मधुबाला पोरवाल एवं श्री सुरेश पोरवाल को विक्रीत भूखण्डों के नामान्तरण एवं भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही दिनांक 02.12.1995 को न्यास द्वारा की गई। इस प्रकार श्री इन्द्रजीत सिंह कर्णावट को भवन निर्माण की स्वीकृति देते समय छोड़ी गई 40 फीट चौड़ी सड़क एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि पर भी भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिये गये थे। ऐसा करने हेतु न्यास बैठक दिनांक 17.09.1990 के प्रस्ताव संख्या 09 के अनुसार इस 40 फीट चौड़ी सड़क को दक्षिण की ओर सरकाते हुए 40 फीट चौड़ाई में से श्रीमती मधुबाला पोरवाल द्वारा खरीदे गये भूखण्ड में से केवल 20 फीट चौड़ाई ही सड़क हेतु रखी गयी थी। श्रीमती मधुबाला पोरवाल के भूखण्ड संख्या ए-2 ख में से जो 20 फीट चौड़ाई में सड़क छोड़ी जानी थी, वह भी वर्तमान में मौके पर नहीं छोड़ी हुई है एवं मौके पर चारदीवारी बनी हुई है। न्यास ने श्रीमती मधुबाला पोरवाल के हक में जो नामान्तरण किया एवं वर्ष 1995 में जो निर्माण स्वीकृति दी, उसमे सडक हेतु निर्धारित इस 20 फीट चौड़ाई के क्षेत्र को भूखण्ड के क्षेत्र में से भी कम नहीं किया।

इसी प्रकार श्री चौकसी के भूखण्ड में से भी जो 20 फीट चौड़ाई में सड़क का मार्गाधिकार छोड़ा गया था, वह भी मौके पर श्री चौकसी द्वारा नहीं छोड़ा गया है एवं मात्र 12 से 13 फीट चौड़ाई में श्री चौकसी द्वारा केवल स्वयं के आने-जाने हेतु भूखण्ड में रास्ता बना रखा है, जिस पर गेट लगाकर आमजन हेतु बन्द कर रखा है।

(3) जी हां। यह सही है इस योजना में श्री इन्द्रजीत सिंह कर्णावट द्वारा उसके स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 2 के समीप नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की योजना के भूखण्ड संख्या 755 के पार्ट क्षेत्रफल 2,166 वर्ग फीट पर, भूखण्ड संख्या 746 के पार्ट 1,193 वर्ग फीट पर, भूखण्ड संख्या 747 के पार्ट 1,310 वर्ग फीट क्षेत्र पर व भूखण्ड संख्या 748 के पार्ट 884 वर्ग फीट पर अतिक्रमण कर रखा है। इसी प्रकार इन भूखण्डों के पश्चिम दिशा में स्थित 30 फीट चौड़ी सड़क पर भी श्री इन्द्रजीत कर्णावट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है।

(4) जी हां। यह सही है कि श्री इन्द्रजीत सिंह कर्णावट को उसके

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

स्वामित्व के भूखण्ड क्षेत्रफल 20,284 वर्ग फीट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु दिनांक 16.10.1978 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृति दी गई थी, लेकिन स्वीकृत मानचित्र के अलावा भी श्री कर्णावट ने अवैध रूप से निर्माण कर रखा है। नक्शा संलग्न है।

(5) जी हां। इस प्रकरण में न्यास द्वारा इस क्षेत्र की भूमि को नगर निगम को हस्तान्तरित करने से पूर्व यू आई टी एक्ट, 1959 की धारा 92-ए अन्तर्गत प्रकरण संख्या 4/2001 दर्ज किया गया था, जिसमें बाद सुनवाई पारित निर्णय दिनांक 31.03.2001 में यह पाया गया था कि भूखण्ड संख्या 755, 757 के पीछे न्यास की भूमि पर पार्टिशनल वाल, कमरों का निर्माण, सड़क भूमि पर कच्ची कोट का अवैध निर्माण एवं 30 फीट चौड़ी सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है। न्यास द्वारा इस अवैध निर्माण को उक्त निर्णय उपरान्त वर्ष 2001 में हटा दिया गया था। उक्त योजना क्षेत्र वर्ष 2004 में नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी गई थी। न्यास द्वारा वर्ष 2001 में हटाये गये क्षेत्र पर श्री कर्णावट द्वारा पुन अतिक्रमण कर लिया गया है। श्री इन्द्रजीत कर्णावट ने उप जिला कलक्टर, गिर्वा, उदयपुर में दावा इन्द्राज दुरस्ती संख्या 343/98 प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 28.02.2001 को खारिज हो जाने पर अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त प्रकरण संख्या 126/2004 में दिनांक 20.04.2005 को श्री कणार्वट की अपील खारिज हो गयी थी। इसके उपरान्त माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में श्री कर्णावट द्वारा दायर की गयी निगरानी संख्या एल आर/ 2697/2005/उदयपुर भी दिनांक 04.06.2015 को खारिज हो गयी थी। इसके उपरान्त वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में श्री कर्णावट द्वारा एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 13521/2015 दायर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2015 को स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है।

(6) जी हां। प्लाट संख्या ए-2/ख एवं ए-2/क पर निर्माण स्वीकृतियां दिनांक 2.12.1995 को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी की गई थी जिनका नवीनीकरण नही किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

खानपुर में भंवरा बांध से सिंचाई की योजना

211. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नरेन्द्र नागर)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर में हरिशचन्द्र सागर बांध में रबी के लिए भंवरा बांध से सिंचाई की योजना प्रस्तावित की गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में भंवरासा बांध (काली सिंध वृहद् बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना द्वितीय चरण) की परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित लाभान्वित क्षेत्र की सूची में हरीशचन्द्र सागर बांध क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाना सम्मिलित नहीं है, परन्तु आम जन की मांग के मध्यनजर इसका तकनीकी परीक्षण कर, गुणावगुण आधार पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

कसेड ग्राम (सपोटरा) के अपूर्ण एनिकट को पूर्ण कराने की योजना

212. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वितीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 की अवधि में स्वीकृत एनिकटों में से कितनों का निर्माण अभी तक अपूर्ण है एवं क्यों?

(2) क्या ग्राम कसेड, उप तहसील करणपुर, तहसील सपोटरा में स्वीकृत एनिकट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त एनिकट के निर्माण हेतु कार्यादेश कब जारी किया गया एवं कार्य के अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं?

(4) कार्य में देरी पर संवेदक/फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या दोषी फर्म के विरुद्ध 2 एवं 3 सी. सी. की कार्यवाही भी की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या एनिकट का निर्माण निर्धारित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार किये जाने का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वितीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 की अवधि में स्वीकृत एनिकटों में से 14 एनिकटों का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण अपूर्ण है। प्रारम्भ नहीं किये जाने का कारण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी हां।

(3) उक्त एनिकट का कार्यादेश दिनांक 6.01.2011 को जारी किया गया। कार्य पूर्ण है।

(4) कार्य में देरी पर संवेदक के विरुद्ध अनुबंध की धारा-2 के तहत एल.डी. राशि रुपये 2,39,601/- काटी गई तथा कार्य पूर्ण किये जाने से धारा-3 अन्तर्गत कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(5) जी हां।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	अपूर्ण एनिकट का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	भौतिक स्थिति	कार्य पूरा नहीं होने का कारण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	एनिकट निर्माण रामरही का नाला रेंज करणपुर	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की स्वीकृति वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु खो बांध के क्रैचमन्ट में होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।
2	एनिकट निर्माण सामरदह का नाला रेंज मण्डरायल	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु नीदर बांध के कैचमेन्ट में होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।
3	एनिकट निर्माण सतनार का नाला रेंज कैलादेवी	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु कालीसिंध बांध के कैचमेन्ट में होने के कारण उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।
4	एनिकट निर्माण बड का नाला रेंज कैलादेवी	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2011-12	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु कालीसिंध बांध के कैचमेन्ट में होने के कारण उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

1	2	3	4	5	6
5	एनिकट निर्माण उमर का नाला रेंज मण्डरायल	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2011-12	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु कालीसिंध बांध के क्रैचमेन्ट में होने के कारण उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।
6	एनिकट निर्माण पीपलान का नाला रेंज कैलादेवी	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु कालीसिंध बांध के क्रैचमेन्ट में होने के कारण उक्त कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।
7	एनिकट निर्माण चिरचिरी सोर्स प्रथम रेंज करणपुर ग्राम चिरचिरी	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।
8	एनिकट निर्माण चिरचिरी सोर्स चिरचिरी फोरेस्ट रेंज करणपुर	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2011-12	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु उक्त साइट पर ग्रामीणों का विरोध होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।
9	एनिकट निर्माण कैरी उमर का नाला रेंज कैलादेवी	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु कालीसिल बांध के कैचमेंट में होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

1	2	3	4	5	6
10	एनिकट निर्माण बहता गढ़ी गांव का नाला रेंज करणपुर	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु वन विभाग से फण्ड उपलब्ध नहीं होने एवं पुन:भरण दावा स्वीकार करने में असमर्थ जताने के कारण उनके निर्देश अनुसार कार्य नहीं कराया जा सका।
11	एनिकट निर्माण सिया खो रेंज मण्डरायल	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2011-12	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु वन विभाग द्वारा फण्ड उपलब्ध नहीं होने एवं पुन:भरण दावा स्वीकार करने में असमर्थ जताने के कारण उनके निर्देश अनुसार कार्य नहीं कराया जा सका।
12	एनिकट निर्माण पोलर कानरदा का नाला रेंज करणपुर	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2011-12	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु वन विभाग से फण्ड उपलब्ध नहीं होने एवं पुन:भरण दावा स्वीकार करने में असमर्थ जताने के कारण उनके निर्देश अनुसार कार्य नहीं कराया जा सका।

1	2	3	4	5	6
13	एनिकट निर्माण पुराना पानी का नाला रेंज करणपुर	वानिकी एवं वन्य जीव (डब्ल्यू.एच.एस.)	2010-11	प्रारम्भ नहीं	उक्त कार्य की वानिकी एवं वन्य जीव (WHS) योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा जारी की गई थी किन्तु वन विभाग से फण्ड उपलब्ध नहीं होने एवं पुन:भरण दावा स्वीकार करने में असमर्थ जताने के कारण उनके निर्देश अनुसार कार्य नहीं कराया जा सका।
14	एनिकट जेर का नाला भांकरी	डब्ल्यू.एच.एस.	2013-14	प्रारम्भ नहीं	एनिकट का डूब क्षेत्र निजी खातेदारी में होने के कारण उक्त कार्य नहीं कराया जा सका।

गंगनहर की बन्दी से निर्धारित कार्य कराने की योजना

213. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगनहर में कितने वर्षो तक बन्दी ली जायेगी? क्या अभी बन्दी ली गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ली गई बन्दी से निर्धारित कार्य पूरा हो जायेगा? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगनहर में जनवरी, 2017 को अंतिम बंदी ली जानी प्रस्तावित है।

जी हां। इस वर्ष 18.02.2016 से 01.03.2016 तक बंदी ली गई।

(2) जी नहीं। इस वर्ष ली गई बंदी पश्चात् नैतेवाली, सुलेमान की, फकीरवाली एवं डाबरा हैड्स निर्माण के पश्चात् अप्रोचेज (गैप) का कार्य एवं गैप आर.डी. 82.0 से 83.0 का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

हिंगी (सांगोद) के आवासीय विद्यालय का फर्जी टी सी प्रकरण

214. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी तहसील सांगोद, जिला कोटा के एस.आर. क्रमांक 401 की छात्रा ने दिनांक 10 जुलाई, 2007 को कक्षा 6 में प्रवेश लेकर सत्र 2009-10 में कक्षा 8 तथा सत्र 2011-12 में कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण होने के उपरान्त भी उसी छात्रा को प्रधानाध्यापक, नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा भी बिना पृष्ठ संख्या अंकित छात्र प्रवेश रजिस्टर में क्रमांक 280 पर दिनांक 15 जुलाई, 2007 को कक्षा 4 तथा 5 मई, 2011 को कक्षा 8 में अध्ययन करना दर्शाकर टी.सी. दी है? यदि हां, तो दोनों विद्यालयों में से कौनसे विद्यालय द्वारा कक्षा 8 उत्तीर्ण की फर्जी टी.सी. तथा अंकतालिका जारी की गयी है? सरकार द्वारा कौनसे विद्यालय की टी.सी. फर्जी घोषित कर फर्जी टी.सी. तथा अंकतालिका जारी करने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी, तहसील सांगोद, जिला कोटा के रजिस्टर संख्या 401 के अनुसार दिनांक 10.07.2007 को कल्पना गुर्जर पुत्री रामराज गुर्जर द्वारा कक्षा 6 में प्रवेश लिया गया था। सत्र 2009-10 में उक्त बालिका द्वारा कक्षा 8 उत्तीर्ण कर ली गई थी। सत्र 2011-12 में कक्षा 10 की मुख्य बोर्ड परीक्षा में उक्त छात्रा पूरक घोषित की गई तथा पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुई थी। उक्त छात्रा कल्पना गुर्जर के अनुत्तीर्ण होने से सत्र 2012-13 में इसके प्रवेश का नवीनीकरण किया गया था। जिससे यह छात्रा सत्र 2012-13 में इस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं रही थी। उक्त छात्रा कल्पना गुर्जर की टी सी इस विद्यालय द्वारा जारी नहीं की गई है। एस आर 401 की छायाप्रति परिशिष्ट क पर सलंग्न है।

जी हां। प्रारभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रत्युतर अनुसार नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरगढ़ तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के छात्र प्रवेश रजिस्टर (एस.आर.) क्रमांक 280 की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न हैं।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम 1993 के प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 9(9) शिक्षा-5/ नूतन आदर्श बामनवास/2015 दिनांक 12.10.2015 की पालना में जि शि अ (प्रा शि) सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 06.11.2015 के द्वारा नूतन आर्दश उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरगढ तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर की मान्यता निरस्त की जा चुकी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ग 1 व 2 संलग्न है।

उक्त विद्यालय द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्रों (टी सी) को फर्जी घोषित करने एवं सम्बन्धित प्रधानाध्यापक नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरगढ़ के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवाने सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर स्तर पर प्रक्रियाधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

215. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती कमसा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में एस.सी./एस.टी./ओ बी सी के छात्रों की कई वर्षों की छात्रवृत्ति बकाया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले के विद्यार्थियों की कितनी छात्रवृत्तियां बकाया हैं? बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कई विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप होने के कारण वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की छात्रवृत्ति बकाया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से बजट आबंटन देरी से प्राप्त होने के कारण कुछ विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बकाया है जिनकी स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं एवं वर्ष 2014-15 तक की बकाया छात्रवृत्ति का निस्तारण उपलब्ध वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के दृष्टिगत मार्च 2016 तक किये जाने के प्रयास हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत छात्रवृत्ति उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जाकर प्राथमिकतानुसार भुगतान किया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शेष लम्बित आवेदकों को भुगतान नही किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत गत वर्षो की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जोधपुर जिले के बकाया आवेदन पत्रों का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण उपलब्ध वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के दृष्टिगत मार्च 2016 तक किये जाने के प्रयास है।

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत छात्रवृत्ति उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जाकर प्राथमिकतानुसार भुगतान किया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शेष लम्बित आवेदकों को भुगतान नहीं किया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत गत वर्षो की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है।

परिशिष्ट-अ

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जोधपुर जिले के बकाया आवेदन पत्रों का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2011-12	0	0
2	2012-13	0	0
3	2013-14	0	0
4	2014-15	4580	88

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण

216. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त छात्रों के लिए छात्रावास निर्माणाधीन हैं? यदि हां, तो कहां-कहां तथा उक्त का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला मुख्यालय, कोटा एवं जोधपुर में बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य आलौच्य वित्तीय वर्ष में आरम्भ कर दिया गया है। इन भवनों के निर्माण का कार्य न्यूनतम 1-1 ½ वर्ष की अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वयं सेवी/शिक्षण संस्था का नाम	छात्रावास का प्रकार	
			बालक	बालिका
1	2	3	4	5
1	भीलवाड़ा	सुलतानुल हिन्द व रजा दारूल उलूम, भीलवाडा	1	—
2	बीकानेर	बज्म-ए-अदब सोसायटी, जे.एन.वी. कालोनी, सेक्टर नं.-6, पुलिस थाने के पास, बीकानेर	1	—
3	भरतपुर	सृष्टी सेवा संस्थान, ई-52 बी, रंजीत नगर, भरतपुर	1	—
4	जयपुर	श्री चन्द्र शेखर विद्यापीठ समिति, किसान कालोनी, सुजानगढ़, जिला चूरू (वर्तमान पता :- प्रस्तावित भवन हीराबाग, आर.टी.ओ. आफिस चौराहा, झालाना डूंगरी जयपुर स्थित भवन का निरीक्षण)	1	—
5	जैसलमेर	मदरसा कादरिया फैजे सिकन्दरिया शिक्षण संस्थान, ढिब्बा पाडा, जैसलमेर	1	—
6	बाड़मेर	सिंधी मुस्लिम हास्टल सोसायटी, बाड़मेर	1	—
7	श्रीगंगानगर	यौवन संस्था, श्रीगंगानगर	—	1
8	उदयपुर	अंजुमन तालिमुल इस्लाम, नया सर्राफा बाजार, उदयपुर	1	—
9	उदयपुर	पायनियर एकेड्मी शिक्षण संस्थान, उदयपुर	—	1
10	टोंक	शिवा प्रशिक्षण संस्थान, मुनीर खां की मस्जिद, टोंक	1	—
11	जोधपुर	मारवाड़ एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, पाल लिंक रोड़, जोधपुर	—	1
		कुल	8	3

राज्य स्तरीय समारोह में कार्मिकों को देय योग्यता प्रमाण पत्र हेतु चयन के नियम

217. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के दौरान सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के प्रावधान व नियम हैं? यदि हां, तो प्रावधान व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रावधान व नियम के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस समारोह 2014, 2015 व 2016 तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह 2014 व 2015 में विभिन्न विभागों से किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014, 2015 व 2016 के गणतंत्र दिवस एवं 2014 व 2015 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों में से कितने कर्मचारियों व अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु चयन किया गया? चयनित कर्मचारियों व अधिकारियों के प्रस्ताव मय कार्यवाही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु कर्मचारियों एवं अधिकारियों का चयन किस नियम व प्रावधान के तहत किया गया? नियम व प्रावधानों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गणतंत्र दिवस समारोह वर्ष 2014, 2015 व 2016 एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह 2014 व 2015 में जिन कर्मचारियों व अधिकारियों का चयन नहीं किया गया, उनकी सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (इनाम, योग्यता-पुरस्कार एवं योग्यता-प्रमाण पत्र दिया जाना) नियम, 1973 के नियम 7 में विहित प्रावधान के अनुसार प्रदान किये जाते हैं। नियम की प्रति संलग्न है।

(2) वर्ष 2014 व 2015 में आयोजित गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस तथा वर्ष 2016 के गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्मचारियों व अधिकारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के प्राप्त प्रस्तावों की सूची संलग्न है।

(3) वर्ष 2014 व 2015 में आयोजित गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस तथा वर्ष 2016 के गणतंत्र दिवस समारोह पर योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

चयनित कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची मय चयन समिति के कार्यवाही विवरण संलग्न है।

(4) राजस्थान सिविल सेवा (इनाम, योग्यता-पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र दिया जाना) नियम, 1973 के नियम 7 में विहित प्रावधान के अनुसार प्रदान किये गये हैं। नियम की प्रति बिन्दु सं.-1 में संलग्न है।

(5) वर्ष 2014 व 2015 में आयोजित गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस तथा वर्ष 2016 के गणतंत्र दिवस समारोह पर की योग्यता प्रमाण-पत्र के लिए चयन समिति द्वारा चयन नहीं किये गये कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(प्रति व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाएं

218. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं किस-किस योजना के तहत दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की शिक्षा हेतु क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को निम्नलिखित योजनाओं के तहत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :-

1- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल निम्नलिखित 8 जिलों के 10 ब्लाक्स एवं 3 कस्बों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि से जुडे आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य एवं साइबर ग्राम योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक्स में 5,200 विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षर किया जा रहा है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

क्र. सं.	जिला	ब्लाक	कस्बा
1	अलवर	1 लक्ष्मणगढ़	
		2 किशनगढ़ बास	
		3 रामगढ़	
		4 तिजारा	
2	भरतपुर	5 कामां	
		6 नगर	
3	बाड़मेर	7 चौहटन	
4	हनुमानगढ़	8 हनुमानगढ़	
5	जैसलमेर	9 सम	
		10 सांकडा	
6	नागौर		1 मकराना
7	सवाई माधोपुर		2 गंगापुर सिटी
8	टोंक		3 टोंक

2-अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए सभी जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक्स में छात्रावास की सुविधा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओ को प्रति माह प्रति विद्यार्थी रु. 1,900/- का अनुदान दिया जाता है। जयपुर में विभाग द्वारा 100 बेड की क्षमता का बालिका छात्रावास संचालित किया जा रहा है।

3-अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

4-अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IITs AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NITs CLAT, IIMs, IISAR (Kolkata & Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कालेजों, आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

5-कौशल विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के युवाओं को आर एस एल डी सी के माध्यम से निःशुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।

6-मदरसा शिक्षा योजनान्तर्गत मदरसों में आधुनिक शिक्षा उर्दू/ कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों के माध्यम से दी जाती है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

7-आर एम एफ डी सी सी द्वारा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं को टर्म लोन, शैक्षिक ऋण एवं लघु वित्त योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।

8-अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना।

(2) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की शिक्षा हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल 8 जिलों के 10 ब्लाक्स एवं 3 कस्बों में आंगनबाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, नर्सिंग कालेज, महाविद्यालय भवन विस्तार, छात्रावास भवन, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

2. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए सभी जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बहुल ब्लाक्स में छात्रावास की सुविधा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रति माह प्रति विद्यार्थी रु. 1900/- का अनुदान दिया जाता है।

जयपुर में विभाग द्वारा 100 बेड की क्षमता का बालिका छात्रावास संचालित किया जा रहा है।

3. फ्री कोचिंग और एलाइड योजना।

4. छात्रवृत्ति योजना।

5. अनुप्रति योजना।

6. साइबर ग्राम योजना।

7. शैक्षिक ऋण योजना।

(3) अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. कौशल विकास प्रशिक्षण योजना।

2. टर्म लोन एवं लघु वित्त योजना।

(4) सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग से कोई विशेष योजना संचालित नहीं की जा रही है क्योंकि सरकार द्वारा अलग से सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों हेतु कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गई है।

किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरण

219. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत पांच वर्षों में कितने मामले दर्ज किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष कितने बालक व बालिकाएं किन-किन अपचारों के तहत पेश किये गये? गत पांच वर्षों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेश बालक/बालिकाओं पर क्या-क्या कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गई? गत पांच वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत पांच वर्षों में 16843 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष 16,843 बालक-बालिकाएं हत्या, चोरी, बलात्कार जानलेवा हमले, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी डकैती एवं अन्य अपराधों में लिप्तता के आधार पर पेश किये गये। उक्त बालक व बालिकाओं का जिलेवार एवं अपराधवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) (अ) पेश किये गये बालक/बालिकाओं पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के प्रावधानों 15 व संगत नियम 2011 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:-

1. धारा 15(1)-क में माता-पिता या संरक्षक और किशोर को परामर्श देने वाले और उनके विरुद्ध सलाह निम्नलिखित समुचित जांच परामर्श या भर्त्सना के पश्चात धर आने के लिए किशोर को अनुज्ञा प्रदान करना।

2 धारा 15(1) ख समूह मंत्रणा करने तथा एक समान क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए किशोर को निदेश प्रदान करना।

3. धारा 15(1)-ग, सामुदायिक सेवा का सम्पादन करने के लिए किशोर को निदेश प्रदान करना।

4. धारा 15(1)-घ, एक जुर्माना देने के लिए किशोर के माता-पिता या स्वयं किशोर को आदेश प्रदान करना, यदि उसकी आयु चौदह वर्ष से अधिक है और धनोपार्जन करता है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

5 धारा 15(1)-ड, सदाचरण की परीवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए प्रतिभू के साथ या के बिना एक बन्धपत्र का निष्पादन करने वाले किसी माता-पिता, संरक्षक या दूसरे उपयुक्त व्यक्ति या ऐसे माता पिता संरक्षक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति के देखरेख के अधीन रखे जाने का निर्देश दे सकेगा जो बोर्ड तीन वर्षों से अनधिक किसी कालावधि के लिए किशोर के सदाचरण और भलाई के लिये अपेक्षा करना।

6 धारा 15(1)-च, सदाचरण की परीवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए और तीन वर्षों से अनधिक किसी कलावधि के लिए किशोर के सदाचरण ओर भलाई के लिए किसी उपयुक्त संस्था के अधीन रखे जाने की किशोर को निर्देश प्रदान करना।

7. धारा 15(1)-छ, किशोर को तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजे जाने का निर्देश प्रदान करना।

(ब) गत पांच वर्षों में जिले में गठित विभिन्न किशोर न्याय बोर्डों द्वारा बोर्डो के समक्ष पेंश किये गये बालक-बालिकाओं के निस्तारित प्रकरणो का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर सलंग्न है।

(विवरण/परिशिष्ट पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने की कार्यवाही

220. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशन कार्डों में से जांच में कितने राशन कार्ड फर्जी पाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कराई गई जांच में कोटा जिले में अब तक कितने फर्जी राशन कार्ड सामने आये हैं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त राशन कार्डों का दुरुपयोग करके उपभोक्ताओं द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले लिया गया अथवा सब्सिडी उठा ली गई है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 04.03.2016 तक 2,01,53,297 नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जारी किये जा चुके हैं, जिनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्डों में से जांच के दौरान 10,41,432 दोहरे एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड पाये गये, जिनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच करने पर कोटा जिले में अब तक पाये गये दोहरे एवं डुप्लीकेट राशन कार्डों का क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	क्षेत्र	पाये गये दोहरे एवं डुप्लीकेट राशनकार्डों की संख्या
1	नगर निगम कोटा	398
2	नगरपालिका सांगोद	597
3	नगरपालिका रामगंजमण्डी	1
4	पंचायत समिति लाडपुरा	43
5	पंचायत समिति सांगोद	1,322
6	पंचायत समिति खैराबाद	3,786
7	पंचायत समिति सुल्तानपुर	9,634
8	पंचायत समिति इटावा	13,319
	योग	**29,100**

उक्त दोहरे/फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया जा चुका है।

(4) यह सही है कि जिलों में दोहरे/फर्जी राशन कार्ड बनाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिलों में जारी राशन कार्डों की जांच कराये जाने पर पाये गये दोहरे एवं फर्जी राशन कार्डों को तुरन्त प्रभाव से हटाये जाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को दिनांक 17.11.2015, 17.12.2015 एवं 21.01.2016 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिससे ऐसे राशनकार्डों पर सामग्री का वितरण रोका जा सके। जारी निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भादरा में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को जोड़ने की योजना

221. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भादरा में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को उक्त योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 05.11.2015 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वंचित पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना-पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। आदेश दिनांक 05.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(10)(5)खा.वि./आबंटन/2013 जयपुर, दिनांक 5.11.2015

आदेश

राज्य में 2 अक्टूबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है। दिनांक 15.07.2014 को पुनर्गठित टास्क फोर्स कमेटी द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में दिनांक 19.08.2014 को संशोधित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्रता धारकों की शुद्धिकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन एवं पात्र व्यक्तियों के समावेशन की कार्यवाही की गई। अभी भी कई क्षेत्रों से एनएफएसए की पात्रता सूचियों में नाम जोड़ने एवं हटाने के सम्बन्ध में आपत्तियां विभाग को प्राप्त हो रही हैं, जिसके सम्बन्ध में अपील के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु द्विस्तरीय अपील की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. नाम जुड़वाने हेतु अपील :—

नाम जुड़वाने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना-पत्र के

साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर प्रथम अपील अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(अ) उपखण्ड अधिकारी अपील अथवा स्वप्रेरणा से प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर किसी भी अधिकारी के द्वारा प्रकरण/प्रार्थनापत्र की जांच करवा सकेगा। उपखण्ड अधिकारी प्राप्त अपील को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा एवं शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित स्थानीय निकाय बोर्ड से अनुमोदन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय को प्रेषित करेगा।

(ब) अनुमोदन उपरान्त अपील प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजों की जांच करते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे, कि वह निष्कासन श्रेणी (विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.08.2014) में तो नहीं है। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी विधिक परीक्षण कर सुस्पष्ट आदेशों कारणों सहित जारी करेगा, जिसके आधार पर सूची में नाम जोड़ा जा सकेगा। यदि अपील निरस्त की जाती है, तो प्रार्थी जिला कलक्टर (रसद) के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

2. नाम कटवाने हेतु अपील :—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की सूचियों में यदि किन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम गलत जोड़े गये हैं, तो इसे हटवाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों सहित निम्नानुसार अपील अथवा स्वप्रेरणा से प्रकरण दायर किया जा सकता है :—

(अ) जिन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम कटवाने हेतु अपील की जानी है, तो अपीलकर्ता निष्कासन सम्बन्धी आधारभूत दस्तावेजात् मय प्रार्थना-पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ब) अपील प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी (अपीलांट अधिकारी) इसे दर्ज रजिस्टर कर यदि आवश्यक समझे, तो तथ्यात्मक जांच स्वयं करें या करवा सकता है। उसके पश्चात् इसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की वार्ड सभा/ग्रामसभा में अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा। अनुमोदन होने के पश्चात् अपील अधिकारी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक परीक्षणोपरान्त अपना निर्णय पारित करेगा। निर्णयानुसार सूचियों में यथा संशोधन किया जायेगा।

3. अपील अधिकारी :—

(अ) प्रथम अपील— उपखण्ड अधिकारी

(ब) द्वितीय अपील— जिला कलक्टर (रसद)

4. अपील दायर करने हेतु मियाद :—

अपील दायर करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है। कभी भी अपील दायर की जा सकती है।

5. निर्धारित प्रक्रिया का पालन :—

अपील प्रस्तुत करने व उस पर निर्णय के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जावेगा। इस प्रक्रिया के स्थानीय स्तर पर कोई Short cut नहीं अपनाया जावे।

प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे व जिला योजनाओं हेतु आयोजित वार्ड/ग्राम सभाओं में भी इस प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी दी जावे। राज्य सरकार अपेक्षा करती है कि समस्त प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जावे, ताकि पात्र व्यक्ति रह न जाएं व अपात्र व्यक्तियों के नाम बिना विलम्ब सूचियों से हटाये जाएं।

उक्त निर्देश दिनांक 30.10.2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित टास्क फोर्स के निर्णय की पालना में जारी किए जा रहे हैं।

कृपया उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

ह./-
(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रदेश में घाटे में चल रहे भूमि विकास बैंकों को बंद करने की योजना

222. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के समक्ष घाटे में चल रही सहकारी भूमि विकास बैंकों को बंद करने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौन से बैंकों को?

(2) सरकार द्वारा उक्त बैंकों को बंद करने के क्या-क्या कारण हैं?

(3) सरकार द्वारा उक्त बैंकों को घाटे से उबारने के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न का उत्तर बिन्दु प्रथम के उत्तर में निहित है।

(3) बैंकों को घाटे से उबारने के लिए एन पी ए कम करने पर जोर दिया जा रहा है। समय-समय पर एक-मुश्त समाधान योजनाओं के माध्यम से वसूली अभियान चलाये गये है। व्यक्तिगत सम्पर्क कर अवधिपार ऋणियों को ऋण चुका कर अच्छे ऋणियों में परिवर्तित करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2014 के पश्चात् वितरित कृषि ऋणों को समय पर चुकाने वाले ऋणियों को ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

प्रदेश में सुलभ कृषि हेतु ऋण योजना

223. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में किसानों को सुलभ कृषि हेतु रबी एवं खरीब की फसलों की बुवाई हेतु कौन-कौनसी ऋण योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में खरीब फसल की बुवाई हेतु किसानों को वर्ष 2014 एवं 2015 में कितना-कितना ऋण वितरित किया गया एवं अब तक कितनी वसूली की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में वर्तमान में कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के किसानों को रबी एवं खरीफ फसलों की बुवाई हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना एवं कृषक मित्र योजना के तहत ऋण दिया जाता है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर में खरीफ फसल की बुवाई हेतु किसानों को वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में क्रमश: 68,459.93 लाख रुपये तथा 71,891.34 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में (26.2.16 तक) क्रमश: 53,034.38 लाख रुपये तथा 23,816.10 लाख रुपये की वसूली हुई। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(3) बाडमेर जिले में 829 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौरासी में नई लैम्पस की स्थापना

224. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 2013 से जनवरी, 2016 तक क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? कार्यों की सूची मय राशि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नई लैम्पस हेतु पोहरी खातुरात, सेण्डोला, माण्डेला उपली, गुन्दलारा, गन्धवा, बेडसा, सावड़िया, बारंडा, झरनी, झलाई मालचौकि, वेजा, मड्डी व बोडामली, आदि में प्रस्ताव लम्बित हैं? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायतों में अब कब तक नई लैम्पस शुरू कर दी जायेंगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2013 से 16 तक स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी की उक्त ग्राम पंचायतों में विभागीय मापदण्ड पूर्ण होने एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण प्रेषित करने पर नियमानुसार लैम्पस का पंजीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 2013 से 16 तक स्वीकृत कार्यों व राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत कार्य का विवरण	राशि लाखों में	विशेष विवरण
1.	चिखली	चिखली	गोदाम निर्माण 50 एम.टी.	3.80	
			चारदीवारी	0.50	
			गोदाम मरम्मत	0.70	
		कुआं	गोदाम मरम्मत	0.70	
2.	सीमलवाड़ा	धम्बोला	गोदाम मरम्मत	0.70	
3.	सीमलवाड़ा	बासिया	गोदाम मरम्मत	0.70	
4.	झोथरी	गैंजी भीण्डा	गोदाम मरम्मत गोदाम मरम्मत	0.70 0.70	

प्रदेश में पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित किये जाने की कार्य योजना

225. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में पुरातत्व एवं सांस्कृतिक धरोहरों की देख-रेख के लिए क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त के अलावा निर्माण कार्य भी करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किस प्रकार के? उक्त कार्य किस योजना में स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग में विभिन्न पद सृजित हैं? यदि हां, तो कैडरवार सृजित पद एवं पदस्थापन तथा पे-बैण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्तमान में विभाग में सृजित पदों पर नियुक्ति नियमित प्रक्रिया से की जा रही है, या सीधी भर्ती अथवा विभागीय पदोन्नति से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(5) क्या सरकार द्वारा पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित किए जाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है या भविष्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा प्रदेश में पुरातत्व एवं सांस्कृतिक धरोहरों की देखरेख के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सम्पादित करवाये जा रहे/पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इनके अतिरिक्त आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वर्ष 2015-16 में करवाये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा बारां एवं बूंदी जिला मुख्यालयों पर संग्रहालय भवन निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त कार्य राज्य आयोजना मद अन्तर्गत स्वीकृत हैं।

(3) जी हां। विभाग में कैडरवार सृजित विभिन्न पदों का पदस्थापन तथा पे-बैण्ड तथा उन पर कर्मचारियों के पदस्थापन का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। विभाग में सृजित पदों पर नियुक्ति नियमित प्रक्रिया से की जा रही है। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को आर.पी.एस.सी., राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड अथवा विभागीय स्तर पर भरा जा रहा है एवं पदोन्नति के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरा जा रहा है।

(5) जी हां। राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3(4) के तहत किसी प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक को उसकी कलात्मकता एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 342 स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया है।

केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान के 162 स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पर्यटन विभाग के अधीन संचालित निगम/बोर्ड

226. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में विभाग के अधीन कितने निगम/बोर्ड कब से और कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगमों/बोर्डों के संचालन में सहायता के लिए सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा ग्रांट प्रदान की जाती है? यदि हां, तो निगम/बोर्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग के अधीन राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लि. एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में क्रमश: वर्ष 1965 एवं 1979 से संचालित हैं।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लि. जयपुर के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सब्सिडी अथवा ग्रांट प्रदान नहीं की जाती है।

जयपुर के परकोटे के पुनरुद्धार की योजना

227. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जयपुर में स्थित पुराने परकोटे का पुनरुद्धार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु बनाई गई योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परकोटे के क्षतिग्रस्त होने पर कोई व्यक्ति या एन.जी.ओ. माननीय उच्च न्यायालय में गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने न्यायालय के आदेश की पालना में उक्त कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत कर कितनी राशि व्यय की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम, जयपुर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल.) नं. 1220/2010 श्री बृजमोहन जांगिड़ बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.02.2015 एवं

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)
21.02.2015 की अनुपालना में जयपुर में स्थित पुराने परकोटे का पुनरुद्धार करने का विचार रखती है। योजना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। परकोटे के संरक्षण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 5(13)क.सं./2015 दिनांक 07.07.2015 के अनुसार राशि रुपये 12.67 करोड़ एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.2015 के अनुसार राशि रुपये 18.00 करोड़, कुल राशि रुपये 30.67 करोड़ विभाग द्वारा नगर निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में स्थानान्तरित की जा चुकी है। (परिशिष्ट-ब एवं स)।

नगर निगम द्वारा इस कार्य पर अभी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिले में 'रमसा' के तहत कराये गये कार्य

228. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'रमसा' कार्य कर रही है?

(2) उक्त 'रमसा कार्यक्रम' के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर क्या व्यवस्था है और उनका कार्य क्षेत्र क्या है?

(3) वर्ष 2008 से 2013 के मध्य बाड़मेर जिले में 'रमसा' के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये गये तथा 'रमसा' में क्या-क्या कार्य संपादित किये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) 'रमसा' के तहत सरकार द्वारा गत दो वर्षों में बाड़मेर जिले में कौन-कौन से कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा के विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना (रमसा) कार्य कर रही है।

(2) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कार्यालय स्थापित है, जिनका कार्यक्षेत्र सम्बन्धित सम्पूर्ण जिला है। जिले पर स्थापित कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष,

(शिक्षा राज्य मंत्री)

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक होता है। 'रमसा' के जिला कार्यालय में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य कार्मिकों के संस्थापन का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। जिला कार्यालय के माध्यम से रा मा वि एवं रा उ मा वि विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत संचालित समस्त गतिविधियों का सम्पादन एवं परिवीक्षण किया जाता है।

(3) वर्ष 2008 से 2013 के मध्य बाड़मेर जिले में 'रमसा' के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 एवं संपादित कार्य का विवरण परिशिष्ट-3 व 4 में सम्मिलित है।

(4) विगत दो वर्षों में बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये गये हैं :-

(क) निर्माण कार्य :-

(1) 24 विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण कार्य।

(2) 1 बालिका छात्रावास कार्य।

(3) 16 मेजर रिपेयर कार्य।

(4) 5 माडल स्कूल्स का कार्य प्रथम चरण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया गया।

(5) वर्तमान में 8 विद्यालय सुदृढ़ीकरण कार्य।

(6) 32 नवीन विद्यालय।

(7) 3 बालिका छात्रावास कार्य प्रगति पर हैं।

(8) 4 माडल स्कूलों का द्वितीय चरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

सूचियां परिशिष्ट-5 एवं 6 पर उपलब्ध हैं।

(ख) विद्यालय वार्षिक अनुदान (एस ए जी)

विद्यालय वार्षिक अनुदान (एस ए जी) के तहत विद्यालयों को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 50,000/- प्रति वर्ष प्रति विद्यालय की दर से राशि का आबंटित की गई।

(ग) शिक्षक प्रशिक्षण:-

सत्र 2014-15 में 242 एवं 2015-16 में 663 शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

सत्र 2014-15 में 5,127 तथा सत्र 2015-16 में 4,824 छात्र-छात्राओं हेतु रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन किया गया।

सत्र 2015-16 में 129 एस डी एम सी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 942 छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया।

सत्र 2015-16 में 56 विद्यार्थियों ने कला उत्सव तथा 55 छात्र-छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में कला प्रदर्शन किया।

(घ) संस्था प्रधान (लीडरशिप) प्रशिक्षण :-

सत्र 2015-16 में बाड़मेर में संस्था प्रधान लीडरशिप कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण में 33, दो दिवसीय प्रशिक्षण में 39, आन-साइट सपोर्ट में 42 तथा चार दिवसीय प्रशिक्षण में 44 संस्था प्रधानों (संभागियों) ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(ड) समावेशी शिक्षा (आई ई डी एस एस) :-

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत समावेशी शिक्षा (आई ई डी एस एस) के वर्ष 2014-15 में 608 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को यूनिफार्म भत्ता, ब्रेल लिपि पुस्तकें एवं स्टेशनरी, बालिकाओं को भत्ता, ट्रांसपोर्ट, एस्कोर्ट एवं रीडर अलाउंस से लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2015-16 में 313 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को यूनिफार्म भत्ता, ब्रेल लिपि पुस्तकें एवं स्टेशनरी, बालिकाओं को भत्ता, ट्रांसपोर्ट, एस्कोर्ट एवं रीडर अलाउंस से लाभान्वित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-7 पर उलब्ध है।

(च) शारदे बालिका छात्रावास :-

गत दो वर्षों में बाड़मेर जिले में 4 शारदे बालिका छात्रावास निर्माण कार्य प्रगति पर है। बाड़मेर ब्लाक के छात्रावास का निर्माण कार्य जून, 2016 तक पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा। शेष तीन का निर्माण कार्य सितम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(छ) व्यावसायिक शिक्षा :-

गत दो वर्षों में बाड़मेर जिले के 7 विद्यालयों में प्रति विद्यालय दो ट्रेड के साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की गई। इस प्रकार कुल 14 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रति ट्रेड 25 से 30 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-8 पर उपलब्ध है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(ज) माडल स्कूल योजना :-

विगत दो वर्षों में बाड़मेर जिले में 5 स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल संचालित किये गये हैं। विवरण निम्नांकित है :-

सत्र 2014-15 में संचालित :-

(1) स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल, सिवाणा।

(2) स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल, बाड़मेर।

(3) स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल, चौहाटन।

(4) स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल, शिव।

सत्र 2015-16 में संचालित :-

(1) स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल, बालोतरा।

(झ) कम्प्यूटर शिक्षा (आई सी टी योजना) :-

ICT@school योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण में वर्ष 2013-14 में बाडमेर जिले के 62 राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये गये हैं एवं सैटेलाइट द्वारा कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों हेतु गणित, अंग्रेजी, विज्ञान एवं कम्प्यूटर विषयों का शिक्षण कार्य किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।

ICT@school योजना के अन्तर्गत चतुर्थ चरण में वर्ष 2015-16 में बाड़मेर जिले के 28 राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।

ICT मद अन्तर्गत प्रति विद्यालय बजट प्रावधान संलग्न है। सूची परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।

आगामी वर्षों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों एवं स्वीकृति अनुसार योजनाओं का संचालन /सम्पादन किया जावेगा।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

रेवदर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही

229. श्री जगसी राम (रेवदर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक

(श्री जगसी राम)

एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कब से? विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ को विधान सभा क्षेत्र से बाहर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? स्कूलवार, पदवार, नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र से बाहर की गई प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने तथा रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रेवदर में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर विधान सभा क्षेत्र रेवदर से बाहर लगे हुए हैं, का नामवार, पदवार, विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144-ए तहत शिक्षा विभाग से सम्बन्धित परियोजनाओं एवं शिक्षा से जुडे कार्यों हेतु निर्धारित समयावधि के लिए की जाती है तथा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिकों को मूल स्थान पर कार्यमुक्त कर भेजने के प्रावधान हैं। प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने वाले कार्मिकों/शिक्षकों को कार्यमुक्त कर मूल पदस्थापन स्थान पर भेजने हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प. 9(2)/प्राशि/2015 दिनांक 2.2.2016 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए 15,000 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा दिनांक 07.02.2016 को रीट परीक्षा, 2015 आयोजित की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करवाये जाने पर पात्र अभ्यर्थियों से तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पद भरे जा सकेंगे। द्वितीय

(शिक्षा राज्य मंत्री)

श्रेणी अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षक के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थियों से भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणी के विद्यालयों में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत भोजन की आपूर्ति

230. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी, पंचायत समिति लूणी व मण्डोर के कितने विद्यालयों में केन्द्रीय रसोई घर से राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है? केन्द्रीय रसोई घर कहां पर स्थित है तथा किन-किन शर्तों पर संचालित है? विगत पांच वर्षों में उक्त रसोई घरों को कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय रसोई घर से भोजन आपूर्ति प्राप्त कर रहे विद्यालय कौन-कौन से है तथा उनमें गत दो शैक्षणिक सत्रों में व इस वर्ष छात्र संख्या क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय रसोई घर में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता व ताजगी की जांच करने की कोई निष्पक्ष एजेन्सी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक भोजन की आपूर्ति के लिए कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, कैसे तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी, पंचायत समिति लूणी के 61 व मण्डोर के 72 विद्यालयों में अदम्य चेतना ट्रस्ट एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत रसोईघरों से राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा हैं।

अदम्य चेतना ट्रस्ट द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत रसोईघर उम्मेद क्लब, गौशाला मैदान, जोधपुर में स्थित है व अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत रसोईघर ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर मण्डोर, जोधपुर में स्थित है। केन्द्रीयकृत रसोईघरों के संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,

(शिक्षा राज्य मंत्री)

जोधपुर द्वारा दोनों संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. किया हुआ है। एम. ओ.यू. में वर्णित शर्तों के अनुसार केन्द्रीयकृत रसोईघरों का संचालन किया जा रहा हैं। एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

अदम्य चेतना ट्रस्ट द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत रसोईघर को अप्रैल, 2010 से लेकर आज तक राशि 10,13,80,068 रुपये तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा संचालित केंद्रीयकृत रसोईघर को अगस्त, 2013 से आज तक राशि 1,85,11,611 रुपये का भुगतान किया गया। भुगतान का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी में केन्द्रीयकृत रसोईघरों से भोजन आपूर्ति कर रहे विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2013-14 में छात्र संख्या 8,801, शैक्षणिक सत्र 2014-15 में छात्र संख्या 8,908 एवं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2015-16 में छात्र संख्या 11,708 रही हैं।

(3) जी नहीं। केन्द्रीयकृत रसोईघरों में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता व ताजगी की जांच हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग को निष्पक्ष एजेन्सी नियुक्त किया गया हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिलों में स्थापित प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के माध्यम से मध्याह्न भोजन में पोषक मानकों एवं गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, भोजन की गुणवत्ता व ताजगी सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील परोसने से पूर्व एक अध्यापक व विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्य द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन चखा जाता है।

(प्रति, विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

गोगुन्दा के विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

231. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तथा उनमें कुल कितने पद विद्यालयवार, विषयवार व वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याताओं के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 12 माध्यमिक विद्यालय एवं 63 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें विद्यालयवार वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के विषयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में स्काउट-गाइड्स को प्रोत्साहन देने की योजना

232. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार स्काउट एवं गाइड्स को प्रोत्साहन हेतु कोई आर्थिक सहयोग प्रदान करती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्काउट-गाइड जिसे आगे स्वयं सेवक (self defence) के रूप में विकसित किया जाता है, के निर्माण में सरकारी सहयोग कम क्यों है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्काउट्स की ड्रेस एवं शिविरों में आने-जाने का मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार स्काउट एवं गाइड को प्रोत्साहन हेतु राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड को प्रति वर्ष आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। राजस्थान राज्य द्वारा भारत स्काउट को सत्र 2015-16 में आयोजना मद में 328.41 लाख एवं आयोजना-भिन्न मद में 588.00 लाख रुपये चार समान किश्तों में देय है।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्काउट-गाइड अन्तर्गत स्वयं सेवक के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है।

(3) राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड में अनाथालय, विकलांग तथा अनुसूचित जाति के लिए आयोजित शिविरों में स्काउट-गाइड को ड्रेस देने एवं आने-जाने का किराया देने का प्रावधान है। उक्त शिविरों में सम्मिलित होने वाले स्काउट गाइड की ड्रेस एवं यात्रा व्यय पर 600 रुपये प्रति स्काउट-गाइड के हिसाब से दिये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में लीज-धारकों द्वारा रोजगार देने के प्रावधान

233. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम संख्या 37-एन के तहत योग्य व्यक्तियों को रोजगार देने के प्रावधान हैं?

(2) वर्तमान में प्रदेश में कितने लीजधारक/क्वारी लाइसेंस धारक उक्त अर्हताएं पूरी करते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले लीजधारकों/क्वारी लाइसेंस धारकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में उक्त नियमों को सख्ती से लागू करने हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम संख्या 37-एन में प्रत्येक खानधारक को खनन कार्य हेतु क्वालिफाइड तकनीकी व्यक्ति नियुक्त करने का प्रावधान है ।

(2) प्रदेश में उक्त अर्हताए पूरी करने वाले लीजधारकों/क्वारी लाइसेंसधारकों की कुल संख्या 1,561 है।

(3) जिन लीजधारक/क्वारी लाइसेंसधारकों द्वारा उपरोक्त नियम की पालना में क्वालिफाइड व्यक्ति नियोजित नहीं किये गये हैं, उन्हें उक्त व्यक्ति नियुक्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रेरित किया जाता है एवं पालना नहीं करने पर चेतना पत्र जारी करने का प्रावधान है।

(4) उक्त नियमों की सख्ती से पालना हेतु खानधारकों के लिए पर्याप्त तकनीकी व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्र में कैम्प, इत्यादि आयोजित कर खान कार्मिकों को खान सुरक्षा विभाग से फोरमैन/मैनेजर (सेकण्ड क्लास) की अर्हता लेने हेतु मार्ग-दर्शन दिया जा रहा है।

किशनगंज-शाहबाद के वन क्षेत्र में बसी आबादी

234. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ललित कुमार)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद, जिला बारां के अन्तर्गत कितना वन क्षेत्र है? क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वन क्षेत्र में आबादी इस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने से पूर्व से ही बसी हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस वन क्षेत्र में कब-कब से आबादी बसी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार वन क्षेत्र में बसी आबादी को आबादी भूमि मानकर उतना ही आस-पास का क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में घोषित कर उक्त आबादी भूमि को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वन क्षेत्र में बसी हुई आबादी/बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के अन्तर्गत कुल 1,51,548.09 हैक्टेयर वन क्षेत्र है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम रेंज	वन क्षेत्र (है.)
1.	शाहबाद	शाहबाद	49758.09
2.	शाहबाद	केलवाडा	32215.69
3.	किशनगंज	किशनगंज	41098.26
4.	किशनगंज	नाहरगढ़	28476.06
		योग	**1,51,548.10**

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। ऐसी आवासीय बस्तियां जो कि वन भूमि पर बसी हुई हैं, अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। वन भूमि पर बसी हुई आवासीय बस्तियों के अतिक्रमण को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की मार्गनिर्देशिका के एनेक्सचर-IV (संलग्न परिशिष्ट-"ए") में दि. 25.10.1980 से पूर्व के अतिक्रमण के ऐसे प्रकरणों का नियमन किये जाने का उल्लेख है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के पूर्व ही कोई नीति बनाकर घोषणा की हो, किन्तु किन्हीं

(वन राज्य मंत्री)

कारणवश इनका पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से नियमितिकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी तथा ऐसे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र के नियमन के लिए यह भी आवश्यक शर्त है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध तत्समय प्रचलित वन अधिनियम के तहत प्रथम अपराध रिपोर्ट दर्ज की गई हो। इस सम्बन्ध में एनेक्सचर-IV के बिन्दु सं. 3.1 अनुसार दि. 24.10.1980 के पश्चात के किसी भी अतिक्रमण को नियमित नहीं करने के निर्देश हैं।

(4) वन क्षेत्र में बसी हुई आबादी/बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे-सड़क, बिजली व पानी की सुविधाओं बाबत सम्बन्धित विभाग से इस सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसका परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति दिलवाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले के डेगाना के टंगस्टन का खनन कार्य

235. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या खान राज्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के डेगाना कस्बे के पास रेवत पहाड़ी से विगत 18 वर्षों से टंगस्टन का खनन बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त पहाड़ी से निकाले जाने वाले टंगस्टन की उच्च गुणवत्ता और प्रचुरता को मध्यनजर रखते हुए तथा मजदूरों को रोजगार देने के लिए पुन: खनन शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व उक्त खनन को पुन: शुरू करने के प्रयास किये गये थे? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के डेगाना कस्बे के पास रेंवत पहाड़ी से खनिज टंगस्टन का खनन कार्य दिनांक 30.11.1998 के पश्चात् बंद है। उक्त क्षेत्र में खनन पट्टाधारी सर्वश्री हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा अपने खनन पट्टे का नवीनीकरण खनिज का दोहन लाभप्रद नहीं होने के कारण विथड्रा किया गया

(खान राज्य मंत्री)

है। अत: दिनांक 30.11.1998 से क्षेत्र में टंगस्टन का कोई खनन पट्टा प्रभाव में नहीं होने से खनन कार्य नहीं हो रहा है।

(2) आई.बी.एम. के स्रोत अनुसार क्षेत्र में खनिज टंगस्टन (WO_s) 0.25 प्रतिशत के 2.5 मिलियन टन तथा 0.04 प्रतिशत के 3.3 मिलियन टन के भण्डार होने की सम्भावना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग से क्षेत्र में खनिज उपलब्धता की जांच करवाकर पुन: आबंटन के बारे में विचार किया जा सकता है।

(3) जी नहीं। हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा खनन पट्टे का नवीनीकरण विथड्रा करने से वर्तमान में क्षेत्र में कोई खनन पट्टा प्रभाव में नहीं है।